दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जून भाग-2

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

सामाजिक न्याय 4

- पोलियो 4
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट: WHO 5
- औषधि प्रतिरोधी टाइफाइड 7
- ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट ऑन फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2021 8
- किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2021 से संबंधित मुद्दा 10
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 14

- I2U2 पहल 14
- 24वीं आसियान-भारत बैठक 15
- FATF की ग्रे लिस्ट 16
- पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना: नेपाल 18
- UNSC 1267 समिति के तहत आतंकवादी की सूची 19
- 14वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22
- भारत-मलेशिया रक्षा सहयोग 23
- 48वीं G-7 बैठक 24
- ब्लू पैसिफिक में भागीदार 26
- वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिये साझेदारी 28
- हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चीन की उपस्थिति 30

आंतरिक सुरक्षा 33

- मासिक भत्तों के वितरण हेतु 'पे रोल ऑटोमेशन' (PADMA) 33

जैवविविधता और पर्यावरण 35

- विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 35
- बैरेंट्स सागर का तापन 37
- नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 (GSR 2022) 38
- वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क में अंतराल 40
- एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध 42
- एमएसएमई हेतु जलवायु वित्त की आवश्यकता 43
- आर्द्रभूमि संरक्षण 45
- भारतीय राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन कार्यक्रम 46
- राजस्थान का मेनार पक्षी गाँव बनेगा आर्द्रभूमि 47
- हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया 48
- राष्ट्रमंडल ने 'लिविंग लैंड्स चार्टर' अपनाया 50
- प्रकृति आधारित समाधान 51

भारतीय अर्थव्यवस्था 53

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 53
- क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ना 54
- विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2022 55
- भारत से गेहूँ निर्यात पर प्रतिबंध 57
- ज़मानती बॉण्ड 58
- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 60
- विश्व व्यापार संगठन का 12वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 61
- भुगतान विज़न 2025: आरबीआई 63
- एससी और एनजीटी के चुनिंदा फैसलों का आर्थिक प्रभाव 64
- प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि 65
- सहकारी बैंक 66
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 68
- कार्ड टोकनाइज़ेशन 69
- नीति आयोग 70
- विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय 72
- नमक क्षेत्र संकट 74
- भारत की 'गिग' इकॉनमी 75

- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 77
- वस्तु और सेवा कर परिषद 78

भारतीय राजनीति 81

- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) 81
- फ्लोर टेस्ट संबंधी राज्यपाल का अधिकार 82

भूगोल 84

- ग्रीष्म अयनांत: 21 जून 84
- बेदती-वरदा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना 85
- गहन अनुकूलन के तहत अवशिष्ट बाढ़ क्षति 86
- नाइजीरिया में उच्च श्रेणी के लिथियम की खोज 87

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 89

- पृथ्वी-II मिसाइल 89
- टाइप-1 डायबिटीज़ 90
- साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा 92
- क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 94

शासन व्यवस्था 96

- ओडीओपी: हस्तशिल्प क्षेत्र 96
- भारतीय रेलवे नवाचार नीति 98
- डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 99
- अमृत सरोवर मिशन 100
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम 101
- निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल (निपुण-NIPUN) 102
- वन नेशन वन राशन कार्ड 104
- यूनेस्को ने भारतीय स्कूलों में आईसीटी के उपयोग को दी मान्यता 105
- मनोरंजन उद्योग में बाल भागीदारी का विनियमन 106
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 107
- शिक्षा सहायता की आवश्यकता वाले बच्चे और किशोर 109
- नए वीपीएन नियम 110
- भारत NCAP 111
- ज़िलों के लिये परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI-D) 112
- सड़क सुरक्षा के लिये भारत राज्य सहायता कार्यक्रम 114
- नरेगा की मांग में वृद्धि 115
- इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव 116
- सड़क सुरक्षा 118

प्रिलिम्स फैक्ट्स 121

- भारत गौरव योजना 121
- भारत में मगरमच्छ की प्रजातियाँ: 124
- उन्मेष 125
- बैम्बू ड्वेलिंग बैट 126
- थेरी मरुस्थल 127
- बर्मागोम्फस चौकुलेंसिस 127
- ऑपरेशन संकल्प 128
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 129
- दोहरे घाटे की समस्या 131
- जूजेंथेले कोरल की चार प्रजातियाँ 132
- कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान 133
- स्नेक आइलैंड: 134
- पार्टिसिपेटरी नोट्स 134
- ब्लैक डेथ 135
- वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 135
- वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल 136
- जलकुंभी 136
- 2030 तक यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करना 137
- डाक कर्मयोगी 138
- रिम ऑफ द पैसिफिक (RIMPAC) एक्सरसाइज़ 2022 138

रैपिड फायर 139

सामाजिक न्याय

पोलियो

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कोलकाता में 'सीवेज के नमूनों की पर्यावरण निगरानी' (Environmental Surveillance Of Sewage Samples) के दौरान 'वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो वायरस' (Vaccine-Derived Poliovirus- VDPV) की उपस्थिति पाई गई।

- सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि यह प्रतिरक्षा की कमी के कारण कई गुना बढ़ गया है। यह मानव-से-मानव पोलियो स्थानांतरण का मामला नहीं है।
- VDPV कमज़ोर पोलियो वायरस का एक प्रकार है, यह शुरू में OPV (ओरल पोलियो वायरस टीके) में शामिल था और जो समय के साथ परिवर्तित हो गया तथा वाइल्ड या स्वाभाविक रूप से होने वाले वायरस की तरह व्यवहार करता है।

पोलियो क्या है ?

- परिचय:
  - पोलियो अपंगता का कारक और एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
  - प्रतिरक्षात्मक रूप से मुख्यत: पोलियो वायरस के तीन अलग-अलग उपभेद हैं:
    - वाइल्ड पोलियो वायरस 1 (WPV1)
    - वाइल्ड पोलियो वायरस 2 (WPV2)
    - वाइल्ड पोलियो वायरस 3 (WPV3)
  - लक्षणात्मक रूप से तीनों उपभेद समान होते हैं और पक्षाघात तथा मृत्यु का कारण बन सकते हैं।
  - हालाँकि इनमें आनुवंशिक और वायरोलॉजिकल अंतर पाया जाता है, जो इन तीन उपभेदों के अलग-अलग वायरस बनाते हैं, जिन्हें प्रत्येक को एकल रूप से समाप्त किया जाना आवश्यक होता है।
- प्रसार:
  - यह वायरस मुख्य रूप से 'मलाशय-मुख मार्ग' (Faecal-Oral Route) के माध्यम से या दूषित पानी या भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित होता है।
  - यह मुख्यत: 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। आँत में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जहाँ से यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और पक्षाघात का कारण बन सकता है।
- लक्षण:
  - पोलियो से पीड़ित अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोगों में केवल मामूली लक्षण पाए जाते हैं, जैसे- बुखार, थकान, जी मिचलाना, सिरदर्द, हाथ-पैर में दर्द आदि।
  - दुर्लभ मामलों में पोलियो संक्रमण के कारण मांसपेशियों के कार्य का स्थायी नुकसान (पक्षाघात) होता है।
  - यदि साँस लेने के लिये उपयोग की जाने वाली मांसपेशियाँ लकवाग्रस्त हो जाएं या मस्तिष्क में कोई संक्रमण हो जाए तो पोलियो घातक हो सकता है।
- रोकथाम और इलाज:
  - इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन टीकाकरण से इसे रोका जा सकता है।
- टीकाकरण:
  - ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV): यह संस्थागत प्रसव के दौरान जन्म के समय ही दी जाती है, उसके बाद प्राथमिक तीन खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में तथा एक बूस्टर खुराक 16-24 महीने की उम्र में दी जाती है।
  - इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन (IPV): इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत DPT (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस) की तीसरी खुराक के साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में दिया जाता है।

हाल के प्रकोप:

- वर्ष 2019 में पोलियो का प्रकोप फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्याँमार, चीन, कैमरून, इंडोनेशिया और ईरान में दर्ज किया गया था, जो ज़्यादातर वैक्सीन-व्युत्पन्न थे, जिसमें वायरस का एक दुर्लभ स्ट्रेन आनुवंशिक रूप से वैक्सीन में स्ट्रेन से उत्परिवर्तित होता था।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यदि वायरस को उत्सर्जित किया जाता है और कम-से-कम 12 महीनों के लिये एक अप्रतिरक्षित या कम-प्रतिरक्षित आबादी में प्रसारित होने दिया जाता है तो यह यह संक्रमण का कारण बन सकता है।

भारत और पोलियो:

- तीन वर्ष के दौरान शून्य मामलों के बाद भारत को वर्ष 2014 में WHO द्वारा पोलियो-मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ।
    - यह उपलब्धि उस सफल पल्स पोलियो अभियान से प्रेरित है जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी।
    - देश में वाइल्ड पोलियो वायरस का अंतिम मामला 13 जनवरी, 2011 को सामने आया था।

पोलियो उन्मूलन उपाय:

वैश्विक:

- वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल:
    - इसे वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI) के तहत राष्ट्रीय सरकारों और WHO द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में विश्व की 80% आबादी पोलियो मुक्त है।
        - पोलियो टीकाकरण गतिविधियों के दौरान विटामिन-A के व्यवस्थित प्रबंधन के माध्यम से अनुमानित 1.5 मिलियन नवजातों की मौतों को रोका गया है।
- विश्व पोलियो दिवस:
    - यह प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर को मनाया जाता है ताकि देशों को बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सतर्क रहने का आह्वान किया जा सके।

भारत:

- पल्स पोलियो कार्यक्रम:
    - इसे ओरल पोलियो वैक्सीन के अंतर्गत शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0:
    - यह पल्स पोलियो कार्यक्रम (वर्ष 2019-20) के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था।
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम:
    - इसे वर्ष 1985 में 'प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम' (Expanded Programme of Immunization) में संशोधन के साथ शुरू किया गया था।
    - इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में टीकाकरण कवरेज में तेज़ी से वृद्धि, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना, वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि शामिल हैं।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट: WHO

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- WHO ने दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने के लिये और अधिक कार्रवाई का आह्वान किया है, खासकर तब जब 'कोविड -19' महामारी को मानसिक स्वास्थ्य को कुप्रभावित करने में योगदान के रूप में उद्धृत किया गया है।
- लगभग एक अरब लोग, जिनमें से 14% किशोर थे, 2019 में किसी न किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ जी रहे थे। कुछ के लिये यह आत्महत्या का कारण बना, जिसमें 100 में से एक की मृत्यु हुई, जिनमें से आधे से अधिक 50 वर्ष की आयु से पहले हुई।
- महामारी (2020) के पहले वर्ष में अवसाद और चिंता 25% बढ़ गई।
- WHO के सभी 194 सदस्य राज्यों ने व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013-2030 को अपनाया है लेकिन इसकी प्रगति धीमी रही है।
- महामारी के अलावा मानसिक कल्याण के लिये अन्य संरचनात्मक खतरों में सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति, युद्ध और जलवायु संकट शामिल हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ जीने वाले सामान्य आबादी की तुलना में लगभग दो दशक कम जीते हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच खराब बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर, 71% मनोविकृति रोगियों को उपचार प्राप्त नहीं होता है। उच्च आय वाले देश 70% मनोविकृति रोगियों को उपचार प्रदान करते हैं और कम आय वाले देश केवल 12% के लिये इसका प्रबंधन करते हैं।
- WHO की रिपोर्ट में व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013-2030 पर प्रगति को तेज़ करने के लिये तीन प्रमुख 'परिवर्तन के पथ' को सूचीबद्ध किया गया है।
    - इनमें मानसिक स्वास्थ्य में अधिक केंद्रित निवेश, घरों, समुदायों, स्कूलों, कार्यस्थलों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं जैसे वातावरण को फिर से आकार देना शामिल है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इसे विविधता लाकर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को मज़बूत करते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य खुशहाली एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और लाभदायक रूप से काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम होता है।

- शारीरिक स्वास्थ्य की तरह, मानसिक स्वास्थ्य भी जीवन के हर चरण में, बचपन और किशोरावस्था से लेकर वयस्कता तक महत्वपूर्ण है।

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियाँ:

- उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ: भारत के नवीनतम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, भारत में अनुमानित 150 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- संसाधनों की कमी: भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल के निम्न अनुपात (प्रति 100,000 जनसंख्या) में मनोचिकित्सक (0.3), नर्स (0.12), मनोवैज्ञानिक (0.07) और सामाजिक कार्यकर्त्ता (0.07) शामिल हैं।
  - स्वास्थ्य देखभाल पर सकल घरेलू उत्पाद के केवल एक प्रतिशत से अधिक के कम वित्तीय संसाधन आवंटन ने सस्ती मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिये सार्वजनिक पहुँच में बाधाएँ पैदा की हैं।
- अन्य चुनौतियाँ: मानसिक बीमारी के लक्षणों के बारे में कम जागरूकता, सामाजिक लांछनऔर मानसिक रूप से बीमार, विशेष रूप से वृद्ध और निराश्रितों का परित्याग, रोगी के इलाज के लिये परिवार के सदस्यों की ओर से सामाजिक अलगाव और अनिच्छा का कारण बनता है।
  - इसके परिणामस्वरूप इलाज़ में भारी अंतर पैदा हो गया है, जो किसी व्यक्ति की वर्तमान मानसिक बीमारी को और खराब कर देता है।
- परवर्ती चिकित्सा अंतराल: मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार के बाद उनके उचित पुनर्वास की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में मौजूद नहीं है।
- तीव्रता में वृद्धि: आर्थिक मंदी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ जाती हैं, इसलिये आर्थिक संकट के समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- संवैधानिक प्रावधान: सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य सेवा को मौलिक अधिकार माना है।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP): मानसिक विकारों के भारी बोझ और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिये सरकार वर्ष 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) को लागू कर रही है।
  - वर्ष 2003 में दो योजनाओं को शामिल करने हेतु इस कार्यक्रम को सरकार द्वारा पुन: रणनीतिक रूप से तैयार किया गया, जिसमें राजकीय मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण और मेडिकल कॉलेजों/सामान्य अस्पतालों की मानसिक विकारों से संबंधित इकाइयों का उन्नयन करना शामिल था।
- मानसिक स्वास्थ्यकर अधिनियम, 2017: यह अधिनयम प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार तक पहुँच की गारंटी देता है।
  - मानसिक स्वास्थ्यकर अधिनियम, 2017: यह अधिनियम प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार तक पहुँच की गारंटी देता है।
- किरण हेल्पलाइन: वर्ष 2020 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 'किरण' शुरू की थी।
- मनोदर्पण: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने इसे आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया। इसका उद्देश्य छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और भलाई के लिये कोविड -19 के समय में मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

आगे की राह:

- भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति सरकार द्वारा सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप और संसाधन आवंटन की मांग करती है।.
- मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कलंक को कम करने के लिये हमें समुदाय/समाज को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के उपायों की आवश्यकता है।
- जब मानसिक बीमारी वाले रोगियों को सही देखभाल प्रदान करने की बात आती है, तो हमें रोगियों के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, हमें सेवाओं और कर्मचारियों की पहुँच को बढ़ाने के लिये नए मॉडल की आवश्यकता है।
  - ऐसा ही एक मॉडल- 'अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट' (आशा) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
- भारत को मानसिक स्वास्थ्य और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिये निरंतर वित्तीयन की आवश्यकता है।

- स्वच्छ मानसिकता अभियान जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिये प्रेरित करना समय की मांग है।

औषधि प्रतिरोधी टाइफाइड

चर्चा में क्यों?

द लैंसेट माइक्रोब जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, टाइफाइड बुखार का कारण बनने वाले बैक्टीरिया व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले एंटीबायोटिक औषधियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते जा रहे हैं।

- टाइफाइड बुखार के कारण 11 मिलियन लोग संक्रमण का शिकार होते हैं और प्रति वर्ष 1,00,000 से अधिक लोगों की मौतें होती हैं। वैश्विक बीमारी के भार में दक्षिण एशिया का 70% हिस्सा है।

टाइफाइड:

- परिचय:
  - टाइफाइड बुखार एक जानलेवा संक्रमण है जो साल्मोनेला एंटरिका सेरोवर टाइफी (आमतौर पर साल्मोनेला टाइफी के रूप में जाना जाता है) जीवाणु के कारण होता है जो केवल मनुष्यों द्वारा संक्रमण किया जाता है अभी तक कोई अन्य पशु वाहक नहीं मिला है।
- संक्रमण:
  - टाइफाइड बुखार मल-मौखिक मार्ग से, दूषित भोजन या जल के अंतर्ग्रहण के माध्यम से फैलता है।
  - उपचार के बिना ही 20 में से लगभग एक व्यक्ति टाइफाइड से ठीक हो जाता है, वह एक 'वाहक' बन जाता है। बीमारी के कोई लक्षण न होने के बावजूद उनके मल और मूत्र में जीवाणु होते हैं, और वे लगभग तीन महीने (कभी-कभी एक वर्ष तक) की अवधि तक दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं।
  - कई टाइफाइड स्थानिक देशों में यात्रियों को टाइफाइड बुखार होने का उच्च जोखिम होता है। इसमें एशिया के कुछ हिस्से (विशेषकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश), अफ्रीका, कैरिबियन, मध्य और दक्षिण अमेरिका एवं मध्य पूर्व शामिल हैं।
- लक्षण:
  - टाइफाइड के लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर तक होते हैं, बिना इलाज के लगभग एक महीने तक रह सकते हैं, इसके लक्षणों में शामिल हैं: बुखार, थकान, अस्वस्थता (अस्वस्थता की सामान्य भावना), गले में खराश, लगातार खाँसी और सिरदर्द।
- निवारण:
  - टीका/वैक्सीन:
    - टाइफाइड का टीका/वैक्सीनऑरल मेडिकेशन या वन ऑफ इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है:
    - कैप्सूल: वयस्कों और 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिये यह एक सक्रिय, क्षीण टीका है।
    - खुराक: वयस्कों और 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिये, यह एक निष्क्रिय टीका है जिसे एक व्यक्ति को टाइफाइड होने से 2 सप्ताह पहले प्राप्त देने की आवश्यकता होती है।
    - टाइफाइड का टीका केवल 50-80% प्रभावी होता है।
- उपचार:
  - टाइफाइड बुखार में एंटीबायोटिक दवाओं के साथ शीघ्र उपचार की आवश्यकता होती है।
- दवा प्रतिरोधक क्षमता:
  - टाइफाइड बुखार के लिये एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता ड्रग रेसिस्टेंट स्ट्रेन (Drug Resistant Strains) के उद्भव से खतरे में है।
    - बैक्टीरिया के प्रतिरोधी उपभेदों या स्ट्रेन के अस्तित्व का मतलब है कि एंटीबायोटिक्स या उन्हें मारने के लिये डिज़ाइन की गई दवाएँ अब काम नहीं करती हैं, जिससे उन्हें तेज़ीसे फैलती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा होता है।
  - वर्ष 2000 के बाद से बांग्लादेश और भारत में मल्टी-ड्रग-रेसिस्टेंट (MDR) टाइफाइड में लगातार गिरावट आई है, नेपाल में यह कम रहा है और पाकिस्तान में यह थोड़ बढ़ा है।
    - हालाँकि, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और अन्य संस्थानों के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, इन्हें अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी उपभेदों या स्ट्रेन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
    - बहु-दवा प्रतिरोध (MDR) को एंटीबायोटिक के तीन या अधिक रासायनिक वर्गों में कम-से-कम एक एजेंट के लिये संवेदनशीलता की कमी के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - उपभेदों को MDR के रूप में वर्गीकृत किया गया था यदि उनके पास एंटीबायोटिक्स एम्पीसिलीन, क्लोरैम्फेनिकॉल और ट्राइमेथोप्रिम/सल्फामेथोक्साज़ोल के प्रतिरोधी जीन थे।
  - XDR टाइफाइड नामक उपभेदों में एक नए प्रकार का दवा प्रतिरोध देखा गया है। एंटीबायोटिक (एज़िथ्रोमाइसिन) के प्रति प्रतिरोधी उपभेदों को भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में देखा गया है।
    - व्यापक दवा प्रतिरोध (XDR) टाइफाइड तनाव के कारण होता है जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिये अनुशंसित कम-से-कम पाँच एंटीबायोटिक वर्गों के लिये प्रतिरोधी होता है।

आगे की राह

- टाइफाइड बुखार की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण और व्यापक नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता है।
- भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में टाइफाइड के नए टीके लगाने पर विचार कर रहा है। भारत में (भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई द्वारा) दो डब्ल्यूएचओ प्रीक्वालिफाइड टीके विकसित किये गए हैं।

ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट ऑन फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR) द्वारा वर्ष 2022 की वार्षिक ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट (Global Trends Report) प्रकाशित की गई है।

- 20 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में नामित किया गया है। विश्व शरणार्थी दिवस 2022 की थीम ''जो भी कहीं भी और जब भी मौजूद हो उसे सुरक्षा मांगने का अधिकार है'' (Whoever, whatever, whenever Everyone has got a right to seek safety) है।

ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट:

- यह प्रमुख सांख्यिकीय प्रवृत्तियों और शरणार्थियों की नवीनतम संख्या, शरण चाहने वालों, आंतरिक रूप से विस्थापित और दुनिया भर में राज्यविहीन व्यक्तियों के साथ-साथ उन लोगों की संख्या को प्रस्तुत करता है जो अपने देशों या मूल क्षेत्रों में लौट आए हैं।
- रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष में एक बार होता है जो पिछले पिछले वर्ष की स्थिति को दर्शाती है।
- आँकड़ें सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और UNHCR द्वारा रिपोर्ट किये गए आँकड़ों पर आधारित हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- वैश्विक परिदृश्य:
  - पिछले वर्ष हिंसा, मानवाधिकारों के हनन, खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक अन्य आपात स्थितियों के कारण वैश्विक स्तर पर 100 मिलियन लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ा था।
  - आपदाओं के कारण विश्व स्तर पर 23.7 मिलियन नए आंतरिक विस्थापन हुए (ये संघर्ष और हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के अतिरिक्त हैं)। यह पिछले वर्ष की तुलना में सात मिलियन या 23% की कमी को दर्शाता है।
  - वर्ष 2021 में आपदाओं के संदर्भ में सबसे अधिक विस्थापन चीन (6.0 मिलियन), फिलीपींस (5.7 मिलियन) और भारत (4.9 मिलियन) में हुआ।
  - अधिकांश आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति अपने गृह क्षेत्रों में लौट आए, लेकिन दुनिया भर में 5.9 मिलियन लोग आपदाओं के कारण वर्ष के अंत में विस्थापित हुए।
  - अपने घरों से भागने के लिये मज़बूर लोगों की संख्या पिछले एक दशक से हर साल बढ़ी है और अपने उच्चतम स्तर पर है, इस प्रवृति को केवल शांति निर्माण की दिशा में एक नए, ठोस प्रयास से ही बदला जा सकता है।
- भारत:
  - वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण भारत में लगभग 50 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे।

आंतरिक विस्थापन:

- आंतरिक विस्थापन (अर्थ):
  - आंतरिक विस्थापन उन लोगों की स्थिति का वर्णन करता है जिन्हें अपने घर छोड़ने के लिये मज़बूर किया गया है लेकिन उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा है।
  - विस्थापन के कारक: प्रत्येक वर्ष लाखों लोग संघर्ष, हिंसा, विकास परियोजनाओं, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अपने घरों या निवास स्थानों को छोड़कर अपने देशों की सीमाओं के भीतर विस्थापित हो जाते हैं।
  - घटक: आंतरिक विस्थापन दो घटकों पर आधारित है:
    - यदि लोगों का विस्थापन जबरदस्ती या अनैच्छिक है (उन्हें आर्थिक और अन्य स्वैच्छिक प्रवासियों से अलग करने हेतु);
    - यदि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राज्य की सीमाओं के भीतर रहता है (उन्हें शरणार्थियों से अलग करने हेतु)।
  - शरणार्थी से अंतर: वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार, "शरणार्थी" एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर अत्याचार किया गया है और अपने मूल देश को छोड़ने के लिये मज़बूर किया गया है।
    - शरणार्थी माने जाने की एक पूर्व शर्त यह है कि वह व्यक्ति एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करता हो।
    - शरणार्थियों के विपरीत, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय नहीं हैं।
    - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षा और सहायता पर वैश्विक नेतृत्व के रूप में किसी एक एजेंसी या संगठन को नामित नहीं किया गया है।

- हालाँकि आंतरिक विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
- आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDP) द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ: IDP को शारीरिक शोषण, यौन या लिंग आधारित हिंसा का खतरा बना रहता है और वे परिवार के सदस्यों से अलग होने का जोखिम उठाते हैं।
  - वे प्राय: पर्याप्त आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहते हैं और अक्सर अपनी संपत्ति, भूमि या आजीविका तक अपनी स्थापित पहुँच को खो देते हैं।

आंतरिक विस्थापन से जुड़ी चुनौतियाँ:

- उचित और आमतौर पर स्वीकृत आँकड़ों का अभाव: जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विस्थापन से संबंधित आँकड़ों के संदर्भ में, सीधे शब्दों में कहें तो जो परिभाषित नहीं है, उसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है, और जिनकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।
- जलवायु शरणार्थियों के लिये कानूनी स्थिति का अभाव: कानूनी दृष्टिकोण से यूएनएचसीआर "जलवायु शरणार्थी" शब्द का समर्थन नहीं करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में मौजूद नहीं है। यह आकलन करना भी बहुत मुश्किल है कि क्या कोई व्यक्ति जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विस्थापित हुआ है। वैसे भी विस्थापित हो जाते अगर कोई जलवायु परिवर्तन नहीं होता।
- ऐतिहासिक मिसाल का अभाव: दूसरे कई स्थितियों के लिये ऐतिहासिक मिसाल की कमी जो मानव से संबंधित जलवायु परिवर्तन की प्रगति के रूप में उत्पन्न होगी, जिसका मानव गतिशीलता पर प्रभाव पहले कभी नहीं देखा गया है। इसका मतलब यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि बदलती जलवायु भविष्य में लोगों के निर्णयों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करेगी।
- जलवायु परिवर्तन और विस्थापन के बीच गैर-मौजूद संबंध: अंत में, जलवायु परिवर्तन और विस्थापन के बीच की कड़ी पूरी तरह से मापने योग्य नहीं है और इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि यह एक सीधा कारण है, उदाहरण के लिये केवल सीमित जानकारी उपलब्ध है। अन्य कारण भी हैं- बढ़ती गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आदि।

आगे की राह

- स्वदेश में वापसी: अधिकांश शरणार्थियों के लिये एक स्वतंत्र और सूचित विकल्प के आधार पर अपने देश लौटना शरणार्थियों के रूप में उनकी अस्थायी स्थिति को समाप्त करने का एक उचित समाधान होगा। इसके लिये राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक अवसर यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं कि पर्यावरण प्रभावित शरणार्थियों सुरक्षा और सम्मान के साथ पुन: एकीकृत करने की अनुमति मिले। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि वापसी टिकाऊ है।
- पुनर्वास: जबकि कई देशों ने मेज़बान देशों के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए, पुनर्वास के लिये अपनी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है, हालाँकि राज्यों द्वारा प्रस्तावित स्थानों की संख्या में उल्लेखनीय कमी के कारण यह कम शरणार्थियों के लिये एक विकल्प प्रदान करता है। पुनर्वास एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण और समाधान है जो UNHCR के कानून अनुसार अनिवार्य एक मुख्य गतिविधि है, जो कुछ सबसे कमजोर शरणार्थियों (जिन्हें विशिष्ट या तत्काल जोखिम का सामना करना पड़ सकता है) की रक्षा करने में मदद करता है।
- स्थानीय एकीकरण: सुरक्षित रूप से लौटने या फिर से बसने की संभावना के अभाव में कुछ देशों में शरणार्थियों के लिये अपने देश में लंबे समय तक या स्थायी रूप से रहने के लिये रास्ते उपलब्ध हैं। स्थानीय एकीकरण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शरणार्थी इन देशों में नए जीवन की शुरुआत कर सकें।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR):

- परिचय:
  - शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR) का कार्यालय वर्ष 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन लाखों यूरोपीय लोगों की मदद के लिये बनाया गया था, जो अपने घर छोड़कर भाग गए थे या खो गए थे।
  - 1954 में UNHCR ने यूरोप में अपने अभूतपूर्व कार्य के लिये नोबेल शांति पुरस्कार जीता। लेकिन हमें अपनी अगली बड़ी आपात स्थिति का सामना करने में ज़्यादा समय नहीं लगा।
  - 1960 के दशक के दौरान अफ्रीका के उपनिवेशवाद ने इस महाद्वीप के कई शरणार्थी संकटों में से एक था। इसने अगले दो दशकों में एशिया और लैटिन अमेरिका में लोगों को प्रवास हेतु बाध्य किया।
  - 1981 में शरणार्थियों के लिये विश्वव्यापी सहायता करने हेतु इसे दूसरा नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
- 1951 शरणार्थी सम्मेलन और इसका 1967 प्रोटोकॉल:
  - वे प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं जो इसके काम का आधार बनाते हैं। 149 राज्य पार्टियों में से किसी एक या दोनों के साथ वे 'शरणार्थी' शब्द को परिभाषित करते हैं और शरणार्थियों के अधिकारों के साथ-साथ उनकी रक्षा के लिये राज्यों के कानूनी दायित्वों की रूपरेखा तैयार करते हैं।
  - मूल सिद्धांत गैर-प्रतिशोधन है, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि शरणार्थी को उस देश में वापस नहीं किया जाना चाहिये जहाँ उन्हें अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिये गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है। इसे अब प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का नियम माना जाता है।

- UNHCR 1951 के सम्मेलन और इसके 1967 प्रोटोकॉल के 'अभिभावक' के रूप में कार्य करता है। कानून के अनुसार, राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करने में हमारे साथ सहयोग करें कि शरणार्थियों के अधिकारों का सम्मान और संरक्षण किया जाता है।

किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2021 से संबंधित मुद्दा

चर्चा में क्यों?

किशोर न्याय अधिनियम संशोधन, बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions-CCI) में कर्मचारियों या प्रभारी व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार एवं क्रूरता को गैर-संज्ञेय अपराध बनाकर बाल देखभाल संस्थानों में दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने को और अधिक जटिल बना रहा है।

- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने के लिये किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 के प्रावधान:

- गैर-संज्ञेय अपराध:
  - बच्चों के खिलाफ अपराध जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अध्याय "बच्चों के खिलाफ अन्य अपराध" में वर्णित हैं, जिस अपराध के लिये तीन से सात वर्ष की जेल की सज़ा हो, वह "गैर-संज्ञेय" होगा।
- गोद लेना/एडॉप्शन:
  - संशोधन बच्चों के संरक्षण और गोद लेने के प्रावधान को संरक्षण प्रदान करता है। न्यायालय के समक्ष गोद लेने के कई मामले लंबित हैं तथा न्यायालय की कार्यवाही को तीव्र करने के लिये शक्ति ज़िला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दी गई है।
  - संशोधन में प्रावधान है कि ऐसे गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार ज़िला मजिस्ट्रेट के पास है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

- संसद ने किशोर अपराध कानून और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को बदलने के लिये किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को पारित किया था।
- यह अधिनियम जघन्य अपराधों में संलिप्त 16-18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों (जुवेनाइल) के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।
- इस अधिनियम में गोद लेने के लिये माता-पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को शामिल किया गया है। अधिनियम ने हिंदू दत्तक ग्रहण व रखरखाव अधिनियम (1956) और वार्ड के संरक्षक अधिनियम (1890) को अधिक सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक कानून के साथ बदल दिया।
- अधिनियम गोद लेने से संबंधित मामलों के लिये केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority-CARA) को वैधानिक निकाय बनाता है, यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल एवं उन्हें गोद देने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- बाल देखभाल संस्थान (CCI):
  - सभी बाल देखभाल संस्थान, चाहे वे राज्य सरकार अथवा स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हों, अधिनियम के लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने चाहिये।
- किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021 से संबद्ध चुनौतियाँ: विशेष रूप से संशोधन में चुनौती किशोर न्याय अधिनियम की धारा 86 में से एक है, जिसके अनुसार विशेष कानून के तहत अपराधों को तीन से सात साल के बीच की सज़ा के साथ गैर-संज्ञेय के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- जबकि शक्ति में असंतुलन के कारण पीड़ित स्वयं सीधे उनकी रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं, ऐसे अधिकांश अपराध माता-पिता या बाल अधिकार निकायों और बाल कल्याण समितियों (CWC) द्वारा पुलिस को रिपोर्ट किये जाते हैं।
  - इन बच्चों के माता-पिता: वे ज़्यादातर दिहाड़ी मज़दूर हैं, या तो इस बात से अनजान हैं कि पुलिस को अपराधों की रिपोर्ट कैसे करें या फिर न करें।
    - वे कानूनी प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि इससे उन्हें काम से समय निकालने के लिये मज़बूर होना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप मज़दूरी का नुकसान होगा।
  - बाल कल्याण समितियाँ (CWC): ज़्यादातर मामलों में CWC की पहली प्रवृत्ति पुलिस को मामले को आगे बढ़ाने के बजाय "बात करना और समझौता करना" है।
- विशेष कानून के तहत कई अन्य गंभीर अपराधों के साथ इन अपराधों को गैर-संज्ञेय बनाना पुलिस को अपराध की रिपोर्ट करना और भी कठिन बना देगा।

संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध:

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही के संचालन के लिये नियम निर्धारित करती है, जिसने किसी भी आपराधिक कानून के तहत अपराध किया है।
- संज्ञेय अपराध:
  - संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी पहली अनुसूची के अनुसार या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत दोषी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और अदालत की अनुमति के बिना जाँच शुरू कर सकता है।
  - संज्ञेय अपराध आमतौर पर जघन्य या गंभीर प्रकृति के होते हैं जैसे कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, दहेज हत्या आदि।
  - प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) केवल संज्ञेय अपराधों के मामले में दर्ज की जाती है।
- गैर-संज्ञेय अपराध:
  - एक गैर-संज्ञेय अपराध भारतीय दंड संहिता की पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अपराध होता है और प्रकृति में ज़मानती होता है।
  - गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है और साथ ही जाँच शुरू नहीं कर सकती है।
    - मजिस्ट्रेट के पास एक आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है, जो संबंधित पुलिस स्टेशन को जाँच शुरू करने का आदेश देता है।
  - जालसाजी, धोखाधड़ी, मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव आदि अपराध गैर-संज्ञेयअपराधों की श्रेणी में आते हैं।
- संज्ञेय और गैर-संज्ञेय दोनों अपराधों से जुड़े मामले:
  - दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155(4) के अनुसार, जब किसी मामले में दो या दो से अधिक अपराध होते हैं, जिनमें से कम-से-कम एक संज्ञेय प्रकृति का होता है, और दूसरा गैर-संज्ञेय प्रकृति का होता है।
    - फिर पूरे मामले को एक संज्ञेय मामले के रूप में निपटाया जाना चाहिये और जाँच अधिकारी के पास संज्ञेय मामले की जाँच के लिये सभी शक्तियां एवं अधिकार होंगे।

आँकड़े:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2017 में इन अपराधों को दर्ज करने की शुरुआत के बाद से वर्ष 2019 तक इसमें 700 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी।
- NCRB ने वर्ष 2017 में भारत भर में CCI प्रभारी द्वारा किये गए अपराधों के 278 मामले दर्ज किये जिनमें 328 बाल पीड़ित शामिल थे। वर्ष 2019 तक ये मामले बढ़कर 1,968 हो गए, जिसमें 2,699 बाल पीड़ित थे।

बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिये अन्य कानूनी ढाँचे:

- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (POCSO), 2013
- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016
- बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC)
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2005

आगे की राह

- प्रक्रियात्मक कमियों को दूर करने और न्याय की तेज़ी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के साथ-साथ, माता-पिता या स्वतंत्र नागरिक समाज संगठनों के माध्यम से पीड़ितों की रिपोर्टिंग क्षमता को आसान बनाने की आवश्यकता है जो पीड़ित को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चा सामान्य जीवन में लौट आए।
  - बच्चों के लिये एक सुरक्षित दुनिया सुनिश्चित करने के लिये उच्च दोषसिद्धि दर एक लंबा रास्ता तय करेगी।
- बाल संरक्षण नियम विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, क्योंकि ज़िला मजिस्ट्रेट आमतौर पर इन विशिष्ट कानूनों से निपटने के लिये प्रशिक्षित या सुसज्जित नहीं होते हैं।
- बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ज़िला प्रशासन को सभी पाँच अंगों - CWC, JJ बोर्ड, CCI, ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के साथ मिलकर काम करना चाहिये।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ड्रग्स दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- विश्व ड्रग्स दिवस के अवसर पर UNODC द्वारा वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई।
  - UNODC वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 में कैनेबिस (भाँग) के वैधीकरण के बाद अवैध दवाओं के पर्यावरणीय प्रभावों और महिलाओं तथा युवाओं के बीच नशीली दवाओं के उपयोग के रुझानों पर प्रकाश डाला गया है।

विश्व ड्रग्स दिवस :

- थीम:
  - स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान करना।

- नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) का फोकस इसके बारे में जागरूकता फैलाना है ताकि दुनिया को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त किया जा सके।

- इतिहास:
  - 7 दिसंबर, 1987 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।
  - इसने समाज को मादक द्रव्यों के सेवन से मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपने प्रयासों को मज़बूत करने के लिये यह दिवस मनाने का निर्णय लिया।
- महत्त्व:
  - समाज पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना तथा दुनिया को नशे से मुक्त करना है।
    - वर्ष 2022 में दुनिया अफगानिस्तान, यूक्रेन और अन्य जगहों पर व्यापक मानवीय संकट देख रही है, जबकि कोविड-19 महामारी अभी भी एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य संकट बनी हुई है।
    - सिंथेटिक दवा संकट के लिये भी स्तरीय और अनुकूलनीय समाधानों की आवश्यकता होती है।

संबंधित पहल:

- भारत की पहल:
  - नशा मुक्त भारत अभियान/ड्रग्स मुक्त भारत अभियान
  - नशीली दवाओं की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना
  - नार्को-समन्वय केंद्र
    - नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिये राष्ट्रीय कोष
- वैश्विक पहल:
  - सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961
  - कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस-1971
  - कन्वेंशन ऑन इलीसिट ट्रैफिक ऑन नारकोटिक ड्रग्स एँड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1988
    - भारत इन तीनों का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है और इसने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 को अधिनियमित किया है।
  - प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट (World Drug Report) का प्रकाशन किया जाता है।

द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के मुख्य बिंदु:

- भारत:
  - भारत के बाज़ार और यूज़र्स के बढ़ने की संभावना:
    - भारत उपयोगकर्त्ताओं के मामले में दुनिया के सबसे बड़े अफीम बाज़ारों में से एक है और संभवत: बढ़ी हुई आपूर्ति के प्रति संवेदनशील होगा।
    - इसका कारण यह है कि अफगानिस्तान में उत्पन्न होने वाले अफीम की तस्करी की तीव्रता पारंपरिक बाल्कन मार्ग के साथ दक्षिण और पश्चिम के अलावा पूर्व की ओर हो सकती है।
    - इसके परिणाम विस्तारित उपयोग से लेकर तस्करी और संबद्ध संगठित अपराध के बढ़े हुए स्तरों तक हो सकते हैं।
  - अफीम की बरामदगी:
    - भारत में वर्ष 2020 में 5.2 टन अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा ज़ब्त की गई और तीसरी सबसे बड़ी मात्रा में मॉर्फिन (0.7 टन) भी उसी वर्ष ज़ब्त की गई ।
    - भारत में 2020 में लगभग 3.8 टन हेरोइन ज़ब्त की गई, जो दुनिया में पाँचवीं सबसे बड़ी मात्रा है।
    - भारत में अधिकारियों ने पहली बार 2020 में डार्क वेब पर गैर-चिकित्सा ट्रामाडोल और अन्य साइकोएक्टिव पदार्थों की तस्करी करने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने की घोषणा की थी।
- विश्व:
  - नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि:
    - 15-64 वर्ष की आयु के लगभग 284 मिलियन लोगों ने 2020 में विश्व भर में नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया, जो पिछले दशक की तुलना में 26% अधिक है।
  - कोकीन निर्माण की अधिकता:
    - विश्व भर में कोकीन का निर्माण वर्ष 2020 में रिकॉर्ड ऊँचाई पर था, जो वर्ष 2019 से 11% बढ़कर 1,982 टन हो गया।
    - वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के बावजूद रिकॉर्ड 1,424 टन तक कोकीन की बरामदगी भी बढ़ गई।
    - विश्व भर में अफीम का उत्पादन वर्ष 2020 और 2021 के बीच 7% बढ़कर 7,930 टन हो गया, जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान में उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ।
    - हालाँकि इसी अवधि में अफीम पोस्ता की खेती के तहत वैश्विक क्षेत्र 16% से घटकर 2,46,800 हेक्टेयर रह गया।
  - महिलाओं की भूमिका:
    - महिलाएँ विश्व स्तर पर नशीली दवाओं के उपयोगकर्त्ताओं के मामले में अल्पसंख्यक हैं, फिर भी पुरुषों की तुलना में उनमें नशीली दवाओं की खपत की दर और नशीली दवाओं के उपयोग विकारों की प्रगति में तेजी से वृद्धि होती है।

- महिलाएँ अब एम्फ़ैटेमिन के अनुमानित 45-49% उपयोगकर्त्ताओं और दवा उत्तेजक, फार्मास्युटिकल ओपिओइड, सेडेटिव तथा ट्रैंक्विलाइज़र के गैर-चिकित्सा उपयोगकर्त्ताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- महिलाओं ने वैश्विक कोकीन अर्थव्यवस्था में कई तरह की भूमिकाएँ निभाईं, जिनमें कोका की खेती, कम मात्रा में ड्रग्स का परिवहन, उन्हें उपभोक्ताओं को बेचना और जेलों में तस्करी शामिल है।

- गलतफहमी के कारण लोग इलाज से वंचित:
  - समस्या की भयावहता और इससे जुड़े नुकसान के बारे में गलत धारणाएँ लोगों को देखभाल एवं उपचार से वंचित कर रही हैं तथा युवाओं को प्रतिकूल व्यवहार की ओर धकेल रही हैं।
- कारक:
  - दुनिया के कुछ हिस्सों में कैनबिस के वैधीकरण से इसके दैनिक उपयोग और संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों में तेज़ी आई है।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

- वैश्विक ड्रग समस्या के हर पहलू को संबोधित करने के लिये आवश्यक संसाधनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें इसकी आवश्यकता वाले सभी लोगों के लिये साक्ष्य-आधारित चिकित्सा का प्रावधान शामिल है और हमें इस ज्ञान के आधार में सुधार करने की आवश्यकता है कि अवैध दवाएँ अन्य तत्काल चुनौतियों (जैसे संघर्ष और पर्यावरण क्षरण) से किस प्रकार संबंधित हैं।
- यह आवश्यक है कि दुनिया भर के नीति निर्माता उन देशों में जहाँ कोका बुश (Coca Bush) की अवैध खेती की जाती है, आर्थिक विकास और वैकल्पिक आजीविका को शामिल करते हुए समग्र दवा-आपूर्ति में कमी की रणनीति तैयार करें।
- ड्रग नीति के प्रति दृष्टिकोण को संघर्ष के क्षेत्रों और शांति निर्माण प्रतिक्रियाओं में एकीकृत किया जाना चाहिये।
- सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जटिल और गहन जाँच को प्रोत्साहित करना चाहिये जिसका उद्देश्य संबंधित वित्तीय प्रवाह को प्रकट कर उसे समाप्त करना है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

I2U2 पहल

चर्चा में क्यों?

I2U2 पहल के एक भाग के रूप में भारत, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जुलाई 2022 में अपना पहला आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे।

I2U2 पहल:

- पृष्ठभूमि:
  - शुरुआत में I2U2 का गठन अक्तूबर 2021 में इज़रायल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया था, ताकि इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके।
    - उस समय इसे 'आर्थिक सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंच' कहा जाता था।
    - इसे 'वेस्ट एशियन क्वाड' भी कहा जाता था।
- परिचय:
  - I2U2 पहल भारत, इज़रायल, यूएसए और यूएई का एक नया समूह है।
  - समूह के नाम में 'I2' का अर्थ भारत और इज़रायल है, जबकि 'U2' का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात है।
  - यह एक बड़ी उपलब्धि है जो इस क्षेत्र में होने वाले भू-राजनीतिक परिवर्तनों को दर्शाती है।
  - यह न केवल दुनिया भर में गठबंधन और साझेदारी की प्रणाली को पुनर्जीवित एवं फिर से सक्रिय करेगा, बल्कि उन साझेदारियों को भी जोड़ देगा जो पहले मौजूद नहीं थीं या पूरी तरह से उपयोग नहीं की गई थीं।
- महत्त्व:
  - सुरक्षा सहयोग:
    - इससे देशों को इन नए समूहों के ढाँचे के भीतर चार देशों के बीच सुरक्षा सहयोग तलाशने में मदद मिलेगी।
  - तकनीकी केंद्र:
    - इनमें से प्रत्येक देश एक तकनीकी केंद्र है।
    - जैव प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से इन देशों में से प्रत्येक में प्रमुख है।
  - खाद्य सुरक्षा:
    - यह पहल खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है।
  - विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ कार्य:
    - ये देश कई स्तरों पर सहयोग कर सकते हैं, चाहे वह तकनीक हो, व्यापार हो, जलवायु हो, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हो या सुरक्षा।

भारत के लिये I2U2 का महत्त्व:

- अब्राहम समझौते से लाभ:
  - भारत को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब राज्यों के साथ अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना इज़रायल के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिये अब्राहम समझौते (Abraham Accords) का लाभ मिलेगा।
- बाज़ार को फायदा:
  - भारत एक विशाल उपभोक्ता बाज़ार है। यह उच्च तकनीक और अत्यधिक मांग वाले सामानों का भी एक बड़ा उत्पादक स्थान है। इस ग्रुपिंग से भारत को फायदा होगा।
- गठबंधन:
  - यह भारत को राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन निर्मित करने में मददगार साबित होगा।

24वीं आसियान-भारत बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 24वीं आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक (SoM) का आयोजन दिल्ली में किया गया।

- भारत और आसियान ने अपने संवाद संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ मनाई।.
- इससे पहले भारत के साथ आसियान देशों के डिजिटल मंत्रियों (ADGMIN) की दूसरी बैठक आयोजित की गई तथा इस दौरान क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिये भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना वर्ष 2022 को अंतिम रूप दिया गया।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ:

- परिचय:
  - यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों, अर्थात् इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई।
  - इसके सदस्य राज्यों को अंग्रेज़ी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से प्रदान की जाती है।
  - आसियान देशों की कुल आबादी 650 मिलियन है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह लगभग 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- सदस्य:
  - आसियान दस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को एक एक मंच पर लाता है।

प्रमुख बिंदु

- SOM ने आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी और इसकी भविष्य की दिशा की समीक्षा की।
- नेताओं ने साझेदारी के तीन स्तंभों- राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक के तहत सहयोग की प्रगति पर अपना आकलन किया।
- बैठक में आसियान-भारत कार्ययोजना (2021-2025) के आगे कार्यान्वयन के लिये चरणों पर विचार-विमर्श किया गया।
- दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी और महामारी के बाद के सुधार सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
- भारत-प्रशांत क्षेत्र के भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने के लिये आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पेसिफिक (AOIP) के सहयोग पर आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य के कार्यान्वयन पर ज़ोर दिया गया।
- आसियान ने इस क्षेत्र में आसियान और आसियान के नेतृत्त्व वाले निर्माण के लिये भारत के समर्थन की सराहना की।

आसियान-भारत संबंध:

- परिचय:
  - आसियान 10 देशों का समूह, दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है।
  - भारत और अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद भागीदार हैं।
  - आसियान-भारत संवाद संबंध 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुए।
  - यह दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी और 2002 में शिखर-स्तरीय साझेदारी की ओर अग्रसरा हुआ।
  - परंपरागत रूप से भारत-आसियान संबंधों का आधार साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के चलते व्यापार एवं लोगों से लोगों के बीच संबंध रहा है, हालिया क्षेत्रों का अभिसरण का एक और ज़रूरी क्षेत्र चीन के उदय को संतुलित कर रहा है।
    - भारत और आसियान दोनों का लक्ष्य चीन की आक्रामक नीतियों के विपरीत क्षेत्र में शांतिपूर्ण विकास के लिये एक नियम-आधारित सुरक्षा ढाँचा स्थापित करना है।
- सहयोग के क्षेत्र:
  - आर्थिक सहयोग:
    - आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

- भारत ने वर्ष 2009 में वस्तु क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता और 2014 में आसियान के साथ सेवाओं व निवेश में एक एफटीए पर हस्ताक्षर किये।
- भारत का आसियान क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है, जिसके परिणामस्वरूप रियायती व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है।

- राजनीतिक सहयोग:
  - आसियान-भारत केंद्र (एआईसी) की स्थापना भारत और आसियान में संगठनों एवं थिंक-टैंक के साथ नीति अनुसंधान, वकालत व नेटवर्किंग गतिविधियों को विकसित करने के लिये की गई थी।
- वित्तीय सहायता:
  - भारत, आसियान-भारत सहयोग कोष, आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष और आसियान-भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से आसियान देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- कनेक्टिविटी:
  - भारत, भारत-म्याँमार -थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाएँ चला रहा है।
  - भारत आसियान के साथ एक समुद्री परिवहन समझौता स्थापित करने का भी प्रयास कर रहा है और नई दिल्ली तथा हनोई के बीच एक रेलवे लिंक की भी योजना बना रहा है।
- सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग:
  - आसियान के माध्यम से लोगों से लोगों की बातचीत को बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जैसे कि आसियान के छात्रों को भारत में आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिये विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान-प्रदान आदि।
- रक्षा सहयोग:
  - संयुक्त नौसेना और सैन्य अभ्यास भारत एवं अधिकांश आसियान देशों के बीच आयोजित किये जाते हैं।
  - वियतनाम परंपरागत रूप से रक्षा मुद्दों पर घनिष्ठ मित्र रहा है, सिंगापुर भी उतना ही महत्त्वपूर्ण भागीदार है।

भारत के लिये आसियान का महत्त्व:

- भारत को आर्थिक और सुरक्षा कारणों से आसियान देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है।
- आसियान देशों के साथ जुड़ाव भारत को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर बल देता है।
  - ये कनेक्टिविटी परियोजनाएँ पूर्वोत्तर भारत को केंद्र में रखती हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होती है।
- आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंधों का अर्थ होगा इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को भारत के आर्थिक विकास और वृद्धि से प्रतिसंतुलित करना।
- आसियान भारत-प्रशांत में नियम-आधारित सुरक्षा में एक केंद्रीकृत स्थिति रखता है, जो भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसका अधिकांश व्यापार समुद्री सुरक्षा पर निर्भर है।
- पूर्वोत्तर में उग्रवाद का मुकाबला करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, कर चोरी आदि के लिये आसियान देशों के साथ सहयोग आवश्यक है।

आगे की राह

- चीन के पास भारत की तुलना में दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये तीन गुना अधिक वाणिज्यिक उड़ानें हैं, भारत और आसियान देशों के बीच हवाई संपर्क भी सुधार एजेंडे में उच्च प्राथमिकता के साथ शामिल होना चाहिये।
- आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया परियोजनाओं के सफलतापूर्वक लागू होने के बाद भारत सैन्य भागीदार बन सकता है।
- आसियान देशों को शामिल करने और QUAD+ व्यवस्था बनने के लिये QUAD की अवधारणा का विस्तार करने की आवश्यकता है।
  - वियतनाम और इंडोनेशिया ने इस क्षेत्र में क्वाड पर सकारात्मक टिप्पणी की है।
- दोनों पक्षों द्वारा कुछ रचनात्मक ब्रांडिंग के साथ भारत और आसियान के बीच पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

FATF की ग्रे लिस्ट

चर्चा में क्यों?

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जर्मनी के बर्लिन में तीन दिन चले अधिवेशन में पाकिस्तान को बड़ी राहत दी है. उसने पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' से हटाने का फैसला किया। FATF अक्तूबर में पूर्ण सत्र के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकता है।

- पाकिस्तान जून 2018 से लगातार FATF की ग्रे लिस्ट में है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF):

- परिचय:
  - यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसे 1989 में पेरिस में 1989 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था।

- अधिदेश:
  - 9/11 के हमलों के बाद अक्तूबर 2001 में FATF ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिये अपने जनादेश का विस्तार किया।
  - अप्रैल 2012 में, इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा।
  - FATF ने FATF अनुशंसाएँ या मानक विकसित किये हैं, जो संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिये एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।
    - दुनिया भर के 200 से अधिक न्यायालय नौ क्षेत्रीय निकायों और FATF सदस्यता के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से FATF सिफारिशों के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- FATF का गठन:
  - FATF में वर्तमान में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग व खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं, जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    - भारत 2010 से FATF का सदस्य है।
    - भारत इसके क्षेत्रीय साझेदारों, एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) और यूरेशियन ग्रुप (EAG) का भी सदस्य है।
- मुख्यालय:
  - इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित है।
- FATF की सूचियाँ:
  - ग्रे लिस्ट:
    - जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है।
    - इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया सकता है।
  - ब्लैक लिस्ट:
    - असहयोगी देशों या क्षेत्रों (Non-Cooperative Countries or Territories- NCCTs) के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
    - इस सूची में देशों को शामिल करने अथवा हटाने के लिये FATF इसे नियमित रूप से संशोधित करता है।
    - वर्तमान में ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट में हैं।
- सत्र/अधिवेशन:
  - एफएटीएफ प्लेनरी (FATF Plenary) FATF की निर्णय लेने वाली संस्था है।
    - प्रतिवर्ष तीन बार इसके सत्र का आयोजन होता है।

ग्रे लिस्ट क्या है तथा पाकिस्तान के इसमें शामिल होने के कारण ?

- ग्रे लिस्ट के बारे में:
  - ग्रे लिस्टिंग का मतलब है कि FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ उपायों पर अपनी प्रगति की जाँच करने के लिये एक देश को निगरानी में रखा है।
    - "ग्रे सूची" को "बढ़ी हुई निगरानी सूची" के रूप में भी जाना जाता है।
- ग्रे लिस्ट में शामिल देश:
  - मार्च 2022 तक FATF की बढ़ी हुई निगरानी सूची/लिस्ट में 23 देश हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर "रणनीतिक कमियों वाले क्षेत्राधिकार" के रूप में जाना जाता है, जिसमें पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की, म्यांँमार, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, युगांडा और यमन शामिल हैं।
- लिस्ट से हटाना:
  - ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिये किसी देश को FATF द्वारा अनुशंसित कार्यों को पूरा करना होता है, उदाहरण के लिये आतंकवादी समूहों से जुड़े व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त करना।
  - अगर FATF प्रगति से संतुष्ट है, तो वह देश को लिस्ट से हटा देता है।
  - FATF ने हाल ही में जिम्बाब्वे और उससे पहले बोत्सवाना तथा मॉरीशस को ग्रे लिस्ट से हटा दिया था।
    - जिम्बाब्वे ने अपने AML/CFT शासन की प्रभावशीलता को मज़बूत किया है और अक्तूबर 2019 में FATF द्वारा पहचानी गई रणनीतिक कमियों के संबंध में अपनी कार्ययोजना में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये संबंधित तकनीकी कमियों को दूर किया है।
    - AML/CFT का अर्थ है "धन शोधन रोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना"।
    - पाकिस्तान के मामले में पहले वर्ष 2008 में इसे लिस्ट में शामिल किया गया तथा फिर बाहर कर दिया गया, उसके बाद पुन: वर्ष 2012 से 2015 तक वह सूची में शामिल रहा तथा वर्ष 2018 से लिस्ट में निरंतर बना हुआ है।

- FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' में रखने के बाद 27-सूत्रीय कार्ययोजना जारी की थी। यह कार्ययोजना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने से संबंधित है। वर्ष 2019 में FATF के क्षेत्रीय साझेदार- एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) द्वारा एक समानांतर कार्ययोजना सौंपी गई थी।

ग्रे-लिस्टिंग का किसी देश पर प्रभाव:

- यदि कोई देश ग्रे सूची में है, तो यह वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली को उस देश के साथ लेन-देन में बढ़ते जोखिम का संकेत देता है।
- इसके अलावा यह देखते हुए कि IMF और WB जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थान FATF से पर्यवेक्षकों के रूप में संबद्ध हैं, एक ग्रे-सूचीबद्ध देश अंतर्राष्ट्रीय ऋण साधनों तक पहुँचने में जटिलताओं का सामना करता है।
  - एक उदाहरण जुलाई 2019 का है, 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के IMF ऋण अनुबंध का है जिसने पाकिस्तान को FATF की कार्रवाई का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।
  - पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है और वह सऊदी अरब तथा चीन से ऋण सहायता के बावजूद गंभीर रूप से कम विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है।

पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना: नेपाल

चर्चा में क्यों?

चीन लगभग छः वर्षों तक (2012 से 2018 तक) पश्चिमी सेती जलविद्युत परियोजना में शामिल रहा। वर्ष 2018 में चीन के बाहर होने के लगभग चार वर्षों के बाद भारत द्वारा इस परियोजना का अधिग्रहण किया जाएगा।

- इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लुंबिनी का दौरा किया गया, जहाँ उन्होंने 2566वीं बुद्ध जयंती समारोह मनाया गया। नेपाल ने भी भारत को पश्चिमी सेती जलविद्युत परियोजना में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया है।

प्रमुख बिंदु

पश्चिम सेती विद्युत परियोजना:

- यह प्रस्तावित 750 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है, जिसे सुदूर-पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया जाना है। जो पिछले छह दशकों से इसका सिर्फ खाका ही निर्मित हो है।
- हाल ही में सरकार ने 1,200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता वाली एक संयुक्त भंडारण परियोजना, वेस्ट सेती और सेती नदी (SR-6) परियोजना को फिर से तैयार किया है।
- इसके भंडारण या जलाशय मानसून के मौसम के दौरान भर जाएगा और इससे शुष्क मौसम में प्रत्येक दिन पीक आवर्स के दौरान विद्युत की उत्पादन करने के लिये पानी निकाला जाएगा।
- इसकी सफलता से नेपाल में भारत की छवि को बहाल करने और जलविद्युत परियोजनाओं के लिये भविष्य के विचारों में इसे महत्त्व देने की उम्मीद है, ऐसे समय में जब प्रतिस्पर्धा कठिन हो। इसलिये, पश्चिम सेती में भविष्य में नेपाल-भारत के शक्ति संबंधों के लिये एक परिभाषित मॉडल बनने की क्षमता है।

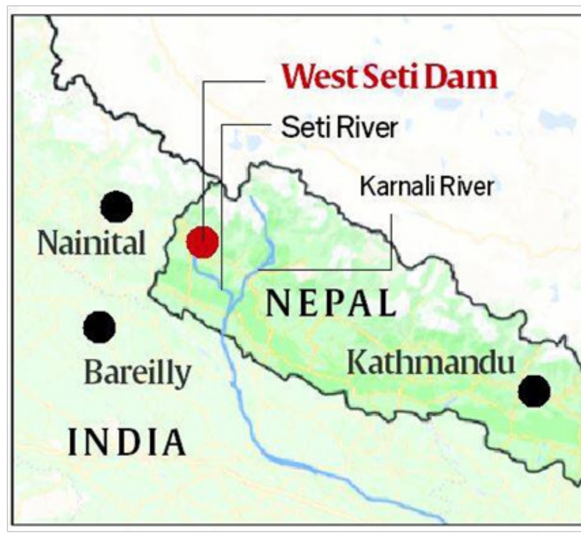

भारत-नेपाल ऊर्जा संबंध:

- नेपाल लगभग 6,000 नदियों और 83,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के साथ विद्युत् स्रोतों मंध समृद्ध है।
- 6,480 मेगावाट उत्पादन के लिये वर्ष 1996 में महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे, लेकिन भारत अभी भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ सामने नहीं आ पाया है।
- ऊपरी करनाली परियोजना, जिसके लिये बहुराष्ट्रीय GMR ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं, ने वर्षों से कोई प्रगति नहीं की है।
- पूर्वी नेपाल की संखुवा सभा में 900 मेगावाट की अरुण-3 परियोजना को क्रियान्वित करने में भारत ने सफलता हासिल की, जिसकी नींव वर्ष 2018 में रखी गई थी और जिसे वर्ष 2023 तक पूरा करने के लिये निर्धारित किया गया है, ने हाल ही में भारत में विश्वास बनाने में मदद की है।
- वर्ष 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान, उन्होंने कहा था कि भारत को अपनी परियोजनाओं को समय पर निष्पादित करना शुरू करना चाहिये।
- नेपाल के संविधान में एक प्रावधान है जिसके तहत प्राकृतिक संसाधनों पर किसी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या समझौते के लिये कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संसद के अनुसमर्थन की

आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह भी होगा कि किसी भी हाइड्रो परियोजना पर हस्ताक्षर करने और निष्पादन के लिये दिये जाने से पहले शासकीय कार्यों की आवश्यकता होगी।

- नेपाल में बिजली की भारी कमी है क्योंकि यह लगभग 2,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के मुकाबले केवल लगभग 900 मेगावाट उत्पादित करता है। हालाँकि यह वर्तमान में भारत को 364 मेगावाट बिजली निर्यात कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह भारत से आयात कर रहा है।

भारत-नेपाल राजनयिक संबंध:

- नेपाल और भारत के बीच गतिरोध के कारण 2015 में आर्थिक प्रतिबंध आरोपित किया गया लेकिन ओली के बाद नए पीएम देउबा के पदभार संभालने के बाद समीकरण बदल गए, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, जहाँ उन्होंने भारत के साथ भाईचारे का संबंध स्थापित करने का फैसला किया ।
- नेपाल भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में विशेष महत्त्व रखता है।
- भारत और नेपाल वर्तमान नेपाल में स्थित बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी के साथ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं।
- दोनों देश न केवल एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से रोटी-बेटी के रिश्ते के रूप में जाना जाता है।
- 1950 की शांति और मित्रता की भारत-नेपाल संधि भारत एवं नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।
- नेपाल में उत्पन्न होने वाली नदियाँ पारिस्थितिकी और जलविद्युत क्षमता के साथ हीं भारत की बारहमासी नदी प्रणालियों को पोषित करती हैं।
- हालाँकि नवंबर 2019 में सीमा मुद्दा तब उभरा जब नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें नेपाल के क्षेत्र के हिस्से के रूप में उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख का दावा किया गया था। नए नक्शे में सुस्ता (पश्चिमी चंपारण ज़िला, बिहार) के क्षेत्र को भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

आगे की राह

- जब तक भारत नेपाल के जल को महत्त्व देने के लिये सहमत नहीं हो जाता है और बिजली पर मौजूदा फोकस की समीक्षा नहीं की जाती है, तब तक आपसी अविश्वास लंबे समय में दोनों पक्षों की प्रगति की क्षमता को प्रभावित करता रहेगा।
- एक बार जब परियोजनाओं को बहुउद्देश्यीय बना दिया जाता है तो - बाढ़ नियंत्रण, नेविगेशन, मत्स्य पालन, कृषि विकास में योगदान देने वाली सिंचाई आदि के साथ पानी को उचित मूल्य प्राप्त होगा एवं बिजली की लागत मौजूदा दरों की तुलना में बहुत कम होगी और दोनों पक्षों के लोगों को एकाधिक लाभ होगा।
- बिजली व्यापार समझौता ऐसा होना चाहिये जिससे भारत नेपाल में विश्वास पैदा कर सके। भारत में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ होने के बावजूद जलविद्युत ही एकमात्र स्रोत है जो भारत में चरम मांग का प्रबंधन कर सकता है।

UNSC 1267 समिति के तहत आतंकवादी की सूची

चर्चा में क्यों?

भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (ISIL) प्रतिबंध समिति (जिसे यूएनएससी 1267 समित के रूप में भी जाना जाता है) के तहत एक शीर्ष लश्कर -ए-तैयबा आतंकवादी मक्की को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा।

- लेकिन, चीन ने मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर "तकनीकी रोक" लगाई और यह रोक एक बार में छह महीने तक चल सकती है।
- इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट (ISIL), जिसे इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया (ISIS) भी कहा जाता है, एक इस्लामिक स्टेट है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी इराक और पूर्वी सीरिया में सक्रिय सुन्नी विद्रोही समूह है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:

- परिचय:
  - सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
    - संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल हैं- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय।
  - यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है।
- मुख्यालय:
  - परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
- सदस्य:
  - सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं: पाँच स्थायी सदस्य और दो वर्षीय कार्यकाल हेतु चुने गए दस अस्थायी सदस्य।

- पाँच स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्राँस, चीन और यूनाइटेड किंगडम हैं।
- भारत ने पिछले वर्ष (2021) आठवीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था और दो वर्ष यानी वर्ष 2021-22 तक परिषद में रहेगा।
- प्रतिवर्ष महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिये पाँच अस्थायी सदस्यों (कुल दस में से) का चुनाव करती है। दस अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है।

UNSC 1267 समिति:

- परिचय:
  - यह पहली बार वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था और सितंबर, 2001 के हमलों के बाद मज़बूत हुआ। इसे अब इस्लामिक स्टेट समूह और अल कायदा प्रतिबंध समिति के रूप में जाना जाता है।
  - इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सभी स्थायी और गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं।
  - आतंकवादियों की 1267 सूची एक वैश्विक सूची है, जिसमें UNSC द्वारा प्रमाणित होती है। यह सूची पाकिस्तानी नागरिकों और निवासियों से भरी हुई है।
  - यह आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों पर काम कर रहे सबसे महत्त्वपूर्ण और सक्रिय संयुक्त राष्ट्र सहायक निकायों में से एक है, विशेष रूप से अल कायदा और इस्लामिक स्टेट समूह के संबंध में।
  - यह आतंकवादियों की आवाजाही विशेष रूप से यात्रा प्रतिबंधों से संबंधित, संपत्ति की जब्ती और आतंकवाद के लिए हथियारों पर प्रतिबंध, को सीमित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर चर्चा करता है।
    - भारत ने पिछले दशक में वर्ष 2009, 2016 और 2017 में कम से कम तीन प्रयास किये हैं ताकि जैश प्रमुख को "वैश्विक आतंकवादी" के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। पाकिस्तान के इशारे पर चीन ने सभी कोशिशों को रोक दिया है.
- सूचीकरण की प्रक्रिया:
  - कोई भी सदस्य देश किसी व्यक्ति, समूह या संस्था को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।
  - प्रस्ताव में उन कृत्यों या गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिये जो यह दर्शाते हैं कि प्रस्तावित व्यक्ति / समूह / इकाई ने "ISIL (जैश-ए-मुहम्मद), अल-कायदा या किसी भी सेल से संबद्ध समूह या उसके व्युत्पन्न से जुड़े "कार्यों या गतिविधियों के वित्तपोषण, योजना, सुविधा, तैयारी, या संचालन में" भाग लिया हो।
  - सूचीबद्ध करने तथा सूची से बाहर रखने पर निर्णय सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं। प्रस्ताव सभी सदस्यों को भेजा जाता है, और यदि कोई सदस्य पांच कार्य दिवसों के भीतर आपत्ति नहीं करता है, तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है।
    - एक "आपत्ति" का अर्थ प्रस्ताव के लिये आवरण से है।
  - समिति का कोई भी सदस्य प्रस्ताव पर "तकनीकी रोक" लगा सकता है और प्रस्तावक सदस्य देश से अधिक जानकारी मांग सकता है। इस दौरान अन्य सदस्य भी अपना सुझाव दे सकते हैं।
  - मामला समिति की "लंबित" सूची में तब तक बना रहता है जब तक कि सदस्य देश ने अपने निर्णय को "आपत्ति" में बदलने का फैसला नहीं किया है, या जब तक कि जिन लोगों ने निर्णय नही किया है, वे उन्हें समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर रोक हटा नहीं देते हैं। .
  - लंबित मुद्दों को छह महीने में हल किया जाना चाहिये, लेकिन जिस सदस्य राज्य ने रोक लगाई है वह अतिरिक्त तीन महीने मांग सकता है। इस अवधि के अंत में, यदि आपत्ति नहीं रखी जाती है, तो मामले को स्वीकृत माना जाता है।

विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO):

- FTO विदेशी संगठन हैं जिन्हें यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नामित किया जाता है।
- यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों और समूहों पर आतंकवाद के कारोबार से बाहर निकलने के लिये दबाव बनाने हेतु समर्थन को कम करने का एक प्रभावी साधन है।

पाकिस्तान में भारत-केंद्रित प्रमुख आतंकवादी संगठन

नाम	गठन	एफटीओ पद	परिचय	गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के अनुसार भारत में स्थिति
लश्कर-ए-तैयबा (LET)	1980 के दशक के अंत में	2001	यह मुंबई में वर्ष 2008 के प्रमुख हमलों के साथ-साथ कई अन्य हाई-प्रोफाइल हमलों के लिये ज़िम्मेदार था।	प्रतिबंधित

जैश-ए-मोहम्मद (JEM)	2000	2001	LET के साथ मिलकर यह अन्य हमलों के अलावा, वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हमले के लिये ज़िम्मेदार था। JEM ने भी खुले तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की है।	प्रतिबंधित
हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी (HUJI)	1980	2010	प्रारंभ में इसका गठन सोवियत सेना से लड़ने के लिये किया गया था, हालाँकि वर्ष 1989 के बाद, इसने भारत की ओर अपने प्रयासों को पुनर्निर्देशित किया, हालाँकि इसने अफगान-तालिबान को लड़ाकों की आपूर्ति की। HUJI वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में सक्रिय है और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की मांग करता है।	प्रतिबंधित
हरकत-उल-मुजाहिदीन (HUM)	1985	1997	यह अपनी गतिविधियों को मुख्य रूप से पाक अधिकृत कश्मीर और कुछ पाकिस्तानी शहरों से संचालित करता है।	प्रतिबंधित
हिज़बुल मुजाहिद्दीन	1989	2017	यह पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामी राजनीतिक दल की उग्रवादी शाखा है तथा जम्मू और कश्मीर में सक्रिय सबसे बड़े एवं सबसे पुराने आतंकवादी समूहों में से एक है।	प्रतिबंधित
अल कायदा	1988	1999	यह मुख्य रूप से पूर्व संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों और कराची के मेगासिटी, साथ ही साथ अफगानिस्तान से अपनी गतिविधियों को संचालित करता है।	प्रतिबंधित

14वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी वर्चुअली मेज़बानी चीन द्वारा की गई थी।

- 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है: उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिये एक नए युग की शुरुआत करना।
- संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, कज़ाखस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल और थाईलैंड सहित देशों के मंत्रियों के साथ मुख्य बैठक के हिस्से के रूप में ब्रिक्स प्लस आभासी सम्मेलन भी आयोजित किया गया था।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- बीजिंग घोषणा:
  - इसमें कहा गया है कि ब्रिक्स (BRICS) रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करता है।
  - यह समूह यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिये संयुक्त राष्ट्र एवं रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (ICRC) के प्रयासों का समर्थन करने को तैयार है।
  - देशों ने तालिबान द्वारा नियंत्रित अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में भी चिंता व्यक्त की।
- मुद्दों पर चर्चा:
  - यूक्रेन में मानवीय स्थिति:
    - यूक्रेन और उसके आसपास मानवीय स्थिति पर चिंता तथा मानवता, तटस्थता एवं निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार मानवीय सहायता प्रदान करने के लिये संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों व रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (ICRC) के प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
  - आतंकवाद:
    - आतंकवाद और आतंकी सहयोग पर चर्चा करते हुए ब्रिक्स देशों ने कहा कि प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास है।
    - अफगानिस्तान के संबंध में ब्रिक्स देशों ने "अफगानिस्तान के अधिकारियों से बातचीत के माध्यम से राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया शुरू करने के साथ-साथ एक व्यापक-आधार वाली समावेशी और प्रतिनिधि राजनीतिक संरचना स्थापित करने का आग्रह किया," साथ ही कहा कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादियों को शरण देने या किसी अन्य देश पर हमला करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
  - भ्रष्टाचारियों को सुरक्षित आश्रय से वंचित करने की पहल:
    - भ्रष्टाचरियों को सुरक्षित आश्रय से वंचित करने पर ब्रिक्स पहल का उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी क्षमता निर्माण को और मज़बूत करना तथा बहुपक्षीय ढाँचे के अंतर्गत भ्रष्टाचार विरोधी आदान-प्रदान एवं सहयोग को बढ़ाना है।
  - ई-कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण हेतु ढाँचा:
    - घोषणा ने ई-कॉमर्स वर्किंग ग्रुप को उन्नयन करके डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप की स्थापना का स्वागत किया।
    - ब्रिक्स राष्ट्र ई-कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण के लिये ब्रिक्स फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाकर ई-कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु सहमत हुए हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर अधिक ध्यान:
    - शिखर सम्मेलन ने विश्व में मादक दवाओं की गंभीर स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। ब्रिक्स घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने एवं वैश्विक ड्रग गवर्नेंस को बढ़ावा देने में ब्रिक्स एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप की सक्रिय भूमिका की सराहना करती है तथा दवा नियंत्रण सहयोग को और मज़बूत करेगी।

ब्रिक्स (BRICS):

- परिचय:
  - ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जैसे- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये एक संक्षिप्त शब्द है।
  - 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिये BRIC शब्द गढ़ा।
  - 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया था।
  - दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद समूह ने BRICS का संक्षिप्त नाम अपनाया।
- BRICS का हिस्सा:
  - ब्रिक्स विश्व के पाँच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी के 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% और वैश्विक व्यापार के 16% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- अध्यक्षता:
  - ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष B-R-I-C-S क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है।

- भारत 2021 के लिये अध्यक्ष था।
- ब्रिक्स की पहल:
  - न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):
    - वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान BRICS नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये।
    - इसने अब तक 70 बुनियादी ढाँचे और सतत् विकास परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।
  - आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था:
    - वैश्विक वित्तीय संकट की संभावना के मद्देनज़र ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फोर्टालेजा घोषणा के दौरान ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (CRA) बनाने पर सहमति जताई।
    - CRA का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मज़बूत करने में मदद के लिये मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करना है।
  - ब्रिक्स भुगतान प्रणाली:
    - स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में ब्रिक्स भुगतान प्रणाली।
    - यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है, इसलिये यह एक नई तात्कालिक व्यवस्था है।
  - सीमा शुल्क समझौते:
    - ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार परिवहन के समन्वय और सुगमता के लिये सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
  - सुदूर संवेदन उपग्रह का प्रक्षेपण:
    - उपग्रहों का एक रिमोट सेंसिंग तारामंडल लॉन्च किया गया है- जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं जिनमें 2 भारत से, 2 चीन से, 1 रूस से और 1 ब्राज़ील-चीन सहयोग द्वारा विकसित किये गए हैं।

आगे की राह:

- ब्रिक्स देशों के लिये जी-20, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और आईएमएफ के ढाँचे के भीतर समन्वय को मज़बूत करना अनिवार्य है।
- ब्रिक्स को व्यापक आर्थिक नीतियों और बहुपक्षीय सहयोग पर समन्वय को मज़बूत करना चाहिये।
- ब्रिक्स देशों को सांस्कृतिक और लोगों के मध्य आदान-प्रदान एवं सहयोग के लिये इंटरनेट सहित तंत्र का पूरा उपयोग करना चाहिये।

भारत-मलेशिया रक्षा सहयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मज़बूत करने के लिये अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ बातचीत की।

- मलेशियाई वायु सेना 18 नए हल्के लड़ाकू विमानों की तलाश कर रही है, जिसमें दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, चीन और स्वीडन सहित कई राष्ट्र एक समूह बना रहे हैं। भारतीय ऑफर LCA Mk1A version के लिये है।
- भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ-साथ मलेशिया द्वारा संचालित रूसी मूल के Su30 MKM विमान के रखरखाव के लिये दोहरे पैकेज की पेशकश की है।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- दोनों देशों ने उन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जिनमें भारतीय रक्षा उद्योग मलेशिया की सहायता कर सकता है। भारत ने भारतीय रक्षा उद्योग की सुविधाओं और उत्पादों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिये मलेशिया के वरिष्ठ अधिकारियों को भारत आमंत्रित किया।
- मलेशिया ने शांति अभियानों में महिलाकर्मियों को शामिल करने की आवश्यकता बताई। दोनों पक्ष इस मुद्दे पर एक-दूसरे को शामिल करने पर सहमत हुए।
- दोनों देश मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) कार्यों के लिये क्षमता को उन्नत करने पर सहमत हुए
- दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों व ढाँचे एवं मौजूदा मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग बैठक (मिडकॉम) ढाँचे के तहत उन्हें और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
  - अगला मिडकॉम जुलाई 2022 में आयोजित होने वाला है और रक्षा क्षेत्र में गहरी भागीदारी के लिये इस मंच का उपयोग करने का निर्णय लिया गया।

भारत-मलेशिया संबंधों के प्रमुख बिंदु:

- भारत ने 1957 में मलेशिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये।
- आर्थिक संबंध: भारत और मलेशिया ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर हस्ताक्षर किये हैं। CECA एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।
  - भारत ने 10 सदस्यीय दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के साथ सेवाओं और निवेश में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर भी हस्ताक्षर किये हैं।
  - मलेशिया ASEAN में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार मलेशिया के पक्ष में है।
- रक्षा और सुरक्षा सहयोग: संयुक्त सैन्य अभ्यास "हरिमऊ शक्ति" दोनों देशों के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- पारंपरिक चिकित्सा: भारत और मलेशिया ने अक्तूबर 2010 में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - मलेशिया सरकार मलेशिया में आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के लिये काम कर रही है।
  - मलेशिया में आयुष प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

हाल के घटनाक्रम:

- वर्ष 2020 में भारत और मलेशिया दोनों देशों के बीच राजनयिक कूटनीति के बाद चार महीने के अंतराल के पश्चात् मलेशियाई पाम आयल की खरीद फिर से शुरू हुई।
  - मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की आलोचना की थी जिसे भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप माना गया।

भारत के लिये मलेशिया का महत्त्व:

- एक ऐसे देश के रूप में जहाँ की 7.2% आबादी भारतीय मूल की है, मलेशिया भारत की विदेश नीति में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
- मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर जैसे व्यस्त समुद्री मार्गों से घिरा मलेशिया भी भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है और भारत की समुद्री संपर्क रणनीतियों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

48वीं G-7 बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 48वें G-7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने G-7 राष्ट्रों को देश में उभर रही स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विशाल बाज़ार में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया।

- G-7 की वर्ष 2022 की अध्यक्षता जर्मनी के पास है।
- जर्मन प्रेसीडेंसी ने अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को G-7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है।

G-7:

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है।
- G-7 देश यूके, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं।
- सभी G-7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
- G-7 का कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। प्रेसीडेंसी जो हर साल सदस्य देशों के बीच आवंटित होती है, एजेंडा तय करने हेतु प्रभारी होती है। शिखर सम्मेलन से पहले शेरपा, मंत्री और दूत नीतिगत पहल करते हैं।
- समिट वेबसाइट के अनुसार, वर्ष 2022 तक G-7 देश वैश्विक आबादी का 10%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 31% और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 21% योगदान देते हैं। चीन एवं भारत, दुनिया के सबसे बड़े सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़ों के साथ दो सबसे अधिक आबादी वाले देश, इस समूह का हिस्सा नहीं हैं।
- वर्ष 2021 में सभी G-7 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र का वार्षिक व्यय, राजस्व से अधिक था। अधिकांश G-7 देशों में भी उच्च स्तर का सकल ऋण था, विशेष रूप से जापान (जीडीपी का 263%), इटली (151%) और अमेरिका (133%)।
- G-7 देश वैश्विक व्यापार में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। विशेष रूप से अमेरिका और जर्मनी प्रमुख निर्यातक देश हैं। वर्ष 2021 में दोनों देशों द्वारा विदेशों में एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वस्तुओं का निर्यात किया गया।

G-7 शिखर सम्मेलन की अन्य मुख्य विशेषताएँ:

- पीजीआईआई (PGII):
  - विकासशील और मध्यम आय वाले देशों को "गेम-चेंजिंग" और "पारदर्शी" बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वितरित करने हेतु G-7 ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड

इन्वेस्टमेंट (Partnership for Global Infrastructure and Investment-PGII) के तहत सालाना सामूहिक रूप से वर्ष 2027 तक 600 बिलियन डॉलर जुटाने की घोषणा की।

- लाइफ कैंपेन:
  - भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरनमेंट) अभियान/कैम्पैन पर प्रकाश डाला गया।
    - इस अभियान का लक्ष्य पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है।
- रूस-यूक्रेन संकट पर रुख:
  - रूस-यूक्रेन संकट के चलते ऊर्जा की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने अमीर और गरीब देशों की आबादी के बीच समान ऊर्जा वितरण की आवश्यकता को संबोधित किया।
  - रूस-यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री ने अपना रुख दोहराया कि शत्रुता का तत्काल अंत होना चाहिये और बातचीत एवं कूटनीति का रास्ता चुनकर एक संकल्प पर पहुँचा जाना चाहिये।

स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी:

- परिचय:
  - यह किसी भी प्रक्रिया, उत्पाद या सेवा को संदर्भित करता है जो महत्त्वपूर्ण ऊर्जा दक्षता सुधार, संसाधनों के सतत् उपयोग या पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है।
  - स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ ऊर्जा मांग की आपूर्ति को बढ़ाकर और पर्यावरणीय चुनौतियों एवं ऊर्जा के अन्य पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के चलते उनके प्रभावों से निपटने के साथ आर्थिक विकास को भी सहन करती हैं।
  - स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ ऊर्जा कीमांग की आपूर्ति को बढ़ाकर और ऊर्जा के अन्य पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के कारण पर्यावरणीय चुनौतियों एवं उनके प्रभावों से निपटने के साथ आर्थिक विकास को भी सहन करती हैं।
  - स्वच्छ प्रौद्योगिकी में पुनर्चक्रण, नवीकरणीय ऊर्जा (पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, जल विद्युत, भूतापीय, जैव ईंधन, आदि), सूचना प्रौद्योगिकी, हरित परिवहन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, हरित रसायन, विद्युत, ग्रेवाटर, आदि से संबंधित प्रौद्योगिकी की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिये उभरता बाज़ार:
  - सरकारी विनियम:
    - अधिक सक्रिय मीडिया और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता के साथ भारत अपनी सभी विकास रणनीतियों में पर्यावरण समर्थक रुख अपनाने की ओर अग्रसर है।
  - नवीन और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना:
    - नवीन और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने से भारत को सतत् विकास पथ में मदद मिलेगी क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है।
  - वैश्विक जलवायु वार्ता:
    - जलवायु परिवर्तन पर मौजूदा वैश्विक वार्ताओं ने भारत जैसी तेज़ी से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने का दबाव डाला है।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):
    - भारतीय बाज़ार विदेशी निवेशकों के लिये मज़बूत कारोबारी संभावनाएँ पेश करता है।
    - भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने एवं प्रदूषण को कम करने के लिये स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ-साथ चल रहे क्षेत्र में सुधार भारत को पर्यावरण के अनुकूल निवेश के लिये विश्व में सबसे आकर्षक स्थलों में से एक बना रहा है।
  - कम कार्बन प्रौद्योगिकियाँ:
    - भारत अक्षय बैटरियों और हरित हाइड्रोजन में एक वैश्विक नेता बनने के लिये विशेष रूप से अच्छी स्थिति में है।
    - अन्य कम कार्बन प्रौद्योगिकियाँ वर्ष 2030 तक भारत को 80 अरब डॉलर तक का बाज़ार बना सकती हैं।
- भारत में विकास:
  - भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से 40% ऊर्जा-क्षमता और पेट्रोल में 10% इथेनॉल-मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है।
  - भारत में दुनिया का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है।
  - भारत अक्षय स्रोतों से सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में से एक है। विद्युत क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा (बड़े जलविद्युत संयंत्रों को छोड़कर) कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 20% हिस्सा है।

स्वच्छ ऊर्जा के लाभ:

- स्वच्छ ऊर्जा वायु प्रदूषण में कमी सहित कई तरह के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करती है।
- विविध स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति आयातित ईंधन पर निर्भरता को भी कम करती है।
- अक्षय स्वच्छ ऊर्जा में निहित लागत भी कम होती है, क्योंकि तेल या कोयले जैसे ईंधन निकालने और परिवहन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये संसाधन स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होते हैं।
- स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण के अन्य औद्योगिक लाभ, भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के विकास, निर्माण और स्थापना के लिये रोज़गार का सृजन करते हैं।

ब्लू पैसिफिक में भागीदार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों- ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जापान तथा यूनाइटेड किंगडम ने ब्लू पैसिफिक क्षेत्र के छोटे द्वीप राष्ट्रों के साथ "प्रभावी एवं कुशल सहयोग" (Effective and Efficient Cooperation) के लिये 'पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक' (Partners in the Blue Pacific- PBP) नामक एक नई पहल शुरू की है।

- PBP का उद्देश्य "जलवायु संकट, संपर्क और परिवहन, समुद्री सुरक्षा एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा शिक्षा" के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक (PBP) पहल:

- PBP प्रशांत द्वीपों का समर्थन करने और क्षेत्र में राजनयिक, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिये पाँच देशों का "अनौपचारिक तंत्र" है।
- यह निकट सहयोग के माध्यम से प्रशांत क्षेत्र में "समृद्धि, लचीलापन और सुरक्षा" बढ़ाने पर केंद्रित है।
- अर्थात् PBP के माध्यम से ये देश एक साथ और व्यक्तिगत रूप से चीन के आक्रामक आउटरीच को प्रतिसंतुलित करने के लिये प्रशांत द्वीप देशों को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराएगे।
- पूर्व के सदस्य "प्रशांत क्षेत्रवाद को बढ़ावा देगे" और प्रशांत द्वीप समूह फोरम (Pacific Islands Forum- PIF) के साथ मज़बूत संबंध कायम करेंगे।

प्रशांत द्वीप समूह फोरम (PIF):

- पैसिफिक आइलैंड्स फोरम इस क्षेत्र का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन है।
- वर्ष 1971 में स्थापित, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूज़ीलैंड, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड्स गणराज्य, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु और वानुअतु सहित 18 सदस्य देश शामिल हैं।

PIC का महत्त्व:

- सबसे बड़ा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ):
  - द्वीपों को भौतिक और मानव भूगोल के आधार पर तीन अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है- माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया।
  - अपने छोटे भूमि क्षेत्र के बावजूद द्वीप प्रशांत महासागर के विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं।
  - हालाँकि इनमे से कुछ सबसे छोटे एवं सबसे कम आबादी वाले राज्य हैं, जिनके पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) हैं।
- आर्थिक क्षमता:
  - बड़े EEZ में बहुत अधिक आर्थिक संभावनाएँ हैं क्योंकि उनका उपयोग मत्स्य पालन, ऊर्जा, खनिजों और वहाँ मौजूद अन्य समुद्री संसाधनों का दोहन करने के लिये किया जा सकता है।
    - इसलिये ये छोटे द्वीप राज्यों के बजाय बड़े महासागरीय राज्यों के रूप में पहचाने जाते हैं।
  - वास्तव में किरिबाती और FSM दोनों PIC का EEZ भारत से बड़ा है।
- प्रमुख शक्ति प्रतिद्वंद्विता में भूमिका:
  - इन देशों ने सामरिक क्षमताओं के विकास और प्रदर्शन के लिये शक्ति प्रक्षेपण एवं प्रयोगशालाओं हेतु स्केप्रिंग बोड्र्स रूप में प्रमुख शक्ति प्रतिद्वंद्विता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - औपनिवेशिक युग की प्रमुख शक्तियों ने इन सामरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के लिये एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा की।
  - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान (शाही जापान और यूएस) प्रशांत द्वीपों ने भी संघर्ष के प्रमुख कारकों में से एक के रूप में काम किया।
- प्रमुख परमाणु हथियार परीक्षण स्थल:
  - संभावित वोट बैंक:
    - साझा आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं के कारण संबंधित 14 PICs संयुक्त राष्ट्र में मतदान के लिये ज़िम्मेदार हैं और अंतर्राष्ट्रीय राय जुटाने हेतु प्रमुख शक्तियों के संभावित वोट बैंक के रूप में कार्य करते हैं।
  - सामरिक महत्त्व:
    - अपनी 2019 की रणनीति रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इंडो-पैसिफिक को "अमेरिका के भविष्य के लिये सबसे अधिक परिणामी क्षेत्र" कहा।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत के पश्चिमी तटों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैले इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य (चीन), सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र (भारत), और सबसे बड़ा मुस्लिम-बहुल राज्य (इंडोनेशिया) है और इसमें पृथ्वी की आधी से अधिक आबादी शामिल है।
    - दुनिया की 10 सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से 7 इंडो-पैसिफिक में निवास करती हैं और इस क्षेत्र के 6 देशों के पास परमाणु हथियार हैं।

- दुनिया के 10 सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से नौ इस क्षेत्र में हैं और वैश्विक समुद्री व्यापार का 60% एशिया से होकर गुज़रता है, जिसमें एक-तिहाई वैश्विक शिपिंग अकेले दक्षिण चीन सागर के माध्यम से होती है।

चीन द्वारा प्रशांत क्षेत्र में अपने संबंधों को बदलने की कोशिश:

- जैसे ही चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये, इस सौदे ने चीनी सेना को दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में गुआम के अमेरिकी द्वीप क्षेत्र के करीब और ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलैंड के ठीक बगल में एक आधार मिलने को लेकर गंभीर चिंताओं को चिह्नित किया।
- महत्त्वपूर्ण शिपिंग लेन पर हावी होने की चीन की कोशिश ने 10 प्रशांत देशों को "कॉमन डेवलपमेंट विज़न" नामक एक गेम-चेंजिंग समझौते का समर्थन करने के लिये प्रेरित किया।
  - कॉमन डेवलपमेंट विज़न एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जिसमें आपसी सम्मान और सामान्य विकास जैसी विशेषता है, ताकि साझा भविष्य के साथ एक करीबी चीन-प्रशांत द्वीप देशों के समुदाय का निर्माण किया जा सके।
  - इसका दृष्टिकोण सहकारी और स्थायी सुरक्षा उपायों का पालन करना तथा क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, शासन व साइबर सुरक्षा में संवाद एवं सहयोग को मज़बूत करना है।
- चीन और अमेरिका 21 PIF संवाद भागीदारों में से हैं, लेकिन इस वर्ष उन्होंने क्षेत्रीय मंच की फिजी बैठक के दौरान संवाद भागीदारों के साथ व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होने का फैसला किया था।
- PIC की विशाल समुद्री समृद्धि के अलावा ताइवान कारक चीन के प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है।
  - चीन जो ताइवान को एक अलग क्षेत्र मानता है, अनिवार्य सैन्य आक्रमण जैसी तैयारी कर रहा है।
- PIC भू-रणनीतिक रूप से उस स्थान पर स्थित हैं जिसे चीन अपने 'सुदूर समुद्र' के रूप में संदर्भित करता है, जिस पर नियंत्रण चीन को एक प्रभावी ब्लू वाटर सक्षम नौसेना बना देगा, जो महाशक्ति बनने के लिये एक आवश्यक शर्त है।
  - ब्लू वाटर नेवी वह है जो अपनी समुद्री सीमाओं की तुलना में बहुत बड़े समुद्री क्षेत्र में खुद को प्रोजेक्ट करने की क्षमता रखती है।

चीन का मुकाबला करने के लिये अमेरिका और उसके सहयोगियों की प्रतिक्रिया:

- PBP को लॉन्च करने से पहले अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) की शुरुआत की, जो निम्नलिखित13 देशों के साथ इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने वाला कारक है-
  - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, फिज़ी और वियतनाम।
- G-7 ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिये 600 बिलियन डॉलर जुटाने का वादा करके चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को टक्कर देने हेतु ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंवेस्टमेंट (PGII) के लिये एक योजना की घोषणा की।

भारत-PIC संबंध:

- परिचय:
  - PIC के साथ भारत की बातचीत अभी भी काफी हद तक इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भारतीय डायस्पोरा की उपस्थिति से प्रेरित है।
  - फिज़ी की लगभग 40% आबादी भारतीय मूल की है और लगभग 3000 भारतीय वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में रहते हैं।
  - संस्थागत जुड़ाव के संदर्भ में भारत प्रशांत द्वीप फोरम (PIF) में फोरम के प्रमुख संवाद भागीदारों में से एक के रूप में भाग लेता है।
  - हाल के वर्षों में PIC के साथ भारत की बातचीत को सुविधाजनक बनाने में सबसे महत्त्वपूर्ण विकास भारत और प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (FIPIC) के लिये एक क्रिया-उन्मुख फोरम का गठन किया गया है।
  - FIPIC बहुराष्ट्रीय समूह है जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था।
- सहयोग के क्षेत्र:
  - नीली अर्थव्यवस्था:
    - अपने संसाधन संपन्न EEZ (विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र) के साथ PIC भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के आकर्षक स्रोत हो सकते हैं और नए बाज़ार भी प्रदान कर सकते हैं।
    - 'नीली अर्थव्यवस्था' के अपने विचार पर ज़ोर देते हुए भारत इन देशों के साथ विशेष रूप से जुड़ सकता है।
  - जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास:
    - इन द्वीपीय देशों की भौगोलिक स्थिति उन्हें जलवायु चुनौतियों के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
    - समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण मिट्टी की बढ़ती लवणता निचले द्वीपीय राज्यों के लिये खतरा है, जिससे विस्थापन की समस्या भी पैदा हो रही है।

- इसलिये जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास चिंता के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ प्रभावी व ठोस समाधान के लिये एक मज़बूत साझेदारी विकसित की जा सकती है।

वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिये साझेदारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 48वें G-7 शिखर सम्मेलन में G7 सहयोगियों के साथ अमेरिका ने वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिये साझेदारी (PGII) का अनावरण किया।

पृष्ठभूमि:

- अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ विकासशील दुनिया में 40 ट्रिलियन डॉलर के बुनियादी ढाँचे के अंतर को कम करने के उद्देश्य से 2021 में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) के शुभारंभ की घोषणा की थी।
  - इसलिये ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर और निवेश के लिये साझेदारी B3W योजना का पुन: लॉन्च किया गया है।
- PGII को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर व व्यापार परियोजनाओं के निर्माण के लिये चीन के मल्टी ट्रिलियन डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) हेतु G-7 के विरोधी के रूप में देखा जा रहा है।

वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिये साझेदारी:

- परिचय:
  - PGII एक "मूल्य-संचालित, उच्च-प्रभाव और पारदर्शी बुनियादी ढाँचा साझेदारी है जो निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों को पूरा करती है।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का समर्थन करते हैं।
  - PGII के तहत G-7 विकासशील और मध्यम आय वाले देशों को "गेम-चेंजिंग" और "पारदर्शी" बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये 2027 तक 600 बिलियन डॉलर जुटाएगा
  - अमेरिकी राष्ट्रपति ने PGII के लिये अगले पाँच वर्षों में अनुदान, सार्वजनिक वित्तपोषण और निजी पूंजी के तहत 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की।
  - यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने इसी अवधि में इस साझेदारी के लिये 300 अरब यूरो जुटाने की यूरोप की प्रतिबद्धता की घोषणा की।
- पीजीआईआई (PGII) के स्तंभ:
  - पहला: G-7 समूह का उद्देश्य जलवायु संकट से निपटना और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
  - दूसरा: यह परियोजनाओं का डिजिटल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) नेटवर्क को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी जो 5 जी और 6 जी इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकों को सुविधाजनक बनाती है।
    - यूरोप और लैटिन अमेरिका को जोड़ने के लिये फाइबर-ऑप्टिक केबल परियोजना।
  - तीसरा: परियोजनाओं का उद्देश्य लैंगिक समानता और समानता को बढ़ाना है।
    - लैंगिक समानता: इसके लिये सामाजिक रूप से मूल्यवान वस्तुओं, अवसरों, संसाधनों और पुरस्कारों द्वारा महिलाओं व पुरुषों दोनों को समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
    - लिंग समानता: इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं तथा यह समान परिणाम तक पहुँचने के लिये आवश्यक सटीक संसाधनों और अवसरों को आवंटित करता है।
  - चौथा: परियोजना वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के उन्नयन पर ज़ोर देती है।
    - यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC), G-7 राष्ट्रों और EU के साथ सेनेगल में वैक्सीन सुविधा उपलब्ध करने हेतु 3.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता अनुदान वितरित कर रहा है।
    - यूरोपीय आयोग की ग्लोबल गेटवे पहल भी PGII का समर्थन करने वाली परियोजनाओं को संचालित करती है- जैसे लैटिन अमेरिका में एमआरएनए वैक्सीन संयंत्र।
- भारत को लाभ:
  - यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (Development Finance Corporation-DFC) ओमनिवोर एग्रीटेक और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड में 30 मिलियन अमेरीकी डॉलर तक का निवेश करेगा।
    - क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड: यह एक इम्पैक्ट वेंचर कैपिटल फंड है जो भारत में कृषि, खाद्य प्रणाली, जलवायु और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निर्माण को बढ़ावा देने वाले उद्यमों में निवेश करता है।
    - फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं और जलवायु लचीलापन तथा अनुकूलन दोनों को बढ़ावा देती हैं तथा यह छोटे जोत वाले खेतों की लाभप्रदता व कृषि उत्पादकता में भी सुधार करेगी।
  - आम्निवोर एग्रीटेक: यह एक प्रौद्योगिकी संचालित कृषि पद्धति है जो कृषि समृद्धि को बढ़ाएगी और कृषि को अधिक लचीला और टिकाऊ बनाने के लिये खाद्य प्रणालियों को बदल देगी।

- इसमें किसान मंच, सुस्पष्ट सटीक कृषि, कृषि-बायोटेक आदि शामिल हैं।

PGII का मुकाबला चीन की BRI से:

- परियोजना:
  - PGII ने जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि चीन ने सौर, पनबिज़ली और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ BRI के तहत कोयले से चलने वाले बड़े संयंत्र बनाए हैं।
- वित्तपोषण:
  - PGII का लक्ष्य अनुदान और निवेश के माध्यम से परियोजनाओं का निर्माण करना है। चीन उन देशों को बड़े कम ब्याज़ वाले ऋण देकर BRI की परियोजनाओं का निर्माण करता है जिन्हें आमतौर पर 10 वर्षों में भुगतान करना पड़ता है।
  - जबकि G-7 ने 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया है, यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय तक BRI के लिये चीन का कुल वित्तपोषण 1.2 अमेरिकी डॉलर से 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता था, जबकि वास्तविक वित्तपोषण अधिक था। PGII के तहत निजी पूंजी भी जुटाई जाएगी, जबकि चीन का BRI प्रमुख रूप से राज्य द्वारा वित्तपोषित है।
- पारदर्शिता:
  - G-7 नेताओं ने PGII परियोजनाओं की आधारशिला के रूप में 'पारदर्शिता' पर ज़ोर दिया, BRI को बड़े पैमाने पर ऋण देने के लिये देशों को गोपनीय निविदाओं पर हस्ताक्षर करने हेतु आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिससे देश चीन के ऋणी हो गए।
    - उदाहरण के लिये BRI के प्रमुख 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बाद पाकिस्तान पर अपने विदेशी ऋण का एक बड़ा हिस्सा बीजिंग का बकाया है।
    - PGII का लक्ष्य अनुदान और निवेश के माध्यम से परियोजनाओं का निर्माण करना है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):

- परिचय:
  - बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीपों में फैले कई देशों के बीच संपर्क व सहयोग पर केंद्रित है। BRI करीब 150 देशों (चीन का दावा) में फैला है।
    - प्रारंभ में वर्ष 2013 में घोषित इस परियोजना में रोडवेज़, रेलवे, समुद्री बंदरगाहों, पावर ग्रिड, तेल और गैस पाइपलाइनों तथा संबंधित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के नेटवर्क का निर्माण शामिल है।
  - परियोजना में दो भाग शामिल:
    - सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट: यह भूमि आधारित है और चीन को मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप से जोड़ने की उम्मीद है।
    - 21वीं सदी का समुद्री रेशम मार्ग: यह समुद्र आधारित है और चीन के दक्षिणी तट को भूमध्यसागरीय, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य एशिया से जोड़ने की उम्मीद है।
- चीन के लिये BRI का महत्त्व:
  - बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) वैश्विक, राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव के लिये अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के रूप में चीन की आर्थिक व औद्योगिक ताकत का द्योतक है।
  - जैसे-जैसे घरेलू अवसंरचना पर खर्च कम टिकाऊ होता गया, चीन ने घरेलू व्यवसायों की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया।
    - कम विकसित और विकासशील देशों में बड़े बुनियादी ढाँचे के निवेश ने चीन को दुनिया भर में अपने प्रभाव का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है, संभावित रूप से वैश्विक व्यवस्था के स्थापित नियमों को बदल दिया है और पश्चिमी शक्तियों को चुनौती दी है।
  - बीआरआई यूरेशियन क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को मज़बूत करेगा और इसे एशिया के हृदय क्षेत्र पर एक कमांडिंग स्थिति में रखेगा।
- आलोचना:
  - पश्चिमी आलोचकों ने इस पहल को नव उपनिवेशवाद या 21वीं सदी के लिये मार्शल योजना के रूप में वर्णित किया है।
  - बीआरआई को चीन की ऋण जाल नीति के एक भाग के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें चीन जान-बूझकर कर्जदार देश से आर्थिक या राजनीतिक रियायतें प्राप्त करने के इरादे से दूसरे देश को अत्यधिक ऋण देता है।

भारत के BRI में शामिल न होने का कारण:

- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) BRI की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में देखता है।
  - सीपीईसी कश्मीर विवाद में पाकिस्तान की वैधता में मदद कर सकता है।
- चीन गिलगित-बाल्टिस्तान के विवादित क्षेत्र में सड़कों और बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर रहा है, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है लेकिन भारत जम्मू-कश्मीर का हिस्सा होने का दावा करता है।

- यदि सीपीईसी परियोजना सफलतापूर्वक लागू हो जाती है, तो इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों में बाधा आएगी। यह भारत को घेरने की बीजिंग की रणनीतिक महत्त्वाकांक्षा को पूरा करेगा।
    - दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन के बढ़ता प्रभाव भारत की रणनीतिक पकड़ के लिये हानिकारक हैं, उदाहरण के लिये श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह के निर्माण ने चीन को हिंद महासागर में एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थान प्रदान किया है।

हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चीन की उपस्थिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पहले "चीन-हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन" (China-Horn of Africa Peace, Governance and Development Conference) का आयोजन किया गया।

- यह पहली बार है जब चीन का लक्ष्य "सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाना" है।
- इथियोपिया में आयोजित सम्मेलन में हॉर्न के निम्नलिखित देशों- केन्या, जिबूती, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, दक्षिण सूडान और युगांडा के विदेश मंत्रालयों की भागीदारी देखी गई।

प्रमुख बिंदु

हॉर्न ऑफ अफ्रीका:

- हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है।
- अफ्रीकी मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में स्थित यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है।
- यह लाल सागर की दक्षिणी सीमा के साथ स्थित है तथा गार्डाफुई चैनल, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है।
- अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से समान दूरी पर है।
- हॉर्न में इथियोपियाई पठार, ओगाडेन रेगिस्तान, इरिट्रिया और सोमालियाई तटों के ऊँचे इलाकों के जैवविविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं।
- अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया के देशों वाले क्षेत्र को दर्शाता है।
- इस क्षेत्र ने साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, जातीय संघर्ष, अंतर-अफ्रीकी संघर्ष, गरीबी, बीमारी, अकाल आदि का अनुभव किया है।

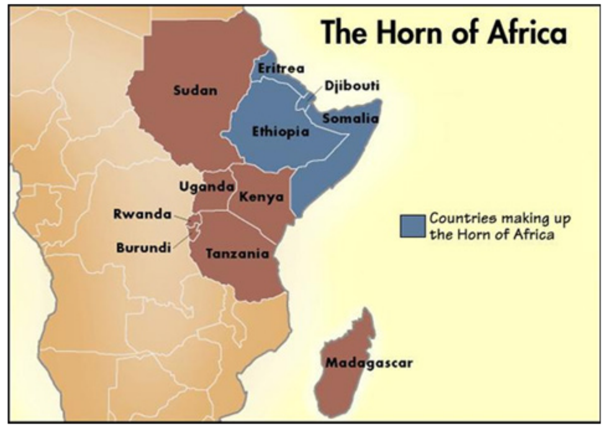

चीन की हालिया परियोजनाएँ:

- जनवरी 2022 में चीन ने अफ्रीका में अपने तीन उद्देश्यों पर ज़ोर दिया जिनमें शामिल हैं- महामारी को नियंत्रित करना, चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) के परिणामों को लागू करना और आधिपत्य की राजनीति से लड़ते हुए सामान्य हितों को बनाए रखना।
- वर्ष 2021 फोरम में हॉर्न के पूरे क्षेत्र ने भाग लिया, जिसमें चार प्रस्तावों को अपनाया गया:
    - डकार एक्शन प्लान:
        - दोनों पक्ष चीन और अफ्रीका के बीच संबंधों के विकास की सराहना करते हुए मानते हैं कि फोरम ने अपनी स्थापना के बाद से पिछले 21 वर्षों में चीन एवं अफ्रीका के बीच संबंधों के विकास को दृढ़ता से बढ़ावा दिया है तथा अफ्रीका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये एक महत्त्वपूर्ण मानक को स्थापित किया है।
    - चीन-अफ्रीका कोऑपरेशन विज़न 2035:
        - यह मध्य और दीर्घकालिक सहयोग के निर्देशों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करने तथा चीन व अफ्रीका के साझा भविष्य के साथ करीबी संबंध को बढ़ावा देने के लिये तैयार किया गया था।
    - जलवायु परिवर्तन पर चीन-अफ्रीकी घोषणा:
        - इसका उद्देश्य जलवायु पर बहुपक्षीय प्रक्रिया में समन्वय और सहयोग बढ़ाना है, साथ ही संयुक्त रूप से चीन, अफ्रीका तथा अन्य विकासशील देशों के वैध अधिकारों व हितों की रक्षा करना है।
    - FOCAC के आठवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की घोषणा:
        - थीम के तहत "चीन-अफ्रीका साझेदारी को मज़बूत करना और नए युग में एक साझा भविष्य के साथ चीन-अफ्रीका समुदाय के निर्माण के लिये सतत् विकास को बढ़ावा देना," साथ ही FOCAC के विकास एवं चीन-अफ्रीका

व्यापक रणनीतिक व सहकारी साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिये प्रतिबद्धता है। दोनों ने FOCAC के आठवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की डकार घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया।

- FOCAC हॉर्न के ढाँचागत और सामाजिक विकास में चीन की भूमिका को बढ़ावा देता है।

- कोविड-19 महामारी के दौरान चीन ने इथियोपिया और युगांडा को 3,00,000 से अधिक टीके तथा केन्या एवं सोमालिया को 2,00,000 टीके दान किये। चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी से सूडान व इरिट्रिया को भी फायदा हुआ है।

इस क्षेत्र में चीन के प्राथमिक हित:

- अवसंरचना:
  - अदीस अबाबा में चीन की एक ऐतिहासिक परियोजना द्वारा 200 मिलियन अमरीकी डालर की मदद से अफ्रीकी संघ मुख्यालय को पूर्ण रूप से वित्तपोषित किया गया।
  - चीन ने केन्या में मोम्बासा-नैरोबी रेल लिंक में भी निवेश किया है, इसके अलावा पहले ही सूडान में रेलवे परियोजनाओं पर काम कर चुका है।
  - इथियोपिया में इसका एक व्यवहार्य सैन्य हार्डवेयर बाज़ार भी है और इसने सोमालिया में अस्पतालों, सड़कों, स्कूलों एवं स्टेडियमों सहित 80 से अधिक ढाँचागत परियोजनाओं का निर्माण किया है।
  - जिबूती में 14 बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को चीन द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।
- वित्तीय सहायता:
  - इथियोपिया, चीनी निवेश के शीर्ष पाँच अफ्रीकी प्राप्तकर्त्ताओं में से एक है और उस पर लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज भी है।
  - केन्या के द्विपक्षीय कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 67 फीसदी है।
  - 2022 में चीन ने इरिट्रिया को 15.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने का वादा किया।
- प्राकृतिक संसाधन (तेल और कोयला):
  - चीन इथियोपिया में सोना, लौह-अयस्क, कीमती पत्थर, रसायन, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों में भी रुचि रखता है।
  - दक्षिण सूडान के पेट्रोलियम उद्योग में 1995 में प्रवेश के बाद से बीजिंग (चीन) ने निवेश जारी रखा है।
- समुद्री हित:
  - अपनी मुख्य भूमि के बाहर चीन का पहला और एकमात्र सैन्य अड्डा जिबूती में है।
  - वर्ष 2022 में चीन ने इरिट्रिया के तट को विकसित करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया, जिससे भू-आबद्ध इथियोपिया चीन के निवेश से जुड़ जाएगा।
  - अमेरिका का अनुमान है कि केन्या और तंजानिया में चीन एक और सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, जिससे इस क्षेत्र में उसकी सैन्य उपस्थिति बढ़ जाएगी।

क्या चीन अपने अहस्तक्षेप के सिद्धांत से हट गया है?

- अफ्रीका के लिये चीनी निवेश से स्थिर वातावरण बन सकता है जो देशों को उनके शांति और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। चीन को इस क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
- इथियोपिया में जब संघर्ष छिड़ा, तो विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे 600 से अधिक चीनी नागरिकों को वापस बुला लिया गया, जिससे कई निवेश जोखिम में पड़ गए।
- व्यापारिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र चीन-अफ्रीका सहयोग विज़न 2035 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- अफ्रीका में शांति की दिशा में चीन का कदम उसके अहस्तक्षेप के सिद्धांत में बदलाव का संकेत देता है।
- चीन ने इस बात का संकेत दिया है कि महाद्वीप में उसकी उपस्थिति का एक बड़ा उद्देश्य है और इसके हॉर्न ऑफ अफ्रीक तक ही सीमित होने की संभावना नहीं है।
- इसमें खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में पेश करना और अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बढ़ावा देना शामिल है।
- इसके अलावा हाल के घटनाक्रमों का अर्थ है कि चीन लंबे समय से महाद्वीप में बहुआयामी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- अफ्रीका में चीन की उपस्थिति यूरोपीय शक्तियों का एक विकल्प है, जिनमें से कई को अफ्रीकी सरकारों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
- इसके अलावा वे अफ्रीकी सरकारें, जो लोकतंत्र के पश्चिमी मानकों के अनुरूप नहीं हैं, चीन और रूस जैसी शक्तियों के साथ बेहतर समन्वय रखती हैं।

भारत के लिये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का महत्त्व:

- अफ्रीका में बढ़ती दिलचस्पी:
  - अफ्रीका में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से भारत की दिलचस्पी बढ़ रही है, विशेष रूप से उपक्षेत्र- हॉर्न ऑफ अफ्रीका।
- तेल उत्पादक क्षेत्र से निकटता:
  - हॉर्न ऑफ अफ्रीका रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य-पूर्व के तेल उत्पादक क्षेत्र के निकट है।

- मध्य-पूर्व में उत्पादित तेल का लगभग 40% लाल सागर की शिपिंग लेन से होकर गुज़रता है।
- शिपिंग रूट:
  - जिबूती इस शिपिंग रूट का मुख्य बिंदु है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस और चीन जैसे देशों का जिबूती में सैन्य अड्डा है।
  - भारत के आर्थिक विकास के लिये संचार की नई समुद्री लाइनों पर निर्भरता के साथ दिल्ली ने घोषणा किया कि उसके राष्ट्रीय हित अब उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि "अदन से मलक्का तक" विस्तृत हैं।

चीन की मौजूदगी पर भारत की चिंता:

- हिंद महासागर में प्रभुत्त्व:
  - हिंद महासागर के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित जिबूती चीन के "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" मंर से एक बन सकता है एवं बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलका सहित भारत के सैन्य गठजोड़ व संपत्ति के लिये एक खतरा बन सकता है।
  - चीन ने हिंद महासागर में गतिविधियाँ तेज़ कर दी हैं, जिसे हाल के दिनों में समुद्री डकैती रोधी गश्त और नेविगेशन की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए भारत अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है। इसने भारतीय नौसेना को सामरिक जल की निगरानी कड़ी करने के लिये मजबूर किया है।
- चीन की महत्त्वपूर्ण नौवहन मार्गों पर नियंत्रण करने की इच्छा:
  - हिंद महासागर शिपिंग लेन दुनिया के 80% तेल और वैश्विक थोक कार्गो का एक-तिहाई है। चीन महत्त्वपूर्ण शिपिंग मार्ग के साथ अपनी ऊर्जा एवं व्यापार परिवहन लिंक को सुरक्षित करना चाहता है।
- हिंद महासागर के देशों को प्रभावित करना:
  - हिंद महासागर वैश्विक मामलों में बड़ी भूमिका निभाने वाले देशों के लिये एक प्रमुख स्थल के रूप में भी उभर रहा है। चीन बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे जैसी परियोजनाओं में निवेश करके हिंद महासागर के देशों में सद्भावना व प्रभाव पैदा करना चाहता है।
  - चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है और श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में बंदरगाहों तथा अन्य बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर रहा है।
- OBOR के माध्यम से विस्तार:
  - एक नया रेशम मार्ग बनाने के लिये चीन की महत्त्वाकांक्षी वन बेल्ट, वन रोड (OBOR) पहल में हिंद महासागर का प्रमुख स्थान है।
  - भारत ने OBOR से स्वयं को दूर रखा है।

आगे की राह

- इस क्षेत्र में जो कुछ भी होता है उसका भारत की सुरक्षा और कल्याण पर सीधा असर पड़ता है, इसलिये भारत को 'हॉर्न ऑफ अफ्रीक" में मौजूदा परिस्थितियों एवं शक्ति की गतिशीलता पर अधिक ध्यान देना चाहिये।
- भारत को इस जटिल समस्या को लेकर पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीकी संघ तथा अन्य संबंधित सरकारों के साथ गंभीरता से चर्चा करनी चाहिये ताकि वह इसके समाधान में सार्थक योगदान दे सके।

आंतरिक सुरक्षा

मासिक भत्तों के वितरण हेतु 'पे रोल ऑटोमेशन' (PADMA)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 'मासिक भत्तों के वितरण के लिये पे रोल ऑटोमेशन' (PADMA) का उद्घाटन किया, जो भारतीय तटरक्षक बल के लिये एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है।

PADMA के संबंध में मुख्य बिंदु:

- परिचय:
  - PADMA नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने वाला एक स्वचालित मंच है जो लगभग 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वेतन और भत्तों का निर्बाध एवं समय पर वितरण सुनिश्चित करेगा।
  - यह मॉड्यूल रक्षा लेखा विभाग के तत्त्वावधान में विकसित किया गया है और वेतन लेखा कार्यालय तटरक्षक, नोएडा द्वारा संचालित किया जाएगा।
- महत्त्व:
  - इस पहल ने उस केंद्रीकृत वेतन प्रणाली की शुरुआत को चिह्नित किया है, जिसकी नींव रक्षा लेखा विभाग मुख्यालय द्वारा मंत्रालय के तहत सभी संगठनों के लिये 'वन स्टॉप पे अकाउंटिंग' समाधान प्रदान करने के लिये रखी जा रही है।
  - PADMA के लॉन्च से डिजिटल इंडिया विज़न की अवधारणा को मज़बूती मिलेगी। साथ ही यह एक 'आत्मनिर्भर भारत' पहल है क्योंकि पूरे मॉड्यूल को डोमेन विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय उद्यमियों ने डिज़ाइन और विकसित किया है।

केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली

- भारत में केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली के रूप में शामिल होंगे जिस पर समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
- RTGS: यह लाभार्थियों के खाते में वास्तविक समय पर धनराशि के हस्तांतरण की सुविधा को सक्षम बनाता है और इसका प्रयोग मुख्य तौर पर बड़े लेन-देनों के लिये किया जाता है।
  - यहाँ 'रियल टाइम' अथवा वास्तविक समय का अभिप्राय निर्देश प्राप्त करने के साथ ही उनके प्रसंस्करण (Processing) से है, जबकि 'ग्रॉस सेटलमेंट' या सकल निपटान का तात्पर्य है कि धन हस्तांतरण निर्देशों का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है।
- NEFT: यह एक देशव्यापी भुगतान प्रणाली है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
  - इसका उपयोग आमतौर पर 2 लाख रुपए तक के फंड ट्रांसफर के लिये किया जाता है।
- विकेंद्रीकरण भुगतान प्रणाली में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समाशोधन व्यवस्था [चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS)] के साथ-साथ अन्य बैंक [एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ECCS) केंद्रों की जाँच] और किसी अन्य प्रणाली के रूप शामिल होंगे जिसमें समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
  - चेक ट्रंकेशन: यह भुगतानकर्त्ता बैंक द्वारा भुगतानकर्त्ता बैंक शाखा के रास्ते में किसी बिंदु पर ड्रॉअर द्वारा जारी किये गए भौतिक चेक के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया है।

भारतीय तटरक्षक बल:

- परिचय:
  - यह भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज एवं बचाव एजेंसी है, जिसका क्षेत्राधिकार इसके निकटवर्ती क्षेत्र एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र सहित अपने क्षेत्रीय जल पर है।
    - सन्निहित क्षेत्र: यह जल का एक बैंड है जो क्षेत्रीय समुद्र के बाहरी किनारे बेसलाइन से 24 समुद्री मील तक फैला होता है।
    - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ): यह किसी देश में एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक ही देश के भीतर अन्य क्षेत्रों की तुलना में विभिन्न आर्थिक नियमों के अधीन होता है।
  - यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
  - ICG के गठन की अवधारणा 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई।
  - दूरदर्शी रुस्तमजी समिति द्वारा बहुआयामी तटरक्षक बल के लिये खाका तैयार किया गया था।

- कार्य:
  - तस्करी को रोकना: ICG के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक समुद्री मार्गों से तस्करी को रोकना है।
    - सन्निहित क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) सहित भारत के क्षेत्रीय जल पर इसका अधिकार क्षेत्र है।
  - नागरिकों को सहायता: इसने अपने विभिन्न कार्यों के दौरान अब तक लगभग 13,000 नागरिकों को बचाया है। बाढ़, चक्रवात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी नागरिकों को सहायता प्रदान की।
  - समुद्री सुरक्षा: यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों का मुकाबला करने और अपने अधिकार वाले क्षेत्र के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने हेतु तटवर्ती देशों के साथ भी सहयोग करता है।
  - सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) तथा नेबरहुड फर्स्ट' (Neighbourhood First) की नीति के तहत ICG ने महासागरों में व्यावसायिक संबंधों का विकास किया है और महासागर शांति स्थापना के लिये हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संबंध स्थापित किये हैं।
  - आपदा प्रबंधन में भूमिका: ICG ने बड़ी पारिस्थितिक आपदाओं के दौरान सफलतापूर्वक सुरक्षा प्रदान की है और इस क्षेत्र में 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता' (First Responder) के रूप में उभरा है।
    - उदाहरण के लिये आईसीजी ने हाल ही में श्रीलंका तट पर सागर आरक्षा-II के रासायनिक वाहक एमवी एक्सप्रेस पर्ल जहाज़ पर आग बुझाकर गंभीर पारिस्थितिक आपदा को सफलतापूर्वक टाल दिया।

जैवविविधता और पर्यावरण

विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस (World Day to Combat Desertification and Drought) का आयोजन किया जाता है।

- इसी परिप्रेक्ष्य में 17 जून, 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन किया गया।
    - इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने भारत के लिये वन प्रबंधन परिषद वन प्रबंधन मानक (FCI FSSAI) जारी किये।
        - FSC विश्व स्तर पर एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली है जो लकड़ी से संबंधित उत्पादों से जुड़ी कंपनियों के ऑडिट के लिये मानदंड निर्धारित करती है।

इस विश्व दिवस की मुख्य विशेषताएँ:

- परिचय:
    - यह सभी को इस बात की याद दिलाने का एक अनूठा क्षण है कि भूमि क्षरण तटस्थता समस्या का समाधान मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सभी स्तरों पर सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है।
- वर्ष 2022 की थीम: "एक साथ सूखे से निपटना"।
    - यह मानवता और ग्रहीय पारिस्थितिक तंत्र के विनाशकारी परिणामों से बचने हेतु शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देता है।

- महत्त्व:
    - वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता के नुकसान के साथ मरुस्थलीकरण को सतत् विकास के लिये सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में पहचाना गया था।
    - दो साल बाद वर्ष1994 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेज़र्टिफिकेशन (UNCCD) की स्थापना की, जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है तथा 17 जून को "विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस" घोषित किया गया। .
    - बाद में वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2010-2020 को मरुस्थलीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र दशक और UNCCD सचिवालय के नेतृत्व में भूमि क्षरण से लड़ने हेतु वैश्विक सहयोग जुटाने को मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की।

मरुस्थलीकरण:

- शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का क्षरण होता है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है।
- यह मौजूदा रेगिस्तानों के विस्तार का उल्लेख नहीं करता है। ऐसा इसलिये है क्योंकि शुष्क भूमि पारिस्थितिक तंत्र जो दुनिया के एक-तिहाई से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं, अतिदोहन और अनुचित भूमि उपयोग के कारण बेहद संवेदनशील हैं।
- इसके अतिरिक्त गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और खराब सिंचाई प्रथाएँ आदि सभी भूमि की उत्पादकता को कम कर सकती हैं।

सूखा:

- सूखे को दीर्घ अवधि में वर्षा/वर्षा में कमी के रूप में माना जाता है, आमतौर पर एक मौसम या उससे अधिक, जिसके परिणामस्वरूप जल की कमी होती है, का वनस्पति, जानवरों और/या लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- वनाग्नि के कारण भी सूखा पड़ सकता है, जिससे मिट्टी खेती के लिये अनुपयुक्त हो जाती है और मृदा में जल की कमी हो जाती है।
- जलवायु परिवर्तन के अलावा भूमि क्षरण के परिणामस्वरूप सूखे में वृद्धि होती है।

मरुस्थलीकरण और सूखे की स्थिति:

- पिछले दो दशकों (विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2021) की तुलना में वर्ष 2000 से सूखे की घटनाओं और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है।

- 55 मिलियन आबादी हर साल सूखे के कारण प्रभावित होती है और वर्ष 2050 तक तीन-चौथाई आबादी के प्रभावित होने की आशंका है।
- 2.3 अरब लोग पहले से ही जल संकट का सामना कर रहे हैं। हम में से अधिक से अधिक लोग जल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में रह रहे होंगे, जिसमें वर्ष 2040 तक अनुमानित चार बच्चों में से एक (संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष) शामिल होगा। इस प्रकार कोई भी देश सूखे से सुरक्षित नहीं है (यूएन-वाटर 2021)।

उपाय:

- त्वरित वनीकरण और वृक्षारोपण की आवश्यकता।
- जल प्रबंधन- उपचारित जल की बचत, पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन, विलवणीकरण या लवणीय पौधों के लिये समुद्री जल का प्रत्यक्ष उपयोग।
- रेत की बाड़, हवा के झोंकों आदि से होने वाले मृदा क्षरण को रोकना।
- मिट्टी के समृद्ध और अति उर्वरीकरण की आवश्यकता।
- फार्मर मैने नेचुरल रीजेनरेशन (FMNR), टहनियों की चयनात्मक छँटाई के माध्यम से अंकुरित वृक्षों की वृद्धि को सक्षम बनाता है। पेड़ों की छँटाई से उपलब्ध अवशेषों का उपयोग खेतों को मल्चिंग प्रदान करने के लिये किया जा सकता है जिससे मिट्टी में पानी की अवधारण क्षमता बढ़ जाती है और वाष्पीकरण कम हो जाता है।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (UNCCD):

- वर्ष 1994 में स्थापित यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- यह विशेष रूप से उन शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, इन स्थानों पर सबसे कमज़ोर पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं।
- कन्वेंशन की 197 पार्टियाँ शुष्क भूमि में लोगों के रहने की स्थिति में सुधार, भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने एवं बहाल करने तथा सूखे के प्रभाव को कम करने के लिये मिलकर काम करती हैं।
- यह विशेष रूप से अधोस्तरीय दृष्टिकोण के लिये प्रतिबद्ध है, जो मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। UNCCD सचिवालय विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, विशेष रूप से स्थायी भूमि प्रबंधन के लिये ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु।
- एक एकीकृत दृष्टिकोण और प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग के साथ इन जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिये भूमि, जलवायु जैव विविधता की गतिशीलता घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। UNCCD अन्य दो रियो सम्मेलनों के साथ मिलकर सहयोग करता है:
  - जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
  - जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
- यूएनसीसीडी 2018-2030 सामरिक फ्रेमवर्क:
  - यह भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने के लिये सबसे व्यापक वैश्विक प्रतिबद्धता है, ताकि निम्नीकृत भूमि के विशाल विस्तार की उत्पादकता को बहाल किया जा सके, 1.3 बिलियन से अधिक लोगों की आजीविका में सुधार किया जा सके और कमज़ोर आबादी पर सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके।
- यूएनसीसीडी और सतत् विकास:
  - सतत् विकास लक्ष्यों (SDG), 2030 का लक्ष्य 15 घोषित करता है कि "हम ग्रह को क्षरण से बचाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं, जिसमें स्थायी खपत और उत्पादन, इसके प्राकृतिक संसाधनों का सतत् प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई करना शामिल है, ताकि वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके"।

अन्य संबंधित पहलें:

- राष्ट्रीय पहल:
  - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम:
    - इसका उद्देश्य ग्रामीण रोज़गार के सृजन के साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, संरक्षण और विकास कर पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है जिसे नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - मरुस्थल विकास कार्यक्रम:
    - इसे वर्ष 1995 में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और पहचाने गए रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को फिर से जीवंत करने हेतु शुरू किया गया था।
  - हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन:
    - इसे वर्ष 2014 में 10 वर्ष की समय-सीमा के साथ भारत के घटते वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और वनों के विस्तार के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था।
- वैश्विक पहल:
  - बॉन चुनौती (Bonn Challenge)
    - बॉन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत दुनिया की 150 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर वर्ष 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2030 तक वनस्पतियाँ उगाई जाएंगी।

- पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2015 में भारत ने स्वैच्छिक रूप से बॉन चुनौती पर स्वीकृति दी थी।
- वर्तमान में 26 लाख हेक्टेयर खराब पड़ी भूमि को बहाल करने का लक्ष्य संशोधित किया गया है।

बैरेंट्स सागर का तापन

चर्चा में क्यों?

एक अध्ययन के अनुसार, यह कहा गया है कि नॉर्वे के पास आर्कटिक क्षेत्र के हिस्से दुनिया के बाकी हिस्सों में गर्मी की दर से सात गुना अधिक गर्म हो रहे हैं।

- उत्तरी बैरेंट्स सागर के आसपास का क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र की औसत वार्मिंग से दो से ढाई गुना और बाकी दुनिया में पाँच से सात गुना गर्म हो रहा है।
- आर्कटिक क्षेत्र में इस तरह की तीव्र गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई। यह एटलांटिस की घटना के लिये अग्रणी है।

बैरेंट्स सागर

- बैरेंट्स सागर पश्चिम में नॉर्वेजियन और ग्रीनलैंड सागर, उत्तर में आर्कटिक सागर तथा पूर्व में कारा सागर की सीमा में है।
- सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, बैरेंट्स सागर को रूस और नॉर्वे के बीच विभाजित किया गया है।

एटलांटिफिकेशन:

- वैज्ञानिकों ने 'हॉटस्पॉट्स' की खोज की है, जहाँ बैरेंट्स सागर के कुछ हिस्से अटलांटिक से मिलते-जुलते पाए गए हैं। इस घटना को एटलांटिफिकेशन कहा गया है।
- उत्तर की ओर बहने वाली समुद्री धाराएँ अटलांटिक के गर्म पानी को बैरेंट्स सागर के माध्यम से आर्कटिक महासागर में पहुँचाती हैं।
    - अटलांटिक और प्रशांत के विपरीत यूरेशियन आर्कटिक महासागर का ऊपरी जल गहरा होने पर गर्म हो जाता है।
    - समुद्र का शीर्ष आमतौर पर समुद्री बर्फ से ढका होता है। इसके नीचे ठंडे मीठे पानी की एक परत होती है, जिसके बाद गर्म खारे पानी की एक गहरी परत अटलांटिक से महासागरीय धाराओं द्वारा आर्कटिक तक पहुँच जाती है।
- नासा के आँकड़ों के अनुसार, 1980 के दशक की शुरुआत में उपग्रह रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र में समुद्री बर्फ से ढका कुल क्षेत्रफल लगभग आधा हो गया है।
- इसका एक संभावित कारण यह है कि जब समुद्री बर्फ गर्मियों में पिघलती है, तो यह ताज़े पानी की परत को ढक देती है जो गर्म अटलांटिक परत के ऊपर स्थित होती है। चारों ओर कम समुद्री बर्फ के साथ मीठे पानी की मात्रा कम हो जाती है, यह बदले में समुद्र को एक साथ मिलाने का कारण बनता है और अधिक अटलांटिक की गर्मी को सतह की ओर खींचता है तथा बदले में यह "अटलांटिफिकेशन" नीचे से अधिक बर्फ पिघलने का कारण बन सकता है।
- मानव जनित वैश्विक जलवायु परिवर्तन ''अटलांटिफिकेशन प्रोसेस''को (Atlantification Process) तेज़ कर रहा है और बदले में मौसम के पैटर्न, समुद्र के संचलन व पूरे आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।

वार्मिंग के संभावित परिणाम:

- अधिक चरम मौसम:
    - आर्कटिक के असाधारण वार्मिंग से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में अधिक चरम मौसम की स्होथिति उत्पन्न हो सकती है।
    - आर्कटिक दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला क्षेत्र है, जिसका अनुमान बाकी दुनिया में वार्मिंग की दर से दो से चार गुना अधिक है।
        - इसका कारण समुद्री बर्फ के पिघलने का बंद लूप का और तेजी से गर्म होना है।
- अधिक बर्फ का पिघलना:
    - जैसे-जैसे आर्कटिक क्षेत्र गर्म होता है, समुद्री बर्फ पिघलने लगती है और नीचे समुद्र की सतह को उजागर करती है। सतह समुद्री बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है और वार्मिंग को बढ़ाती है, जिससे अधिक समुद्री बर्फ पिघलती है एवं फीडबैक लूप का निर्माण होता है।

- समिट स्टेशन ग्रीनलैंड में पहली बार दर्ज की गई वर्षा:
  - आर्कटिक क्षेत्र के तेज़ी से गर्म होने से पहले ही मौसम में काफी बदलाव हो गया है जैसे कि अगस्त 2021 में ग्रीनलैंड के समिट स्टेशन पर पहली बार दर्ज की गई बारिश और जुलाई में बैक-टू-बैक तूफान का आना।
- तड़ितझंझा के मामलों में वृद्धि:
  - तड़ितझंझा के हमले जो कभी इस क्षेत्र में दुर्लभ थे, पिछले एक दशक में आठ गुना बढ़ गए हैं।
    - तूफान और तड़ितझंझा के हमले आमतौर पर इस क्षेत्र में नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें संवहन प्रणाली निर्मित करने हेतु अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
    - लेकिन तेज़ गर्मी अब ऊष्मा उपलब्ध करा रही है।
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:
  - 1980 के दशक के बाद से इस क्षेत्र के गर्म होने के कारण यह उत्तर की ओर शिफ्ट हो गया है और अटलांटिक मछली प्रजातियों की बहुतायत में वृद्धि हुई है तथा आर्कटिक मछली प्रजातियों की प्रचुरता में कमी आई है।
- अत्यधिक हिमपात:
  - बैरेंट सागर के गर्म होने से भी वर्ष 2018 में यूरोप के अधिकांश हिस्सों में अत्यधिक हिमपात की घटना देखी गई, जिसे अक्सर ' Beast from the East ' कहा जाता है।
    - लगभग 140 गीगाटन पानी बैरेंट्स सागर से वाष्पित हो गया और उसने इस दौरान पूरे यूरोप में गिरने वाली बर्फ में 88% का योगदान दिया।
- चरम मौसमी घटनाएँ:
  - आर्कटिक के दक्षिण में चरम मौसमी घटनाएँ आर्कटिक जेट स्ट्रीम के माध्यम से क्षेत्र की गर्मी से संबंधित हैं।
    - जेट स्ट्रीम आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर बहने वाली हवाओं का एक बैंड है जो आमतौर पर इस क्षेत्र में ठंडी आर्कटिक वायु ले आती है।
  - लेकिन अत्यधिक और तेज़ी से गर्म होने के कारण यह जेट स्ट्रीम लहरदार हो रही है, जिसके कारण ठंडी हवा निचले अक्षांशों से आने वाली गर्म हवा के साथ कई बार मिल जाती है, जिससे चरम मौसमी घटनाएँ हो रही हैं।
  - भारत में आर्कटिक गर्मी को वर्ष 2022 में अधिकांश उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मार्च, अप्रैल, मई और जून में प्रचंड गर्मी की लहरों से जोड़ा जाता है।
  - वर्ष 2018 में गर्म उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को असामान्य और घातक धूल भरी आंधियों के कारक के रूप में भी देखा गया था, जिसने पूरे उत्तर भारत में लगभग 500 लोगों की जान ले ली थी।

नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 (GSR 2022)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में REN21 (21वीं सदी के लिये अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क) द्वारा नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 (GSR 2022) जारी की गई।

- REN21 नवीकरणीय अभिकर्त्ताओं का एक वैश्विक समूह है।
- इसमें वैज्ञानिक, भारत सरकार, गैर-सरकारी संगठन और उद्योग जगत के सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया भर के देशों में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों, बाज़ारों, निवेश और नीतियों पर डेटा एकत्र किया है।

नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022:

- नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति का दस्तावेज़ीकरण करती है।
- यह स्थानीय ऊर्जा उत्पादन और मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से अधिक विविध तथा समावेशी ऊर्जा शासन प्राप्त करने की क्षमता सहित नवीकरणीय -आधारित अर्थव्यवस्था एवं समाज द्वारा वहन किये गए अवसरों पर प्रकाश डालती है।
- अपनी कुल ऊर्जा खपत में नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च हिस्सेदारी वाले देश ऊर्जा स्वतंत्रता और सुरक्षा के उच्च स्तर सुनिश्चित करते हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- वैश्विक परिदृश्य:
  - रिपोर्ट एक स्पष्ट चेतावनी देती है कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण नहीं हो रहा है, जिससे यह संदेहास्पद है कि दुनिया इस दशक में महत्त्वपूर्ण जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेगी।
  - यद्यपि कई सरकारों ने वर्ष 2021 में शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि, ऊर्जा संकट के जवाब में, अधिकांश देश जीवाश्म ईंधन के नए स्रोतों की तलाश कर रहे हैं तथा अधिक कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं।
  - पहली बार, GSR 2022 में देशों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा शेयरों का एक विश्व मानचित्र प्रदान किया गया है तथा कुछ प्रमुख देशों में प्रगति पर प्रकाश डालता है।
  - नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) की अगुवाई में, रिकॉर्ड 135 देशों ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प लिया।

- हालाँकि इनमें से केवल 84 देशों के पास अक्षय ऊर्जा के लिये अर्थव्यवस्था-व्यापी लक्ष्य थे, और केवल 36 के पास 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य थे।

- भारत का प्रदर्शन:
    - अक्षय ऊर्जा: भारत वर्ष 2021 में चीन और रूस के बाद अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर है।
    - पनबिजली क्षमता: भारत ने वर्ष 2021 में 843 मेगावाट की पनबिजली क्षमता वृद्धि की, जिससे कुल क्षमता बढ़कर 45.3 गीगावॉट हो गई।
    - नई सौर फोटोवोल्टिक क्षमता: नई सौर फोटोवोल्टिक क्षमता के लिये भारत एशिया का दूसरा और विश्व में तीसरा (वर्ष 2021 में 13 गीगावॉट अतिरिक्त) सबसे बड़ा बाज़ार है।
    - कुल संस्थापन: भारत ने जर्मनी (59.2 GW) को पछाड़ते हुए कुल प्रतिष्ठानों (60.4 GW) की क्षमता में चौथे स्थान पर आ गया।
    - पवन ऊर्जा: पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता (40.1 GW) के मामले में भारत चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये भारत की पहल:

- राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM): दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम के केंद्र में 100 GW की सौर महत्वाकांक्षा।
- पवन ऊर्जा क्रांति: स्वच्छ ऊर्जा निर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये भारत के मज़बूत पवन ऊर्जा क्षेत्र का लाभ उठाना।
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और SATAT: ईंधन आयात को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाने, कचरे का प्रबंधन करने और रोजगार सृजित करने के लिये मूल्य श्रृंखला का निर्माण।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): सतत् मानव विकास के लिये सूर्य की अनंत शक्ति का दोहन।
- लघु जल विद्युत (SHP): दूरदराज के समुदायों को आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिये पानी की शक्ति का उपयोग करना।
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHEM): बहुमुखी स्वच्छ ईंधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता की खोज करना।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना: भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना

अक्षय ऊर्जा संक्रमण में बाधाएँ:

- डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति:
    - भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को और बढ़ने के लिये सबसे चुनौती बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की खराब वित्तीय स्थिति है, जिनमें से अधिकांश राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं। लगभग सभी अक्षय ऊर्जा ऐसी डिस्कॉम द्वारा खरीदी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत लंबा और अस्थिर भुगतान चक्र होता है।
- पीढ़ी में परिवर्तनशीलता:
    - मौसम की स्थिति के कारण इसके उत्पादन में परिवर्तन, ट्रांसमिशन ग्रिड के संचालन को तकनीकी रूप से कार्यशील बनाता है। कुछ समय पहले तक नवीकरणीय विद्युत् की क्षमता कम थी, लेकिन अब नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ इतनी अधिक बिजली का उत्पादन कर रही हैं कि ग्रिड को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये उन्हें कभी-कभी उत्पादन को कम करना या बंद करना पड़ता है।
- कमज़ोर ट्रांसमिशन ग्रिड:
    - देश में कमज़ोर ट्रांसमिशन ग्रिड भी एक चुनौती रही है, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में, जो अक्सर दूरदराज़ के क्षेत्रों में बड़े शहरों और खपत केंद्रों से दूर स्थापित की जाती हैं।
        - उदाहरण के लिये, लेह में बड़ी सौर परियोजनाओं के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजनाओं को हाल ही में कमज़ोर पारेषण बुनियादी ढाँचे का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया था।
- अल्पविकसित प्रौद्योगिकी:
    - भारत के पास वह आवश्यक तकनीक नहीं है जिसकी इस क्षेत्र में आवश्यकता है, उदाहरण के लिये भारत फोटोवोल्टिक सौर सेल के आयात के लिये अन्य देशों पर निर्भर है।
- पर्यावरण पर प्रभाव:
    - यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा सृजन शून्य-कार्बन गतिविधि है (कुछ जैव ईंधन को छोड़कर), इसके जीवन चक्र के अन्य बिंदुओं पर (जैसे कच्चे माल के निष्कर्षण और उपकरण निर्माण के दौरान) उत्सर्जन होता है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर भी RE के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं।
- कुशल कर्मियों की कमी:
    - भारत के बिजली क्षेत्र को न केवल निजी क्षेत्र में बल्कि वितरण कंपनियों (DISCOMs), ग्रिड प्रबंधन कंपनियों, नियामकों और नीति-निर्माताओं के अंदर भी कुशल कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ा है और वर्तमान परिदृश्य में यह समस्या और भी बढ़ती जा रही है।
- स्थापना लागत का मुद्दा:
    - स्थापना (installation) की उच्च प्रारंभिक लागत नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है।

यद्यपि किसी कोयला संयंत्र के विकास के लिये उच्च निवेश की आवश्यकता होती है, यह ज्ञात है कि पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों को भी भारी निवेश की आवश्यकता होती है।

- इसके अलावा, उत्पन्न ऊर्जा की भंडारण प्रणालियाँ महँगी हैं और मेगावाट उत्पादन के मामले में एक वास्तविक चुनौती का प्रतिनिधित्व करती हैं।

आगे की राह

- वैश्विक भागीदारी: वैश्विक भागीदारी साझा की जा रही प्रौद्योगिकी या वित्तीय संसाधनों के माध्यम से समर्थन के नए मार्ग खोल सकती है।
- वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (DRE): वितरित नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें नवीकरणीय स्रोतों से बिजली केंद्रीकृत संयंत्रों के बजाय उपयोग के बिंदुओं के पास उत्पादित की जाती है, 'ग्लोबल साउथ' के महत्त्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच बढ़ाने में मदद कर सकती है, यदि एक अनुकूल विनियामक और नीतिगत वातावरण का निर्माण किया जाए।
- उत्तरदायी ऊर्जा के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा: RE केवल 'रिन्यूएबल एनर्जी' को इंगित न करता हो, बल्कि 'रेस्पोंसिबल एनर्जी' को भी सूचित करता हो।
  - नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिये, RE उद्योग को चार सिद्धांतों पर कार्य करना चाहिये:
    - सार्वभौमिक श्रम, भूमि और मानवाधिकारों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना;
    - प्रत्यास्थी, प्रगतिशील पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा, पुनर्बहाली और संपोषण;
    - सहभागी शासन सिद्धांतों के लिये प्रतिबद्धता
    - यह चिह्नित करना कि प्रत्यास्थी समुदाय और एक समावेशी कार्यबल उनकी सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- जलवायु वित्तपोषण: यह ऊर्जा-निर्धन देशों को अपने कार्बन कटौती लक्ष्यों में तेज़ी लाने और जीवाश्म ईंधन से अपने विकास प्रक्षेपवक्र को अलग करने हेतु नई तकनीकों में निवेश करने के लिये धन की आवश्यकता पूरी करने में सहायता करेगा।

वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क में अंतराल

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण वैज्ञानिकों, पारिस्थितिकीविदों और नीति विशेषज्ञों के एक समूह ने माना है कि वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क का मसौदा उन रासायनिक प्रदूषकों की समग्रता का हिसाब देने में विफल है जो वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डालते हैं।

फ्रेमवर्क में अंतराल:

- रासायनिक प्रदूषक: मसौदा समझौता पोषक तत्त्वों, कीटनाशकों और प्लास्टिक को शामिल करके सीमित हो जाता है, क्योंकि अधिक चिंता और महत्त्व के कई रसायनों को समूह से बाहर रखा जाता है, जिसमें ऐसे पदार्थ शामिल हैं जो विषाक्त हैं, जैसे पारा और PFAS (प्रति पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थ) साथ ही फार्मास्यूटिकल्स।
- संरक्षित क्षेत्रों के अंदर LNPP: वर्तमान में LNPP (भूमि जहाँ प्राकृतिक प्रक्रियाएँ प्रबल होती हैं) स्थायी बर्फ और चट्टान को छोड़कर लगभग 56% स्थलीय भूमि को कवर करती है। हालाँकि इस भूमि का केवल 20% ही औपचारिक रूप से संरक्षित है। इसका मतलब यह है कि स्थायी बर्फ और चट्टान को छोड़कर दुनिया की केवल 11% भूमि LNPP द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के अंदर है। समूह को लगता है कि यह एक समस्या है क्योंकि वर्ष 2020 के बाद के ढाँचे में वर्ष 2030 तक कम से कम 30% भूमि की रक्षा करने का प्रस्ताव है।
  - LNPP उस भूमि को संदर्भित करता है जहाँ कम मानवीय हस्तक्षेप और / या पारिस्थितिक रूप से अपेक्षाकृत यथावत वनस्पति है, जो जैवविविधता को पनपने के लिये स्थान और आवास प्रदान करती है।

वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क

- परिचय:
  - यह एक नया फ्रेमवर्क है जो लोगों को प्रकृति और इसकी आवश्यक सेवाओं को परिरक्षित तथा संरक्षित करने के लिये वर्ष 2030 तक दुनिया भर में कार्यों का मार्गदर्शन करेगा।
  - इसका उद्देश्य सरकारों और पूरे समाज द्वारा जैवविविधता, इसके प्रोटोकॉल और जैवविविधता से संबंधित अन्य बहुपक्षीय समझौतों, प्रक्रियाओं और उपकरणों के उद्देश्यों में योगदान करने के लिये तत्काल तथा परिवर्तनकारी कार्रवाई को बढ़ावा देना है।
  - फ्रेमवर्क परिवर्तन के सिद्धांत के इर्द-गिर्द बनाया गया है जो यह मानता है कि आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय मॉडल को बदलने के लिये वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है।
- लक्ष्य और उद्देश्य:
  - वर्ष 2050 तक हासिल करने के लिये चार लक्ष्य:
    - जैवविविधता के विलुप्त होने और गिरावट को रोकने के लिये।
    - संरक्षण के द्वारा मनुष्यों को प्रकृति की सेवाओं में वृद्धि और बनाए रखने के लिये।
    - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी को उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना।

- उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य साधनों तथा वर्ष 2050 के विज़न को प्राप्त करने के लिये आवश्यक बीच की अंतराल को पाटना।
- 2030 कार्य लक्ष्य: वर्ष 2030 के दशक में तत्काल कार्रवाई के लिये ढाँचे में 21 कार्योंमुख लक्ष्य हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - विश्व के कम से कम 30% भूमि और समुद्री क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत लाना।
  - आक्रामक विदेशी प्रजातियों की शुरूआत की दर में 50% से अधिक कमी, और उनके प्रभावों को खत्म करने या कम करने के लिये ऐसी प्रजातियों का नियंत्रण या उन्मूलन।
  - पर्यावरण के लिये नुकसानदेह पोषक तत्वों को कम से कम आधा, और कीटनाशकों को कम से कम दो तिहाई कम करना, और प्लास्टिक कचरे के निर्वहन को समाप्त करना।
  - प्रति वर्ष कम से कम 10 GtCO2e (गीगाटन समतुल्य कार्बन डाइऑक्साइड) के वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में प्रकृति-आधारित योगदान, और यह कि सभी शमन तथा अनुकूलन प्रयास जैवविविधता पर नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं।
  - जैवविविधता के लिये हानिकारक प्रोत्साहनों को पुनर्निर्देशित, पुन: उपयोग, सुधार या समाप्त करना, उचित और न्यायसंगत तरीके से, उन्हें प्रति वर्ष कम से कम 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम करना।

अनुशंसाएँ:

- वर्ष 2020 के बाद के वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क में लागू की जाने वाली रणनीतियों और कार्रवाई के लिये रासायनिक प्रदूषकों के व्यापक दायरे को लक्षित करने की आवश्यकता है।
  - दुनिया भर के देश हाल ही में मौजूदा ज्ञान को समेकित करने और नीति निर्माताओं को सूचित करने के लिये रसायनों और कचरे पर एक अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति पैनल बनाने पर सहमत हुए हैं।
- दूरदराज़ के आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र सहित दुनिया के हर पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले रासायनिक प्रदूषकों के अकाट्य प्रमाण, नए जैवविविधता फ्रेमवर्क के वार्ताकारों को इन्हें वैश्विक जैवविविधता के लिये खतरों के रूप में शामिल करने हेतु मज़बूर करना चाहिये।
- भोजन की उपलब्धता के लिये जैवविविधता की रक्षा करना महत्त्वपूर्ण है, सभी प्रजातियों की स्वस्थ और लचीली आबादी का समर्थन करने के लिये वर्ष 2030 तक कम-से-कम 5% और 2050 तक 15% की प्राकृतिक प्रणालियों के क्षेत्र, कनेक्टिविटी और अखंडता में शुद्ध लाभ होना चाहिये।
- आहार में बदलाव, फसल और पशुधन उत्पादकता में वृद्धि और कृषि भूमि के विस्तार को सीमित करने से वर्ष 2050 तक वैश्विक जैवविविधता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

जैवविविधता अभिसमय (CBD)

- जैवविविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity- CBD), जैवविविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:
  - जैवविविधता का संरक्षण।
  - जैविक विविधता के घटकों का सतत् उपयोग।
  - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण।
- लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है (अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किये हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है)।
- CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है।
- जैवविविधता अभिसमय के तहत पार्टियाँ (देश) नियमित अंतराल पर मिलती हैं और इन बैठकों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (Conference of Parties - COP) कहा जाता है।
- वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रुप में कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol on Biosafety) को अपनाया गया था। यह 11 सितंबर, 2003 को लागू हुआ।
  - यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करता है।
  - आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच सुनिशचित तकरने और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में नागोया प्रोटोकॉल को जापान के नागोया शहर में संपन्न।
- नागोया प्रोटोकॉल COP10 में अपनाया गया था। यह 12 अक्तूबर, 2014 को लागू हुआ।
  - यह प्रोटोकॉल न केवल CBD के तहत शामिल आनुवंशिक संसाधनों और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू होता है, बल्कि आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े उस पारंपरिक ज्ञान (Traditional knowledge- TK) को भी कवर करता है जो CBD और इसके उपयोग से होने वाले लाभों से आच्छादित हैं।
- COP-10 में आनुवंशिक संसाधनों पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाने के साथ, जैवविविधता को बचाने हेतु सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिये दस वर्ष की रूपरेख को भी अपनाया गया।

- वर्ष 2010 में नागोया में CBD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP-10) में वर्ष 2011-2020 हेतु 'जैवविविधता के लिये रणनीतिक योजना' को अपनाया गया। इसमें पहली बार विषय विशिष्ट 20 जैवविविधता लक्ष्यों- जिन्हें आइची जैवविविधता लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, को अपनाया गया।
- भारत में CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2002 में जैविक विविधता अधिनियम अधिनियमित किया गया।

एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की एक सूची को तैयार किया है जिन्हें 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

- 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन सहित अधिसूचित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित होगा।

एकल उपयोग प्लास्टिक:

- परिचय:
  - यह उन प्लास्टिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जिन्हें एक बार उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है।
- निर्मित और प्रयुक्त प्लास्टिक के उच्चतम शेयर:
  - एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद जैसे- प्लास्टिक की थैलियाँ, स्ट्रॉ, कॉफी बैग, सोडा और पानी की बोतलें तथा अधिकांशत: खाद्य पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक।
- दुनिया भर में उत्पादित प्लास्टिक का एक तिहाई हिस्सा है:
  - एक ऑस्ट्रेलियाई परोपकारी संगठन, मिंडेरू फाउंडेशन की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन में एक तिहाई हिस्सा होता है, जिसमें 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित होता है।
- प्लास्टिक का अधिकांशत: छोड़ दिया जाता है:
  - एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर 130 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक अधिकांश कचरे के लिये ज़िम्मेदार है, जिसमें से सभी को जला दिया जाता है, लैंडफिल कर दिया जाता है या सीधे पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान:
  - उत्पादन के वर्तमान प्रक्षेपवक्र पर, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 5-10% के लिये ज़िम्मेदार हो सकता है।
- भारत के लिये डेटा:
  - रिपोर्ट में पाया गया कि भारत एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के शीर्ष 100 देशों में शामिल है - रैंक 94 (शीर्ष तीन सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान) है।
  - सालाना 11.8 मिलियन मीट्रिक टन के घरेलू उत्पादन और 2.9 MMT आयात के साथ, भारत का एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे का शुद्ध उत्पादन 5.6 MMT और प्रति व्यक्ति उत्पादन 4 किलो है।

चुनाव का आधार:

- प्रतिबंध के लिये एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के पहले सेट का चुनाव संग्रह की कठिनाई और उनके रीसाइक्लिंग पर आधारित था।
- जब प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में उपस्थित रहता है और अपघटित नहीं है तो यह माइक्रोप्लास्टिक में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद पहले यह हमारे खाद्य स्रोतों और फिर मानव शरीर में प्रवेश करता है, तथा यह बेहद हानिकारक है।
- एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक का सबसे बड़ा हिस्सा पैकेज़िंग का है इस श्रेणी से संबंधित 95% टूथपेस्ट से लेकर शेविंग क्रीम तथा फ्रोजन फूड तक में उपयोग होता है।
- चुनी गई वस्तुएँ कम मूल्य की और कम टर्नओवर वाली हैं और उनके बड़े आर्थिक प्रभाव की संभावना नहीं है।

प्रतिबंध लागू होने की प्रक्रिया:

- निगरानी द्वारा:
  - केंद्र से सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) द्वारा प्रतिबंध की निगरानी की जाएगी जो नियमित रूप से केंद्र को रिपोर्ट करेंगे।
- जारी दिशा-निर्देश:
  - राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी किये गए हैं- उदाहरण के लिये सभी पेट्रोकेमिकल उद्योगों को प्रतिबंधित वस्तुओं में लगे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करने के लिये कहा गया है।

- SPCBs और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं में लगे उद्योगों को वायु/जल अधिनियम के तहत जारी की गई सहमति को संशोधित करने या रद्द करने के निर्देश जारी किये गए हैं।
- स्थानीय अधिकारियों को इस शर्त के साथ नए वाणिज्यिक लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया गया है कि उनके परिसर में एसयूपी आइटम नहीं बेचे जाएंगे तथा मौजूदा वाणिज्यिक लाइसेंस रद्द कर दिये जाएंगे यदि वे इन वस्तुओं को बेचते पाए जाते हैं।

- कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बढ़ावा देना:
  - CPCB ने कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के 200 निर्माताओं को एकमुश्त प्रमाण पत्र जारी किया और BIS ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिये मानकों को पारित किया।
- दंड:
  - प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है - जो 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों की अनुमति देता है।
  - उल्लंघनकर्ताओं को APCB द्वारा पर्यावरणीय क्षति मुआवजे का भुगतान करने के लिये भी कहा जा सकता है।
  - प्लास्टिक कचरे पर नगरपालिका कानून हैं, उनकी अपनी दंड संहिताएँ हैं।

एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से निपटने के अन्य देशों के प्रयास:

- संकल्प पर हस्ताक्षर:
  - वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत सहित 124 देशों ने समझौते को तैयार करने के लिये एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये, जो भविष्य में हस्ताक्षरकर्त्ताओं के लिये उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के पूर्ण जीवन को संबोधित करने हेतु प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देगा।
  - जुलाई 2019 तक, 68 देशों में अलग-अलग डिग्री के प्रवर्तन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है।
- प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाले देश:
  - बांग्लादेश:
    - बांग्लादेश वर्ष 2002 में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना।
  - न्यूज़ीलैंड:
    - जुलाई 2019 में न्यूज़ीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश बन गया
  - चीन:
    - चीन ने वर्ष 2020 में चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध जारी किया।
  - अमेरिका:
    - अमेरिका में आठ राज्यों ने एकल प्रयोग प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी शुरुआत 2014 में कैलिफोर्निया से हुई थी। सिएटल वर्ष 2018 में प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रमुख अमेरिकी शहर बन गया।
  - यूरोपीय संघ:
    - जुलाई, 2021 में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर निर्देश यूरोपीय संघ में प्रभावी हुआ।
    - यह निर्देश कुछ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाता है जिसके लिये विकल्प उपलब्ध हैं; एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक प्लेट, कटलरी, स्ट्रॉ, बैलून स्टिक और कॉटन बड्स को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बाज़ारों में नहीं रखा जा सकता है।
    - विस्तारित पॉलीस्टीरीन से बने कप, खाद्य और पेय कंटेनर और ऑक्सो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने सभी उत्पादों पर भी यही उपाय लागू होता है।

एमएसएमई हेतु जलवायु वित्त की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP) की 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) लगभग 110 मिलियन टन CO_2 उत्पन्न करता है। भारत के MSME को उत्सर्जन और जलवायु वित्त को कम करना चाहिये, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत है।

- MSME क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देता है और लगभग 120 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।

MSME के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता:

- CoP26 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता:
  - भारत ने 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय पर पार्टियों के 26वें सम्मेलन (CoP26) के दौरान वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 50 फीसदी नवीकरणीय स्रोतों से करेगा।

- समाधान: ऐसा करने का एकमात्र तरीका कोयले के उपयोग को धीरे-धीरे समाप्त करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाना, वनों की कटाई को रोकना और इलेक्ट्रिक वाहनों के संक्रमण में तेज़ी लाना है।

- कार्बन पदचिह्न को कम करना:
  - CSTEP रिपोर्ट में कहा गया है कि MSME क्षेत्र ने 2015-16 में भारत में आपूर्ति किये गए कुल कोयले /लिग्नाइट का 13%, पेट्रोलियम उत्पादों का 7% और प्राकृतिक गैस का 8% उपयोग किया।
  - MSME क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये मदद की ज़रूरत है ताकि तेज़ी से अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर सके और इसे जलवायु परिवर्तन और जोखिम के प्रति कम संवेदनशील बना दें।
  - यह क्षेत्र जलवायु वित्त की सहायता से इस परिवर्तन को प्राप्त कर सकता है।
  - पारंपरिक वित्त अकेले इस क्षेत्र को कार्बन मुक्त होने में मदद नहीं कर सकते हैं।

जलवायु वित्त:

- जलवायु वित्त विकसित देशों (जो अधिकांश ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं) द्वारा विकासशील देशों को उत्सर्जन में कमी के उपायों और अनुकूलन हेतु मदद करने के लिये भुगतान किया गया धन है।
- जलवायु वित्त मार्ग प्रदान करेगा और विकसित देशों से विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी तथा विशेषज्ञता के हस्तांतरण को सक्षम करेगा, जिसके लिये इन संसाधनों और क्षमता की आवश्यकता होती है ताकि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला उस दर पर किया जा सके जिसकी वर्तमान में दुनिया मांग करती है।

एमएसएमई को जलवायु वित्त की आवश्यकता:

- अत्यधिक क्रेडिट गैप:
  - भारत में MSME क्षेत्र को भारी क्रेडिट गैप का सामना करना पड़ रहा है, जिसका अर्थ है देश में औपचारिक चैनलों से ऋण की कुल आपूर्ति और पता योग्य मांग के बीच का गैप।
  - इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के अनुसार, वर्ष 2010 में क्रेडिट गैप लगभग 37 बिलियन डॉलर था जो वर्ष 2017 में 3,30,75,60,00,000 डॉलर तक पहुँच गया।
  - 10 वर्षों में यह अंतर 37% की दर से सालाना चक्रवृद्धि होता गया।

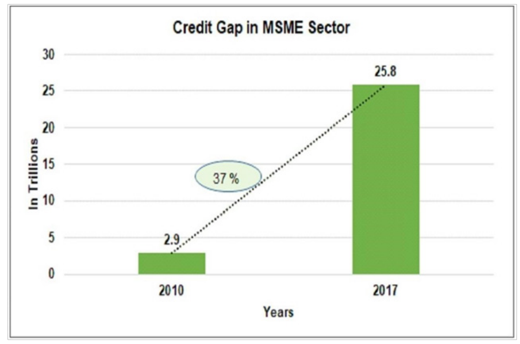

- वित्त प्रवाह की स्थिति:
  - MSME क्षेत्र की कुल ऋण माँग 8,88,42,60,00,000 अमेरिकी डॉलर है।
  - लेकिन विडंबना यह है कि केवल इसका 16% औपचारिक क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाता है और शेष को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाता है।

MSMEs के समक्ष चुनौतियाँ:

- जागरुकता का अभाव:
  - MSMEs के लिये जलवायु वित्त अभी भी एक कल्पना है, क्योंकि कई अभी भी पारंपरिक वित्तपोषण प्राप्त करने के लिये संघर्ष करते हैं।
  - MSME क्षेत्र में जलवायु वित्त संरचनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता का अभाव है।
  - जलवायु वित्त से उनके व्यवसाय को किस प्रकार अधिकाधिक लाभांवित किया जा सकता है इस विषय पर जागरूकता की कमी और वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण उनका ज्ञान सीमित है।
- औपचारिक वित्तीय संरचना:
  - भारत में केवल लगभग 16 प्रतिशत MSMEs को देश की औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है।
  - भारत में अधिकांश जलवायु वित्त सख्त दिशा-निर्देशों के साथ औपचारिक वित्तीय ढाँचे के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, यह लाभ प्राप्त करने के लिये इस क्षेत्र पर एक बड़ी बाधा भी डालता है।
- व्यापक प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ:
  - अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निधि प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिये व्यापक प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।
  - इनमें एक विस्तृत परियोजना का निर्माण, ऊर्जा और उत्सर्जन लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि शामिल हैं।
  - कई छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय इन्हें लागू नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिये साधन या क्षमता का अभाव है।

आगे की राह:

- भारत सरकार को रणनीतियों पर कार्य करने और MSME के लिये वित्त उपलब्ध कराने की कोशिश करने की ज़रूरत है ताकि इस क्षेत्र को डीकार्बोनाइज किया जा सके।
- इस क्षेत्र को अधिक औपचारिक वित्तीय ऋण प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता है, जो उन्हें जलवायु वित्त प्राप्त करने और भारी क्रेडिट गैप को पाटने में सक्षम बनाएगी।
- मुख्य ध्यान डीकार्बोनाइज़ेशन के सबसे त्वरित पहलुओं पर होना चाहिये, जैसे स्वच्छ ईंधन, सामान्य दहन सुविधाएँ और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियाँ जो इस क्षेत्र में उच्च स्तर के डीकार्बोनाइज़ेशन को प्राप्त कर सकती हैं।

आर्द्रभूमि संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावी कार्बन पृथक्करण हेतु आगामी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वार्ता में आर्द्रभूमि संरक्षण को चर्चा के एक स्वतंत्र विषय के रूप में देखा जाना चाहिये।

- कार्बन पृथक्करण के तहत पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और महासागर में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण होता है।
- वेटलैंड्स इंटरनेशनल, एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था के विशेषज्ञों ने एक नए श्वेतपत्र में आर्द्रभूमि की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिये पाँच वैश्विक, विज्ञान-आधारित संरक्षण प्रयासों का सुझाव दिया।.
- ये सुझाव मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित होने वाली जैविक विविधता पर कन्वेंशन हेतु COP-15 और बाद में मिस्र में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP-27 में दिये गए।

वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा 2030 तक हासिल किये जाने वाले पाँच सुझाए गए लक्ष्य:

- शेष अप्रशिक्षित पीटलैंड कार्बन स्टोर को बरकरार रखा जाना चाहिये और 10 मिलियन हेक्टेयर सूखे पीटलैंड की ज़रूरत को बहाल किया जाना चाहिये।
- 20% वैश्विक मैंग्रोव कवर क्षेत्र।
- मुक्त बहने वाली नदियों और बाढ़ के मैदानों का संरक्षण, साथ ही क्षेत्र में बाढ़ के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र और इसके कार्य को बहाल करने में वृद्धि।
- ज्वारीय समतल क्षेत्र में पश्चिम अफ्रीकी नदी वोल्टा के क्षेत्र में 10% वृद्धि।
- अनुकूल प्रबंधन के तहत आने वाले फ्लाईवे के साथ 7,000 गंभीर रूप से महत्त्वपूर्ण स्थलों में से 50 प्रतिशत की पहचान।

आर्द्रभूमि:

- आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल पर्यावरण और संबंधित पौधे व पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है।
- आर्द्रभूमि को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि जहाँ जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है"।

आर्द्रभूमि का महत्त्व:

- अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र: वेटलैंड्स अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं जो दुनिया को मत्स्य उत्पादन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा प्रदान करते हैं।
- वाटरशेड पारिस्थितिकी में एक अभिन्न भूमिका: वेटलैंड्स वाटरशेड की पारिस्थितिकी में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। उथला पानी उच्च स्तर के पोषक तत्त्वों का संयोजन जीवों के विकास के लिये आदर्श है जो खाद्य वेब का आधार बनाते हैं और मछली, उभयचर, शंख व कीड़ों की कई प्रजातियों को भोजन प्रदान करते हैं।
- कार्बन पृथक्करण: आर्द्रभूमि के रोगाणु, पौधे और वन्यजीव पानी, नाइट्रोजन और सल्फर के वैश्विक चक्रों का हिस्सा हैं। आर्द्रभूमि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने के बजाय अपने संयंत्र समुदायों और मिट्टी के भीतर संग्रहीत करती है।
- बाढ़ के स्तर और मिट्टी के कटाव को कम करना: आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं जो सतही जल, वर्षा, भूजल और बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं और धीरे-धीरे इसे फिर से पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ती है। आर्द्रभूमि वनस्पति बाढ़ के पानी की गति को भी धीमा कर देती है जिससे मिट्टी के कटाव कमी आती है।
- मानव और ग्रह जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण: आर्द्रभूमि मानव और पृथ्वी पर जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण है। एक अरब से अधिक लोग जीवन यापन के लिये उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती हैं एवं प्रजनन करती हैं।
- आर्द्रभूमि भोजन, कच्चे माल, औषधियों के आनुवंशिक संसाधनों और जल विद्युत के लिये महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- वे परिवहन, पर्यटन और लोगों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भलाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- जानवरों और पौधों हेतु आवास: वे जानवरों एवं पौधों के लिये आवास प्रदान करते हैं साथ ही इनमें जीवन की विस्तृत विविधता होती है, पौधों और जानवरों का सहयोग करते हैं, इस तरह की विशेषता कहीं और देखने को नहीं मिलती है।

- प्राकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र: कई आर्द्रभूमि प्राकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं साथ ही कई आदिवासी समुदायों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- औद्योगिक लाभ: आर्द्रभूमि उद्योग को महत्त्वपूर्ण लाभ भी प्रदान करती है। उदाहरण के लिये वे मछली और अन्य मीठे जल तथा समुद्री जीवन के लिये संवर्द्धन स्थान प्रदान करते हैं और यह वाणिज्यिक एवं मनोरंजक मछली पकड़ने के उद्योगों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

आर्द्रभूमि को खतरा:

- शहरीकरण: शहरी केंद्रों के पास आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक सुविधाओं के विकास के कारण आर्द्रभूमि पर दबाव बढ़ रहा है। सार्वजनिक जल आपूर्ति को संरक्षित करने के लिये शहरी आर्द्रभूमि आवश्यक हैं।
- कृषि: आर्द्रभूमि के विशाल हिस्सों को धान के खेतों में बदल दिया गया है। सिंचाई के लिये बड़ी संख्या में जलाशयों, नहरों और बाँधों के निर्माण ने संबंधित आर्द्रभूमि के जल स्वरुप को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।
- प्रदूषण: आर्द्रभूमि प्राकृतिक जल फिल्टर के रूप में कार्य करती है। हालाँकि वे केवल कृषि अपवाह से उर्वरकों और कीटनाशकों को साफ कर सकते हैं लेकिन औद्योगिक स्रोतों से निकले पारा और अन्य प्रकार के प्रदूषण को नहीं।
    - पेयजल आपूर्ति और आर्द्रभूमि की जैव विविधता पर औद्योगिक प्रदूषण के प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ रही है।
- जलवायु परिवर्तन: वायु के तापमान में वृद्धि, वर्षा में बदलाव, तूफान, सूखा और बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड संचयन में वृद्धि और समुद्र के स्तर में वृद्धि भी आर्द्रभूमि को प्रभावित कर सकती है।
- तलकर्षण: आर्द्रभूमि या नदी तल से सामग्री को हटाना। जलधाराओं का तलकर्षण आसपास के जल स्तर को कम करता है और तथा आसन्न आर्द्रभूमियों को सुखाता है।
- ड्रेनिंग: वेटलैंड्स से पानी निकाला जाता है। इससे जल स्तर कम हो जाता है और आर्द्रभूमि सूख जाती है।
- नुकसानदेह प्रजातियाँ: भारतीय आर्द्रभूमियों को जलकुंभी और साल्विनिया जैसी नुकसानदेह पौधों की प्रजातियों से खतरा है। वे जलमार्गों को रोकते हैं और देशी वनस्पतियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
- लवणीकरण : भूजल के अत्यधिक दोहन से लवणीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई है।

आर्द्रभूमि संरक्षण की दिशा में क्या प्रयास किये गए हैं ?

- वैश्विक स्तर पर पहल:
    - रामसर कन्वेंशन:
    - मोंट्रेक्स रिकॉर्ड:
    - विश्व आर्द्रभूमि दिवस
- राष्ट्रीय स्तर पर पहल:
    - आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017
    - MoEFCC की कार्य योजना

आगे की राह

- अनियोजित शहरीकरण और बढ़ती आबादी का मुकाबला करने के लिये, आर्द्रभूमि प्रबंधन योजना, निष्पादन और निगरानी के संदर्भ में एक एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिये।
- आर्द्रभूमि के समग्र प्रबंधन के लिये पारिस्थितिकीविदों, वाटरशेड प्रबंधन विशेषज्ञों, योजनाकारों और निर्णय निर्माताओं सहित शिक्षाविदों और पेशेवरों के बीच प्रभावी सहयोग।
- वेटलैंड्स के महत्त्व के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करके और उनके पानी की गुणवत्ता के लिये वेटलैंड्स की निरंतर निगरानी करके वेटलैंड्स को और खराब होने से बचाने के लिये महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।

भारतीय राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के सहयोग से राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (NIAS), बंगलूरु द्वारा विकसित "भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन फ्रेमवर्क (National Air Quality Resource Framework of India- NARFI)" पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने के लिये एक विचार-मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

NARFI:

- पृष्ठभूमि:
    - NARFI भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिये सरकार, नगरपालिकाओं, स्टार्ट-अप और निजी क्षेत्रों में निर्णय लेने वालों की मदद करने हेतु एक सूचना तंत्र है।
    - इसे अनुसंधान-आधारित परीक्षित सूचना और उद्योग-उन्मुख समाधानों को समझने हेतु आसान प्रारूप में साझा किया जाएगा।
    - सरकारी प्रतिष्ठानों, कार्यान्वयनकर्त्ताओं, मीडिया और नीति निर्माताओं में सक्रिय ज़मीनी स्तर के कर्मचारियों जैसे विभिन्न समूहों के लिये तैयार किये गए अल्पकालिक बुनियादी प्रशिक्षण मॉड्यूल इस कार्यक्रम के अभिन्न अंग होंगे।

- उद्देश्य:
  - संचार को समृद्ध करने और सामान्य जागरूकता बढ़ाने में मदद करना।
- मॉड्यूल: NARFI निम्नलिखित पाँच मॉड्यूल के इर्द-गिर्द विकसित होगा:
  - थीम-1: उत्सर्जन स्रोत, एयर शेड और शमन।
  - थीम-2: मानव स्वास्थ्य और कृषि पर प्रभाव।
  - थीम -3: एकीकृत निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनी कार्यक्रम।
  - थीम-4: लोक-संपर्क, सामाजिक आयाम, संक्रमण रणनीति और नीति।
  - थीम-5: समाधान, सार्वजनिक-उद्योग साझेदारी, पराली जलाना और नई तकनीक।
- महत्त्व:
  - यह ज्ञान निर्माण, बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक संरचनाओं के विकास तथा देश में मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों का अध्ययन करने में सक्षम होगा।
  - यह वायु गुणवत्ता डेटा एकत्र करने, इसके प्रभाव का अध्ययन करने और विज्ञान आधारित समाधानों को लागू करने के लिये एक सर्व-समावेशी मार्गदर्शिका प्रदान करेगा।

वायु प्रदूषण:

- परिचय:
  - वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक कारकों द्वारा अन्त: या बाहरी वातावरण का संदूषण है जो वातावरण की प्राकृतिक विशेषताओं को संशोधित करता है।
  - घरेलू दहन उपकरण, मोटर वाहन, औद्योगिक कार्य और वनाग्नि वायु प्रदूषण के सामान्य स्रोत हैं।
- प्रदूषक:
  - प्राथमिक: वे प्रदूषक जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं या किसी विशिष्ट स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं, उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण- कणिक तत्त्वों (PM), कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड आदि।
  - ये प्रदूषक फेफड़ों के मार्ग में और रक्तप्रवाह में प्रवेश करने में सक्षम हैं, जिससे हृदय, मस्तिष्कवाहिकीय और श्वसन संबंधी प्रभाव पड़ते हैं।
  - द्वितीयक: प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। उदाहरण- ओज़ोन और माध्यमिक कार्बनिक एरोसोल आदि।
- वायु प्रदूषण के स्रोत:
  - जीवाश्म ईंधन का जलना: अधिकांश प्रदूषक जीवाश्म ईंधन या लकड़ी को जलाने, ड्राइविंग, हीटिंग, विद्युत संयंत्र और उद्योग से उत्पन्न होते हैं।
    - कई मानव निर्मित कारकों से, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण धूल, कचरा जलाने से गंभीर प्रदूषण होता है।
    - कण ब्लैक कार्बन, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, अमोनिया या खनिज धूल से बने हो सकते हैं।
  - कृषि और संबद्ध स्रोत: खेती प्रदूषण का एक ऐसा स्रोत है, जिसमें पशुधन खाद से अमोनिया और उर्वरक उत्सर्जित होते हैं साथ ही धूल कण बनते हैं, खासकर वसंत के समय में जब फसलें बोई जाती हैं और मृदा की जुताई की जाती है।
    - इसके अलावा, खासकर सर्दियों में पराली जलाना भी उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है।
  - प्राकृतिक स्रोत: इसके अलावा बाहरी वायु प्रदूषण के कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे-धूल भरी आँधी।
- संबंधित पहल:
  - श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना
  - सफर - SAFAR (वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली)
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग।
  - भारत स्टेज (बीएस) VI मानदंड।
  - वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिये डैशबोर्ड:
  - राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
  - राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
  - वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
  - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

राजस्थान का मेनार पक्षी गाँव बनेगा आर्द्रभूमि

चर्चा में क्यों ?

विभिन्न संरक्षण प्रयासों के बाद "पक्षी गाँव" के रूप में मान्यता प्राप्त उदयपुर ज़िले के मेनार गाँव को राजस्थान की नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है।

- इससे मेवाड़ क्षेत्र के इस ग्रामीण क्षेत्र को रामसर स्थल का दर्जा मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

आर्द्रभूमि तथा इसका महत्त्व:

- आर्द्रभूमि:
  - आर्द्रभूमियाँ पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान

और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (6 मीटर से कम ऊँचे ज्वार वाले स्थान) के अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे- अपशिष्ट जल उपचार तालाब एवं जलाशय आदि शामिल होते हैं।

- महत्त्व:
  - आर्द्रभूमियाँ हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये बाढ़ की घटनाओं में कमी लाती हैं, तटीय इलाकों की रक्षा करती हैं, साथ ही प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
  - आर्द्रभूमि मानव और पृथ्वी के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। 1 बिलियन से अधिक लोग जीवन-यापन के लिये उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती हैं तथा प्रजनन करती हैं।
  - ये भोजन, कच्चे माल, दवाओं के लिये आनुवंशिक संसाधनों और जलविद्युत के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
  - भूमि आधारित कार्बन का 30% पीटलैंड (एक प्रकार की आर्द्रभूमि) में संग्रहीत है।
  - ये परिवहन, पर्यटन और लोगों के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - कई आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र हैं और आदिवासी लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

मेनार वेटलैंड की मुख्य विशेषताएँ:

- मेनार वेटलैंड के बारे में:
  - मेनार गाँव की दो झीलें- ब्रह्मा और धंध हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मेज़बानी करती हैं।
    - वन विभाग ने मेनार को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो तलछट और पोषक तत्त्वों के भंडारण में इसकी भूमिका को पहचानेगी तथा संबंधित झीलों के संरक्षण में स्थानीय अधिकारियों को मदद करेगी।
  - आर्द्रभूमि की स्थिति के साथ जलीय पौधों को बढ़ाने और जैवविविधता की रक्षा के लिये दो झीलों को मज़बूत किया जाएगा।
- निवास करने वाली स्पीशीज़:
  - सर्दियों के मौसम में दोनों झीलों में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियाँ निवास करती हैं।
    - इनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो, व्हाइट-टेल्ड लैपविंग, पेलिकन, मार्श हैरियर, बार-हेडेड गूज, कॉमन टील, ग्रीनशैंक, पिंटेल, वैग्टेल, ग्रीन सैंडपाइपर और रेड-वॉटल्ड लैपविंग शामिल हैं।
    - मध्य एशिया, यूरोप और मंगोलिया से प्रवासी पक्षियों के आगमन के बाद पक्षी प्रेमी एवं पर्यटक इस गाँव में आते हैं।
- अन्य रामसर स्थल:
  - वर्तमान में राजस्थान में रामसर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त दो आर्द्रभूमि हैं-
    - भरतपुर ज़िले में केवलादेव घाना।
    - जयपुर ज़िले में सांभर साल्ट लेक।

रामसर सूची का महत्त्व:

- यह एक ISO (International Organization for Standardization) सर्टिफिकेशन की तरह है। किसी भी स्थल को इस सूची से हटाया भी जा सकता है यदि यह लगातार उनके मानकों को पूरा नहीं करता है। यह उस मूल्यवान वस्तु की तरह है जिसकी एक लागत तो है पर उस लागत का भुगतान तभी किया जा सकता है जब उस वस्तु की ब्रांड वैल्यू हो।
- रामसर टैग किसी भी स्थल की मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है और अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- पक्षियों की कई प्रजातियाँ यहाँ प्रवेश करने के दौरान हिमालय क्षेत्र में जाने से बचना पसंद करती हैं और इसके बजाय गुजरात और राजस्थान के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिये अफगानिस्तान व पाकिस्तान से गुज़रने वाले मार्ग का चयन करती हैं। इस प्रकार गुजरात कई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी प्रजातियों जैसे- बतख, वेडर, प्लोवर, टर्न, गल आदि व शोरबर्ड के साथ-साथ शिकारी पक्षियों का पहला 'लैंडिंग पॉइंट' बन गया है।
- भारत में आर्द्रभूमि सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिये चारागाह और विश्राम स्थल के रूप में कार्य करती है।
  - प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिये अभिसमय के अनुसार, CAF (मध्य एशियाई फ्लाईवे), जिसमें 30 देश शामिल हैं, 182 प्रवासी जलपक्षी प्रजातियों की कम-से-कम 279 प्रजातियों को कवर करता है, जिसमें विश्व स्तर पर 29 संकटग्रस्त और निकट-संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं।

हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रसंस्करण उद्योग में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन एवं उपयोग पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था।

- प्रसंस्करण उद्योग वे कंपनियाँ हैं जो भौतिक, यांत्रिक और/या रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अर्ध-तैयार या उच्च गुणवत्ता वाले अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिये कच्चे माल, परिवहन और संसाधित करती हैं।

हरित हाइड्रोजन:

- परिचय:
  - यह ईंधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये गेम-चेंजर हो सकता है, जो अपने तेल का 85% और गैस आवश्यकताओं का 53% आयात करता है।
  - स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिये भारत उर्वरक संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों हेतु हरित हाइड्रोजन खरीदना अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है।
- उत्पादन की विधि:
  - यह पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइज़र का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है।
- उपयोग:
  - रासायनिक उद्योग: अमोनिया और उर्वरकों का निर्माण।
  - पेट्रोकेमिकल उद्योग: पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन।
  - इसके अलावा इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाने लगा है, यह ऐसा क्षेत्र है जो अपने प्रदूषणकारी प्रभाव के कारण यूरोप में काफी दबाव में है।
- महत्त्व:
  - भारत के लिये अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों को पूरा करने और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, पहुँच व उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये हरित हाइड्रोजन ऊर्जा महत्त्वपूर्ण है।
  - हरित हाइड्रोजन एक ऊर्जा भंडारण विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है, जो भविष्य में (नवीकरणीय ऊर्जा के) अंतराल को भरने के लिये आवश्यक होगा।
  - गतिशीलता के संदर्भ में शहरों और राज्यों के भीतर शहरी वस्तुओं की ढुलाई या यात्रियों की लंबी दूरी की यात्रा के लिये रेलवे, बड़े जहाज़ों, बसों या ट्रकों आदि में हरित हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है।
  - बुनियादी ढाँचे के समर्थन में हाइड्रोजन में प्रमुख नवीकरणीय लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है।

हरित अमोनिया:

- परिचय:
  - अमोनिया एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग अन्य उपयोगों जैसे कि इंजन संचालन के लिये भी किया जा सकता है।
  - हरित अमोनिया का उत्पादन वहाँ होता है जहाँ अमोनिया बनाने की प्रक्रिया 100% नवीकरणीय और कार्बन मुक्त होती है।
- उत्पादन की विधि:
  - हरित अमोनिया बनाने की एक विधि जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन को वायु द्वारा अलग करना है। फिर धारणीय/सतत् ऊर्जा का उपयोग करते हुए इन्हें हैबर प्रक्रिया (जिसे हैबर-बॉश के नाम से भी जाना जाता है) से गुज़ारा जाता है।
    - हरित अमोनिया के उत्पादन में अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे- हाइड्रो-इलेक्ट्रिक, सौर ऊर्जा या पवन टरबाइन का उपयोग किया जाता है।
  - हैबर प्रक्रिया में अमोनिया (NH_3) का उत्पादन करने हेतु उच्च ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की एक साथ क्रिया कराई जाती है।
- उपयोग:
  - ऊर्जा भंडारण: अमोनिया को मामूली दबाव (10-15 बार) पर या -33 डिग्री सेल्सियस तक प्रशीतित तरल के रूप में आसानी से संग्रहीत किया जा सकता है। यह इसे अक्षय ऊर्जा के लिये एक आदर्श रासायनिक भंडार बनाता है।
  - शून्य-कार्बन ईंधन: अमोनिया को इंजन में जलाया जा सकता है या बिजली पैदा करने के लिये फ्यूल सेल में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब उपयोग किया जाता है, तो अमोनिया के सह-उत्पाद जल और नाइट्रोजन होते हैं।
  - समुद्री उद्योग में समुद्री इंजनों में ईंधन तेल के उपयोग की जगह इसे शीघ्र अपनाने की संभावना है।
- महत्त्व:
  - हरित अमोनिया का उपयोग कार्बन-तटस्थ उर्वरक के उत्पादन, खाद्य मूल्य श्रृंखला को डीकार्बोनाइज़ करने और भविष्य के जलवायु-तटस्थ शिपिंग ईंधन (Climate-Neutral Shipping Fuel) के रूप में किया जा सकता है।
  - बढ़ती वैश्विक आबादी के लिये खाद्यान्न उपलब्ध करने, CO_2 मुक्त ऊर्जा उत्पादन तथा पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने की मौजूदा चुनौतियों से निपटने में हरित अमोनिया महत्त्वपूर्ण है।

हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया नीति:

- नीति के तहत सरकार उत्पादन हेतु विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने की पेशकश कर रही है, प्राथमिकता के आधार पर ISTS (इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम) से कनेक्टिविटी और जून 2025 से पहले उत्पादन सुविधा चालू होने पर 25 वर्ष के लिये मुफ्त ट्रांसमिशन की पेशकश की गई है।
  - इसका मतलब यह है कि हरित हाइड्रोजन उत्पादक असम में एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र को नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करने हेतु राजस्थान में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सक्षम होंगे और उसे किसी भी 'अंतर-राज्यीय संचरण शुल्क' का भुगतान नहीं करना होगा।

- इसके अलावा उत्पादकों को शिपिंग द्वारा निर्यात के लिये हरितअमोनिया के भंडारण हेतु बंदरगाहों के पास बंकर स्थापित करने की अनुमति होगी।
- उत्पादन लक्ष्य भी वर्ष 2030 तक 10 लाख टन से 5 मिलियन टन तक पाँच गुना बढ़ा दिया गया है।
  - अक्तूबर 2021 में यह घोषणा की गई थी कि भारत शुरू में 2030 तक लगभग 1 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य बना रहा है।
- हरित हाइड्रोजन और अमोनिया के विनिर्माताओं को पावर एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा खरीदने या अक्षय ऊर्जा क्षमता को स्वयं या किसी अन्य डेवलपर के माध्यम से कहीं भी स्थापित करने की अनुमति है।
- व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिये एमएनआरई (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा समयबद्ध तरीके से वैधानिक मंज़ूरी सहित सभी गतिविधियों को करने के लिये एक एकल पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रमंडल ने 'लिविंग लैंड्स चार्टर' अपनाया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रमंडल के सदस्य पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के लिये निर्धारित रणनीति के अनुरूप अपने-अपने देशों में भविष्य की पीढ़ियों को स्वेच्छा से 'लिविंग लैंड' समर्पित करने हेतु सहमत हुए।

- किगाली (रवांडा) में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (CHOGM) 2022 के समापन पर 'लिविंग लैंड्स चार्टर' की घोषणा की गई।

पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पर यूएन दशक:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021–30 के दशक को 'पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पर यूएन दशक' घोषित किया।
- इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय लक्ष्यों को बढ़ावा देना है।
- विशेष रूप से खराब और नष्ट हो चुके पारिस्थितिक तंत्र की बहाली हेतु वैश्विक सहयोग प्रदान करने के लिये।
- यह दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और पुनरुद्धार का आह्वान करता है।

लिविंग लैंड्स चार्टर:

- गैर-बाध्यकारी 'लिविंग लैंड्स चार्टर' (Living Lands Charter) में कहा गया है कि सदस्य देश वैश्विक भूमि संसाधनों की रक्षा करेंगे और जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता के ह्रास एवं स्थायी प्रबंधन की दिशा में कार्य करते हुए भूमि क्षरण को रोकेंगे।
- लिविंग लैंड्स चार्टर वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के संयुक्त प्रयास को समाहित करने में मदद करता है।
- चार्टर का उद्देश्य नीतिगत प्रभाव, वित्तपोषण, तकनीकी सहायता, शासन और राष्ट्रों द्वारा ज्ञान साझा कर मिश्रण जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
  - राष्ट्रमंडल सरकारों को 23 सितंबर, 2022 तक अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।
- इसका उद्देश्य सदस्य देशों को तीन रियो अभिसमयों- जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCCD) और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु समर्थन देना है।

CHOGM 2022 के प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक सभी राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की द्विवार्षिक शिखर बैठक है।
- CHOGM 2022 का आयोजन रवांडा में किया गया था, जिसका विषय था- 'एक सामान्य भविष्य प्रदान करना: कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग।'
- इसने मलेरिया और अन्य उष्णकटिबंधीय रोगों के खिलाफ लड़ाई के लिये प्रतिज्ञा के रूप में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है।
- वर्ष 1971 के बाद से 24 CHOGM हुए हैं, नवीनतम बैठक वर्ष 2018 में यूनाइटेड किंगडम (UK) में हुई।

राष्ट्रमंडल:

- यह उन देशों का अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जो ज़्यादातर पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्षेत्र थे।
- इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणापत्र द्वारा की गई थी।
- महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख हैं।
- अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और प्रशांत के कई देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं।
- वर्तमान में 56 देश इसके सदस्य हैं। सदस्यता स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है।
  - CHOGM 2022 में दो अफ्रीकी देशों गैबॉन और टोगो को क्रमश: 55वें और 56वें सदस्य के रूप में राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल किया गया है।
- इसका मुख्यालय लंदन में है।

प्रकृति आधारित समाधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (NIUA) क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ (NIUA C-Cube), विश्व संसाधन संस्थान भारत (WRI India-World Resources Institute India) और उनके सहयोगियों ने पोलैंड में 11वें विश्व शहरी मंच में शहरी प्रकृति-आधारित समाधानों (NbS) के लिये भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया।

- NIUA देश में टिकाऊ, समावेशी और उत्पादक शहरी पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिये शहरी विकास एवं प्रबंधन पर अनुसंधान, ज्ञान प्रबंधन, नीति, वकालत तथा क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।

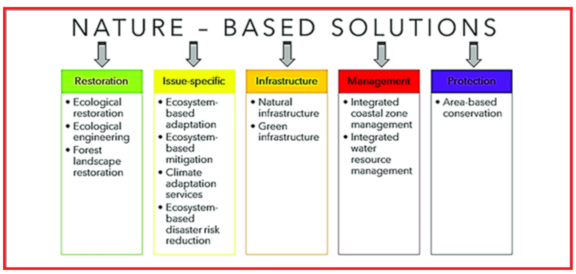

विश्व शहरी मंच:

- विश्व शहरी मंच (WUF) स्थायी शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है।
- WUF की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा तेज़ी से शहरीकरण और समुदायों, शहरों, अर्थव्यवस्थाओं, जलवायु परिवर्तन तथा नीतियों पर इसके प्रभाव की जाँच करने के लिये की गई थी।
- WUF11, UN-Habitat, पोलैंड के विकास निधि और क्षेत्रीय नीति मंत्रालय व केटोवाइस, पोलैंड के नगर कार्यालय द्वारा सह-संगठित है।

NbS राष्ट्रीय गठबंधन मंच:

- प्रकृति-आधारित समाधानों के लिये इंडिया फोरम का उद्देश्य शहरी प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ाने में मदद करने हेतु NbS उद्यमियों, सरकारी संस्थाओं और समान विचारधारा वाले संगठनों का एक समूह बनाना है।
- एक साझा भाषा को परिभाषित करना और मौजूदा NbS हस्तक्षेपों को बढ़ाने सहित स्थानीय स्तर पर कार्रवाई को सूचित करने वाले लाभों का संचार करना।
- बहु-हितधारक समन्वय के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देना और वितरण तंत्र को मज़बूत करना।
- सूचना नीति, योजनाओं और परियोजना हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में शहरी पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित सेवाओं व प्रकृति-आधारित समाधानों/नेचर बेस्ड सोल्यूशंस को मुख्यधारा में लाना।

प्रकृति आधारित समाधान(NbS)

- प्रकृति आधारित समाधान के बारे में:
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा NbS को प्राकृतिक और संशोधित पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा, स्थायी प्रबंधन और पुनर्स्थापना करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो सामाजिक चुनौतियों को प्रभावी व अनुकूल ढंग से संबोधित करने के साथ मानव कल्याण एवं जैवविविधता से जुड़े लाभ प्रदान करते हैं।
    - पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित सेवाएँ और प्रकृति-आधारित समाधान जलवायु परिवर्तन प्रेरित चुनौतियों जैसे- गर्मी, शहरी बाढ़, वायु, जल प्रदूषण तथा तूफान की लहरों को दूर करने के लिये लागत प्रभावी व टिकाऊ तरीकों से तीव्र रूप से उभर रहे हैं।
    - NbS जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने, जलवायु परिवर्तन प्रेरित आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले वंचित और कमज़ोर शहरी समुदायों के निर्माण सहित कई पारिस्थितिक तंत्र में लाभ प्रदान करने में भी मदद करते हैं।
    - जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने या कम करने के लिये स्थानीय नेतृत्व वाले अनुकूलन के विचार पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है, जिसे NbS को निर्देशित किया गया है।

लोकल लेड एडेप्टेशन:

- स्थानीय नेतृत्व चालित अनुकूलन या लोकल लेड एडेप्टेशन से आशय स्थानीय समुदायों और स्थानीय सरकारों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रभावी निर्णय लेने के सशक्त प्रयासों से है।
- लोकल लेड एडेप्टेशन को अक्सर स्वदेशी समाधानों के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो प्रायः प्रकृति से जुड़े होते हैं।
- यह देखते हुए कि सबसे कमज़ोर आबादी वे हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भर हैं, इसलिये यह उम्मीद की जानी चाहिये कि समाधान भी अक्सर उसी स्रोत से अंकुरित होते हैं।
- क्षमता:
  - बाढ़ के पानी से स्थानीय समुदायों को बचाने के लिये आर्द्रभूमि को बहाल करना या मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना जो मछलियों के लिये नर्सरी प्रदान करते हैं और तूफान से होने वाले नुकसान से आस-पास के घरों की रक्षा करते हैं।

- लवणीय दलदलों की रक्षा करने से लेकर वन आवासों को बहाल करने तक दुनिया भर में प्रकृति-आधारित समाधान पहले से ही चल रहे हैं।
- हरे रंग की छतें या दीवारें प्रकृति-आधारित समाधान हैं, जिन्हें शहरों में उच्च तापमान के प्रभाव को कम करने, तूफान के पानी को नियंत्रित करने, प्रदूषण को कम करने और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने के साथ-साथ जैवविविधता को बढ़ाने के लिये लागू किया जा सकता है।

- प्रकार:
  - पारिस्थितिक तंत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप:
    - इसमें पारिस्थितिक तंत्र में कोई या न्यूनतम हस्तक्षेप नहीं होता है।
    - उदाहरणों में शामिल हैं तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव का संरक्षण, ताकि चरम मौसम की स्थिति से जुड़े जोखिमों को सीमित किया जा सके और स्थानीय आबादी को लाभ व अवसर प्रदान किये जा सकें।
  - पारिस्थितिक तंत्र और परिदृश्य में कुछ हस्तक्षेप:
    - यह प्रबंधन के दृष्टिकोण से मेल खाता है जो सतत् और बहुक्रियाशील पारिस्थितिक तंत्र एवं परिदृश्य (व्यापक रूप से या गहन रूप से प्रबंधित) विकसित करता है।
    - इस प्रकार का NbS प्राकृतिक प्रणाली कृषि, कृषि-पारिस्थितिकी और विकास-उन्मुख वानिकी जैसी अवधारणाओं से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है।
  - व्यापक तरीकों से पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन:
    - इसमें पारिस्थितिक तंत्र को बहुत व्यापक तरीके से प्रबंधित करना या यहाँ तक कि नए पारिस्थितिक तंत्र (उदाहरण के लिये शहर की गर्मी और स्वच्छ प्रदूषित हवा को कम करने के लिये हरी छतों और दीवारों हेतु जीवों के नए संयोजन के साथ कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र) बनाना शामिल है।
    - यह हरे और नीले बुनियादी ढाँचे जैसी अवधारणाओं और भारी गिरावट वाले या प्रदूषित क्षेत्रों तथा हरित शहरों की बहाली जैसे उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है।
- मान्यता:
  - संयुक्त राष्ट्र:
    - संयुक्त राष्ट्र ने NbS को विश्व जल दिवस 2018 के विषय के रूप में "जल के लिये प्रकृति (Nature for Water)" के रूप में बढ़ावा दिया।
    - संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट का शीर्षक "जल के लिये प्रकृति आधारित समाधान" था।
    - यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट, 2019 ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक प्रभावी तरीके के रूप में प्रकृति-आधारित समाधानों पर प्रकाश डाला गया।
    - चीन और न्यूज़ीलैंड के नेतृत्व में दर्जनों देशों सहित एक प्रकृति आधारित समाधान गठबंधन बनाया गया था।
  - यूरोपीय संघ:
    - 2016 के बाद से यूरोपीय संघ ने एक एकीकृत तरीके से बेहतर और अभिनव NbS के सह-डिज़ाइन, परीक्षण व तैनाती को बढ़ावा देने के लिये एक बहु-हितधारक संवाद मंच (थिंकनेचर) का समर्थन किया है।
  - भारत:
    - भारत ने Cities4Forests पहल के तहत शहरी प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) के लिये अपना पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया।
    - Cities4Forests: यह जंगलों से जुड़ने के लिये दुनिया भर के शहरों के साथ मिलकर काम करता है, आर्द्रभूमि के महत्त्व पर ज़ोर देता है और शहरों में जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा जैवविविधता की रक्षा में मदद करने के लिये उनके कई लाभों पर ज़ोर देता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) द्वारा 2020-21 के लिये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जारी किया गया।

PLFS के मुख्य बिंदु :

- बेरोजगारी दर:
  - इससे पता चलता है कि बेरोजगारी दर वर्ष 2020-21 में गिरकर 4.2% हो गई, जबकि वर्ष 2019-20 में यह दर 4.8% थी।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में 3.3% तथा शहरी क्षेत्रों में 6.7% की बेरोजगारी दर दर्ज की गई।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):
  - जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात् काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिये उपलब्ध) में व्यक्तियों का प्रतिशत पिछले वर्ष के 40.1% से बढ़कर वर्ष 2020-21 के दौरान 41.6% हो गया।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):
  - यह पिछले वर्ष के 38.2% से बढ़कर 39.8% हो गया।
- प्रवासन दर:
  - प्रवासन दर 28.9% है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रवास दर क्रमश: 48% और 47.8% थी।

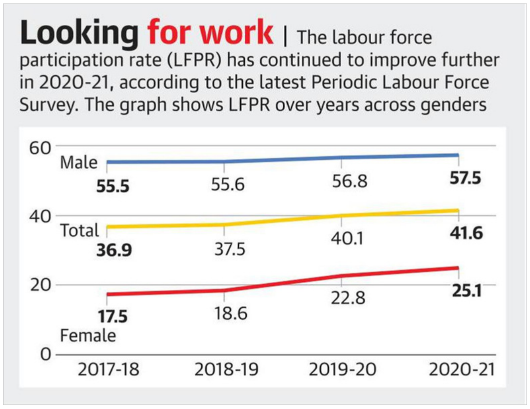

अन्य प्रमुख बिंदु

- बेरोज़गारी दर: बेरोज़गारी दर को श्रम बल में बेरोज़गार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- श्रम बल: करेंट वीकली स्टेटस (CWS) के अनुसार, श्रम बल का आशय सर्वेक्षण की तारीख से पहले एक सप्ताह में औसत नियोजित या बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या से है।
- CWS दृष्टिकोण: शहरी बेरोज़गारी PLFS, CWS के दृष्टिकोण पर आधारित है।
  - CWS के तहत एक व्यक्ति को बेरोज़गार तब माना जाता है यदि उसने सप्ताह के दौरान किसी भी दिन एक घंटे के लिये भी काम नहीं किया, लेकिन इस अवधि के दौरान किसी भी दिन कम-से-कम एक घंटे के लिये काम की मांग की या काम उपलब्ध था।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS):

- अधिक नियत समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की शुरुआत की।
- PLFS के मुख्य उद्देश्य हैं:
  - 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिये तीन माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोज़गार और बेरोज़गारी संकेतकों (अर्थात् श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोज़गारी दर) का अनुमान लगाना।
  - प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) और CWS दोनों में रोज़गार एवं बेरोज़गारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

बेरोज़गारी से निपटने हेतु सरकार की पहल:

- "स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE)

- पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही) योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- स्टार्टअप इंडिया योजना

भारत में बेरोजगारी के प्रकार:

- प्रच्छन्न बेरोज़गारी: यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोज़गार दिया जाता है।
  - यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में व्याप्त है।
- मौसमी बेरोज़गारी: यह एक प्रकार की बेरोज़गारी है, जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है।
  - भारत में खेतिहर मज़दूरों के पास वर्ष भर काफी कम कार्य होता है।
- संरचनात्मक बेरोज़गारी: यह बाज़ार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोज़गारी की एक श्रेणी है।
  - भारत में बहुत से लोगों को आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती है तथा शिक्षा के खराब स्तर के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है।
- चक्रीय बेरोज़गारी: यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी के दौरान बेरोज़गारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है।
  - भारत में चक्रीय बेरोज़गारी के आँकड़े नगण्य हैं। यह एक ऐसी घटना है जो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है।
- तकनीकी बेरोज़गारी: यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है।
  - वर्ष 2016 में विश्व बैंक के आँकड़ों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात वर्ष-दर-वर्ष 69% है।
- घर्षण बेरोज़गारी: घर्षण बेरोज़गारी का आशय ऐसी स्थिति से है, जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है, तो यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करती है।
  - दूसरे शब्दों में एक कर्मचारी को नई नौकरी खोजने या नई नौकरी में स्थानांतरित करने के लिये समय की आवश्यकता होती है, यह अपरिहार्य समय की देरी घर्षण बेरोज़गारी का कारण बनती है।
  - इसे अक्सर स्वैच्छिक बेरोज़गारी के रूप में माना जाता है क्योंकि यह नौकरी की कमी के कारण नहीं होता है, बल्कि वास्तव में बेहतर अवसरों की तलाश में श्रमिक स्वयं अपनी नौकरी छोड़ देते हैं।
- सुभेद्य रोज़गार: इसका अर्थ है, अनौपचारिक रूप से काम करने वाले लोग, बिना उचित नौकरी अनुबंध के और बिना किसी कानूनी सुरक्षा के।
  - इन व्यक्तियों को 'बेरोजगार' माना जाता है क्योंकि उनके काम का रिकॉर्ड कभी नहीं रखा जाता है।
  - यह भारत में बेरोज़गारी के मुख्य प्रकारों में से एक है।

क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ना

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है।

- क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा पूर्व-निर्धारित क्रेडिट सीमा के साथ जारी किया गया एक वित्तीय साधन है, जो कैशलेस लेन-देन में मदद करता है। यह कार्डधारकों को (अर्जित ऋण के आधार पर) व्यापारी से ली गई वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान हेतु सक्षम बनाता है।
- इसका उद्देश्य उपयोगकर्त्ताओं को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना और डिजिटल भुगतान के दायरे को बढ़ाना है।

एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI):

- परिचय:
  - यह तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) का एक उन्नत संस्करण है- कैशलेस भुगतान को तेज़, और आसान बनाने के लिये चौबीसों घंटे धन हस्तांतरण सेवा।
  - UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन (भाग लेने वाला कोई भी बैंक) में कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक प्लेटफार्म में विलय करने की शक्ति प्रदान करती है।
  - UPI वर्तमान में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS), भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS), RuPay आदि सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है।
- UPI के साथ क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता:
  - UPI समय के साथ भारत में भुगतान का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है, जिसमें 26 करोड़ से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्त्ता और पाँच करोड़ व्यापारी शामिल हैं।

- मई 2022 में इंटरफेस के माध्यम से 10.4 लाख करोड़ रुपए के लगभग 594 करोड़ लेन-देन को संसाधित किया गया था।
- वर्तमान में यूपीआई उपयोगकर्त्ताओं के डेबिट कार्ड के माध्यम से बचत/चालू खातों को जोड़कर लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है।

कदम का महत्त्व:

- भुगतान के लिये अतिरिक्त विकल्प:
  - इस व्यवस्था से ग्राहकों को भुगतान के लिये एक अतिरिक्त अवसर मिलने की उम्मीद है जिससे सुविधा में वृद्धि होगी।
- क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढेगा:
  - इससे क्रेडिट कार्ड की पहुँच और उपयोग में बढ़ोत्तरी होगी।
  - UPI को व्यापक रूप से अपनाने की प्रवृत्ति को देखते हुए यह अनुमान है कि भारत में क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ जाएगा।
- UPI पर क्रेडिट बनाने का विकल्प:
  - यह भारत में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई द्वारा क्रेडिट बनाने की राह खोलता है, जहाँ पिछले कुछ वर्षों में स्लाइस (Slice), यूनी (Uni), वन (One) आदि जैसे कई स्टार्टअप उभरे हैं।
- मर्चेंट साइट्स पर मज़बूत लेन-देन:
  - इससे मर्चेंट साइट्स पर अधिक लेन-देन और स्वीकृति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।.
  - जो लोग आमतौर पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना पसंद करते हैं ताकि लंबी पे-बैक अवधि या क्रेडिट-कार्ड बकाया पर ऋण प्राप्त किया जा सके, या जो खरीदारी के समय अपनी बचत को छूना नहीं चाहते हैं, वे यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं।
- कुल खर्च में बढ़ोत्तरी:
  - इस कदम से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुल खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से खर्च औसत खर्च के दोगुने से भी अधिक है। अधिक खर्च आमतौर पर अर्थव्यवस्था के लिये एक बल गुणक है।
- वित्तीय लेन-देन के औसत टिकट आकार को बढ़ावा:
  - डिजिटल लेन-देन में तेज़ी लाने के अलावा, इस उपाय से वित्तीय लेन-देन के औसत आकार के भी प्रभावित होने की उम्मीद है।
    - वर्तमान में प्रति लेन-देन औसत टिकट का आकार (Average Ticket Size) 1,600 रुपए है, जबकि क्रेडिट कार्ड में यह 4,000 रुपए है।
  - इसलिये विश्लेषकों का दावा है नए विकास के साथ यूपीआई विनिमय का आकार लगभग 3,000 रुपए से 4,000 रुपए तक जाने की संभावना है।

चुनौतियाँ:

- यह स्पष्ट नहीं है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किये गए यूपीआई विनिमय पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' कैसे लागू होगा।
  - MDR एक शुल्क है जो एक व्यापारी को उसके जारीकर्त्ता बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिये लिया जाता है।
- जनवरी 2020 से प्रभावी एक मानदंड के अनुसार, UPI और RuPay शून्य-MDR को आकर्षित करते हैं, जिसका अर्थ है कि इन लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है।
- यूपीआई पर ज़ीरो-एमडीआर लागू होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे अन्य कार्ड नेटवर्क अभी तक क्रेडिट कार्ड के लिये यूपीआई में शामिल नहीं हुए हैं।

विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान (IMD) द्वारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2022 जारी किया गया।

- आईएमडी स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक स्विस फाउंडेशन है, जो अपने कॅरियर के प्रत्येक चरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिये समर्पित है।
- भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की है, जिसमें भारत 43वें से 37वें स्थान पर पहुँच गया है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि है।

WHO STANDS WHERE

2022	Country	2021
1	Denmark	3
2	Switzerland	1
3	Singapore	5
4	Sweden	2
5	Hong Kong	7
6	Netherlands	4
7	Taiwan, China	8
8	Finland	11
9	Norway	6
10	US	10
37	India	43

Source: IMD's World Competitiveness Index

विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2022:

- परिचय:
  - आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयरबुक (WCY) पहली बार 1989 में प्रकाशित हुई, यह एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और देशों की प्रतिस्पर्द्धा पर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है।
  - यह देशों का विश्लेषण और रैंक करता है कि वे दीर्घकालिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिये अपनी दक्षताओं का प्रबंधन कैसे करते हैं।
- कारक: यह चार कारकों (334 प्रतिस्पर्द्धात्मकता मानदंड) की जाँच करके देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मापता है:
  - आर्थिक प्रदर्शन
  - सरकारी दक्षता
  - व्यापार दक्षता
  - आधारभूत संरचना

सूचकांक की मुख्य विशेषताएँ:

- शीर्ष वैश्विक प्रदर्शक:
  - यूरोप: डेनमार्क पिछले साल के तीसरे स्थान से 63 देशों की सूची में शीर्ष पर पहुँच गया है, जबकि स्विट्ज़रलैंड शीर्ष रैंकिंग से दूसरे स्थान पर खिसक गया है और सिंगापुर पाँचवें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है।
  - एशिया: शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ सिंगापुर (3वीं), हॉन्गकॉन्ग (5वीं), ताइवान (7वीं), चीन (17वीं) और ऑस्ट्रेलिया (19वीं) हैं।
  - अन्य: एकत्र किये गए डेटा की सीमित विश्वसनीयता के कारण इस वर्ष के संस्करण में रूस और यूक्रेन दोनों का मूल्यांकन नहीं किया गया था।
- भारत का प्रदर्शन:
  - चार मानकों पर प्रदर्शन:
    - आर्थिक प्रदर्शन: यह वर्ष 2021 के 37वें से सुधरकर वर्ष 2022 में 28वें स्थान पर पहुँच गया है।
    - सरकारी दक्षता: यह वर्ष 2021 के 46वें से वर्ष 2022 में 45वें स्थान पर पहुँच गया।
    - व्यावसायिक दक्षता: इसमें वर्ष 2021 के 32वें स्थान से वर्ष 2022 में 23वें स्थान पर एक बड़ा सुधार देखा गया।
    - आधारभूत संरचना: दूसरी ओर आधारभूत संरचना में पूर्व वर्ष के 49 वें स्थान में कोई बदलाव नहीं आया।
  - भारत के अच्छे प्रदर्शन के कारण:
    - वर्ष 2021 में पूर्वव्यापी करों के संदर्भ में प्रमुख सुधार।
    - ड्रोन, अंतरिक्ष और भू-स्थानिक मानचित्रण सहित कई क्षेत्रों का पुन: विनियमन।
    - भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार।
    - भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिये वैश्विक आंदोलन में एक प्रेरक शक्ति के रूप में तथा COP26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो की भारत की प्रतिबद्धता भी रैंकिंग में पर्यावरण से संबंधित प्रौद्योगिकियों में अपनी ताकत के अनुरूप है।
  - भारत के समक्ष चुनौतियाँ:
    - भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें व्यापार व्यवधानों और ऊर्जा सुरक्षा का प्रबंधन, महामारी के बाद उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बनाए रखना, कौशल विकास तथा रोज़गार सृजन, परिसंपत्ति मुद्रीकरण एवं बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये संसाधन जुटाना शामिल है।
  - भारत की शक्ति:
    - व्यापार के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था के शीर्ष पाँच आकर्षक कारक हैं- एक कुशल कार्यबल, लागत प्रतिस्पर्द्धा, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, उच्च शैक्षिक स्तर और खुला एवं सकारात्मक दृष्टिकोण।

भारत द्वारा अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मका बढ़ाने हेतु हाल ही में उठाए गए कदम:

- विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की ओर: भारत ने विनिर्माण क्षमता में लचीलापन सुनिश्चित करने हेतु सराहनीय प्रयास किये हैं जैसे- आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल जो घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं तथा विनिर्माण केंद्रों में भारी निवेश के उद्देश्य से ही शुरू की गई हैं।
  - सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive Scheme- PLI)) योजना शुरू की है।
- तकनीकी उन्नति: बढ़ती प्रतिस्पर्द्धात्मक के लिये तकनीकी प्रगति की सुविधा हेतु भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) ने 6G तकनीक पर छह टास्क फोर्स का गठन किया है।
  - विदेश मंत्रालय अपने नए उभरते और सामरिक प्रौद्योगिकी (एनईएसटी) प्रभाग के माध्यम से प्रौद्योगिकी शासन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहा है।
    - यह नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों के लिये मंत्रालय के भीतर नोडल डिवीज़न के रूप में कार्य करता है तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी भागीदारों के सहयोग से सहायता करता है।

आगे की राह

- एक राष्ट्र जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है, वह अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर प्रतिस्पर्द्धात्मकता और समृद्धि को प्राप्त कर सकता है।
- इसलिये एक ऐसा वातावरण बनाना आवश्यक है जो न केवल व्यवसायों को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये प्रेरित करे, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि औसत नागरिक के जीवन स्तर में भी सुधार हो।
- सरकारों को कुशल बुनियादी ढाँचे, संस्थानों और नीतियों की विशेषता वाला वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है जो उद्यमों द्वारा स्थायी मूल्य निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं।

भारत से गेहूँ निर्यात पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारत से आयातित गेहूँ और आटे के निर्यात एवं पुनर्निर्यात को निलंबित कर दिया है। मूलत: यह एक आश्वासन है कि UAE जो कुछ भी आयात करता है उसका उपयोग केवल घरेलू खपत के लिये किया जाएगा।

- यह घटनाक्रम भारत द्वारा अपने घरेलू बाज़ार, पड़ोसी और कमज़ोर देशों की मांग को पूरा करने के लिये गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के एक महीने बाद हुआ है।
- संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के मद्देनज़र आया है जिसने व्यापार प्रवाह को प्रभावित किया है। मंत्रालय ने भारत के साथ ठोस और रणनीतिक संबंधों की सराहना की है जो संयुक्त अरब अमीरात एवं भारत के बीच संबंधों को मज़बूती प्रदान करते हैं, खासकर दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया जाने के बाद।

भारत से गेहूँ निर्यात की स्थिति:

- भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है लेकिन वैश्विक गेहूँ व्यापार में इसका 1% से भी कम हिस्सा है। यह गरीबों के लिये रियायती भोजन उपलब्ध कराने हेतु इसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है।
- इसके शीर्ष निर्यात बाज़ार बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तथा साथ ही संयुक्त अरब अमीरात (UAE) हैं।
- गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के कारण:
  - भारत ने 13 मई, 2022 से गेहूँ के निर्यात को निलंबित कर दिया है। सरकारी राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना में विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इस प्रतिबंध को सही ठहराते हुए जानकारी दी है कि गेहूँ की बढ़ती वैश्विक कीमतों ने न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी व कमजोर देशों में भी खाद्य सुरक्षा पर दबाव डाला है।
    - हालाँकि निर्यात की अनुमति तब दी जाएगी जब भारत सरकार अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देती है और यदि उनकी सरकारें अनुरोध करती हैं।
  - गेहूँ के उत्पादन में कमी के कारण भी प्रतिबंध पर विचार किया गया था, क्योंकि इसके उत्पादन कि अवधि में मार्च-अप्रैल के दौरान देश हीटवेव से प्रभावित हुआ था, साथ ही भारतीय खाद्य निगम (FCI) बफर स्टॉक के लिये पर्याप्त स्टॉक जुटाने में असमर्थ था।
  - बढ़ती महँगाई ने भी इस कदम को प्रेरित किया। भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) 2022 की शुरुआत के 2.26 प्रतिशत से बढ़कर अब 14.55 हो गया है। खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण खुदरा मुद्रास्फीति भी अप्रैल में आठ साल के उच्च स्तर (7.79 प्रतिशत) पर पहुँच गई।

गेहूँ निर्यात पर भारत के प्रतिबंध का प्रभाव:

- भारत पर प्रभाव:
  - भारत की घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति पर गेहूँ के निर्यात प्रतिबंध का प्रभाव कम होने की संभावना है। यह निर्यात प्रतिबंध एक पूर्व-प्रभावी कदम है और स्थानीय गेहूँ की कीमतों को काफी हद तक बढ़ने से रोक सकता है।
  - हालाँकि घरेलू गेहूँ के उत्पादन की संभावना हीटवेव कि वजह से सीमित होने के कारण स्थानीय गेहूँ की कीमतें भौतिक रूप से कम नहीं हो सकती हैं।
- विश्व पर प्रभाव:
  - यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण दुनिया के ब्रेड बास्केट के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र में गेहूँ के उत्पादन में गिरावट आई है। रूस और यूक्रेन संयुक्त रूप से दुनिया में गेहूँ निर्यात में 25% कि हिस्सेदारी रखते हैं। इससे गेहूँ की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और आपूर्ति के मामले में खराब स्थिति उत्पन्न हो गई है।
  - भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक और सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। जब सरकार ने बढ़ती कीमतों के कारण गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसका विरोध हुआ।
  - एशिया में ऑस्ट्रेलिया और भारत को छोड़कर अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाएँ घरेलू खपत के लिये आयातित गेहूँ पर निर्भर हैं तथा वैश्विक स्तर पर गेहूँ की ऊँची कीमतों के कारण इन पर जोखिम उत्पन्न हो गया हैं, भले ही वे सीधे भारत से आयात न करें।

- यह हालिया निर्यात प्रतिबंध दुनिया भर में कीमतों को बढ़ाएगा और अफ्रीका एवं एशिया में गरीब उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा।

भारत के लिये गेहूँ निर्यात का महत्त्व:

- शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जक: यह भारत को एफसीआई के गोदामों में गेहूँ के खराब स्टॉक को कम करने में मदद करेगा और निर्यात बढ़ाकर विदेशी बाज़ारों पर कब्ज़ा करने का अवसर प्रदान करेगा।
    - निर्यात में वृद्धि से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी और भारत के चालू खाता घाटे में कमी आएगी।
- भारत की सद्भावना छवि: भारत ज़रूरतमंद और कमज़ोर देशों को गेहूँ का निर्यात करके उन देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत कर सकता है, जिनके साथ उसके भावनात्मक संबंध थे एवं अन्य देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में मदद मिलेगी।
- विविध अवसर: अवसरों में गेहूँ जैसे खाद्यान्न का निर्यात और विनिर्मित वस्तुओं के उन गंतव्यों को निर्यात किये जाने की संभावना शामिल थी जिनके लिये आपूर्ति अविश्वसनीय हो गई थी।
- लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता: जब वैश्विक कीमतों में वृद्धि हुई है, तब भारत की गेहूँ की दरें अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्द्धी हैं।
- निर्यात टोकरी में विविधता लाना: यह भारत को उन देशों के साथ व्यापार संबंध बनाने में मदद करेगा जिनके साथ उसका व्यापार नगण्य या कम था।

आगे की राह

- यद्यपि भारत द्वारा कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और घरेलू कीमतों को स्थिर करने के वास्तविक आधार पर यह उठाया गया है, लेकिन इसे दुनिया को उसी तरह से संप्रेषित करने की आवश्यकता है, अन्यथा इससे विश्व राजनीति में भारत की प्रतिष्ठा का नुकसान होगा और इसकी छवि ख़राब होगी।
- भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कमज़ोर और पड़ोसी देशों की खाद्य सुरक्षा बाधित न हो, अन्यथा इससे राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा होगा।

गेहूँ:

- गेहूँ के बारे में:
    - यह चावल के बाद भारत में दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है।
    - यह देश के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भाग की मुख्य खाद्यान्न फसल है।
    - गेहूँ रबी की एक फसल है जिसे पकने के समय ठंडे मौसम और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है।
    - हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों विशेषकर गेहूँ के विकास में योगदान दिया।
    - कृषि हेतु मैक्रो मैनेजमेंट मोड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गेहूँ की खेती को समर्थन प्रदान करने के लिये कुछ सरकारी पहलें हैं।
- तापमान: तेज़ धूप के साथ 10-15 डिग्री सेल्सियस (बुवाई के समय) और 21-26 डिग्री सेल्सियस (पकने व कटाई के समय) के बीच।
- वर्षा: लगभग 75-100 सेमी.।
- मृदा का प्रकार: अच्छी तरह से सूखी उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट (गंगा-सतलुज मैदान तथा दक्कन का काली मिट्टी क्षेत्र)।
- शीर्ष गेहूँ उत्पादक राज्य: उत्तर प्रदेश> पंजाब> हरियाणा> मध्य प्रदेश>> राजस्थान> बिहार> गुजरात।

ज़मानती बॉण्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) को सामान्य बीमाकर्ताओं के परामर्श से ज़मानती बॉण्ड पर एक मॉडल उत्पाद विकसित करने के लिये कहा है।

- कई चुनौतीपूर्ण मुद्दों ने बीमाकर्त्ताओं के साथ ज़मानती बॉण्ड को पूरी तरह से गैर-स्टार्टर बना दिया है और IRDAI को प्रस्तावित किया गया है कि इसे एक मॉडल उत्पाद तैयार करना चाहिये।
- भारतीय अनुबंध अधिनियम के साथ-साथ दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) में परिवर्तन के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया ताकि डिफाल्ट के मामले में उनके लिये उपलब्ध सबूतों के संदर्भ में ज़मानती बॉण्ड बैंक गारंटी के समान स्तर पर हों, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

ज़मानती बॉण्ड:

- परिचय:
    - किसी अधिनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लिये एक लिखित समझौते के रूप में एक ज़मानती बॉण्ड को अपने सरल रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
    - यह एक अद्वितीयक प्रकार का बीमा है क्योंकि इसमें तीन-पक्षीय समझौता शामिल है। एक ज़मानत समझौते में तीन पक्ष होते हैं:
        - मुख्य पक्ष- वह पक्ष जो बॉण्ड खरीदता है और वादे के अनुसार कार्य करने का दायित्व लेता है।
        - ज़मानत पक्ष- दायित्व की गारंटी देने वाली बीमा कंपनी या ज़मानत कंपनी का प्रदर्शन किया जाएगा। यदि मुख्य पक्ष वादे के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, तो ज़मानत पक्ष निरंतर नुकसान के लिये संविदात्मक रूप से उत्तरदायी है।

- ओब्लिगी- जिस पार्टी की आवश्यकता होती है वह प्राय: ज़मानती बॉण्ड से लाभ प्राप्त करता है। अधिकांश ज़मानती बॉण्ड के लिये 'ओब्लिगी' एक स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारी संगठन होता है।
- बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से उस संस्था को ज़मानती बॉण्ड प्रदान किया जाता है जो परियोजना शुरू कर रही है।

- उद्देश्य:
  - ज़मानती बॉण्ड मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित है, यह आपूर्तिकर्त्ताओं और कार्य-ठेकेदारों के लिये अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु उनके विकल्पों में विविधता लाने व बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में कार्य करता है।
- लाभ:
  - ज़मानती बॉण्ड लाभार्थी को उन कृत्यों या घटनाओं से बचाता है जो मुख्य पक्ष को अंतर्निहित दायित्वों से वंचित करते हैं।
  - वे निर्माण या सेवा अनुबंधों से लेकर लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक उपक्रमों तक विभिन्न दायित्वों के प्रदर्शन की गारंटी देते हैं।

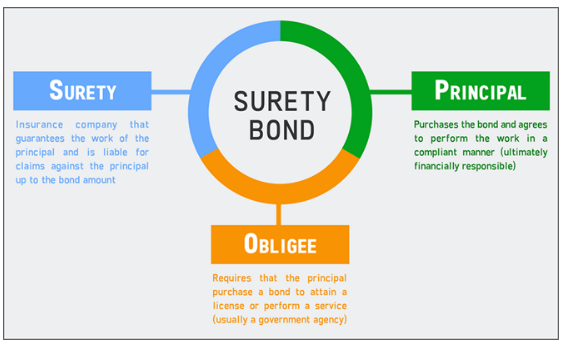

ज़मानती बॉण्ड से संबंधित मुद्दे:

- एक नई अवधारणा के रूप में ज़मानती बॉण्ड काफी जोखिम भरा हो सकता है और भारत में बीमा कंपनियों को अभी तक ऐसे व्यवसाय में जोखिम मूल्यांकन में विशेषज्ञता हासिल नहीं हुई है।
- इसके अलावा मूल्य निर्धारण, डिफॉल्टिंग ठेकेदारों के विरुद्ध उपलब्ध सहायता और पुनर्बीमा विकल्पों पर कोई स्पष्टता नहीं है।
  - ये काफी महत्त्वपूर्ण विषय हैं और ज़मानत से संबंधित विशेषज्ञता एवं क्षमताओं के निर्माण में बाधा डाल सकते हैं तथा अंतत: बीमाकर्त्ताओं को इस व्यवसाय में प्रवेश करने से रोक सकते हैं।

अवसंरचना परियोजनाओं को किस प्रकार बढ़ावा देगा ?

- ज़मानती अनुबंधों के लिये नियम बनाने के कदम से बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र को अधिक तरलता और वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- यह बड़े, मध्यम एवं छोटे ठेकेदारों के लिये समान अवसर प्रदान करेगा।
- ज़मानती बीमा व्यवसाय, निर्माण परियोजनाओं के लिये बैंक गारंटी के विकल्प को विकसित करने में सहायता करेगा।
  - यह कार्यशील पूंजी के कुशल उपयोग को सक्षम करेगा और निर्माण कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली संपार्श्विक की आवश्यकता को कम करेगा।
- जोखिम संबंधी जानकारी साझा करने हेतु बीमाकर्त्ता वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेंगे।
  - इसलिये यह जोखिम पहलुओं पर समझौता किये बिना बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में तरलता लाने में सहायता करेगा।

ज़मानती बॉण्ड पर IRDAI दिशा-निर्देश

- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनियाँ अब बहुप्रतीक्षित ज़मानती बॉण्ड लॉन्च कर सकती हैं।
- IRDAI ने कहा है कि एक वित्तीय वर्ष में सभी निश्चित बीमा पॉलिसियों के लिये लिया गया प्रीमियम, उन नीतियों हेतु बाद के वर्षों में सभी किश्तों सहित उस वर्ष के कुल सकल लिखित प्रीमियम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये, जो कि अधिकतम 500 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन है।
- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अनुसार, बीमाकर्त्ता ज़मानती बॉण्ड जारी कर सकते हैं, जो सार्वजनिक संस्था, डेवलपर्स, उप-अनुबंधकर्त्ता और आपूर्तिकर्त्ताओं को आश्वासन देते हैं कि ठेकेदार परियोजना शुरू करते समय अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करेगा।
  - अनुबंध बॉण्ड में बोली बॉण्ड, प्रदर्शन बॉण्ड, अग्रिम भुगतान बॉण्ड और प्रतिधारण राशि शामिल हो सकती है।
    - बोली बॉण्ड: यह एक उपकृत को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है यदि बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज़ों के अनुसार एक अनुबंध से सम्मानित किया जाता है, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।
    - प्रदर्शन बॉण्ड: यह आश्वासन प्रदान करता है कि यदि प्रिंसिपल या ठेकेदार अनुबंध को पूरा करने में विफल रहता है तो उपकृत की रक्षा की जाएगी। यदि उपकृतकर्ता प्रिंसिपल या ठेकेदार को डिफॉल्ट घोषित करता है और अनुबंध को समाप्त कर देता है, तो यह ज़मानत प्रदाता को बॉण्ड के तहत ज़मानत के दायित्वों को पूरा करने के लिये कह सकता है।
    - अग्रिम भुगतान बॉण्ड: यदि ठेकेदार विनिर्देशों के अनुसार, अनुबंध को पूरा करने में या अनुबंध के दायरे का पालन करने में विफल रहता है, तो यह ज़मानत प्रदाता द्वारा अग्रिम भुगतान की बकाया राशि का भुगतान करने का वायदा है।

- प्रतिधारण राशि: यह ठेकेदार को देय राशि का एक हिस्सा है, जिसे अनुबंध के सफल समापन के बाद अंत में बनाए रखा जाता है और देय होता है।
- गारंटी की सीमा अनुबंध मूल्य के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- ज़मानत बीमा अनुबंध केवल विशिष्ट परियोजनाओं के लिये जारी किये जाने चाहिये और कई परियोजनाओं के लिये संयोजित नहीं किये जाने चाहिये।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से 2022-23 के लिये सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) किश्तों में जारी करेगी।

- SGB में निवेश कोविड-प्रभावित वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ा क्योंकि निवेशकों ने 2020-21 और 2021-22 के साथ इक्विटी बाज़ारों में अस्थिरता के बीच सुरक्षित विकल्पों की तलाश की, जो नवंबर 2015 में योजना की स्थापना के बाद से बॉण्ड की कुल बिक्री का लगभग 75% हिस्सा था।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना:

- शुरुआत:
  - सरकार ने सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से (जिसका उपयोग स्वर्ण की खरीद के लिये किया जाता है) को वित्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से नवंबर, 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (Sovereign Gold Bond) योजना की शुरुआत की थी।
- निर्गमन:
  - गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड सरकारी प्रतिभूति (GS) अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किये जाते हैं।
  - ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं।
  - बॉण्ड की बिक्री वाणिज्यिक बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों (जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के ज़रिये या तो सीधे अथवा एजेंटों के माध्यम से की जाती है।
- पात्रता: इन बॉण्डों की बिक्री निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), न्यासों/ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों तक ही सीमित है।
- विशेषताएँ:
  - विमोचन मूल्य: गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड की कीमत इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (India Bullion and Jewellers Association- IBJA) द्वारा 999 शुद्धता वाले सोने (24 कैरट) के लिये प्रकाशित मूल्य पर आधारित होती है।
  - निवेश सीमा: गोल्ड बॉण्ड एक ग्राम यूनिट के गुणकों में खरीदे जा सकते हैं जिसमें विभिन्न निवेशकों के लिये एक निश्चित सीमा निर्धारित होती है।
    - खुदरा (व्यक्तिगत) तथा हिंदू अविभाजित परिवारों (Hindu Undivided Families- HUFs) के लिये खरीद की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम है। ट्रस्ट एवं इसी तरह के निकायों के लिये प्रति वित्त वर्ष 20 किलोग्राम की अधिकतम सीमा लागू होती है।
    - संयुक्त धारिता के मामले में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होती है।
    - न्यूनतम स्वीकार्य निवेश सीमा 1 ग्राम सोना है।
  - अवधि: इन बॉण्डों की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष होती है तथा 5 वर्ष के बाद इस निवेश से बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध होता है।
  - ब्याज दर: निवेशकों को प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर लागू होती है, जो छह माह पर देय होती है।
    - गोल्ड बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर/टैक्स आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार अदा करना होगा।
- लाभ:
  - ऋण के लिये बॉण्ड का उपयोग संपार्श्विक (जमानत या गारंटी) के रूप में किया जा सकता है।
  - किसी भी व्यक्ति को सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) के विमोचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दिया गया है।
    - विमोचन (Redemption) का तात्पर्य एक जारीकर्त्ता द्वारा परिपक्वता पर या उससे पहले बॉण्ड की पुनर्खरीद के कार्य से है।
    - पूंजीगत लाभ (Capital Gain) स्टॉक, बॉण्ड या अचल संपत्ति जैसी संपत्ति की बिक्री पर अर्जित लाभ है। यह तब प्राप्त होता है जब किसी संपत्ति का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो जाता है।
- SGB में निवेश के नुकसान:
  - यह भौतिक स्वर्ण (जिसे तुरंत बेचा जा सकता है) के विपरीत एक दीर्घकालिक निवेश है।

◆ सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होते हैं लेकिन इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता, इसलिये परिपक्वता से पहले बाहर निकलना मुश्किल होगा।

विश्व व्यापार संगठन का 12वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) का 12वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ।

- सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में महामारी के प्रति विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया, मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ताएँ, खाद्य सुरक्षा के लिये सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग सहित कृषि मुद्दे, WTO सुधार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क का स्थगन शामिल हैं।
- 164 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन द्वारा कोविड-19 के बाद लगभग पाँच वर्षों में अपने पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

- WTO के सुधार:
  - ◆ सदस्यों देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि की गई और विचार-विमर्श से लेकर बातचीत तक अपने सभी कार्यों में सुधार के लिये एक खुली और समावेशी प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  - ◆ विशेष रूप से सदस्यों देशों द्वारा वर्ष 2024 तक सभी सदस्यों के लिये एक अच्छी तरह से कार्य कर रहे विवाद निपटान प्रणाली को सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चत की।
- प्रतिकूल मत्स्य पालन सब्सिडी को कम करने पर समझौता:
  - ◆ यह समझौता वैश्विक मछली स्टॉक की बेहतर सुरक्षा के लिये अगले चार वर्षों के लिये अवैध, गैर-सूचित और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने पर 'प्रतिकूल' सब्सिडी पर अंकुश लगाएगा।
  - ◆ वर्ष 2001 से ही सदस्य देशों द्वारा अत्यधिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने पर बातचीत की जा रही है।
  - ◆ भारत और अन्य विकासशील देश इस समझौते में कुछ रियायतें हासिल करने में सफल रहे। उन्होंने प्रस्ताव के एक हिस्से को हटाने के लिये ज़ोरदार ढंग से पैरवी की, जिससे कुछ सब्सिडी के कुछ हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो कि छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिये सहायक होगा तथा पारंपरिक किसानों को इस समझौते के तहत किसी भी प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर समझौता:
  - ◆ सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme- WFP) द्वारा मानवीय उद्देश्यों के लिये खरीदे गए भोजन को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट देने के बाध्यकारी निर्णय पर सहमति व्यक्त की।
  - ◆ वैश्विक खाद्य कमी और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों के आलोक में, समूह के सदस्यों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में व्यापार के महत्त्व पर एक घोषणा जारी की और कहा कि वे खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध से बचेंगे।
  - ◆ हालाँकि घरेलू खाद्य सुरक्षा ज़रूरतों को सुनिश्चित करने के लिये देशों को खाद्य आपूर्ति को प्रतिबंधित करने की अनुमति होगी।
- ई-कॉमर्स विनिमय पर समझौता:
  - ◆ वर्ष 2017-2020 से विकासशील देशों ने केवल 49 डिजिटल उत्पादों से आयात पर लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संभावित टैरिफ राजस्व खो दिया।
  - ◆ विश्व व्यापार संगठन के सदस्य पहली बार वर्ष 1998 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने पर सहमत हुए, जब इंटरनेट अभी भी अपेक्षाकृत नया था। तब से समय-समय पर स्थगन को बढ़ाया गया है।
  - ◆ हालाँकि सभी सदस्य इसके बाद के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक या 31 मार्च 2024 तक जो भी पहले आए, उसके आधार पर ई-कॉमर्स प्रसारण पर कस्टम ड्यूटी पर लंबे समय से रोक जारी रखने पर सहमत हुए।
- 'कोविड-19' वैक्सीन उत्पादन पर समझौता:
  - ◆ विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 5 वर्ष के लिये पेटेंट धारक की सहमति के बिना कोविड -19 टीकों पर बौद्धिक संपदा पेटेंट को अस्थायी रूप से माफ करने पर सहमत हुए, ताकि वे घरेलू स्तर पर अधिक आसानी से उनका निर्माण कर सकें।
  - ◆ यह टीका निर्माण क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने और विविधता लाने के लिये चल रहे प्रयासों में योगदान देगा ताकि एक क्षेत्र का संकट दूसरों को प्रभावित न कर सके।
  - ◆ वर्तमान समझौता वर्ष 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा लाए गए मूल प्रस्ताव का एक 'वाटर डाउन' संस्करण है। ये टीके, उपचार और परीक्षणों पर व्यापक बौद्धिक संपदा छूट चाहते थे।

- अग्रणी दवा कंपनियों ने यह तर्क देते हुए इसका कड़ा विरोध किया था कि बौद्धिक संपदा कोविड के टीकों तक पहुँच को प्रतिबंधित नहीं करता है और पेटेंट सुरक्षा को हटाने से शोधकर्त्ताओं को जीवन बचाने वाले टीके जल्दी से एक नकारात्मक संदेश मिलता है।
- विश्व व्यापार संगठन द्वारा सहमत छूट की वकालत वाले समूहों द्वारा संकीर्ण होने के कारण आलोचना की गई, क्योंकि इसमें निदान और उपचार जैसे सभी चिकित्सा उपकरण शामिल नहीं थे। "यह समझौता महामारी के दौरान आवश्यक चिकित्सा उपकरणों तक लोगों की पहुँच बढ़ाने में मदद करने के लिये एक प्रभावी और सार्थक समाधान की पेशकश करने में विफल रहता है क्योंकि यह सभी आवश्यक कोविड -19 चिकित्सा उपकरणों पर आईपी को पर्याप्त रूप से माफ नहीं करता है और यह सभी देशों पर लागू नहीं होता है।

भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे:

- WTO सुधारों पर:
  - भारत का मानना है कि विश्व व्यापार संगठन के सुधारों पर चर्चा को अपने मूलभूत सिद्धांतों को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - इस समय विशेष और विभेदक उपचार (S&DT) को आरक्षित करना, जिसमें आम सहमति-आधारित निर्णय लेना, गैर-भेदभाव और विशेष एवं विभेदक उपचार शामिल है, के परिणामस्वरुप विरासत में मिली असमानताओं के संरक्षण या असंतुलन को बढ़ाना नहीं चाहिये।
  - भारत विकासशील देशों हेतु सुधारों का सुझाव देने के लिये पहल करता है (विकासशील देश सुधार पत्र "विकास और समावेश को बढ़ावा देने के लिये विश्व व्यापार संगठन को मज़बूत करना")।
  - भारत ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें उसने प्रक्रिया और उसके लक्ष्यों दोनों पर यूरोपीय संघ और ब्राज़ील के सुझावों की आलोचना करने का बीड़ा उठाया। यह विश्व व्यापार संगठन संशोधनों पर एक खुली प्रक्रिया के खिलाफ था।
- ई-कॉमर्स लेनदेन:
  - भारत ने विश्व व्यापार संगठन से ई-कॉमर्स लेनदेन पर सीमा शुल्क स्थगन के विस्तार की समीक्षा करने के लिये कहा था, जिसमें डिजिटल रूप से कारोबार करने वाली वस्तुएँ और सेवाएँ शामिल हैं।
  - इसने तर्क दिया कि विकासशील देशों को इस तरह के स्थगन से वित्तीय परिणामों का खामियाजा भुगतना पड़ा।
- खाद्य सुरक्षा पर:
  - विश्व व्यापार संगठन को विकासशील और गरीब देशों में गरीब नागरिकों को खिलाने के उद्देश्य से सरकार समर्थित खाद्य खरीद कार्यक्रमों के लिये सब्सिडी नियमों पर फिर से बातचीत करनी चाहिये।
  - भारत आश्वासन चाहता है कि उसका सार्वजनिक स्टॉक-होल्डिंग कार्यक्रम, जो विशेष रूप से देश के किसानों से खरीदता है और अतीत में निर्यात किया गया है, को विश्व व्यापार संगठन में अवैध के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

विश्व व्यापार संगठन:

- परिचय:
  - यह वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर स्थापित टैरिफ और व्यापार (GATT) पर सामान्य समझौते का उत्तराधिकारी है।
    - इसका उद्देश्य व्यापार प्रवाह को सुचारू, स्वतंत्र और अनुमानित रूप से मदद करना है।
    - इसके 164 सदस्य हैं, जो विश्व व्यापार का 98% हिस्सा है।
  - इसे GATT के तहत आयोजित व्यापार वार्ताओं, या दौरों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित किया गया था।
    - GATT बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का एक समूह है जिसका उद्देश्य कोटा को समाप्त करना और अनुबंध करने वाले देशों के बीच टैरिफ शुल्क में कमी करना है।
  - विश्व व्यापार संगठन के नियम-समझौते सदस्यों के बीच बातचीत का परिणाम हैं।
  - वर्तमान स्वरुप काफी हद तक वर्ष 1986-94 उरुग्वे दौर की वार्ता का परिणाम है, जिसमें मूल गैट में एक बड़ा संशोधन शामिल था।
  - विश्व व्यापार संगठन सचिवालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है।
- विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन:
  - यह विश्व व्यापार संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है और आमतौर पर हर दो साल में इसकी बैठक होती है।
  - विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शामिल हैं और वे किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत आने वाले सभी मामलों पर निर्णय ले सकते हैं।

भुगतान विज़न 2025: आरबीआई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्त्ता को सुरक्षित, तीव्र, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से "भुगतान विज़न 2025" (Payment Vision 2025) प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

भुगतान विज़न 2025:

- भुगतान विज़न 2025 के बारे में:
  - भुगतान विज़न 2025 को आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिये बोर्ड के मार्गदर्शन से तैयार किया गया है।
  - यह भुगतान विज़न 2019-21 की पहल पर आधारित है।
  - भुगतान विज़न 2025 दस्तावेज़ को समग्रता, समावेश, नवाचार, संस्थागतकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के पाँच प्रमुख लक्ष्य पदों पर प्रस्तुत किया गया है।
- थीम: ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम (4E)।
- उद्देश्य:
  - किसी भी समय और कहीं भी सुविधा के साथ सुलभ भुगतान विकल्पों के साथ उपयोगकर्त्ताओं को सशक्त बनाने के क्षेत्र में भुगतान प्रणाली को उन्नत करने में सहायक।
  - क्लोज्ड सिस्टम PPIs सहित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (Pre-paid Payment Instruments- PPIs) के लिये डिजिटल भुगतान अवसंरचना तथा लेन-देन और पुनरीक्षण दिशा-निर्देशों की जियोटैगिंग को सक्षम करने के लिये।
  - भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में सभी महत्त्वपूर्ण बिचौलियों को विनियमित करना तथा क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट घटकों को यूपीआई से जोड़ना।
  - एक राष्ट्र एक ग्रिड समाशोधन और निपटान परिप्रेक्ष्य सहित चेक ट्रंगकेशन सिस्टम (Cheque Truncation System-CTS) में वृद्धि लाने के लिये तथा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन व्यापारी भुगतान को संसाधित करने हेतु एक भुगतान प्रणाली निर्मित करना।
  - भुगतान क्षेत्र में बिगटेक (BigTechs) और फिनटेक (FinTechs) का विनियमन।
  - बुक नाउ पे लेटर (Book Now Pay Later-BNPL) विधियों की जाँच और BNPL से जुड़े भुगतानों पर उचित दिशा-निर्देशों को निर्धारित करना।
- प्राप्त करने हेतु निर्धारित लक्ष्य:
  - चेक-आधारित भुगतानों की मात्रा कुल खुदरा भुगतान के 0.25% से कम होनी चाहिये।
  - डिजिटल भुगतान लेन-देन की संख्या को तीन गुना करना।
  - UPI 50% की औसत वार्षिक वृद्धि और IMPS/NEFT 20% की वृद्धि दर्ज करे।
  - भुगतान लेन-देन टर्नओवर को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बढ़ाकर 8% करना।
  - PoS (प्वाइंट ऑफ सेल) पर डेबिट कार्ड लेनदेन में 20% की वृद्धि।
  - मूल्य के संदर्भ में क्रेडिट कार्ड से आगे निकलने के लिये डेबिट कार्ड का उपयोग।
  - PPI लेनदेन में 150% की वृद्धि।
  - कार्ड स्वीकार करने का बुनियादी ढाँचा 250 लाख तक बढ़ाया जाएगा।
  - मोबाइल आधारित लेनदेन के लिये पंजीकृत ग्राहक आधार में 50% CAGR की वृद्धि।
  - GDP के प्रतिशत के रूप में कैश इन सर्कुलेशन (CIC) में कमी।

पहल का महत्त्व:

- भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देना:
  - भारतीय रिज़र्व बैंक का भुगतान विज़न 2025 भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने, सुरक्षित, अधिक सुरक्षित और निर्बाध भुगतान बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण होगा।
- सभी भुगतान अभिकर्ता हेतु मानदंड:
  - यह दस्तावेज़ सभी भुगतान अभिकर्ता, फिनटेक और अन्य हितधारकों के लिये एक मानदंड के रूप में कार्य करेगा, जिससे उन्हें RBI के समग्र उद्देश्यों के साथ संरेखित करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- वैश्विक पहुँच:
  - UPI जैसी पहलों के माध्यम से RBI ने भारत में भुगतान का लोकतांत्रिकरण किया है। वर्ष 2025 के दृष्टिकोण के साथ भुगतान 'हर कोई, हर जगह, हर समय' के लिये उपलब्ध होगा, जिससे भारतीय भुगतान प्रणालियों को वैश्विक पहुँच मिलेगी, जिससे वे सुरक्षित, मज़बूत, तेज़, सुविधाजनक और सस्ती हो जाएँगी।

भुगतान विज़न 2019-21 की उपलब्धियाँ:

- भुगतान विज़न 2021 ने प्रत्येक भारतीय को ई-भुगतान विकल्पों तक पहुँच के साथ सशक्त बनाने की परिकल्पना की थी जो सुरक्षित,

मज़बूत, सुविधाजनक, त्वरित और किफायती है, साथ ही प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और आत्मविश्वास के चार लक्ष्य निर्धारित किये थे।

- इन लक्ष्यों को निम्नलिखित पहलों के माध्यम से पूरा किया गया है:
  - प्रतिस्पर्द्धा:
    - नियामक सैंडबॉक्स का निर्माण, गैर-बैंक PSO के लिये केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS) की पहुँच, ऑफलाइन मोड में कम मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा, भुगतान प्रणालियों के लिये 'ऑन टैप' प्राधिकरण, घरेलू भुगतान प्रणालियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, फीचर फोन-आधारित भुगतान सेवाओं, भुगतान प्रणालियों के लिये स्व-नियामक संगठन के लिये ढाँचा, आदि।
  - लागत:
    - रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) सिस्टम आदि में संसाधित लेनदेन के लिये RBI द्वारा लगाए गए शुल्क में छूट।
  - सुविधा:
    - 24x7x365 आधार पर NEFT, RTGS और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) की उपलब्धता, असफल लेनदेन के संबंध में समाधान और मुआवजे के लिये टर्न-अराउंड-टाइम (TAT) का सामंजस्य आदि।
  - आत्मविश्वास:
    - भुगतान एग्रीगेटर्स (PA) को विनियमित करने के लिये ढाँचा, आवर्ती लेनदेन के लिये ई-जनादेश, कार्ड लेनदेन का टोकनाइज़ेशन और कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइज़ेशन (COFT) आदि।

एससी और एनजीटी के चुनिंदा फैसलों का आर्थिक प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के चुनिंदा फैसलों के आर्थिक प्रभाव शीर्षक वाली रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी गई है।

- अध्ययन CUTS (कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे नीति आयोग द्वारा अधिकृत और पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- CUTS विभिन्न न्यायिक आदेशों के आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और NGT के पाँच पर्यावरण संबंधी प्रमुख आदेश शामिल हैं।
- अध्ययन में शामिल हैं:
  - गोवा फाउंडेशन बनाम एम/एस सेसा स्टरलाइट लिमिटेड और अन्य, 2018
  - हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत संघ (मोपा हवाई अड्डा मामला), 2019
  - तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम स्टारलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड (स्टारलाइट कॉपर प्लांट केस), 2019
  - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय और अन्य (रेत खनन मामला), 2013
  - वर्धमान कौशिक बनाम भारत संघ और अन्य (एनसीआर निर्माण प्रतिबंध मामला), 2016
- पर्यावरण से संबंधित पाँच न्यायिक आदेशों के आर्थिक प्रभाव:
  - पर्यावरण से संबंधित पाँच चुनिंदा आदेशों के कारण आर्थिक प्रभावों के विश्लेषण का अनुमान है कि पर्यावरण से संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेशों के कारण वर्ष 2018 के मध्य से 2021 के मध्य तक 75,000 व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे।
  - भारत सरकार को 2018 के मध्य से 2021 के मध्य तक 8,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।
    - यदि इस राजस्व को पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च किया जाता, तो आर्थिक लाभ 20,000 करोड़ रुपए होता।
  - पाँच फैसलों से इस अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि 16,000 लोगों ने अपनी नौकरी खो दी।
  - उद्योग को राजस्व में लगभग 15,000 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ और श्रमिकों को लगभग 500 करोड़ रूपए की आय का नुकसान हुआ।
- गोवा में खनन पर प्रतिबंध की केस स्टडी:
  - राज्य के सार्वजनिक ऋण में वृद्धि:
    - गोवा में खनन पर प्रतिबंध के कारण, राज्य का सार्वजनिक ऋण वर्ष 2007 से 2021 तक 10.06% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ गया।
    - राज्य द्वारा लिया गया बाज़ार ऋण 19.93% की CAGR से बढ़ा, फलस्वरूप खनन निलंबन के कारण।
  - केंद्र और राज्य दोनों में राजस्व घाटा:
    - खनन कंपनियों द्वारा भुगतान किये गए करों में केंद्रीय और राज्य के राजस्व को संचयी रूप से 668.39 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा हुआ,
    - जबकि राज्य के राजस्व में विशेष रूप से 1,821.32 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा हुआ।
  - खनन कंपनियों में घाटा:
    - वर्ष 2018-19 और 2020-2021 के दौरान खनन कंपनियों को 6,976.71 करोड़ रूपए का नुकसान होने का अनुमान है।

- रोज़गार का नुकसान:
  - खनन बंद करने के मामले में रोज़गार का शुद्ध नुकसान (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) लगभग 15,000 नौकरियों का है।

अध्ययन की सिफारिशें:

- स्ट्राइक बैलेंस:
  - यह न्यायपालिका और न्यायाधीशों को अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय कारकों के बीच संतुलन बनाने के तरीके से लैस करने की आवश्यकता की सिफारिश करता है।
  - उदाहरण के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निर्माण प्रतिबंध मामले पर, प्रदूषण को रोकने में न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की अप्रभावी क्षमता और विशेषज्ञता की कमी, संसाधनों की कमी जैसे विभिन्न कारणों से निर्धारित प्रक्रियाओं और प्रणाली में खामियों के अस्तित्व को उजागर करती है।
- विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता:
  - इसने आर्थिक प्रभावों से जुड़े मामलों पर न्यायाधीशों का मार्गदर्शन करने वाले विषय विशेषज्ञों/ विशेषज्ञों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
  - कमिटी ने सुझाव दिया कि न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाना चाहिये।
  - न्यायाधीशों की बेहतर कार्य गुणवत्ता हेतु राष्ट्रीय न्यायिक आयोग पर कानून को पुनर्जीवित किया जाना चाहिये।
  - हालाँकि न्यायिक अधिकारियों के लिये (बुनियादी) आर्थिक मुद्दों से अवगत होना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, ताकि समग्र और संतुलित निर्णय और दृष्टिकोण की आवश्यकता की पहचान की जा सके।
- न्यायपालिका के लिये जवाबदेही:
  - इसने न्यायपालिका के लिये न्यायशास्त्र विश्लेषण और निर्णय लेने के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिये जवाबदेही भी निर्धारित की।
  - ऐसे मामलों में जहाँ कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने से वास्तविक आर्थिक नुकसान हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय लेने में व्यापक जनहित का मार्गदर्शन किया जाना चाहिये।
  - शीर्ष न्यायालय को एकमुश्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों में शामिल अधिकारियों तथा राजनेताओं पर जुर्माना आरोपित कर जवाबदेही की माँग करनी चाहिये।
- सभी स्तरों पर पारदर्शिता:
  - इस प्रकार आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के मानव-केंद्रितता के बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समानता, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को समान रूप से ध्यान में रखते हुए न्याय व्यवस्था सहित सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूचित करना महत्त्वपूर्ण है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये जून के मध्य तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आँकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह पिछले वर्ष के संग्रह की तुलना में 45% की वृद्धि दर्शाता है।

- शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में सबसे बड़ा हिस्सा निगम कर का है, इसके बाद व्यक्तिगत आयकर (PIT) जिसमें सुरक्षा लेनदेन कर (STT) शामिल है, हिस्सा आता है।

प्रत्यक्ष कर:

- प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो एक व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उस संस्था को दिया जाता है जिसने इसे अधिरोपित किया है।
- उदाहरण के लिये एक व्यक्तिगत करदाता, आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिये सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है।

प्रत्यक्ष कर का महत्त्व:

- इक्विटी: प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, संपत्ति कर, आदि भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित हैं, इसलिये कर बोझ के आवंटन में इक्विटी या न्याय इन करों द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित है।
- प्रगतिशीलता: आमतौर पर प्रत्यक्ष कराधान प्रभाव में प्रगतिशील होता है। चूँकि प्रत्यक्ष करों को श्रेणीबद्ध और प्रगतिशीलता के साथ डिज़ाइन किया जा सकता है, वे आय और धन में असमानताओं के अंतर को कम करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय हथियार के रूप में काम कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कर इस प्रकार सामाजिक समानता के उद्देश्य की ओर ले जाते हैं।
- उत्पादक: प्रत्यक्ष कर लोचदार और उत्पादक होते हैं। प्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व देश की राष्ट्रीय आय या संपत्ति में परिवर्तन के साथ स्वत: ही बढ़ता या घटता है।
- निश्चितता: प्रत्यक्ष कराधान में निश्चितता का सिद्धांत पूरी तरह से सन्निहित है। अप्रत्यक्ष करों की तुलना में, प्रत्यक्ष कर राजस्व का अनुमान लगाने में अधिक सटीक होते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष करों में, करदाता जानता है कि उसे कितना भुगतान करना है और राज्य उपज का सही अनुमान लगा सकता है।

- अर्थव्यवस्था: प्रत्यक्ष कराधान के तहत अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर आदि को एकमुश्त वार्षिक रूप से एकत्र किया जा रहा है, ऐसे संग्रह की प्रशासनिक लागत बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों की तुलना में न्यूनतम होगी, जो कम अंतराल पर एकत्र किये जाते हैं (आमतौर पर, त्रैमासिक रूप से) और जिसमें संग्रह की उच्च लागत शामिल है।
  - इसके अलावा जब उन्हें स्रोत पर एकत्र किया जाता है तो प्रत्यक्ष करों में कर अपवंचन की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिये ग्लैडस्टोन इसे कहते हैं: "यदि आपके पास केवल प्रत्यक्ष कर होते तो आपके पास एक किफायती सरकार होती।"
- शिक्षाप्रद: प्रत्यक्ष करों का एक शिक्षाप्रद मूल्य होता है क्योंकि वे करदाताओं के बीच नागरिक भावना पैदा करते हैं। नागरिकों को करों का भुगतान करने के अपने कर्तव्य का एहसास होता है और करों के प्रत्यक्ष बोझ के कारण वे जागरूक हो जाते हैं और इस बात पर नजर रखते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में सरकार द्वारा सार्वजनिक आय कैसे खर्च की जाती है।
- मुद्रास्फीति-विरोधी: प्रत्यक्ष कराधान मुद्रास्फीति-विरोधी राजकोषीय नीति के एक अच्छे साधन के रूप में काम कर सकता है, जिसे स्थिर स्तर पर मूल्य स्तर को बनाए रखने के लिये डिज़ाइन किया गया है। मुद्रास्फीति के दौरान अत्यधिक क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के माध्यम से इसे कम किया सकता है।

प्रत्यक्ष करों में सुधार हेतु सरकार की पहल:

- व्यक्तिगत आयकर हेतु - वित्त अधिनियम, 2020 ने व्यक्तियों और सहकारी समितियों को रियायती दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया है, यदि उनके पास निर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं है।
- विवाद से विश्वास योजना: विवाद से विश्वास के तहत लंबित कर विवादों को निपटाने के लिये अभी घोषणापत्र दाखिल किये जा रहे हैं।
  - इससे सरकार को समय पर राजस्व सृजित करने और बढ़ती मुकदमेबाज़ी लागत को कम करने से करदाताओं को लाभ होगा।
- TDS/TCS के दायरे का विस्तार: कर आधार को बढ़ाने के लिये कई नए लेनदेन को स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) के दायरे में लाया गया।
  - इन लेन-देन में भारी नकद निकासी, विदेशी प्रेषण, लक्जरी कारों की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागियों, सामानों की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण आदि शामिल हैं।
- 'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान' मंच: इसका उद्देश्य आयकर प्रणालियों में पारदर्शिता लाना और करदाताओं को सशक्त बनाना है।

विभिन्न प्रकार के कर:

- निगम कर: यह सरकार द्वारा एक फर्म के लाभ पर लगाया जाता है।
  - खर्चों में कटौती के बाद परिचालन आय पर कर लगाया जाता है।
  - भारत में निगम कर की दर एक प्रकार की कंपनी से दूसरी कंपनी में भिन्न होती है, यानी घरेलू निगम और विदेशी निगम अलग-अलग दरों पर कर का भुगतान करते हैं।
- लाभांश वितरण कर (DDT): लाभांश किसी कंपनी के शेयरधारकों को लाभ के वितरण को संदर्भित करता है।
  - इस प्रकार लाभांश वितरण कर एक प्रकार का कर है जो निगम द्वारा अपने शेयरधारकों को दिये गए लाभांश पर देय होता है।
  - उच्च लाभांश का मतलब कॉर्पोरेट इकाई के लिये अधिक कर का बोझ है।
  - बजट 2020 में वित्त मंत्री ने लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax - DDT) को खत्म कर दिया है। अब लाभांश आय कराधान की घटनाओं को कंपनियों से निवेशकों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर:
  - कई बार ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के रूप में एक करदाता द्वारा वर्ष भर आय उत्पन्न की जाती है, लेकिन आयकर कानून के विभिन्न प्रावधानों (जैसे छूट, कटौती, मूल्यह्रास, आदि) का लाभ उठाकर इस आय को कम किया जा सकता है।
  - करदाता द्वारा अपनी कर देयता को कम किया जा सकता है या वह किसी भी कर का भुगतान करने करने के लिये बाध्य नहीं है।
- प्रतिभूति विनिमय करस (STT):
  - यह भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है।

सहकारी बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मामलों और सहकारिता मंत्री ने शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय संघ (NAFCUB) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया है, जिसमें शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिये आवश्यक सुधारों पर ज़ोर दिया गया है।

- NAFCUB देश में शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड का एक शीर्ष स्तर का निकाय है। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी ऋण की गति को बढ़ावा देना और क्षेत्र के हितों की रक्षा करना है।

सहकारी बैंक:

- परिचय:
  - यह साधारण बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिये सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के माध्यम से धन एकत्र करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने के द्वारा की जाती है।
  - ये सहकारी ऋण समितियाँ हैं जहाँ एक समुदाय समूह के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं।
  - वे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं।
  - सहकारी बैंक निम्न द्वारा शासित होते हैं:
    - बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
    - बैंकिंग कानून (सहकारी समिति) अधिनियम, 1955
  - वे प्रमुख रूप से शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में विभाजित हैं।
- विशेषताएँ:
  - ग्राहक के स्वामित्व वाली संस्थाएँ: सहकारी बैंक के सदस्य बैंक के ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं।
  - लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण: इन बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के पास होता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। सदस्यों के पास आमतौर पर "एक व्यक्ति, एक वोट" के सहकारी सिद्धांत के अनुसार समान मतदान अधिकार होते हैं।
  - लाभ आवंटन: वार्षिक लाभ, लाभ या अधिशेष का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा आमतौर पर आरक्षित करने के लिये आवंटित किया जाता है और इस लाभ का एक हिस्सा सहकारी सदस्यों को भी कानूनी और वैधानिक सीमाओं के साथ वितरित किया जा सकता है।
  - वित्तीय समावेशन: उन्होंने बैंक रहित ग्रामीण लोगों के वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं।
- शहरी सहकारी बैंक (UCB):
  - शहरी सहकारी बैंक (UCB) शब्द औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को संदर्भित करता है।
  - शहरी सहकारी बैंक (UCB), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और स्थानीय क्षेत्र बैंक (LAB) स्थानीय क्षेत्रों में काम करते हैं इसलिये इन्हें अलग-अलग बैंक माना जा सकता है।
  - वर्ष 1996 तक इन बैंकों को केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये धन उधार देने की अनुमति थी।
  - पारंपरिक रूप से UCBs का कार्य छोटे समुदायों, क्षेत्र के कार्य समूहों तक केंद्रित थे और इनका उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को धन उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। आज उनके संचालन का दायरा काफी व्यापक हो गया है।

सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

- वित्तीय क्षेत्र में बदलते रुझान:
  - वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन और विकसित होते माइक्रोफाइनेंस, फिनटेक कंपनियाँ, पेमेंट गेटवे, सोशल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनियाँ और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) UCB की निरंतर उपस्थिति को चुनौती देती हैं, जो ज्यादातर आकार में छोटे, पेशेवर प्रबंधन की कमी और भौगोलिक रूप से कम विविधीकृत हैं।
- दोहरा नियंत्रण:
  - UCB स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी और RBI द्वारा दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते थे।
  - लेकिन वर्ष 2020 में सभी UCB और बहु-राज्य सहकारी समितियों को आरबीआई की सीधी निगरानी में लाया गया।
- मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार:
  - सहकारी समितियाँ भी नियामक मध्यस्थता का जरिया बन गई हैं,
  - उधार देने और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को दरकिनार करना।
  - पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक घोटाले के मामले की जाँच से पता चला है कि इसने सकल वित्तीय कुप्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण तंत्र पूरी तरह से भंग कर दिया है।
- कृषि ऋण में गिरावट:
  - RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद कुल कृषि ऋण में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 1992-93 में 64% से कम होकर वर्ष 2019-20 में सिर्फ 11.3% हो गई।
- अनुचित लेखा परीक्षा:
  - यह सर्वविदित है कि लेखा परीक्षा पूरी तरह से विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाती है और यह न तो नियमित होती है और न ही व्यापक होती है। ऑडिट के संचालन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में व्यापक देरी होती है।

- सरकारी हस्तक्षेप:
  - सरकार ने शुरू से ही आंदोलन को संरक्षण देने का रवैया अपनाया है। सहकारी संस्थाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो ये सरकार के प्रशासनिक ढाँचें का हिस्सा हों।
- सीमित कवरेज:
  - इन समितियों का आकार बहुत छोटा रहा है। इनमें से अधिकांश समितियाँ कुछ सदस्यों तक ही सीमित हैं और उनका संचालन केवल एक या दो गाँवों तक ही सीमित है। परिणामस्वरूप उनके संसाधन सीमित रहते हैं, जिससे उनके लिये अपने साधनों का विस्तार करना तथा अपने संचालन के क्षेत्र का विस्तार करना असंभव हो जाता है।

हालिया घटनाक्रम:

- जनवरी 2020 में, RBI ने UCBs के लिये 'विशेष पर्यवेक्षी और नियामक संवर्ग' (Supervisory action Framework- SAF) को संशोधित किया।
- जून 2020 में केंद्र सरकार ने सभी शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को RBI की सीधी निगरानी में लाने के लिये एक अध्यादेश को मंज़ूरी दी।
- वर्ष 2021 में RBI द्वारा एक समिति नियुक्त की गई जिसने UCBs के लिये 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया।
  - टियर 1: सभी यूनिट यूसीबी और वेतन पाने वाले यूसीबी (जमा आकार के बावजूद) तथा अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ रुपए तक जमा हैं।
  - टियर 2: 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
  - टियर 3: 1,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
  - टियर 4: 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले यूसीबी।

आगे की राह:

- देश के समर्पित सहकारिता मंत्रालय की स्थापना सहकारिता आंदोलन के इतिहास के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
- RBI को अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करनी चाहिये ताकि वे UCBs को बाधित न करें और सहकारी बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल हो।
- एक मज़बूत लेखा प्रणाली के भर्ती और कार्यान्वयन में पारदर्शिता जैसे संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, जो उनके विकास के लिये आवश्यक हैं।
- प्रबंधकीय भूमिकाओं में नए लोगों, युवाओं और पेशेवरों को लाने की ज़रूरत है, जो सहकारिता को आगे बढ़ाएँगे।
- NAFCUB को शहरी ऋण सहकारी समितियों पर विशेष रूप से उनके लेखांकन सॉफ्टवेयर और उनके सामान्य उपनियमों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- हर शहर में एक अच्छा शहरी सहकारी बैंक होना समय और देश की ज़रूरत है। NAFCUB को सहकारी बैंकों की समस्याओं को न केवल उठाना चाहिये बल्कि उनका समाधान करना चाहिये साथ ही सममित विकास के लिये भी बेहतर काम करना चाहिये।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने देश के तेज़ी से बढ़ते डिजिटल ई-कॉमर्स स्पेस को "लोकतांत्रिक" करने के उद्देश्य से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce-ONDC) का पायलट चरण शुरू किया है, जिसमें वर्तमान में दो अमेरिकी मुख्यालय वाली फर्मों - अमेज़ॅन और वॉलमार्ट का वर्चस्व है।

ONDC के बारे में:

- परिचय:
  - ONDC वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है और इसे एक प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से एक खुले नेटवर्क की ओर ले जाना है।
    - ONDC के तहत, यह परिकल्पना की गई है कि एक भाग लेने वाली ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये- अमेज़ॅन) पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये, फ्लिपकार्ट) पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है।
    - वर्तमान में, खरीदारों और विक्रेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले लेनदेन के लिये एक ही ऐप पर होना चाहिये। उदाहरण के लिये, किसी खरीदार को अमेज़ॅन पर किसी विक्रेता से उत्पाद खरीदने के लिये अमेज़ॅन पर जाना होगा।
  - यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो उद्योगों में स्थानीय डिजिटल कॉमर्स स्टोर को किसी भी नेटवर्क-सक्षम एप्लीकेशन द्वारा खोजने और संलग्न करने में सक्षम बनाने के लिये एक नेटवर्क की पेशकश करेगा।
    - खुले नेटवर्क की अवधारणा खुदरा क्षेत्र से परे, थोक, गतिशीलता, खाद्य वितरण, रसद, यात्रा, शहरी सेवाओं आदि सहित किसी भी डिजिटल वाणिज्य डोमेन तक फैली हुई है।

- यह न तो एक एग्रीगेटर एप्लीकेशन है और न ही एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, और सभी मौजूदा डिजिटल कॉमर्स एप्लिकेशन और प्लेटफ़ॉर्म स्वेच्छा से अपनाने और ONDC नेटवर्क का हिस्सा बनने का विकल्प चुन सकते हैं।
- ONDC का उद्देश्य किसी भी विशिष्ट प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र, खुले विनिर्देशों और खुले नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करके, ओपन-सोर्स पद्धति पर विकसित नेटवर्क को बढ़ावा देना है।
- ONDC का कार्यान्वयन, जिसके एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) की तर्ज पर होने की उम्मीद है, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा रखे गए विभिन्न परिचालन पहलुओं को एक ही स्तर पर ला सकता है।
- ओपन-सोर्स तकनीक पर आधारित नेटवर्क के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने की परियोजना को भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है।
  - ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जिसमें सोर्स कोड होता है जो आसानी से सुलभ होता है और जिसे किसी के द्वारा संशोधित या बढ़ाया जा सकता है। ओपन सोर्स एक्सेस किसी एप्लीकेशन के उपयोगकर्त्ताओं को टूटे हुए लिंक को ठीक करने, डिज़ाइन को बढ़ाने या मूल कोड में सुधार करने की अनुमति देता है।

- लाभ:
  - ONDC कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑर्डर प्रबंधन और ऑर्डर पूर्ति जैसे कार्यों का मानकीकरण करेगा, जिससे छोटे व्यवसायों के लिये नेटवर्क पर खोजे जाने योग्य और व्यवसाय का संचालन करना सरल और आसान हो जाएगा।
- संभावित मुद्दे:
  - विशेषज्ञों ने ग्राहक सेवा और भुगतान एकीकरण से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ साइन अप करने के लिये पर्याप्त संख्या में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्राप्त करने जैसे संभावित संभावित मुद्दों की ओर इशारा किया है।

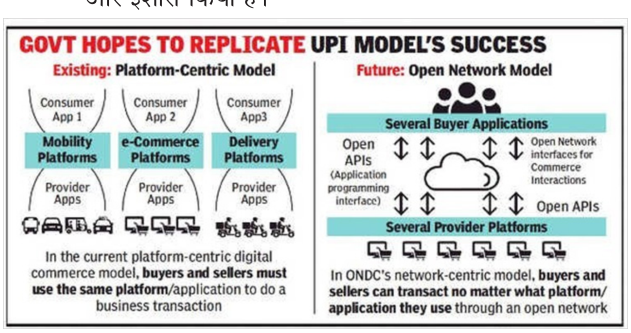

महत्त्व:

- ONDC पर खरीदार और विक्रेता इस तथ्य के बावजूद लेनदेन कर सकते हैं कि वे एक विशिष्ट ई-कॉमर्स पोर्टल से जुड़े हुए हैं।
- यह छोटे ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और नए प्रवेशकों को प्रोत्साहित कर सकता है।
  - हालाँकि यदि यह अनिवार्य किया जाता है तो यह बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये समस्यायुक्त हो सकता है, क्योंकि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने संचालन के इन क्षेत्रों हेतु अपनी प्रक्रियाएँ और प्रौद्योगिकी स्थापित कर रखे हैं।
- ONDC से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज़ करने, संचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्ताओं के समावेशन को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स में दक्षता प्राप्त करने और उपभोक्ताओं के लिये मूल्य बढ़ाने की अपेक्षा है।
- यह मंच समान अवसर भागीदारी की परिकल्पना करता है और उपभोक्ताओं के लिये ई-कॉमर्स को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की अपेक्षा रखता है क्योंकि वे संभावित रूप से किसी भी संगत एप्लीकेशन/प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी भी विक्रेता, उत्पाद या सेवा की खोज कर सकते हैं, जिससे उनकी पसंद की स्वतंत्रता बढ़ जाती है।
- यह किसी भी मूल्यवर्ग के लेनदेन को सक्षम करेगा, इस प्रकार ONDC को वास्तव में 'लोकतांत्रिक वाणिज्य हेतु खुला नेटवर्क' बना देगा।
- अगले पाँच वर्षों में ONDC नेटवर्क पर 90 करोड़ उपयोगकर्त्ताओ और 12 लाख विक्रेताओं को जोड़ने की अपेक्षा करता है, जिससे 730 करोड़ अतिरिक्त खरीदारी हो सकेगी।

कार्ड टोकनाइज़ेशन

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कार्डधारकों को व्यवधान और असुविधा से बचने हेतु डेबिट और क्रेडिट कार्ड के टोकनाइज़ेशन के लिये समय सीमा 30 सितंबर, 2022 तक तीन महीने बढ़ा दी है।

- 30 सितंबर के बाद कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्क के अलावा कार्ड लेन-देन या भुगतान श्रृंखला में किसी भी इकाई को CoF (कार्ड-ऑन-फाइल डेटा या वास्तविक कार्ड डेटा का भंडारण) को संग्रहीत नहीं करना चाहिये इसके अलावा पहले संग्रहीत ऐसे किसी भी डेटा को समाप्त कर दिया जाएगा।

टोकनाइज़ेशन और कार्ड-ऑन-फाइल:

- टोकनाइज़ेशन: यह वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को "टोकन" नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने को संदर्भित करता है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिये अद्वितीय होगा।

- एक टोकनयुक्त कार्ड लेन-देन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेनदेन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है।
- जिन ग्राहकों के पास टोकन की सुविधा नहीं है, उन्हें हर बार ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने पर अपना नाम, 16 अंकों का कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और CVV दर्ज करना होगा।
- अब तक करीब 19.5 करोड़ टोकन बनाए जा चुके हैं। कार्डधारकों के लिये CoFT (टोकन बनाना) का विकल्प स्वैच्छिक है।

- कार्ड-ऑन-फाइल: CoF लेनदेन एक ऐसा लेन-देन है जहाँ कार्डधारक ने कार्डधारक के मास्टरकार्ड या वीज़ा भुगतान विवरण को संग्रहीत करने हेतु एक व्यापारी को अधिकृत किया है।
- कार्डधारक तब उसी व्यापारी को अपने संग्रहीत मास्टरकार्ड या वीज़ा खाते से ही बिल करने के लिये अधिकृत करता है।
  - ई-कॉमर्स कंपनियाँ और एयरलाइंस तथा सुपरमार्केट चेन सामान्य रूप से अपने सिस्टम में कार्ड विवरण को संग्रहीत करते हैं।

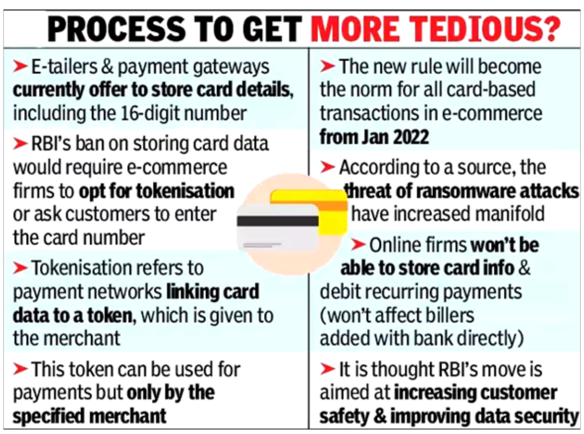

- कार्डों का टोकनीकरण क्यों आवश्यक है?
  - एक ऑनलाइन कार्ड लेन-देन श्रृंखला में शामिल कई संस्थाएँ भविष्य में लेन-देन करने के लिये कार्ड डेटा जैसे कार्ड नंबर और समाप्ति तिथि कार्ड-ऑन-फाइल स्टोर करती हैं। हालाँकि यह अभ्यास सुविधाजनक प्रदान करता है, कई संस्थाओं के साथ कार्ड विवरण की उपलब्धता से कार्ड डेटा चोरी या दुरुपयोग होने का खतरा बढ़ जाता है।
  - ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ व्यापारियों द्वारा संग्रहीत ऐसे ही डेटा से समझौता किया गया है।
  - कई क्षेत्राधिकार कार्ड लेन-देन को प्रमाणित करने के लिये प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) अनिवार्य नहीं है, धोखेबाजों के हाथों चोरी किये गए डेटा के परिणामस्वरूप अनधिकृत लेन-देन हो सकता है और कार्डधारकों को मौद्रिक नुकसान हो सकता है। भारत के भीतर भी ऐसे डेटा का उपयोग करके धोखाधड़ी करने के लिये सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों को नियोजित किया जा सकता है।

नीति आयोग

चर्चा में क्यों?

नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग के CEO अमिताभ कांत अपने पद छोड़ने वाले हैं और उनकी जगह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव परमेश्वरन अय्यर लेंगे।

नीति आयोग:

- पृष्ठभूमि:
  - योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की परिकल्पना के लिये 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया था।
  - इसके दो हब हैं।
    - टीम इंडिया हब- राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।
    - ज्ञान और नवोन्मेष हब- नीति आयोग के थिंक-टैंक की भाँति कार्य करता है।
- संयोजन:
  - अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
  - उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
  - संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
  - क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
  - तदर्थ सदस्यता: अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।
  - पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
  - मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
  - विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।

- उद्देश्य:
  - राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मज़बूत राज्य एक मबूत राष्ट्र बनाते हैं।
  - ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिये तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर एकत्रित करना।
  - यह सुनिश्चित करने के लिये कि विशेष रूप से इसे संदर्भित क्षेत्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है।
  - समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है।
  - प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करना
  - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना करना।
  - विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना।
  - अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने, सतत् और न्यायसंगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का संग्रह होने के साथ-साथ हितधारकों के प्रसार में मदद करना।

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते है।	इसमें सीमित विशेषज्ञता थी।
यह सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार हैं।	राज्यों ने वार्षिक योजना बैठकों में दर्शकों के रूप में भाग लिया।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया।
इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था।

नीति आयोग की स्थापना का महत्त्व:

- 65 वर्ष पुराना योजना आयोग निरर्थक संगठन बन गया था। यह एक निर्देशित अर्थव्यवस्था संरचना में प्रासंगिक था लेकिन अब नहीं।
- भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न-भिन्न ताकतें और कमज़ोरियाँ हैं।
- आर्थिक नियोजन के लिये सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्द्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता।

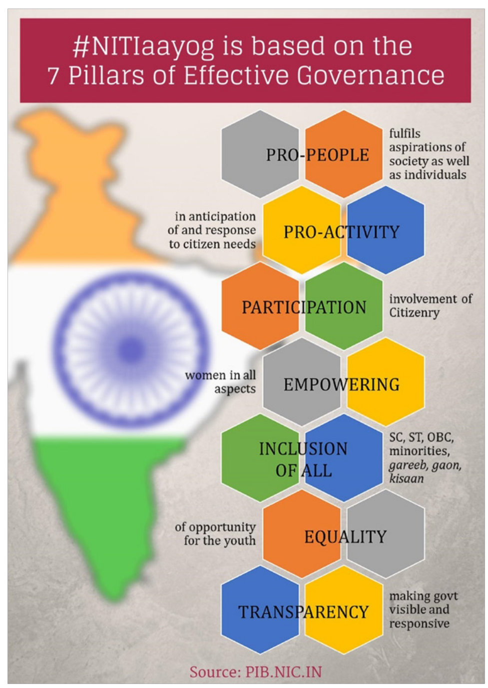

संबंधित चिंताएँ और चुनौतियाँ:

- नीति आयोग के पास राज्यों को विवेकाधीन धन देने का कोई अधिकार नहीं है, जो परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने के लिये इसे असमर्थ बना देता है।
- यह केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है जो सरकार को अपने विचारों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित किये बिना विभिन्न मुद्दों पर सलाह देता है।

- निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में नीति आयोग की कोई भूमिका नहीं है।
- हाल के दिनों में संगठन का राजनीतिकरण हुआ है।
- नीति आयोग को एक गौरवशाली सिफारिशी निकाय में बदल दिया गया है, जिसके पास सरकार के कार्यों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिये आवश्यक शक्ति का अभाव है।

नीति आयोग की पहलें:

- SDG इंडिया इंडेक्स
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
- अटल इनोवेशन मिशन
- साथ परियोजना।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
- स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
- ज़िला अस्पताल सूचकांक
- स्वास्थ्य सूचकांक
- कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवाड्र्स
- सुशासन सूचकांक

आगे की राह:

- नियोजन निकाय को आवश्यक शक्तियों से लैस करना ताकि वह परिवर्तन को प्रभावित कर सके।
- पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की ज़रूरत है।
- लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता के लिये इसे विधायिका के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जा सकता है।
- सुनिश्चित करें कि नियोजन निकाय एक गैर-पक्षपाती संस्था बना रहे।
- नौकरशाही की जड़ता को हिलाने की ज़रूरत है, इसमें विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है।

विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संपन्न 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization's- WTO) के अपीलीय निकाय (Appellate Body- AB) जो कि वर्ष 2019 से महत्त्वपूर्ण बनी हुई है, को पुनर्जीवित करने हेतु कोई चर्चा नहीं हुई।

प्रमुख बिंदु

विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय:

- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मुक्त व्यापार करने हेतु नियम बनाने के साथ-साथ बहुपक्षीय व्यापारों की निगरानी और प्रशासन के लिये बातचीत हेतु एक मंच प्रदान करने को की गई थी।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक वैश्विक व्यापार के लिये न्यायालय के रूप में कार्य करके अपने सदस्यों की शिकायतों का समाधान करना भी था।
- 1995 में स्थापित अपीलीय निकाय, सीमित चार साल के कार्यकाल के साथ सात सदस्यों की एक स्थायी समिति है जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा लाए गए व्यापार से संबंधित विवादों में पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील की अध्यक्षता करती है।
- विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब एक सदस्य देश यह देखता है कि कोई अन्य सदस्य देश विश्व व्यापार संगठन में किये गए व्यापार समझौते का उल्लंघन कर रही है।
- विश्व व्यापार संगठन के दिशा-निर्देशों के तहत व्यापार उपचार का मतलब है कि सदस्य देशअपने टैरिफ को एक निश्चित मार्जिन से ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन यह सरकारों को व्यापार उपायों को लागू करने के लिये इन नियमों को समाप्त करने का एक प्रावधान प्रदान करता है, जिसमें एंटी-डंपिंग शुल्क शामिल हैं, इसमें विनिर्माता देश द्वारा बाज़ार की तुलना में सस्ती दर पर माल का निर्यात करके बाज़ार को विकृत किया जाता है।
- देशों को अपने सस्ते आयात और अन्य ऑफसेटिंग ड्यूटीज़ (Offsetting Duties) की रक्षा के लिये कदम उठाने की अनुमति होती है ताकि आयात वृद्धि का मुकाबला करने वाले टैरिफ की रक्षा के लिये सब्सिडी वाले आयात से खुद को बचाया जा सके।

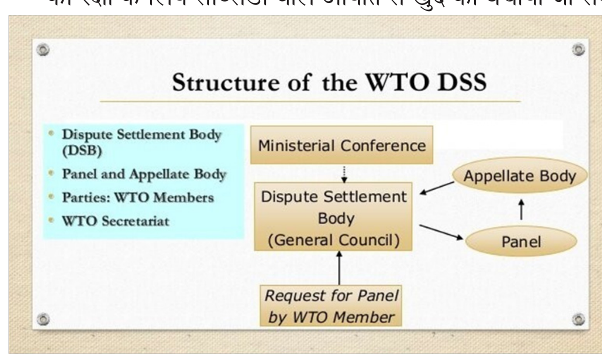

संबंधित मुद्दे:

- न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रोक:
    - वर्ष 2017 में उनकी कार्य अवधि समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक दिया। परिणामस्वरूप दिसंबर 2019 में न्यायालयों में न्यायाधीशों की आवश्यक न्यूनतम संख्या तीन से भी नीचे गिर गई।

- यह मानता है कि विश्व व्यापार संगठन इसके खिलाफ पक्षपाती है और "अनुचित" होने के कारण इसकी आलोचना की गई।
  - अपील की अध्यक्षता करने के लिये कम-से-कम तीन न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है और यदि दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के स्थान पर नए सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जाता है, तो निकाय प्रासंगिक नहीं रह जाएगा।
- सीमित दक्षता:
  - वर्ष 1995 में इसके गठन के बाद से 600 से अधिक मामले निकाय तक पहुँचे जबकि लगभग 350 में फैसले जारी किये गए।
  - इसने यह भी आरोप लगाया है कि AB 90 दिनों की समय-सीमा के भीतर निर्णय जारी करने में विफल रही है।
- कुछ प्रावधान असंगत हैं:
  - काउंटरवेलिंग और एंटी-डंपिंग उपायों को लागू करने के लिये कई यू.एस. प्रावधान डब्ल्यूटीओ समझौतों के मुख्य प्रावधानों के साथ असंगत पाए गए हैं।

निहितार्थ:

- अपीलीय निकाय के नए आवेदनों की समीक्षा करने में असमर्थ होने के कारण विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रक्रिया को लेकर पहले ही काफी अनिश्चितता कि स्थिति है।
- यदि निकाय को गैर-कार्यात्मक घोषित किया जाता है, तो देशों को पैनल के फैसलों को लागू करने के लिये मजबूर किया जा सकता है, भले ही उन्हें लगता है कि इसमें बड़ी त्रुटियाँ हैं।
- देश इस आधार पर पैनल के आदेश का पालन करने से इनकार कर सकते हैं कि उनके पास अपील के लिये कोई रास्ता नहीं है। यह विवाद में दूसरे पक्ष द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही का सामना करने का जोखिम बढ़ाएगा।
- यह भारत के लिये भी शुभ संकेत नहीं है, जो विशेष रूप से कृषि उत्पादों पर विवाद के मामलों की बढ़ती संख्या का सामना कर रहा है।
- अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव की पृष्ठभूमि में विश्व व्यापार संगठन के ढाँचे के समग्र रूप से कमज़ोर होने से वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद से बचने के दो दशकों के प्रयासों को पूर्ववत होने का जोखिम हो सकता है।

विश्व व्यापार संगठन में भारत को शामिल करने संबंधी विवाद:

- जिन विवादों में भारत एक शिकायतकर्त्ता पक्ष है, वे हैं- भारतीय इस्पात उत्पादों पर अमेरिका द्वारा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क; गैर-आप्रवासी वीज़ा के संबंध में अमेरिका द्वारा उपाय; अमेरिका के अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम और अमेरिका द्वारा स्टील एवं एल्युमीनियम उत्पादों पर आयात शुल्क।
- विश्व व्यापार संगठन के विवाद में जहाँ भारत एक प्रतिवादी पक्ष है, में अमेरिका द्वारा दायर किये गए पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा प्रतिबंध तथा यूरोपीय संघ, जापान, ताइवान द्वारा दायर कुछ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सामानों पर आयात शुल्क शामिल हैं।
- जनवरी 2022 में भारत ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार विवाद निपटान पैनल के एक फैसले के खिलाफ अपील की, जिसने फैसला सुनाया कि चीनी और गन्ने के लिये देश के घरेलू समर्थन उपाय वैश्विक व्यापार मानदंडों के साथ असंगत हैं।

आगे की राह

- नए सदस्य हेतु समर्थन प्रस्ताव:
  - आमतौर पर अपीलीय निकाय में नई नियुक्तियाँ विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की सहमति से की जाती हैं, लेकिन जहाँ आम सहमति संभव नहीं है, वहाँ मतदान का प्रावधान भी है।
  - भारत सहित 17 सबसे कम विकसित और विकासशील देशों का समूह, जो अपीलीय निकाय में गतिरोध को समाप्त करने हेतु एक साथ काम करने के लिये प्रतिबद्ध हैं, इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने या उसका समर्थन कर सकते हैं और बहुमत से अपीलीय निकाय में नए सदस्यों को शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं।
  - लेकिन यह अंतिम उपाय के रूप में एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि सभी देशों को अमेरिका द्वारा सीधे अपने वीटो का विरोध करने के परिणामस्वरूप एकतरफा पहल का डर है।
- कानून तोड़ने पर उपयुक्त सज़ा:
  - अगर किसी देश ने कुछ गलत किया है, तो उसे अपनी गलती को तेज़ी से सुधारना चाहिये और अगर यह समझौते को खंडन करना जारी रखता है, तो उसे मुआवज़े की पेशकश करनी होगी या उपयुक्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, हालाँकि यह वास्तव में सज़ा नहीं है, यह एक "उपाय" है, जिसका पालन करना देश के लिये अंतिम लक्ष्य है।
- सुधारात्मक दृष्टिकोण:
  - सुधारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर स्थायी दीर्घकालिक समाधानों में निवर्तमान सदस्यों के लिये संक्रमणकालीन नियम शामिल हैं, जो उन्हें अपनी शर्तों की समाप्ति के बाद भी लंबित अपीलों को पूरी तरह से निपटाने की अनुमति देता है, साथ ही अपीलीय निकाय की व्याख्या को नीतिगत कदम उठाए बिना सहमति वाले राष्ट्रीय कानूनों के अर्थ तक सीमित कर दिया जाता है, ताकि राष्ट्रों की संप्रभुता को संरक्षित किया जा सके।

- सदस्यों की नियमित बैठक:
  - अन्य दीर्घकालिक समाधानों में प्रभावी संचार और तत्काल निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के लिये अपीलीय निकाय के साथ विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की नियमित बैठकें शामिल हैं।
  - इस प्रकार सभी राष्ट्रों को संकट से निपटने के लिये एक समान आधार हेतु एक साथ आना चाहिये ताकि सबसे खराब स्थिति का सामना न करना पड़े।

नमक क्षेत्र संकट

चर्चा में क्यों?

नमक उद्योग को मांग को पूरा करने और नमक किसानों एवं श्रमिकों के सामने आने वाले संकट से निपटने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य न होने से जहाँ किसान कम कीमतों का सामना कर रहे हैं, वहीं मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं होने से श्रमिक भी संकट में हैं।

नमक क्षेत्र की स्थिति:

- भारत:
  - अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में नमक के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है।
  - समुद्री नमक देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 70% है।
  - नमक निर्माण गतिविधियाँ गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गोवा के तटीय राज्यों और राजस्थान के भीतरी इलाकों में की जाती हैं।
    - गुजरात में प्रतिवर्ष लगभग 28.5 मिलियन टन नमक का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का 80% से अधिक है।
- विश्व:
  - दुनिया भर में नमक का उत्पादन वर्तमान में 200 मिलियन टन है और इसमें तेज़ी से वृद्धि हो रही है।
  - दुनिया भर के उद्योग न केवल उपभोग के लिये बल्कि अखाद्य और औद्योगिक उद्देश्यों के लिये भी बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन करते हैं।

उत्पादन विधि:

- सौर वाष्पीकरण विधि:
  - सौर नमक उत्पादन आमतौर पर उथले तालाबों में खारे जल का संचयन है जहाँ सूर्य अधिकांश जल को वाष्पित करता है।
- रॉक सॉल्ट खनन विधि:
  - नमक प्राचीन भूमिगत समुद्र तल में जमा के रूप में मौजूद है, जो हज़ारों वर्षों में विवर्तनिक परिवर्तनों के माध्यम से दब गया। कई नमक खदानें खनन के "कमरे और स्तंभ (Room and Pillar)" प्रणाली का उपयोग करती हैं।
    - शाफ्ट को खदान के तल पर नीचे डुबो दिया जाता है और कमरे को शाफ्ट के बीच ड्रिलिंग, काटने और ब्लास्टिंग द्वारा सावधानीपूर्वक बनाया जाता है, जिससे एक चेकरबोर्ड स्वरूप बनता है।
    - नमक को हटाने और तोड़ने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट द्वारा इसे सतह पर ले जाया जाता है। इस तरह से उत्पादित अधिकांश नमक का उपयोग रॉक सॉल्ट के रूप में किया जाता है।
- निर्वात वाष्पीकरण विधि:
  - इसमें बड़े वाणिज्यिक बाष्पीकरणकर्त्ताओं, जिन्हें वैक्यूम पैन कहा जाता है, में भाप की गर्मी द्वारा नमकीन जल का वाष्पीकरण शामिल है।
  - इस विधि से प्राप्त उच्च शुद्धता वाला नमक, जो कि बनावट में महीन होता है, मुख्य रूप से उन अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जिनमें उच्चतम गुणवत्ता वाले नमक की आवश्यकता होती है।

नमक क्षेत्र का संकट:

- न्यूनतम समर्थन मूल्य:
  - इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने उद्योग और खान मंत्रालय द्वारा शासित उद्योग के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति के बजाय कृषि मंत्रालय के तहत नमक उत्पादन को कृषि गतिविधि के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की है।
    - खनन से मुश्किल से 0.5% नमक पैदा होता है। 99.5% नमक या तो समुद्र के जल से या मृदा के नीचे के जल से बनता है और पूरी प्रक्रिया बीज, खेती एवं कटाई द्वारा की जाती है।
    - बेमौसम वर्षा और बाढ़ के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग बढ़ रही है।
    - न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तीव्र ह्रास या गिरावट कि स्थिति में बीमा के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बाज़ार में हस्तक्षेप का एक रूप है।
    - प्रमुख उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के कम मूल्य की स्थिति में समर्थन देना और सार्वजनिक वितरण के लिये खाद्यान्न की खरीद करना है।

- मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा:
  - कंपनियों ने सहकारी समितियों की जगह ले ली है और वे इन श्रमिकों की मज़दूरी और किसानों के उत्पादन का फैसला करती हैं। इनमें ज़्यादातर प्रवासी मज़दूर हैं।
  - सहकारी क्षेत्र कमोबेश निष्क्रिय है। न्यूनतम मज़दूरी या सामाजिक सुरक्षा के बिना श्रमिक गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों और आर्थिक संकट से गुज़र रहे हैं।
    - मोरबी में एक पैकिंग यूनिट की दीवार गिरने से 12 मज़दूरों की मौत हो गई।
    - इस क्षेत्र के 5,000 वर्ग किलोमीटर में मीठे पानी की झील के निर्माण की परियोजना (रण सरोवर) लगभग 50,000 लोगों को बेरोज़गार कर देगी।

नमक उद्योग के विकास में सरकार की भूमिका:

- नमक एक केंद्रीय विषय है जिसे संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची की मद संख्या 58 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह एक खनन उद्योग के रूप में सूचीबद्ध है।
  - भारत सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में नमक से संबंधित प्रावधानों को हटाकर नमक उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है।
- नमक आयुक्त संगठन देश में नमक उद्योग के समग्र विकास और विकास में सहायक की भूमिका निभाता है।
- नमक उत्पादन के संबंध में सामान्य नियमों और विनियमों के साथ एक अलग नोडल एजेंसी की आवश्यकता है। पूरे देश के लिये एक समान नीति के साथ न्यूनतम मज़दूरी एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये।

भारत की 'गिग' इकॉनमी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग ने 'इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकॉनमी' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

- रिपोर्ट के अनुसार, 2029-30 तक भारत के गिग वर्कफोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है।
  - रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2020-21 में 77 लाख (7.7 मिलियन) कर्मचारी गिग इकॉनमी में संलग्न थे। जो भारत में गैर-कृषि कार्यबल का 2.6% या कुल कार्यबल के 1.5% थे।
- नीति आयोग ने ऐसे श्रमिकों और उनके परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा संहिता में परिकल्पित साझेदारी मोड में सामाजिक सुरक्षा उपायों का विस्तार करने की सिफारिश की।

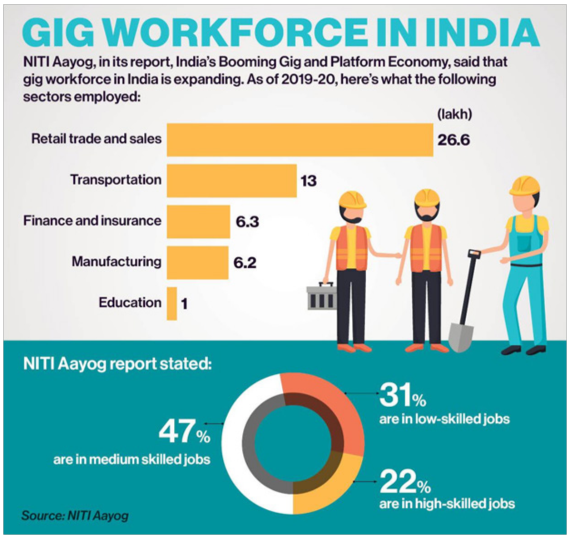

रिपोर्ट में उठाए गए प्रमुख मुद्दे:

- पहुँच:
  - भले ही गिग इकॉनमी, रोज़गार के व्यापक विकल्पों के साथ उन सभी के लिये सुलभ है जो इस तरह के रोज़गार में संलग्न होने के इच्छुक हैं, परंतु इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुँच एक प्रतिबंधात्मक कारक हो सकता है।
    - इसने गिग इकॉनमी को काफी हद तक एक शहरी परिघटना बना दिया है।
- नौकरी और आय असुरक्षा:
  - गिग वर्कर्स को मज़दूरी, घंटे, काम करने की स्थिति और सामूहिक सौदेबाज़ी के अधिकार से संबंधित श्रम नियमों से लाभ नहीं मिलता है।
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम:
  - डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ रोज़गार में लगे श्रमिकों, विशेष रूप से एप-आधारित टैक्सी और वितरण (Delivery) क्षेत्रों में महिला श्रमिकों को विभिन्न व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
- बेमेल कौशल:
  - ऑनलाइन वेब-आधारित प्लेटफॉर्म पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कौशल बेमेल की भिन्न स्वरूप देखे जा सकते है।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सर्वेक्षणों के अनुसार, उच्च शैक्षिक उपलब्धियों वाले श्रमिकों को आवश्यक रूप से उनके कौशल के अनुरूप काम नहीं मिल रहा है।
- अनुबंध की शर्तों के कारण आने वाली चुनौतियाँ:
  - डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने की स्थिति बड़े पैमाने पर सेवा समझौतों की शर्तों द्वारा नियंत्रित होती है। वे मंच के मालिक और कार्यकर्ता के बीच संविदात्मक संबंधों को रोज़गार के अलावा अन्य के रूप में चिह्नित करते हैं।

गिग अर्थव्यवस्था:

- गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त बाज़ार प्रणाली है जिसमें सामान्य अस्थायी पद होते हैं और संगठन अल्पकालिक जुड़ाव के लिये स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।
  - गिग वर्कर: एक व्यक्ति जो काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है"।
- बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के गिग वर्कफोर्स में सॉफ्टवेयर, साझा और पेशेवर सेवाओं जैसे उद्योगों में 15 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं।
- इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और जापान के बाद भारत वैश्विक स्तर पर फ्लेक्सी-स्टाफिंग में पाँचवाँ सबसे बड़ा देश है।

भारत के गिग सेक्टर की क्षमता:

- भारत में अनुमानित 56% नए रोज़गार गिग इकॉनमी कंपनियों द्वारा ब्लू-कॉलर और व्हाइट-कॉलर कार्यबल दोनों में उत्पन्न किये जा रहे हैं।
- जबकि भारत में ब्लू-कॉलर नौकरियों के बीच गिग इकॉनमी प्रचलित है, वाइट-कॉलर नौकरियों जैसे- परियोजना-विशिष्ट सलाहकार, विक्रेता, वेब डिज़ाइनर, सामग्री लेखक और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में गिग श्रमिकों की मांग भी उभर रही है।
- गिग इकॉनमी भारत में गैर-कृषि क्षेत्रों में 90 मिलियन नौकरियाँ उपलब्ध करा सकती है, जिसमें "दीर्घावधि" में सकल घरेलू उत्पाद में और 1.25% की वृद्धि होने की संभावना है।
- जैसा कि भारत वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने घोषित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, आय और बेरोज़गारी के अंतर को कम करने में गिग इकॉनमी की प्रमुख भूमिका होगी।

गिग सेक्टर के प्रमुख चालक:

- कहीं से भी कार्य करने का लचीलापन:
  - डिजिटल युग में कार्यकर्त्ता को एक निश्चित स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है- कार्य कहीं से भी किया जा सकता है, इसलिये नियोक्ता किसी परियोजना के लिये उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा का चयन स्थान से बँधे बिना कर सकते हैं।
- कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण:
  - लगता है कि मिलेनियल जेनरेशन का करियर के प्रति काफी अलग नज़रिया है। वे ऐसा करियर, जिससे उनको संतुष्टि नहीं प्राप्त हो, बनाने के बजाय ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो उनकी पसंद का है।
- व्यापार प्रतिदर्श:
  - गिग कर्मचारी विभिन्न मॉडल पर काम करते हैं जैसे कि निश्चित शुल्क (अनुबंध की शुरुआत के दौरान तय), समय और प्रयास, वितरित किये गए कार्य की वास्तविक इकाई एवं परिणाम की गुणवत्ता। फिक्स्ड-फीस मॉडल सबसे प्रचलित है। हालाँकि समय और प्रयास मॉडल एक-दूसरे के करीब आते हैं।
- स्टार्टअप कल्चर का उदय:
  - भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तेज़ी से विकसित हो रहा है। स्टार्टअप के लिये पूर्णकालिक कर्मचारियों को काम पर रखने से उच्च निश्चित लागत की आवश्यकता होती है और इसलिये गैर-मुख्य गतिविधियों के लिये संविदात्मक फ्रीलांसर काम पर रखे जाते हैं।
  - स्टार्टअप अपने तकनीकी प्लेटफॉर्मों को मज़बूती प्रदान करने के लिये इंजीनियरिंग, उत्पाद, डेटा विज्ञान और एमएल जैसे क्षेत्रों में कुशल प्रौद्योगिकी फ्रीलांसर (प्रति परियोजना के आधार पर) को काम पर रखने पर भी विचार कर रहे हैं।
- संविदा कर्मचारियों की बढ़ती मांग:
  - बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ महामारी के बाद परिचालन खर्च को कम करने के लिये विशेष रूप से विशिष्ट परियोजनाओं हेतु फ्लेक्सी-हायरिंग विकल्प अपना रही हैं।
  - यह प्रवृत्ति भारत में गिग संस्कृति के प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

प्लेटफॉर्म वर्कर्स:

- परिचय:
  - प्लेटफ़ॉर्म वर्कर का तात्पर्य किसी ऐसे संगठन के लिये काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं से है जो व्यक्तियों या संगठनों को सीधे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करता है।
  - उदाहरण: ओला या उबर ड्राइवर, स्विगी या ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट आदि।
- चिंताएँ:
  - वे औपचारिक और अनौपचारिक श्रम के पारंपरिक द्विभाजन के दायरे से बाहर हैं।
  - प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्त्ता स्वतंत्र ठेकेदार हैं क्योंकि वे कार्यस्थल सुरक्षा और अधिकारों के कई पहलुओं तक नहीं पहुँच सकते हैं।

सिफारिशें:

- 'प्लेटफॉर्म इंडिया पहल':
  - 'स्टार्टअप इंडिया पहल' की तर्ज पर प्लेटफॉर्म इंडिया पहल, कौशल विकास और सामाजिक वित्तीय समावेशन में तेज़ी लाने

से प्लेटफॉर्म द्वारा पेश किये गए लचीलेपन और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को संतुलित करने के लिये एक ढाँचा प्रदान किया जा सकता है।

- क्षेत्रीय और ग्रामीण व्यंजन, स्ट्रीट फूड आदि बेचने के व्यवसाय में लगे स्व-नियोजित व्यक्तियों को प्लेटफार्मों से जोड़ा जा सकता है ताकि वे अपने उत्पाद को कस्बों एवं शहरों के व्यापक बाज़ारों में बेच सकें।

- अनुदान सहायता:
  - वित्तीय उत्पादों के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुँच को बढ़ाया जा सकता है जो विशेष रूप से प्लेटफॉर्म श्रमिकों और अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म स्थापित करने में रुचि रखने वालों के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।
  - सभी आकार के प्लेटफॉर्म व्यवसायों को वेंचर कैपिटल फंडिंग, बैंकों और अन्य फंडिंग एजेंसियों से अनुदान तथा ऋण प्रदान किया जाना चाहिये।
- लिंग संवेदीकरण:
  - लैंगिक समानता की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स

अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस

चर्चा में क्यों?

हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है, इसका आयोजन विश्व भर में MSME के महत्त्व को उजागर करने तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये किया जाता है।

- इससे पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) सस्टेनेबल (ज़ेड-ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट) प्रमाणन योजना शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इतिहास:
  - अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया।
  - मई 2017 में 'एनहेनसिंग नेशनल केपेसिटीज़ फॉर अनलेशिंग फुल पोटेंशियल्स ऑफ एमएसएमई इन अचीविंग द एसडीजीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़' (Enhancing National Capacities for Unleashing Full Potentials of MSMEs in Achieving the SDGs in Developing Countries') नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया।
  - इसे संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास कोष (United Nations Peace and Development Fund) के सतत् विकास उप-निधि के लिये 2030 एजेंडा द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
- वर्ष 2022 के लिये थीम: 'लचीलापन और पुनर्निर्माण: सतत् विकास के लिये एमएसएमई' (Resilience and Rebuilding: MSMEs for Sustainable Development)।
  - थीम मुख्य रूप से इस बात पर प्रकाश डालती है कि किसी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये सूक्ष्म-लघु और मध्यम आकार के उद्यम एक आवश्यक घटक हैं।
- उद्देश्य:
  - विश्व MSME दिवस 2022 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत करने में MSMEs की क्षमता और उनकी भूमिका को मान्यता प्रदान करता है।
  - इसका उद्देश्य विश्व आर्थिक विकास और सतत् विकास में MSMEs के योगदान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना भी है।
- महत्व:
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, औपचारिक और अनौपचारिक सभी फर्मों में MSMEs की भागीदारी 90% से अधिक है तथा कुल रोज़गार में औसतन 70% एवं सकल घरेलू उत्पाद में 50% हिस्सेदारी है। देश की अर्थव्यवस्था में इतने महत्त्वपूर्ण योगदान के साथ MSMEs रोज़गार- सृजन, नवाचार और उत्पादकता में वृद्धि के लिये आवश्यक हैं।
  - हालाँकि रोज़गार सृजन में एक प्रमुख भूमिका होने के बावजूद दुनिया भर में MSMEs को सरकारों और प्रशासन से समर्थन की कमी के अलावा काम करने की स्थिति, उत्पादकता तथा अनौपचारिकता में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- विश्व MSME दिवस ऐसे उद्यमों के क्षमता विस्तार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की मज़बूती हेतु इसका उपयोग बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।

सूक्ष्म-लघु और मध्यम आकार के उद्यम:

- परिचय:
  - सूक्ष्म-लघु और मध्यम आकार के उद्यम ऐसे संगठन हैं जो आमतौर पर 250 से अधिक कर्मचारियों को रोज़गार नहीं देते हैं, हालाँकि वैश्विक स्तर पर यह क्षेत्र दो-तिहाई से अधिक रोज़गार सृज़न करने के लिये ज़िम्मेदार हैं।

Revised MSME Classification			
Composite Criteria : Investment and Annual Turnover			
Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment < Rs 1 cr and Turnover < Rs 5 cr	Investment < Rs 10 cr and Turnover < Rs 50 cr	Investment < Rs 20 cr and Turnover < Rs 100 cr

- भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME की भूमिका:
  - वे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करते हैं, देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30% का योगदान देते हैं।
  - निर्यात के संदर्भ में वे आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग हैं और कुल निर्यात में लगभग 48% का योगदान करते हैं।
  - MSME रोज़गार सृजन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे देश भर में लगभग 110 मिलियन लोगों को रोज़गार देते हैं।
    - दिलचस्प बात यह है कि MSME ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आधे से अधिक MSME ग्रामीण भारत में कार्यरत हैं।

MSME क्षेत्र से संबंधित पहलें:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी, ग्राम एवं जूट उद्योगों सहित MSME क्षेत्र के वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत MSME क्षेत्र की कल्पना करता है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को वर्ष 2006 में MSME को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्र की कवरेज और निवेश सीमा को संबोधित करने के लिये अधिसूचित किया गया था।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI): इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाज़ार परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना (ASPIRE): यह योजना 'कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स', ग्रामीण आजीविका बिज़नेस इनक्यूबेटर (LBI), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- MSME को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिये ब्याज सबवेंशन योजना: यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी एमएसएमई को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनके बकाया, वर्तमान/वृद्धिशील सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना: ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत MSME को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP): इसका उद्देश्य MSME की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाना है।
- क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS): इसका उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।
- CHAMPIONS पोर्टल: इसका उद्देश्य भारतीय MSME को उनकी शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है।
- MSME समाधान: यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान के बारे में सीधे मामले दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल: यह नया पोर्टल देश में MSME की संख्या पर डेटा एकत्र करने में सरकार की सहायता करता है।
- एमएसएमई संबंध: यह एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा MSME से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये शुरू किया गया था।

वस्तु और सेवा कर परिषद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद की 47वीं बैठक में अधिकारियों ने दर संरचना को सरल बनाने के लिये बड़े पैमाने पर कई उपभोग वस्तुओं की छूट को समाप्त करते हुए कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिये दरों में बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी।

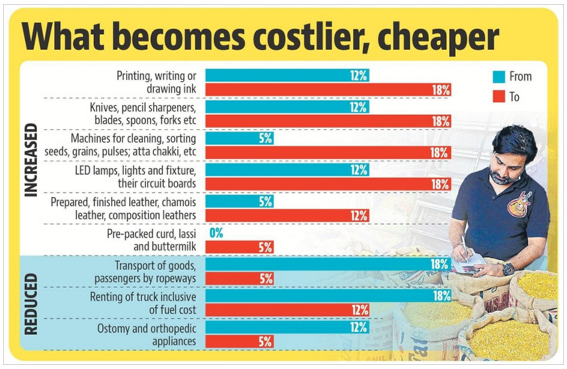

GST परिषद:

- पृष्ठभूमि:
  - 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122वाँ संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू हुई।
  - इसके बाद 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने अपने राज्य विधानसभाओं में इसकी पुष्टि की जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी।
- परिचय:
  - GST परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
  - इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार स्थापित किया गया था।
- सदस्य:
  - परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।
  - प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।
- कार्य:
  - परिषद अनुच्छेद 279 के अनुसार, "GST से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिये है, जैसे- वस्तुओं और सेवाओं पर GST, मॉडल GST कानूनों के अधीन है या छूट दी जा सकती है"।
  - यह GST के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है।
    - उदाहरण के लिये मंत्रियों के एक पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% कर लगाने का सुझाव दिया गया है।
- हाल के घटनाक्रम:
  - मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह पहली बैठक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
  - न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को GST पर कानून बनाने की "एक साथ" शक्ति देता है तथा परिषद की सिफारिशें "संघ एवं राज्यों को शामिल करने वाली वार्ता का परिणाम हैं"।
    - केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने इसका स्वागत किया, जो मानते हैं कि राज्य अपने अनुकूल सिफारिशों को स्वीकार करने में अधिक लचीले हो सकते हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (GST):

- परिचय:
  - GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
  - यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
    - इसे 'वन नेशन वन टैक्स' (One Nation One Tax) के नारे के साथ पेश किया गया था।
  - GST में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्द्धित कर (VAT), सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है।
  - जीएसटी कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता जो अंतिम उपभोक्ता पर भारित होता है।
- GST के अंतर्गत कर संरचना:
  - उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिये केंद्रीय जीएसटी।
  - VAT, लक्ज़री टैक्स आदि को कवर करने के लिये राज्य जीएसटी।
  - अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिये एकीकृत जीएसटी (IGST)।
    - IGST स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिये एक कर प्रणाली है।
  - इसमें स्लैब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिये 4-स्तरीय कर संरचना 5%, 12%, 18% और 28% है।.
- जीएसटी लागू करने के कारण:
  - दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण आदि जैसे मुद्दों को कम करने के लिये और एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण करना।
  - वस्तु या सेवाओं (यानी इनपुट पर) की खरीद के लिये एक व्यापारी जो जीएसटी का भुगतान करता है, उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू करने के लिये तैयार या सेट किया जा सकता है।
    - सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है।
  - इस प्रकार जीएसटी कर पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को कम कर सकता है क्योंकि इससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है।

जीएसटी का महत्त्व:

- एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण: यह भारत के लिये एक एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाज़ार बनाने में मदद करेगा। यह विदेशी निवेश और "मेक इन इंडिया" अभियान को भी बढ़ावा देगा।
- कराधान को सुव्यवस्थित करना: केंद्र और राज्यों तथा केंद्रशासित राज्यों के बीच कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों में सामंजस्य स्थापित होगा।
- कर अनुपालन में वृद्धि: अनुपालन के लिये बेहतर वातावरण बनेगा क्योंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किये जाएंगे, इनपुट क्रेडिट को ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा, आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक स्तर पर कागज़ रहित लेन-देन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- कर चोरी को हतोत्साहित करना: समान SGST और IGST दरें पड़ोसी राज्यों के बीच तथा अंतर-राज्यीय बिक्री के बीच दर मध्यस्थता को समाप्त करके चोरी के लिये प्रोत्साहन को कम करेंगी।
- निश्चितता लाना: करदाताओं के पंजीकरण के लिये सामान्य प्रक्रियाएँ, करों की वापसी, कर रिटर्न के समान प्रारूप, सामान्य कर आधार, वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण की सामान्य प्रणाली कराधान प्रणाली को अधिक निश्चितता प्रदान करेगी।
- भ्रष्टाचार में कमी: आईटी के अधिक उपयोग से करदाता और कर प्रशासन के बीच मानवीय संपर्क कम होगा, जो भ्रष्टाचार को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
- माध्यमिक क्षेत्र को बढ़ावा देना: यह निर्यात और विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देगा, अधिक रोज़गार पैदा करेगा और इस प्रकार लाभकारी रोज़गार के साथ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेगा जिससे वास्तविक आर्थिक विकास होगा।

जीएसटी से जुड़े मुद्दे:

- कई कर दरें: कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जिन्होंने इस कर व्यवस्था को लागू किया है, भारत में कई कर दरें हैं। यह देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिये एकल अप्रत्यक्ष कर की दर की प्रगति को बाधित करता है।
- नए उपकर: जहाँ जीएसटी ने करों और उपकरों की बहुलता को समाप्त कर दिया, वहीं विलासिता वाली वस्तुओं के लिये क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में एक नई लेवी शुरू की गई। बाद में इसे ऑटोमोबाइल को शामिल करने के लिये विस्तारित किया गया।
- विश्वास की कमी: केंद्र सरकार की राज्यों के साथ साझा किये बिना खुद के लिये उपकर और उचित उपकर लगाने की प्रवृत्ति ने राज्यों हेतु गारंटीकृत मुआवज़े को विश्वसनीयता प्रदान की है।
    - यह सही साबित हुआ क्योंकि जीएसटी अपने आर्थिक वादों को पूरा करने में विफल रहा और इस गारंटी के माध्यम से राज्यों के राजस्व की रक्षा की गई।
- अर्थव्यवस्था जीएसटी के दायरे से बाहर: करीब आधी अर्थव्यवस्था जीएसटी से बाहर है। उदाहरण पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, बिजली शुल्क जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
- टैक्स फाइलिंग की जटिलता: जीएसटी कानून में जीएसटी ऑडिट के साथ-साथ करदाताओं की निर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है लेकिन वार्षिक रिटर्न दाखिल करना करदाताओं के लिये एक जटिल और भ्रमित करने वाला काम है। इसके अलावा वार्षिक फाइलिंग में कई विवरण भी शामिल होते हैं जिन्हें मासिक व त्रैमासिक फाइलिंग में माफ कर दिया जाता है।
- उच्च कर दरें: हालाँकि दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है फिर भी 50% आइटम 18% ब्रैकेट (Bracket) के अंतर्गत हैं। इसके अलावा महामारी से निपटने के लिये कुछ आवश्यक वस्तुएँ हैं जिन पर अधिक कर भी लगाया गया था। उदाहरण के लिये ऑक्सीजन सांद्रता पर 12% कर, टीकों पर 5% और विदेशों से राहत आपूर्ति पर कर।

आगे की राह

- निर्णय लेने की परामर्शी और सहमतिपूर्ण प्रकृति जिसने अब तक परिषद के निर्णयों को निर्देशित करने में मदद की है, का पालन किया जाना चाहिये।
- विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करने के लिये सबसे पहले और सबसे महत्त्वपूर्ण केंद्र एवं राज्यों के बीच विश्वास की कमी को पाटने की आवश्यकता होगी। सहकारी संघवाद की भावना, जिसकी अक्सर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा वकालत की जाती है, को बरकरार रखा जाना चाहिये।
- विश्वास की कमी को केवल अच्छे विश्वासपरक कृत्यों के माध्यम से ही भरा जा सकता है। केंद्र सरकार को राज्यों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिये कि वह उन उपकरों और अधिभारों का सहारा नहीं लेगी जो राजस्व के बँटवारे योग्य पूल से बाहर हैं। इसे राज्यों के प्रति राजस्व गारंटी प्रतिबद्धता का सम्मान करने का संकल्प लेना चाहिये। इसे न केवल राजकोषीय संघवाद बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक संघवाद की सच्ची भावना का भी सम्मान व समर्थन करना चाहिये।
- भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान दोनों को आरोपित करने हेतु समान अधिकार नहीं हैं। जीएसटी ने भारत के अप्रत्यक्ष कराधान को केंद्रीकृत किया। राज्यों को प्रत्यक्ष कराधान के लिये अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते हुए एक राष्ट्रीय चर्चा शुरू करने का समय आ गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की चर्चा शुरू करने की प्रतिबद्धता राज्यों के विश्वास और वित्तीय स्वतंत्रता के लिये एक स्वस्थ संकेत होगी।

भारतीय राजनीति

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी)

चर्चा में क्यों?

चुनाव आयोग ने 111 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने का आदेश दिया, जो "अस्तित्वहीन" पाए गए और तीन दलों को "गंभीर वित्तीय अनियमितता" के लिये कानूनी कार्रवाई हेतु राजस्व विभाग को संदर्भित किया। हाल के दिनों में यह पंजीकृत पार्टियों के खिलाफ इस तरह की दूसरी कार्रवाई थी जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन करते पाए गए हैं।

- इससे पहले चुनाव आयोग ने 87 गैर-मौजूद पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा दिया था।
- चुनाव आयोग ने कहा कि विचाराधीन 111 दलों ने अधिनियम की उन धाराओं का उल्लंघन किया है जिनके लिये उन्हें अपने संचार का पता और चुनाव आयोग को पते में किसी भी बदलाव को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

राजनीतिक दलों से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP):
  - या तो नए पंजीकृत दल या वे जो राज्यस्तरीय दल बनने के लिये विधानसभा या आम चुनावों में पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर पाए हैं, या जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव नहीं लड़ा है, उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त दल माना जाता है।
  - ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दलों को दी गई सभी सुविधाओं का लाभों नहीं मिलता है।
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल:
  - एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या तो राष्ट्रीयदल या राज्यस्तरीय दल होगा यदि वह कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।
  - राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनने के लिये एक दल को पिछले चुनाव के दौरान राज्य विधान सभा या लोकसभा में मतदान के वैध वोटों का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत या निश्चित संख्या में सीटें हासिल करना होता है।
  - राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा दी गई मान्यता उन्हें प्रतीकों के आवंटन, राज्य के स्वामित्त्व वाले टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिये समय का प्रावधान तथा मतदाता सूची तक पहुँच जैसे कुछ विशेषाधिकारों को निर्धारित करती है।

राजनीतिक दलों की मान्यता के लिये शर्तें:

- राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिये शर्तें:
  - किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित अहर्ताओं में से किसी एक को पूरा करता हो-
    - लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग-अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6 प्रतिशत मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। या
    - लोकसभा चुनावों में कुल लोकसभा सीटों की 2 प्रतिशत (11 सीट) सीटों पर जीत हासिल करता हो तथा ये सीटें कम-से-कम तीन अलग-अलग राज्यों से हों। या
    - यदि कोई दल चार या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे।
- राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिये शर्तें:
  - किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित अहर्ताओं में से किसी एक को पूरा करता हो-
    - यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और इसके अलावा, यह संबंधित राज्य की विधानसभा में 2 सीटें जीतता है या
    - यदि यह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध वोटों का 6% हासिल करता है और इसके अलावा, यह संबंधित राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है या
    - दल ने राज्य की विधानसभा के लिये हुए चुनावों में कुल सीटों का 3 प्रतिशत या 3 सीटें, जो भी अधिक हो, प्राप्त किया हो।

- यदि वह प्रत्येक 25 सीटों के लिये लोकसभा में 1 सीट या संबंधित राज्य से लोकसभा के लिये आम चुनाव में राज्य को आवंटित उसके किसी भी अंश के लिये जीतता है।
- यदि यह राज्य या राज्य की विधानसभा से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का 8% प्राप्त करता है। यह शर्त 2011 में जोड़ी गई थी।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA)

- परिचय:
  - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन लोकतंत्र का अनिश्चित-शून्य है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से चुनाव के संचालन को सुनिश्चित करने के लिये संविधान निर्माताओं ने संविधान में भाग XV (अनुच्छेद 324-329) को शामिल किया और संसद को चुनावी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये कानून बनाने का अधिकार दिया।
  - इस संदर्भ में संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 अधिनियमित किया है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950
  - मुख्य प्रावधान:
    - निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिये प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।
    - लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आबंटन का प्रावधान करता है।
    - मतदाता सूचियों को तैयार करने और सीटों को भरने के तरीके के लिये प्रक्रिया निर्धारित करता है।
    - मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करता है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951
  - मुख्य प्रावधान:
    - यह चुनाव और उप-चुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है।
    - यह चुनाव कराने के लिये प्रशासनिक मशीनरी प्रदान करता है।
    - यह राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है।
    - यह सदनों की सदस्यता के लिये अर्हताओं और अयोग्यताओं को निर्दिष्ट करता है।
    - इसमें भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रावधान किये गए हैं।
    - इसमें चुनावों से उत्पन्न संदेहों और विवादों को निपटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

फ्लोर टेस्ट संबंधी राज्यपाल का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट में राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट कराने का निर्णय एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है।

प्रमुख बिंदु:

फ्लोर टेस्ट से संबंधित राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान:

परिचय:

- अनुच्छेद 174 -राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 174 (2) (b) राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है हालाँकि राज्यपाल अपने विवेक का तब प्रयोग कर सकता है जब ऐसा मुख्यमंत्री सलाह प्रदान करता है, जिसका बहुमत संदेह में हो सकता है।
  - अनुच्छेद 175 (2) के अनुसार, राज्यपाल सदन का सत्र आहूत कर सकता है और यह साबित करने के लिये फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है या नहीं।
- हालाँकि, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार ही उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।
- जब सदन सत्र में होता है, तो अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिये बुला सकता है। लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाने की अनुमति दे सकता हैं।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति:

- अनुच्छेद 163 (1) अनिवार्य रूप से राज्यपाल की किसी भी विवेकाधीन शक्ति को केवल उन मामलों तक सीमित करता है जहाँ संविधान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल को अपने विवेक पर कार्य करना चाहिये और इसे स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहिये।
- राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तब कर सकता है जब मुख्यमंत्री ने सदन का समर्थन खो दिया हो तथा उसका समर्थन बहस योग्य हो।
- आमतौर पर तब मुख्यमंत्री पर संदेह किया जाता है जब उन्होंने बहुमत खो दिया है तो विपक्ष और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाएंगे।

- कई मौकों पर अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब सत्तारूढ़ दल का बहुमत सवालों के घेरे में हो, तो जल्द-से-जल्द उपलब्ध अवसर पर एक फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिये।

फ्लोर टेस्ट बुलाने में राज्यपाल की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का विचार:

- वर्ष 2016 में नबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष (अरुणाचल प्रदेश विधानसभा मामला) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सदन को बुलाने की शक्ति केवल राज्यपाल में निहित नहीं है और इसका उपयोग मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के साथ किया जाना चाहिये, न कि अपने विवेक पर।
- न्यायालय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि राज्यपाल एक निर्वाचित प्राधिकारी नहीं है, वह केवल राष्ट्रपति का नामांकित व्यक्ति है, ऐसे नामित व्यक्ति का राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों का गठन करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों पर अधिभावी अधिकार नहीं हो सकता है।
- राज्यपाल को राज्य विधानमंडल या राज्य कार्यपालिका को अधिशासित करने की अनुमति देना संविधान के प्रावधानों में निहित मज़बूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से संकेत नहीं देता। विशेष रूप से इसलिये क्योंकि संविधान की स्थापना मंत्री पद की ज़िम्मेदारी के सिद्धांत पर की गई है।
- वर्ष 2020 में शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम स्पीकर, मध्य प्रदेश विधानसभा और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की शक्तियों को बरकरार रखा कि यदि प्रथम दृष्टया कोई विचार है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, तो शक्ति परीक्षण हेतु बुलाने के लिये स्पीकर की शक्तियों को बरकरार रखा।
- वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा और अन्य में स्पीकर की शक्तियों में फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाने की शक्ति को बरकरार रखा, यदि प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है।
    - "राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है, जहाँ राज्यपाल के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं, इस मुद्दे का मूल्यांकन फ्लोर टेस्ट के आधार पर किया जाना चाहिये।

फ्लोर टेस्ट:

- यह बहुमत के परीक्षण के लिये उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री (CM) के खिलाफ संदेह है, तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिये कहा जा सकता है।
    - गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत और बहुमत हासिल करने के लिये कहा जा सकता है।
- स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लिये एक से अधिक व्यक्ति दावा कर रहे हों, राज्यपाल यह देखने के लिये एक विशेष सत्र बुला सकते हैं कि सरकार बनाने के लिये किसके पास बहुमत है।
    - कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या मतदान नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में संख्याओं पर केवल उन विधायकों के आधार पर विचार किया जाता है जो मतदान करने के लिये उपस्थित थे।

भूगोल

ग्रीष्म अयनांत: 21 जून

चर्चा में क्यों?

21 जून उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत का दिन है।

- इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ग्रीष्म अयनांत

- परिचय:
  - अयनांत एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "Stalled Sun" यानी "ठहरा हुआ सूर्य"। यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्द्ध में वर्ष में दो बार होती है, एक बार ग्रीष्म ऋतु में और एक बार शीत ऋतु में। जिसे क्रमश: ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत कहते है।
  - यह उत्तरी गोलार्द्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है।
  - इस दौरान उत्तरी गोलार्द्ध के देश सूर्य के सबसे निकट होते हैं और सूर्य कर्क रेखा (23.5° उत्तर) पर ऊपर की ओर चमकता है।
    - 23.5° के अक्षांशों पर कर्क और मकर रेखाएँ भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित हैं।
    - 66.5° पर उत्तर और दक्षिण में आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त हैं।
    - अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का माप है।
  - संक्रांति के दौरान पृथ्वी की धुरी जिसके चारों ओर ग्रह एक चक्कर पूरा करता है। इस तरह झुका हुआ है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है और दक्षिणी ध्रुव इससे दूर स्थित है।
  - आमतौर पर, यह काल्पनिक धुरी ऊपर से नीचे तक पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है और हमेशा सूर्य के संबंध में 23.5° झुकी होती है।

- ऊर्जा की अधिक मात्रा:
  - सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की अधिक मात्रा इस दिन की विशेषता है। NASA (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के अनुसार, इस दिन पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा उत्तरी ध्रुव पर भूमध्य रेखा की तुलना में 30% अधिक है।
  - इस दौरान उत्तरी गोलार्ध द्वारा प्राप्त सूर्य के प्रकाश की अधिकतम मात्रा आमतौर पर 20, 21 या 22 जून को होती है। इसके विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश 21, 22 या 23 दिसंबर को प्राप्त होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रातें होती है।

संक्रांति के पीछे का भूगोल :

- इसके पीछे पृथ्वी के झुकाव के कारण दिनों की बदलती लंबाई है।
- पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपने कक्षीय तल से 23.5° के कोण पर झुका हुआ है। यह झुकाव, पृथ्वी की परिक्रमा और कक्षा जैसे कारकों के साथ, सूर्य के प्रकाश की अवधि में भिन्नता की ओर जाता है, जिसके कारण ग्रह पर किसी भी स्थान को अलग-अलग दिनों की अवधि प्राप्त होती है।
  - उत्तरी गोलार्द्ध सूर्य की दिशा में झुका हुआ आधा वर्ष बिताता है, लंबे गर्मी के दिनों में सीधी धूप प्राप्त करता है। वर्ष के दूसरे भाग के दौरान, यह सूर्य से दूर झुक जाता है, और दिन छोटे होते हैं।
- झुकाव पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों के लिये भी ज़िम्मेदार है। इस घटना के कारण सूर्य की गति उत्तरी से दक्षिणी गोलार्द्ध की ओर होती है और इसके विपरीत यह वर्ष में मौसमी परिवर्तन लाता है।

विषुव:

- वर्ष में दो बार विषुव ("बराबर दिन/रातें") के दौरान पृथ्वी की धुरी हमारे सूर्य की ओर नहीं होती है, बल्कि आने वाली किरणों के लंबवत होती है।
- इसका परिणाम सभी अक्षांशों पर "लगभग" समान अवधि की दिन और रात होती है।
- वसंत विषुव (Spring Equinox) उत्तरी गोलार्द्ध में 20 या 21 मार्च को होता है। 22 या 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्द्ध में शरद ऋतु या पतझड़ विषुव होता है।

बेदती-वरदा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना

चर्चा में क्यों ?

कर्नाटक में दो पर्यावरण समूहों ने बेदती और वरदा नदियों को जोड़ने की परियोजना की आलोचना करते हुए इसे अवैज्ञानिक और जनता के पैसे की बर्बादी बताया है।

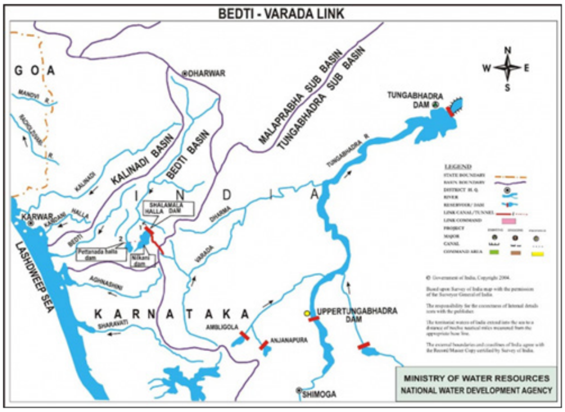

बेदती-वरदा परियोजना:

- बेदती-वरदा परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1992 में पेयजल की आपूर्ति के लिये की गई थी ।
- इस योजना का उद्देश्य अरब सागर की ओर पश्चिम में बहने वाली एक नदी बेदती को तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी वरदा के साथ जोड़ना है, जो कृष्णा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- गदग ज़िले के हिरेवाडट्टी में एक विशाल बाँध बनाया जाएगा।
- उत्तर कन्नड़ ज़िले के सिरसी के मेनासागोडा में पट्टनहल्ला नदी पर एक दूसरा बाँध बनाया जाएगा।
- दोनों बाँध सुरंगों के माध्यम से वरदा तक पानी ले जाएंगे।
- पानी केंगरे तक पहुँच जाएगा और फिर हक्कालुमाने तक 6.88 किमी. की सुरंग से नीचे प्रवाहित होगा, जहाँ यह वरदा में शामिल हो जाएगा।
- इस प्रकार इस परियोजना में उत्तर कन्नड़ ज़िले के सिरसी-येलापुरा क्षेत्र के जल को रायचूर, गडग और कोप्पल ज़िलों के शुष्क क्षेत्रों में ले जाने की परिकल्पना की गई है।
- बेदती और वरदा नदियों की पट्टनहल्ला (Pattanahalla) और शाल्मलाहल्ला (Shalmalahalla) सहायक नदियों से कुल 302 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, जबकि 222 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बेदती नदी के विपरीत बने सुरेमाने बैराज से निकाला जाएगा।
- गडग तक पानी खींचने के लिये परियोजना को 61 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। इसके बाद भी यह पता नहीं चल पाया है कि पानी गडग तक पहुँचेगा या नहीं।

परियोजना से जुड़े मुद्दे:

- मार्ग के पुन:निर्धारण में मुश्किल :
  - पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को पूर्व की ओर बहने के लिये पुनर्निर्देशित करना कठिन कार्य है।
- वर्षा जल पर निर्भर नदियाँ:
  - गर्मियों की शुरुआत में, बेदती और वरदा नदियाँ सूखने लगती हैं।.
  - यह एक दुखद विडंबना है कि सरकार द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक इन नदियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के बहाने आपस में जोड़ने की योजना बना रहे हैं, यह जानते हुए भी कि वे पूरे साल नहीं बहती हैं।
- उचित प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अभाव:
  - सिंचाई विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report- DPR) सटीक नहीं है क्योंकि यह पानी की उपलब्धता का आकलन किये बिना और बेदती-अघानाशिनी और वरदा नदियों के अंतर्संबंध पर राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (National Water Development Agency- NWDA) की रिपोर्ट के अवलोकन को उद्धृत किये बिना तैयार की गई थी।
- पर्यावरणीय प्रभाव :
  - 500 एकड़ से ज्यादा जंगल खत्म हो जाएँगे। अंतत: परिणाम यह होगा कि पानी की भी काफी कमी हो जाएगी।
  - इस परियोजना से वनस्पतियों और जीवों को भी नुकसान होगा।
  - प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा बेदती घाटी को एक सक्रिय जैव विविधता क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है।
  - यह क्षेत्र 1,741 प्रकार के फूलों के पौधों के साथ-साथ पक्षियों और जानवरों की 420 प्रजातियों का आवास है।
  - नदी के साथ जो पोषक तत्त्व होते हैं, वे विशेष रूप से देदी में बेदती के मुहाने पर मछली के भंडार को बनाए रखने के लिये उत्तरदायी होते हैं।
  - नदी घाटी लगभग 35 विभिन्न पशु प्रजातियों के लिये गलियारे (corridor) के रूप में कार्य करती है। मुहाना क्षेत्र में बेदती को गंगावली के नाम से जाना जाता है।
- हजारों लोगों के प्रभावित जीवन:
  - बेदती और वरदा नदियाँ तट के किनारे मछली पकड़ने वाले समुदायों के अलावा, पश्चिमी घाट की तलहटी, मालेनाडु क्षेत्र में हज़ारों किसानों के लिये जीवन जीने का आधार है।

आगे की राह:

- नदियों को आपस में जोड़ने के अपने लाभ और नुकसान हैं, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए इस परियोजना को केंद्रीकृत राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना एक समझदारी भरा निर्णय नहीं हो सकता है।

- इसके बजाय नदियों को जोड़ने का विकेन्द्रीकृत तरीके से अनुसरण किया जा सकता है, और बाढ़ एवं सूखे को कम करने के लिये वर्षा जल संचयन जैसे अधिक टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

गहन अनुकूलन के तहत अवशिष्ट बाढ़ क्षति

चर्चा में क्यों ?

प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, गहन अनुकूलन के तहत अवशिष्ट बाढ़ क्षति, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक विकास के कारण नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ने की उम्मीद है।

- गहन अनुकूलन के तहत अवशिष्ट बाढ़ क्षति स्थानीय आर्थिक परिदृश्यों और लागत अनुकूलन उपायों के आधार पर अवशिष्ट बाढ़ क्षति (RFD) की लागत को मापने का प्रयास करके अनुकूलतम बाढ़ उपायों को नियोजित करने की वैश्विक लागत का अनुमान लगाने का प्रयास करती है।

अवशिष्ट बाढ़ क्षति (RFD):

- RFD का तात्पर्य संभावित अनुकूलन लागतों के आधार पर अनुकूलन रणनीति के तहत बाढ़ क्षति में अपरिहार्य वृद्धि से है।
  - बाढ़ के संदर्भ में अनुकूलन रणनीति में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिये नियोजित अवसंरचनात्मक उपाय शामिल हैं।
- RFD कुल अपेक्षित वार्षिक क्षति (EAD) का हिस्सा है।
  - अपेक्षित वार्षिक क्षति विभिन्न घटनाओं पर गणना की गई बाढ़ क्षति का औसत है।
- इसकी गणना पिछले EAD (1970-2000) और भविष्य के EAD अनुमानों (1000 वर्ष के आधार पर) को घटाकर की जाती है।

निष्कर्ष:

- असम को 943 वर्षों के बाढ़ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी ताकि एक संकट को रोका जा सके जैसा कि वह सामना कर रहा है यदि इसकी तैयारी और जलवायु अनुकूलन की गति में वृद्धि नहीं होती है।
  - वर्ष 2022 में बाढ़ की शुरुआत मई के आरंभ में हुई, जिसमें मार्च-मई में औसत से 62% अधिक वर्षा हुई, जो 10 साल के उच्चतम स्तर पर थी।
  - वर्तमान में असम के 35 में से 33 जिले ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष 4.2 मिलियन से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 20 जून तक 100,000 हेक्टेयर से अधिक फसल भूमि को नुकसान पहुँचा है।
- बिहार, उत्तर प्रदेश और मेघालय जैसे अन्य बाढ़ प्रवण राज्यों को क्रमश: 966, 935 और 996 वर्षों की आवश्यकता होगी।
  - भारत में नदी की बाढ़- जिसे प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है- आर्थिक नुकसान का पर्याय बन गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, वर्ष 1953-2017 तक देश में बाढ़ से संबंधित कुल नुकसान 37 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
- दक्षिण एशिया में RFD लगभग 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर और अनुकूलन लागत लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
- RFD (सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में) पूर्वी चीन, भारत के उत्तरी भागों और अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य क्षेत्रों में उच्च स्तर पर रहा।
- RFD को कम निर्माण अवधि या कम अनुकूलन लागत के साथ कम किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि तत्काल और उपयुक्त अनुकूलन कार्यों की आवश्यकता है, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिये वित्तीय सहायता में वृद्धि शामिल है।

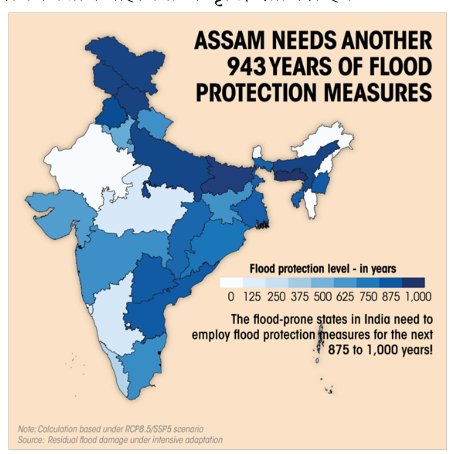

बाढ़:

- बाढ़ के बारे में:
  - यह सामान्य रूप से शुष्क भूमि पर पानी का अति प्रवाह होता है। समुद्र की लहरों के तट पर टकराने , बर्फ के जल्दी पिघलने या बाँध के टूटने या भारी बारिश के होने से बाढ़ आ सकती है।
  - हानिकारक बाढ़ का स्तर केवल कुछ इंच तक हो सकता है, या यह एक घर की छत को ढहा सकता है। बाढ़ मिनटों के भीतर या लंबी अवधि में आ सकती है, और दिनों, हफ्तों या उससे अधिक समय तक रह सकती है। मौसम संबंधी सभी प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ सबसे आम और व्यापक है।
  - फ्लैश फ्लड सबसे खतरनाक प्रकार की बाढ़ हैं, क्योंकि वे बाढ़ की विनाशकारी शक्ति को अविश्वसनीय गति से जोड़ती हैं।

- अचानक बाढ़ तब आती है जब वर्षा ज़मीन को अवशोषित करने की क्षमता से अधिक हो जाती है।
- जब पानी सामान्य रूप से सूखी खाड़ियों या नालों में भर जाता है या पर्याप्त पानी जमा हो जाता है तब फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा होती है, जिससे पानी की धाराएँ किनारों को पार कर जाती हैं, जिससे कम समय में ही पानी से बढ़ जाता है।
- यह फ्लैश फ्लड वर्षा के कुछ मिनटों के भीतर ही हो जाता है।
- जिसके कारण जनता को चेतावनी देना या उनकी सुरक्षा के उपाय के लिये कम समय मिल पाता है।

- उपाय:
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क
  - राष्ट्रीय बाढ़ आयोग
  - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
  - फ्लड प्लेन ज़ोनिंग

नाइजीरिया में उच्च श्रेणी के लिथियम की खोज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नाइजीरिया में उच्च श्रेणी के लिथियम की खोज की गई है।

- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ग्रीनबुश खदान विश्व की सबसे बड़ी हार्ड-रॉक लिथियम खदान है।
- लिथियम के सबसे बड़े आयातक दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, अमेरिका और बेल्जियम हैं।

लिथियम:

- परिचय:
  - लिथियम एक तत्त्व है और प्रकृति में दो खनिजों, स्पोड्यूमिन एवं लेपिडोलाइट में पर्याप्त रूप में सांद्रित होता है।
  - वे आमतौर पर विशेष चट्टानों में पाए जाते हैं जिन्हें दुर्लभ और ग्रीसेन्स कहा जाता है
  - भूवैज्ञानिक एजेंसी ने लिथियम को उच्च श्रेणी के रूप में वर्णित किया क्योंकि यह 1-13% ऑक्साइड सामग्री के साथ पाया जाता है। आमतौर पर अन्वेषण 0.4% के निचले स्तर पर शुरू होता है।
    - श्रेणी/ग्रेड (प्रतिशत में) खनिजों और या चट्टानों (जिसमें यह पाया जाता है) में लिथियम की सांद्रता का माप है।
    - इसलिये श्रेणी जितनी उच्च होगी, आर्थिक व्यवहार्यता उतनी ही अधिक होगी। लिथियम जैसी धातुओं के लिये उच्च ग्रेड बहुत दुर्लभ हैं।
- अनुप्रयोग:
  - विशेष काँच और चीनी मिट्टी की वस्तुएँ:
    - लिथियम डिसिलिकेट ($Li_2Si_2O_5$) एक रासायनिक यौगिक है जिससे काँच और चीनी मिट्टी की वस्तुएँ बनती हैं।
    - इसकी मज़बूती, यांत्रिकता और अर्द्ध-पारदर्शिताा के कारण इसे व्यापक रूप से दंत सिरेमिक के रूप में उपयोग किया जाता है।
  - मिश्र धातु बनाना:
    - लिथियम धातु का प्रयोग उपयोगी मिश्र धातुओं को बनाने के लिये किया जाता है
    - उदाहरणत: मोटर इंजन के 'व्हाइट मेटल' बियरिंग बनाने के लिये लेड के साथ, एयरक्राफ्ट के पुर्जे बनाने के लिये एल्युमीनियम के साथ और आर्मर प्लेट बनाने के लिये मैग्नीशियम के साथ।
  - रिचार्जेबल बैटरी:
    - लिथियम का उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। लिथियम का उपयोग कुछ गैर-रिचार्जेबल बैटरियों में हृदय पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसी चीज़ों के लिये भी किया जाता है। बैटरी के विभिन्न प्रकार हैं:
    - लिथियम-कोबाल्ट ऑक्साइड बैटरी: इसका उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है और इसे इलेक्ट्रिक वाहनों में लगाया जा रहा है। यह अपेक्षाकृत सस्ती है।
    - लिथियम-निकल-मैंगनीज़-कोबाल्ट: यह बैटरी रसायन विज्ञान की एक नई, उच्च प्रदर्शन करने वाली श्रेणी है। यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाज़ार के लिये विकसित की गई है, लेकिन इसकी बढ़ती लागत प्रभावशीलता के कारण इसका व्यापक उपयोग हो रहा है।
    - लिथियम आयरन फॉस्फेट: यह अपेक्षाकृत उच्च प्रदर्शन के साथ सबसे सुरक्षित तकनीक है लेकिन अपेक्षाकृत महंगी है। यह चीन में बहुत लोकप्रिय है।
    - लिथियम-निकल-कोबाल्ट-एल्युमीनियम ऑक्साइड: इसे कोबाल्ट की खपत को कम करने के लिये विकसित किया गया है और इसे एक ठोस प्रदर्शनकर्त्ता व उचित लागत के लिये जाना जाता है। यह चीन के बाहर भी लोकप्रिय हो रही है।

- अत्यधिक मांग:
  - स्वच्छ ऊर्जा के प्रति बढ़ते रुझान के कारण लिथियम की मांग आसमान काफी बढ़ गई है क्योंकि अधिकांश देश जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने और शून्य उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने की योजना बना रहे हैं।
    - वैश्विक स्तर पर लिथियम का उत्पादन वर्ष 2010 के 28,100 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2019 में 86,000 मीट्रिक टन हो गया है। चुनौती बाज़ार में पर्याप्त लिथियम की आपूर्ति करने की होगी।
- भारत में लिथियम:
  - परमाणु खनिज निदेशालय (भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के तहत) के शोधकर्त्ताओं ने हालिया सर्वेक्षणों से दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या ज़िले में भूमि के एक छोटे से हिस्से में 14,100 टन के लिथियम भंडार की उपस्थिति का अनुमान लगाया है।
    - साथ ही भारत की पहली लीथियम भंडार साइट भी मिली।

लिथियम के आयात को कम करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- भारत ने आयातित लिथियम पर अपनी निर्भरता को कम करने और स्थानीय इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उद्योग के विकास को गति देने के लिये एक मल्टी-मोडल रणनीति (Multi-Modal strategy) अपनाई है।
- राज्य द्वारा संचालित खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (Khanij Bidesh India Ltd- KABIL) विदेशों में लिथियम और कोबाल्ट खदानों के अधिग्रहण के लिये अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया एवं बोलीविया में प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रही है।
- इन देशों में लिथियम के समृद्ध भंडार हैं।
- भारत द्वारा शहरी खनन (Urban Mining) पर भी कार्य किया जा रहा है जहाँ पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग किया जाता है, इससे ताज़ा लिथियम इनपुट पर निर्भरता कम होगी तथा आयात में और कमी आएगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पृथ्वी-II मिसाइल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी- II का रात में सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- इससे पहले इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि- IV का परीक्षण किया गया था जो 4,000 किमी. की दूरी तय कर सकती है।

पृथ्वी-II मिसाइल की मुख्य विशेषताएँ:

- परिचय:
  - पृथ्वी-II एक स्वदेश में विकसित सतह-से-सतह पर मार करने वाली शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) है, जिसकी रेंज लगभग 250-350 किमी. है और यह एक टन पेलोड ले जा सकती है ।
  - पृथ्वी-II वर्ग एक एकल-चरण तरल-ईंधन वाली मिसाइल है, जिसमें 500-1000 किग्रा. की वारहेड माउंटिंग क्षमता है।
  - यह मिसाइल प्रणाली बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है।
  - अत्याधुनिक मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने के लिये कुशल प्रक्षेपवक्र के साथ एक उन्नत जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करती है।
  - इसे शुरू में भारतीय वायुसेना के लिये प्राथमिक उपयोगकर्त्ता के रूप में विकसित किया गया था और बाद में इसे भारतीय सेना में भी शामिल किया गया था।
  - जबकि मिसाइल को 2003 में पहली बार भारत के सामरिक बल कमान में शामिल किया गया था, यह IGMDP के तहत विकसित पहली मिसाइल थी।
- निर्माण:
  - भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत।

पृथ्वी मिसाइल:

- पृथ्वी मिसाइल प्रणाली में विभिन्न सामरिक सतह से सतह पर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) शामिल हैं।
- इसका विकास वर्ष 1983 में शुरू हुआ और यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी।
- इसका पहला परीक्षण वर्ष1988 में श्रीहरिकोटा, शार (SHAR) सेंटर से किया गया था।
  - इसकी रेंज 150-300 किमी. है।
- पृथ्वी I और पृथ्वी III श्रेणी की मिसाइलों के नौसैनिक संस्करण का कोड-नाम धनुष है।
- प्रणोदन तकनीक सोवियत SA-2 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर आधारित थी।
  - सोवियत SA-2 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल:
    - वर्ष 1950 के दशक के मध्य में विकसित, सोवियत SA-2 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सोवियत संघ की सतह से हवा में मार करने वाली पहली प्रभावी मिसाइल थी।
    - इसे सारिक परमाणु हथियार के रूप में युद्धक्षेत्र मिसाइल हेतु डिज़ाइन किया गया था जो परमाणु हथियार ले जा सकता था।
- पृथ्वी I मिसाइल वर्ष 1994 से भारतीय सेना में सेवारत है।
  - कथित तौर पर, प्रहार मिसाइलों को पृथ्वी I मिसाइलों से बदला जा रहा है।
- पृथ्वी II मिसाइलें वर्ष 1996 से सेवा में हैं।

- 350 किमी. की अधिक विस्तारितरेंज वाले पृथ्वी III का वर्ष 2004 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP):

- परिचय:
    - IGMDP मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुसंधान और विकास के लिये भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था।
    - परियोजना वर्ष 1982-1983 में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुई थी
    - इस कार्यक्रम ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन बना दिया।
    - एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम वर्ष 2008 में पूरा हुआ था।

IGMDP के तहत विकसित पाँच मिसाइलें:

- इस कार्यक्रम के तहत विकसित 5 मिसाइलें (P-A-T-N-A) हैं:
    - पृथ्वी: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल।
    - अग्नि: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अग्नि (1,2,3,4,5)।
    - त्रिशूल: सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल।
    - नाग: तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल।
    - आकाश: सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल।

टाइप-1 डायबिटीज़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (IMCR) ने टाइप-1 डायबिटीज़ के निदान, उपचार और प्रबंधन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये।

- यह पहली बार है जब ICMR ने विशेष रूप से टाइप-1 डायबिटीज़ के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जो टाइप-2 की तुलना में दुर्लभ है।

डायबिटीज़:

- परिचय: डायबिटीज़ एक गैर-संचारी (Non-Communicable Disease) रोग है जो किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब मानव अग्न्याशय (Pancreas) पर्याप्त इंसुलिन (एक हार्मोन जो रक्त शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है) का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग करने में असफल रहता है।
- डायबिटीज़ के प्रकार:
    - टाइप (Type)-1:
        - इसे 'किशोर-मधुमेह' के रूप में भी जाना जाता है (क्योंकि यह ज़्यादातर 14-16 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है), टाइप-1 मधुमेह तब होता है जब अग्न्याशय (Pancreas) पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है।
        - यह मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों में पाया जाता है। हालाँकि इसका प्रसार कम है और टाइप-2 की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है।
    - टाइप (Type)-2:
        - यह शरीर के इंसुलिन का उपयोग करने के तरीके को प्रभावित करता है, जबकि शरीर अभी भी इंसुलिन निर्माण कर रहा होता है।
        - टाइप-2 डायबिटीज़ या मधुमेह किसी भी उम्र में हो सकता है, यहाँ तक कि बचपन में भी। हालाँकि मधुमेह का यह प्रकार ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध लोगों में पाया जाता है।

- गर्भावस्था के दौरान मधुमेह: यह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में तब होता है जब कभी-कभी गर्भावस्था के कारण शरीर अग्न्याशय में बनने वाले इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। गर्भकालीन मधुमेह सभी महिलाओं में नहीं पाया जाता है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या दूर हो जाती है।
- मधुमेह के प्रभाव: लंबे समय तक बगैर उपचार या सही रोकथाम न होने पर मधुमेह गुर्दे, हृदय, रक्त वाहिकाएँ, तंत्रिका तंत्र और आँखें (रेटिना) आदि से संबंधित रोगों का कारण बनता है।
- ज़िम्मेदार कारक: मधुमेह में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार कारक हैं- अस्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, शराब का अत्यधिक सेवन, अधिक वज़न/मोटापा, तंबाकू का उपयोग आदि।

टाइप (Type)-1 की संभावना:

- विश्व में टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित 10 लाख बच्चों और किशोरों में से सबसे अधिक संख्या भारत में है।
- भारत में टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित 2.5 लाख लोगों में से 90,000 से 1 लाख लोग 14 वर्ष से कम आयु के हैं।
- देश में मधुमेह के सभी अस्पतालों में केवल 2% टाइप-1 के मामले हैं जिनका निदान अधिक बार किया जा रहा है।

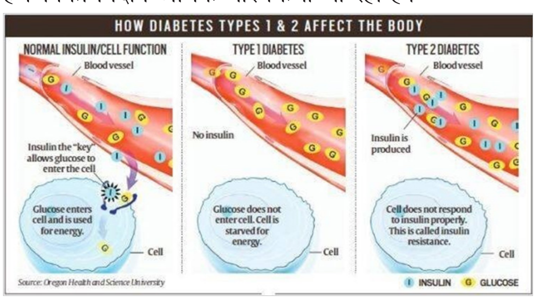

मधुमेह में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार कारक:

- आनुवंशिक कारक: यह किसी व्यक्ति में टाइप-1 मधुमेह को निर्धारित करने में भूमिका निभाता है। एक बच्चे में मधुमेह का खतरा निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है:
  - माँ के संक्रमित होने पर 3%।
  - पिता के संक्रमित होने पर 5%।
  - भाई-बहन के संक्रमित होने पर 8%।
- कुछ जीनों की उपस्थिति: यह रोग के साथ भी दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिये सामान्य जनसंख्या में 2.4% की तुलना में टाइप-1 मधुमेह के रोगियों में DR3-DQ2 और DR4-DQ8 नामक जीन की व्यापकता 30-40% है।
  - DR3- DQ2 और DR4-DQ8 का अर्थ है कि रोगी सीलिएक रोग के लिये अनुमेय है और रोग विकसित करने या होने में सक्षम है।

संभावित उपचार:

- ग्लूकोज़ मॉनीटरिंग: निरंतर ग्लूकोज़ मॉनीटरिंग डिवाइस सेंसर की मदद से पूरे 24 घंटे में रक्त में ग्लूकोज़ के स्तर की निगरानी की जा सकती है।
- कृत्रिम अग्न्याशय: यह आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित रूप से इंसुलिन प्रवाहित कर सकता है।

संबंधित पहल:

- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS):
- प्रमुख NCDs को रोकने और नियंत्रित करने के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में आधारभूत संरचना को मज़बूत करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्द्धन, शीघ्र निदान, प्रबंधन और रेफरल पर ध्यान देने के साथ यह पहल शुरू की गई थी।
- विश्व मधुमेह दिवस:
- यह प्रत्येक वर्ष4 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 का दिवस 'मधुमेह शिक्षा तक पहुँच पर केंद्रित होगा।
- वैश्विक मधुमेह कॉम्पैक्ट:
- WHO ने इंसुलिन की खोज की शताब्दी को चिह्नित करते हुए बेहतर तरीके से बीमारी से लड़ने के लिये वैश्विक मधुमेह कॉम्पैक्ट लॉन्च किया।

वेब 5.0

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पूर्व ट्विटर सीईओ जैक डोर्सी ने एक नए विकेंद्रीकृत वेब प्लेटफॉर्म हेतु अपने विज़न की घोषणा की है जिसे वेब 5.0 कहा जा रहा है, इसे व्यक्तियों को उनकी "डेटा और पहचान का स्वामित्व" (Ownership Of Data And Identity) वापस करने के उद्देश्य से निर्मित किया जा रहा है।

- इसे पूर्व ट्विटर सीईओ बिटकॉइन बिज़नेस यूनिट, द ब्लॉक हेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) अरबों लोगों द्वारा अन्य लोगों के साथ बातचीत करने और जानकारी को पढ़ने और लिखने हेतु उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक उपकरण है जिसका विकास वेब 1.0 से वेब 5.0 तक हुआ है।

प्रमुख बिंदु:

सबसे पहले हमें इंटरनेट के पुराने संस्करणों जैसे- वेब 1.0, वेब, 2.0 और वेब 3.0 को समझने की आवश्यकता है।

- वेब 1.0, वैश्विक डिजिटल संचार नेटवर्क की पहली पीढ़ी है। इसे अक्सर "केवल पढ़ने के लिये" इंटरनेट के रूप में संदर्भित किया जाता है जो स्थिर वेब पेजों से निर्मित है और केवल निष्क्रिय रूप से जुड़ने की अनुमति देता है।

- वेब 2.0, वेब के विकास में अगला चरण है जिसके द्वारा "पढ़ने और लिखने" को इंटरनेट के माध्यम से संदर्भित किया गया। उपयोगकर्त्ता अब सर्वर एवं उन अन्य उपयोगकर्त्ताओं के साथ संचार कर सकते हैं जिससे सोशल वेब का निर्माण हुआ है। यह वर्ल्ड वाइड वेब है जिसका हम वर्तमान में उपयोग करते हैं।
- वेब 3.0, एक उभरता हुआ शब्द है जो "पठन, लेखन और निष्पादन वेब' (read, write, execute Web) के रूप में एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर संचालित होगा।
    - यह एक डिजिटल दुनिया के बारे में बताता है, जिसे ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाकर बनाया गया है, जहाँ लोग बिना किसी मध्यस्थ की आवश्यकता के एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम होते हैं।
    - यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित होगा जहाँ मशीनें इंसानों की तरह सूचनाओं की व्याख्या कर सकती हैं।
- वेब 5.0:
    - वेब 5.0 (Web 5.0) को जैक डोर्सी की बिटकॉइन बिज़नेस यूनिट, 'द ब्लॉक हेड' (The Block Head– TBH) द्वारा विकसित किया जा रहा है। वेब 5.0 का उद्देश्य "एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब का निर्माण करना है जो किसी के डेटा और पहचान को नियंत्रित कर सकता है"।
    - वेब 5.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 का संयुक्त संस्करण है, जो उपयोगकर्त्ताओं को 'इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाए रखने और 'अपने डेटा को नियंत्रित करने' की अनुमति देगा।
    - वेब 3.0 और वेब 5.0 दोनों ही सरकारों या उच्च तकनीक के कारण सेंसरशिप के खतरे के बिना, और महत्त्वपूर्ण आउटेज के डर के बिना एक इंटरनेट की कल्पना है।
    - महत्त्व: यह किसी व्यक्ति की "पहचान और नियंत्रण" को बदलने तथा उपयोगकर्त्ताओं को अपने स्वयं के डेटा पर नियंत्रण रखने के बारे में बात करता है, यह पूरी तरह से उपयोगकर्त्ता पर निर्भर करता है कि उसके डेटा को विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन पर गुमनाम रूप से एन्क्रिप्ट किया जाए या मुद्रीकरण और विज्ञापन के लिये उस डेटा को विक्रेताओं को बेचने के लिये।

वेब 5.0 से संबंधित चुनौतियाँ:

- निकट भविष्य में इस तकनीक के शायद ही कोई निहितार्थ हो क्योंकि यह एक बहुत ही प्रारंभिक चरण का विचार है और कोई नहीं जानता कि यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ होगा।
- संप्रभु सरकार इस विकेंद्रीकृत मंच की अनुमति कैसे देगी जो किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है, यह सरकार और वेब 5.0 के प्रमोटरों के बीच विवाद का कारण बन सकता है।
- अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि तंत्र कैसे काम करेगा, इसे कौन नियंत्रित करेगा और महिलाओं, बच्चों आदि जैसे कमज़ोर लोगों के लिये सुरक्षा परिदृश्य क्या है।

आगे की राह

- सरकार और प्रमोटर दोनों की ओर से एक उचित खाका व नीति के निर्माण की आवश्यकता है।
- वास्तविक दुनिया में प्रभावकारिता का परीक्षण करने की आवश्यकता है।
- व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की आवश्यकता और व्यक्तिगत गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- यह उद्यम पूंजीपतियों के लिये अपने स्वयं के लाभ हेतु मंच को नियंत्रित करने का एक और उपकरण नहीं बनना चाहिये।
- इस प्रकार की नई और उभरती प्रौद्योगिकियों की अनदेखी करने के लिये सरकार द्वारा विनियमन निकाय की स्थापना की जानी चाहिये।

साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन' नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

- यह सम्मेलन देश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिये व्यापक जागरूकता पैदा करने के प्रयासों का हिस्सा है।
- यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत की प्रगति और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिये आजादी का अमृत महोत्सव का भी हिस्सा है।

साइबर सुरक्षा

- परिचय:
    - साइबरस्पेस नेटवर्क, संबंधित हार्डवेयर और डिवाइस सॉफ्टवेयर और उनमें शामिल और संचार करने वाली जानकारी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरों सहित सभी खतरों से संबंधित सॉफ्टवेयर और डेटा शामिल हैं, की सुरक्षा के लिये गतिविधि और अन्य उपाय किये जाते हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संबंध:
    - चूँकि भारत के खिलाफ साइबर हमले शुरू करने के लिये साइबर आर्मीज़ का गठन किया गया है, साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से निकटता से जुड़ी हुई है।
        - साइबर आर्मीज साइबर कौशल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में अत्यधिक कुशल व्यक्तियों का एक समूह है।

भारत के साइबर सुरक्षा खतरे से बचने के उपाय:

- डिजिटल इंडिया विज़न:
  - भारत डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिये सबसे तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों में से एक है, जो अपने डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करने की दिशा में सरकार के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है।
    - चाहे ब्रॉडबैंड हाईवे बनाना हो या डिजी लॉकर जैसी सेवाएँ शुरू करनी हों और जन धन योजना जैसी ई-गवर्नेंस योजनाएँ, सरकार ने जितना संभव हो उतना डिजिटल अपनाने पर ज़ोर दिया है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 45 करोड़ नए खाते खोले गए हैं और 32 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड वितरित किये गए हैं।
  - भारतनेट भी बहुत तेजी से विकसित हो रहा है इसके तहत 5.75 लाख किमी. फाइबर केबल बिछाई गई है। इसने पिछले 8 वर्षों में 1.80 लाख गाँवों को जोड़ने का काम किया गया है जो 8 साल पहले 10,000 से भी कम था।
- डिजिटल गतिविधियों का बढ़ता दायरा:
  - भारत में अब 1.15 बिलियन से अधिक फोन और 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ता हैं जो भारत को से डिजिटल रूप से मज़बूत पूल प्रदान करता है।
    - जनवरी 2020 में भारत में 550 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के साथ दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्त्ता आधार था।
    - वर्ष 2021 में कुल वैश्विक डिजिटल भुगतान का 40 प्रतिशत भारत में हुआ।
    - डिजिटल समावेशन से साइबर हमलों और अपराधों के लिये अग्रणी डिजिटल खतरों की संभावना बढ़ जाती है।

साइबर अपराध को पारंपरिक आपराधिक गतिविधि से भिन्न करने वाले कारक:

- साइबर अपराध, जिसे कंप्यूटर अपराध भी कहा जाता है, कंप्यूटर का उपयोग एक उपकरण के रूप में अवैध उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे धोखाधड़ी करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी में तस्करी और बौद्धिक संपदा की चोरी करना या गोपनीयता का उल्लंघन करना।
  - अधिकांश साइबर अपराध व्यक्तियों, निगमों या सरकारों के बारे में जानकारी पर हमला है।
  - हालाँकि हमले पारंपरिक आपराधिक गतिविधि के रूप में भौतिक शरीर पर नहीं होते हैं, वे व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट आभासी निकाय पर होते हैं, जो सूचनात्मक विशेषताओं का समूह है जो इंटरनेट पर लोगों और संस्थानों को परिभाषित करता है।

साइबर सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ:

- सेवा प्रदाता:
  - लगभग हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने से एप्लीकेशन सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग में वृद्धि हुई है जो ग्राहकों को कम से कम समय में सर्वोत्तम ऐप्स और सेवाएँ प्रदान करने से संबंधित है।
  - हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विदेशी मूल के होने या डेटा के टेराबाइट्स जो भारत के बाहर सर्वर पर रखे जाते हैं, राष्ट्रीय साइबर स्पेस के लिये संभावित खतरा पैदा करते हैं।
- व्यापक कवरेज:
  - भारत में अब 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ता हैं और यह इसे डिजिटल रूप से संवेदनशील लक्ष्यों का एक बड़ा केंद्र बनाता है। हमारे देश के आकार और विस्तार को ध्यान में रखते हुए, यह डिजिटल खतरों की निगरानी करने के लिये चुनौती के रूप में कार्य करता है।

साइबर सुरक्षा हेतु वर्तमान सरकार की पहल:

- साइबर क्राइम पोर्टल:
  - इसका उद्देश्य नागरिकों को बाल पोर्नोग्राफी/बाल यौन शोषण सामग्री या यौन स्पष्ट सामग्री जैसे बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (CP/RGR) से संबंधित ऑनलाइन सामग्री की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):
  - गृह मंत्रालय के I4C और CIS डिवीजन के तहत सात स्तंभों के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम को नियंत्रित किया जा रहा है -
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र
  - संयुक्त साइबर अपराध समन्वय
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला
- सर्ट-इन (CERT-In)
  - साइबर सुरक्षा के लिये भारत की राष्ट्रीय एजेंसी, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN) ने देश की साइबर सुरक्षा से निपटने में प्रगति के साथ सरकारी नेटवर्क पर साइबर हमलों में कमी की है।
- साइबर सुरक्षित भारत:
  - यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में एक मज़बूत साइबर

सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। यह 'डिजिटल इंडिया' के लिये सरकार के विज़न के अनुरूप है। राष्ट्रीय ई-गवर्नमेंट डिवीजन (NeGD) ने इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया।

- साइबर स्वच्छता केंद्र:
  - यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक स्थापना है, जिसका उद्देश्य बॉटनेट संक्रमणों का पता लगाकर भारतीय उपयोग कर्त्ताओं के लिये सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना है और अंतिम उपयोगकर्त्ताओं को अपने सिस्टम को साफ करने और उसके बाद आगे के संक्रमणों को रोकने के लिये अपने सिस्टम को सुरक्षित करने में सक्षम बनाना है।
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक:
  - दुनिया भर में डेटा उल्लंघनों ने भारतीय नागरिकों के लिये व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु खतरा पैदा किया, स्थानीय डेटा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, PDP विधेयक को वैश्विक उल्लंघनों से बचाने के लिये केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

आगे की राह

साइबर-सुरक्षित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, भारत को एक मजबूत साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता होगी जो सरकारी प्रणालियों, नागरिकों और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करे। यह न केवल नागरिकों को साइबर खतरों से बचाने में मदद करेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाएगा।

- विश्वविद्यालय और स्कूल के पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा को एक उच्च-डेसिबल जागरूकता विषय के रूप में शामिल करना चाहिये।
- नियमित भेद्यता मूल्यांकन करने और बढ़ते साइबर खतरे के बारे में आवश्यक जागरूकता पैदा करने के लिये सार्वजनिक डोमेन में अधिकारियों पर भी दबाव डालने की आवश्यकता है।
- साइबर हमलों की जाँच के लिये विश्वसनीय स्वदेशी समाधान विकसित करने हेतु साइबर सुरक्षा के लिये एक समर्पित उद्योग मंच स्थापित किया जाना चाहिये।

क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) संसाधनों को 'महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना/क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर '(Critical Information Infrastructure-CII) के रूप में घोषित किया है।

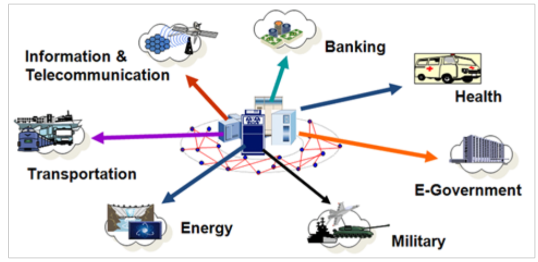

प्रमुख बिंदु

क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुर्बल प्रभाव पड़ेगा।
- सरकार, 2000 के आईटी अधिनियम के तहत, उस डिजिटल संपत्ति की रक्षा के लिये किसी भी डेटा, डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या संचार बुनियादी ढाँचे को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है।
- कोई भी व्यक्ति जो कानून के उल्लंघन में किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुँच सुरक्षित करता है या सुरक्षित होने का प्रयास करता है, उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

CII के वर्गीकरण और संरक्षण की आवश्यकता:

- वैश्विक अभ्यास: दुनिया भर की सरकारें अपने महत्त्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढाँचे की रक्षा के लिये तत्परता से आगे बढ़ रही हैं।
- अनगिनत अतिमहत्त्वपूर्ण अभियानों की रीढ़: आईटी संसाधन, देश के बुनियादी ढाँचे में अनगिनत महत्त्वपूर्ण संचालन की रीढ़ हैं और उनकी परस्परता को देखते हुए, व्यवधानों का सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव हो सकता है।
- आईटी की विफलता अन्य क्षेत्रों के लिये प्रतिकूल: पावर ग्रिड में सूचना प्रौद्योगिकी की विफलता के कारण स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग सेवाओं आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक व्यवधान हो सकता है।
  - उदाहरण: एस्टोनिया में सेवा बाधित करने वाले हमलों की श्रृंखला: वर्ष 2007 में कथित रूप से रूसी IP एड्रेस द्वारा हमलों की एक श्रृंखला, प्रमुख एस्टोनियाई बैंकों, सरकारी निकायों - मंत्रालयों और संसद, और मीडिया आउटलेट्स को प्रभावित किया गया। यह उस तरह की साइबर आक्रामकता थी जिसे दुनिया ने पहले नहीं देखा था। हमलों ने लगभग तीन सप्ताह तक दुनिया के सबसे अधिक नेटवर्क वाले देशों में से एक में तबाही मचाई।
  - डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) हमला एक मशीन या नेटवर्क को बंद करने के लिये किया गया हमला है, जिससे यह अपने इच्छित उपयोगकर्त्ताओं के लिये दुर्गम हो जाता है।

- भारत के मामले:
  - अक्तूबर, 2020 में जब भारत महामारी से जूझ रहा था, मुंबई की बिजली ग्रिड की आपूर्ति अचानक बंद हो गई, जिससे बड़े शहर के अस्पतालों, ट्रेनों और व्यवसायों पर असर पड़ा।
  - बाद में, एक अमेरिकी फर्म द्वारा किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया कि यह बिजली कटौती एक साइबर हमला हो सकता है, जो कथित तौर पर चीन से जुड़े समूह से महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के उद्देश्य से किया गया था। हालाँकि, सरकार ने मुंबई में किसी भी साइबर हमले से इनकार किया।
  - लेकिन इस घटना ने अन्य देशों में इंटरनेट पर निर्भर महत्वपूर्ण प्रणालियों की जाँच करने वाले शत्रुतापूर्ण राज्य और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं की संभावना और ऐसी संपत्तियों को मज़बूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

भारत में CIIs संरक्षण:

- नोडल एजेंसी के रूप में NCIIPC:
  - इसका निर्माण जनवरी 2014 में किया गया। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) देश की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिये सभी उपाय करने हेतु नोडल एजेंसी है।
- NCIIPC का अधिदेश:
  - यह CII को अनधिकृत पहुँच, संशोधन, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, अक्षमता से बचाने के लिये अनिवार्य है।
  - यह नीति मार्गदर्शन, विशेषज्ञता साझा करने और प्रारंभिक चेतावनी या अलर्ट के लिये स्थितिजन्य जागरूकता हेतु CII को राष्ट्रीय स्तर के खतरों की निगरानी और पूर्वानुमान करेगा।
  - महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के लिये किसी भी खतरे की स्थिति में NCIIPC सूचना मांग सकता है और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों या महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले या सेवा देने वाले व्यक्तियों को निर्देश दे सकता है।
- बुनियादी ज़िम्मेदारी:
  - CII प्रणाली की सुरक्षा की मूल ज़िम्मेदारी उस CII को चलाने वाली एजेंसी की होगी।

शासन व्यवस्था

ओडीओपी: हस्तशिल्प क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन किया।

- यह दुकान सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIC) द्वारा खोली गई थी, जिसे सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के नाम से जाना जाता है।
  - यह भारत के पारंपरिक शिल्प रूपों पर आधारित बेहतरीन दस्तकारी, स्मृति चिह्न, हस्तशिल्प और वस्त्रों को प्रदर्शित करता है।
- सरकार ने यह भी दोहराया कि वह 'एक जिला एक उत्पाद' की दिशा में काम कर रही है जो हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ-साथ कारीगरों को भी प्रोत्साहन देगा।

एक ज़िला एक उत्पाद:

- परिचय:
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ODOP) शुरू किया गया था, ताकि ज़िलों को उनकी पूरी क्षमता उपभोग, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सके।
    - इसे जनवरी, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और बाद में इसकी सफलता के कारण केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया।
  - यह पहल विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य विभाग द्वारा 'निर्यात हब के रूप में ज़िले (Districts as Exports Hub)' पहल के साथ की जाती है।
    - 'निर्यात हब के रूप में ज़िले' पहल ज़िला स्तर के उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है ताकि लघु उद्योगों की मदद की जा सके और वे स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकें।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य एक ज़िले के उत्पाद की पहचान, प्रचार और ब्रांडिंग करना है।
  - भारत के प्रत्येक ज़िले को उस उत्पाद के प्रचार के माध्यम से निर्यात हब में बदलना जिसमें ज़िला विशेषज्ञता रखता है।
  - यह विनिर्माण को प्रवर्धन करके, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करके, संभावित विदेशी ग्राहकों को खोजकर और इसी तरह इसे पूरा करने की कल्पना करता है, अत: 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करता है।

भारत में हस्तशिल्प क्षेत्र की स्थिति:

- परिचय:
  - हस्तशिल्प वे वस्तुएँ हैं जिनका निर्माण बड़े पैमाने पर उत्पादन विधियों और उपकरणों के बजाय सरल उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है। जबकि बुनियादी कला और शिल्प के समान, हस्तशिल्प के साथ एक महत्त्वपूर्ण अंतर है।
    - विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पादित इन वस्तुओं को एक विशिष्ट कार्य या उपयोग के साथ-साथ प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग दशकों से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है।
  - भारत लकड़ी के बर्तन, धातु के सामान, हाथ से मुद्रित वस्त्र, कढ़ाई वाले सामान, जरी के सामान, नकली आभूषण, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, काँच के बने पदार्थ, अत्तर, अगरबत्ती आदि का उत्पादन करता है।
- व्यापार:
  - भारत सबसे बड़े हस्तशिल्प निर्यातक देशों में से एक है।
  - मार्च 2022 में, भारत से हस्तनिर्मित कालीनों को छोड़कर कुल हस्तशिल्प निर्यात 174.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जिसमें फरवरी 2022 की तुलना में 8% की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय हस्तशिल्प का कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 25.7% की वृद्धि के साथ 4.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- इस क्षेत्र का महत्त्व:
  - सबसे बड़ा रोज़गार जनक:
    - यह कृषि के बाद सबसे बड़े रोज़गार सृजनकर्त्ताओं में से एक है, जो देश की ग्रामीण और शहरी आबादी को आजीविका का एक प्रमुख साधन प्रदान करता है।

- भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जिसमें सात मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं।
- पर्यावरण-हितैषी:
  - यह क्षेत्र एक आत्मनिर्भर व्यवसाय मॉडल पर कार्य करता है, जिसमें शिल्पकार अक्सर अपने स्वयं के कच्चे माल का उत्पादन करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल शून्य-अपशिष्ट प्रथाओं के अग्रणी होने के लिये जाने जाते हैं।
- चुनौतियाँ:
  - कारीगरों को धन की अनुपलब्धता, प्रौद्योगिकी की कम पहुँच, बाज़ार की जानकारी का अभाव और विकास के लिये खराब संस्थागत ढाँचे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - इसके अलावा यह क्षेत्र हस्तनिर्मित उत्पादों के निहित अंतर्विरोध से ग्रस्त है, जो आम तौर पर उत्पादन के पैमाने के विपरीत होते हैं।

इस क्षेत्र के विकास का समर्थन करने वाले कारक:

- सरकारी योजनाएँ:
  - केंद्र सरकार अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिये उद्योग को विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।
  - कई योजनाओं और पहलों की शुरूआत से शिल्पकारों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निज़ात पाने में मदद मिल रही है।
- समर्पित व्यापार प्लेटफार्मों का उदय:
  - क्राफ्टेज़ी (Craftezy) जैसे कुछ मंच उभर कर सामने आए हैं जो घरेलू और वैश्विक बाज़ारों में भारतीय कारीगरों को बहुत आवश्यक समर्थन प्रदान करते हैं।
  - ये वैश्विक हस्तशिल्प व्यापार मंच एक मुफ्त आपूर्तिकर्त्ता प्रेरण प्रक्रिया के रूप में कार्य करते हैं और इसका उद्देश्य इसे वैश्विक बाज़ार में भारत को एक संगठित छवि प्रदान करना है।
- समावेशन के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना:
  - प्रौद्योगिकी जो सीमाओं को पार करने में मदद कर सकती है, हस्तशिल्प उद्योग के लिये वरदान साबित हुई है।
  - ई-कॉमर्स ने उपभोक्ता वस्तुओं तक निर्बाध पहुँच के दरवाजे खोल दिये हैं और इसने समावेशी विकास को सक्षम किया है क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में सभी निर्माता इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं।
  - यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी वैश्विक स्तर पर भारतीय हस्तशिल्प के विपणन में काफी मदद कर रहे हैं।
- निर्यात बनाम आयात:
  - पिछले पाँच वर्षों में, भारतीय हस्तशिल्प का निर्यात 40% से अधिक बढ़ा है, क्योंकि तीन-चौथाई हस्तशिल्प को निर्यात किया जाता है।
  - भारतीय हस्तशिल्प प्रमुख रूप से सौ से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं और अकेले अमेरिका भारत के हस्तशिल्प निर्यात का लगभग एक तिहाई हिस्सा आयात करता है।
- कारीगरों के व्यवहार में परिवर्तन:
  - आय में वृद्धि कारीगर नए कौशल के अनुकूल होती है जिससे ये ऐसे उत्पाद निर्मित करते हैं जो बाज़ार की नई माँगों को पूरा करते हैं।
  - इस प्रकार, प्रौद्योगिकी की शुरूआत और उसके आसान उपयोग के कारण, हस्तशिल्प के विक्रेताओं और खरीदारों के व्यवहार में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है।

संबंधित सरकारी पहलें:

- अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना:
  - कारीगरों को उनके बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास की ज़रूरतों के साथ समर्थन देना।
  - योजना का उद्देश्य कच्चे माल की खरीद में थोक उत्पादन और मितव्ययिता को सुविधाजनक बनाने के एजेंडे के साथ कारीगरों को स्वयं सहायता समूहों और समाजों में संगठित करना ।
- मेगा क्लस्टर योजना:
  - इस योजना के उद्देश्य में रोजगार सृजन और कारीगरों के जीवन स्तर में सुधार शामिल है।
  - यह कार्यक्रम विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में हस्तशिल्प केंद्रों में बुनियादी ढाँचे और उत्पादन शृंखलाओं को बढ़ाने में क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।
- विपणन सहायता और सेवा योजना:
  - यह योजना कारीगरों को घरेलू विपणन कार्यक्रमों के लिये वित्तीय सहायता के रूप में हस्तक्षेप प्रदान करती है जो उन्हें देश और विदेश में व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन एवं भाग लेने में सहायता करती है।
- अनुसंधान और विकास योजना:
  - उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने के उद्देश्य से, इस क्षेत्र में शिल्प और कारीगरों के आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्य और प्रचारात्मक पहलुओं पर प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिये यह पहल शुरू की गई थी।
- राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम:
  - इस कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण घटक सर्वेक्षण करना, डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी का उन्नयन, मानव संसाधन विकसित करना,

कारीगरों को बीमा और ऋण सुविधाएँ प्रदान करना, अनुसंधान एवं विकास, आधारभूत संरचना विकास और विपणन सहायता गतिविधियाँ हैं।

- व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना:
  - इस योजना का दृष्टिकोण हस्तशिल्प समूहों में बुनियादी ढाँचे और उत्पादन श्रृंखला को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य उत्पादन, मूल्यवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन के लिये पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है।
- हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद:
  - परिषद का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देना, समर्थन, सुरक्षा, रखरखाव और वृद्धि करना है।
  - परिषद की अन्य गतिविधियों में ज्ञान का प्रसार, सदस्यों को पेशेवर सलाह और सहायता प्रदान करना, प्रतिनिधिमंडल के दौरे और मेलों का आयोजन, निर्यातकों और सरकार के बीच संपर्क प्रदान करना तथा जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित करना शामिल है।

आगे की राह

- भारतीय शिल्प क्षेत्र के पास उचित समर्थन और व्यावसायिक वातावरण के साथ एक अरब डॉलर का बाज़ार बनने की संभावना है।
- एक व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करना, जो शिल्प कौशल के आंतरिक मूल्य का पोषण करता है और उत्पाद डिज़ाइन और निर्माण के लिये रास्ते खोलता है, नए बाजारों तक पहुँच बढ़ाएगा।
- साथ ही, ऑनलाइन दृश्यता और परिचालन क्षमता के लिये ई-कॉमर्स पर पूंजीकरण एक महत्त्वपूर्ण सफलता कारक साबित होगा क्योंकि यह क्षेत्र विकसित होता है तो आगे कर्षण प्राप्त करता है।
- वैश्वीकरण के वर्तमान समय में, हस्तशिल्प क्षेत्र में घरेलू और वैश्विक बाज़ारों में व्यापक अवसर हैं। जबकि कारीगरों की अनिश्चित स्थिति को उनके उत्थान के लिये सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, सरकार पहले से ही ऐसे उपायों को अपनाकर काफी प्रगति की है, जो हस्तशिल्प उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना कर हमारे शिल्पकारों की स्थिति में सुधार करेंगे।

भारतीय रेलवे नवाचार नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रेल मंत्री द्वारा भारतीय रेलवे नवाचार नीति- "रेलवे के लिये स्टार्टअप" (StartUps For Railways) शुरू किया गया है।

- नीति की मुख्य विशेषताएँ:
  - नवोन्मेषकों को रेलवे में तकनीकी समाधान के लिये 1.5 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि सामान बंटवारे के आधार पर मुहैया कराई जाएगी।
  - यह पॉलिसी बहुत व्यापक और इस्तेमाल नहीं किये गए स्टार्टअप इकोसिस्टम की भागीदारी के माध्यम से रेलवे के संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढाँचे के निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दक्षता लाने में मददगार साबित होगी।
  - रेलवे में प्रोटोटाइप का ट्रायल किया जाएगा।
  - प्रोटोटाइप के सफल प्रदर्शन पर तैनाती को बढ़ाने के लिये बढ़ी हुई धनराशि प्रदान की जाएगी।
  - नवोन्मेषकों का चयन एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा जिसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
  - विकसित बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) केवल नवप्रवर्तकों के पास रहेंगे।
  - विलंब से बचने हेतु संभागीय स्तर पर संपूर्ण उत्पाद विकास प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया जाएगा।
- पहचाने गए मुद्दे:
  - भारतीय रेलवे के विभिन्न मंडलों, क्षेत्रीय कार्यालयों या ज़ोनों से प्राप्त 100 से अधिक समस्या विवरणों में से इस कार्यक्रम के चरण 1 के लिये रेल फ्रैक्चर, हेडवे रिडक्शन इत्यादि जैसे ग्यारह समस्या विवरण लिये गए हैं।
- अपेक्षित लाभ:
  - यह नीति एक बहुत बड़े और अप्रयुक्त स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी के माध्यम से संचालन, रखरखाव और आधारभूत संरचना के निर्माण के क्षेत्र में मानक और दक्षता लाएगी।
  - इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिये भारतीय स्टार्टअप/MSME/नवोन्मेषकों/ उद्यमियों द्वारा विकसित अभिनव प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना भी है।
  - यह रेलवे क्षेत्र में सह-निर्माण और सह-नवाचार के लिये देश में "नवाचार संस्कृति" को बढ़ावा देगा।

भारतीय रेलवे :

- परिचय:
  - भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा (लंबाई में) नेटवर्क है।
  - यह माल ढुलाई और यात्रियों दोनों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है।
  - भारतीय रेलवे की शुरुआत वर्ष 1853 में हुई थी, जब बॉम्बे से ठाणे तक 34 किमी. की दूरी तय करने के लिये एक लाइन का निर्माण किया गया।

- ◆ भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है।
- ◆ भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई 67,956 किमी. (रेलवे ईयरबुक 2019-20) थी।

- ज़ोन:
  - ◆ भारत में रेल प्रणाली को 16 ज़ोन में बाँटा गया है।

रेलवे ज़ोन	मुख्यालय
मध्य	मुंबई CST
पूर्वी	कोलकाता
मध्य पूर्वी	हाजीपुर
पूर्व	भुवनेश्वर
उत्तरी	नई दिल्ली
उत्तर पूर्वी	गोरखपुर
उत्तर पूर्व सीमांत	मालीगाँव (गुवाहाटी)
उत्तर पश्चिमी	जयपुर
दक्षिणी	चेन्नई
दक्षिण मध्य	सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्वी	कोलकाता
दक्षिण पूर्व मध्य	बिलासपुर
दक्षिण पश्चिमी	हुबली
पश्चिमी	मुंबई (चर्च गेट)
पश्चिम मध्य	जबलपुर

- भारतीय रेलवे के चार स्थल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (1999), नीलगिरि माउंटेन रेलवे (2005), कालका शिमला रेलवे (2008) और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई (2004) यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों मे शामिल हैं।
  - ◆ माथेरान लाइट रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलो की प्रतीक्षारत या अस्थायी सूची में शामिल हैं।

डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'रॉयटर्स इंस्टीट्यूट' द्वारा डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी की गई।

- 'रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म' परिचर्चा, जुड़ाव और शोध के माध्यम से दुनिया भर में पत्रकारिता के भविष्य की खोज के लिये समर्पित है।
- इस साल की रिपोर्ट, कुल मिलाकर ग्यारहवीं, एक ब्रिटिश मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स फर्म, YouGuv द्वारा जनवरी/फरवरी 2022 में ऑनलाइन प्रश्नावली के माध्यम से किये गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है।
  - ◆ इसमें छह महाद्वीपों के 46 बाज़ार शामिल हैं।

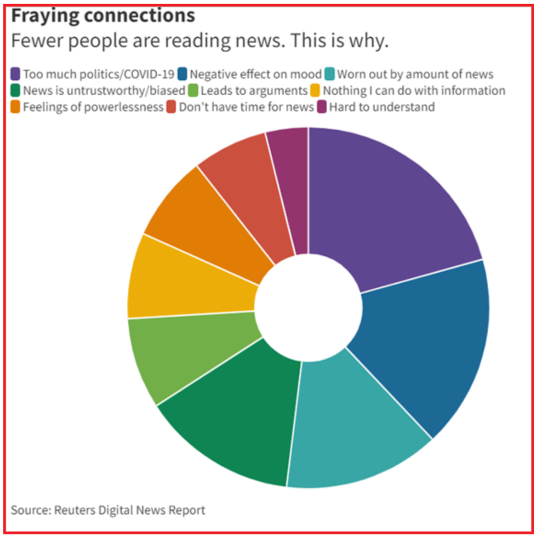

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- विश्वास संबंधी मुद्दा:
  - ◆ लोग न्यूज़ कंटेंट पर कम ही भरोसा कर रहे हैं।
- पारंपरिक समाचार मीडिया में गिरावट:
  - ◆ सर्वेक्षण किये गए लगभग सभी देशों में पारंपरिक समाचार मीडिया के प्रयोग में गिरावट आई है।
- समाचारों से परहेज करने वाले उपभोक्ताओं में वृद्धि:
  - ◆ समाचारों से परहेज करने वाले उपभोक्ताओं का अनुपात पूरे देश में तेजी से बढ़ा है, रिपोर्ट ने घटना को "चयनात्मक परिहार" के रूप में वर्णित किया है।
- डिजिटल सदस्यता में वृद्धि:
  - ◆ ऑनलाइन समाचार (ज़्यादातर अमीर देशों में) के लिये भुगतान करने के इच्छुक लोगों के अनुपात में अल्प वृद्धि के बावजूद, समाचार सामग्री के लिये डिजिटल सदस्यता में वृद्धि का स्तर कम होता दिख रहा है।
- प्रवेश मार्ग:
  - ◆ स्मार्टफोन एक प्रमुख साधन बन गया है जिसमें ज़्यादातर लोग सुबह सबसे पहले समाचार प्राप्त करते हैं।
  - ◆ जबकि फेसबुक समाचारों के लिये सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल नेटवर्क बना रहा है, टिकटॉक सबसे तेजी से बढ़ता नेटवर्क बन गया है, जो 18-24 वर्षीय लोगों के बीच 40% तक पहुँच गया है जिसमें 15% समाचार के लिये मंच के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

समाचार का 'चयनात्मक परिहार':

- परिचय:
  - हालाँकि अधिकांश लोगों की दिलचस्पी समाचारों में बनी रहती है, रिपोर्ट में पाया गया है कि एक बढ़ता हुआ अल्पसंख्यक वर्ग अपने जोखिम को सीमित कर रहा है।
    - रिपोर्ट इस व्यवहार को "चयनात्मक परिहार" कहती है।
  - वर्ष 2017 के बाद से ब्राज़ील (54%) और यूके (46%) में समाचारों से परहेज दोगुना हो गया है।
- परिहार के कारण:
  - समाचार एजेंडे की पुनरावृत्ति के कारण विशेष रूप से राजनीति और कोविड-19 (43%) के आसपास
  - बेकार खबर (29%)
  - विश्वास के मुद्दे (29%)
  - मनोदशा पर नकारात्मक प्रभाव (36%)
  - तार्किकता (17%)
  - शक्तिहीन भावनाओं का जन्म (6%)
  - समाचार के लिये समय नहीं (14%)
  - समझने में मुश्किल (8%)

समाचार खपत के पसंदीदा तरीके:

- जब समाचार खपत की बात आती है तो बाज़ारों और आयु समूहों में, टेक्स्ट अभी भी सर्वश्रेष्ठ है।
- हालाँकि, युवा दर्शकों को यह कहने की अधिक संभावना थी कि वे समाचार देखते हैं।
  - भारत में, 58% से ज़्यादा समाचार पढ़ते हैं जबकि लगभग 17% इसे देखते हैं।
  - दूसरी ओर, फिनलैंड के लिये तुलनीय आँकड़े, जिसमें उच्च समाचार पत्र खपत का ऐतिहासिक पैटर्न है, क्रमशः 85% और 3% था।

समाचार के लिये मुख्य गेटवे :

- स्मार्टफोन एक्सेस का पसंदीदा तरीका होने के कारण, ऐप्स और वेबसाइटों तक सीधी पहुँच समय के साथ कम महत्वपूर्ण होती जा रही थी, जो सोशल मीडिया को आधार दे रही थी, जो अपनी सर्वव्यापकता और सुविधा के कारण समाचारों के प्रवेश द्वार के रूप में अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार समग्र स्तर पर, सोशल मीडिया वरीयता (28%) प्रत्यक्ष पहुँच (23%) से आगे बढ़ रही है।

भारत में रुझान:

- भारत दृढ़ता से मोबाइल-केंद्रित बाज़ार है।
- सर्वेक्षण के 72% उत्तरदाताओं ने स्मार्टफोन के माध्यम से समाचारों तक पहुँच प्राप्त की और 35% ने कंप्यूटर के माध्यम से।
- साथ ही, 84% भारतीय उत्तरदाताओं ने ऑनलाइन समाचार, 63% सोशल मीडिया, 59% टेलीविज़न और 49% प्रिंट से समाचार प्राप्त किये।
- यू ट्यूब (53%) और व्हाट्सएप (51%) समाचार प्राप्त करने हेतु शीर्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे।
- भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर मामूली वृद्धि दर्ज की है, जिसमें कुल मिलाकर 41% भरोसेमंद समाचार थे।
- 36% और 35% अल्पसंख्यक उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि विरासत प्रिंट ब्रांडों और सार्वजनिक प्रसारकों में क्रमशः अनुचित राजनीतिक प्रभाव और व्यावसायिक प्रभाव का अभाव है।

अमृत सरोवर मिशन

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से कहा है कि वे अमृत सरोवर मिशन के तहत देश भर के सभी ज़िलों में तालाबों/टैंकों से खुदाई की गई मृदा/गाद का उपयोग अपनी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये करें।

अमृत सरोवर मिशन:

- परिचय:
  - अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- लक्ष्य:
  - मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक ज़िले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है।
  - कुल मिलाकर इससे लगभग एक एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों का निर्माण होगा।
  - मिशन इन प्रयासों को पूरा करने के लिये नागरिक और गैर-सरकारी संसाधनों को जुटाने को प्रोत्साहित करता है।
- शामिल मंत्रालय:
  - यह मिशन 6 मंत्रालयों/विभागों के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया है, अर्थात्:
    - ग्रामीण विकास विभाग
    - भूमि संसाधन विभाग
    - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
    - जल संसाधन विभाग
    - पंचायती राज मंत्रालय
    - वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

- तकनीकी भागीदार:
  - भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) को मिशन के लिये तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।
- विभिन्न योजनाओं के साथ पुन: ध्यान केंद्रित करना:
  - यह मिशन राज्यों और ज़िलों के माध्यम से मनरेगा, XV वित्त आयोग अनुदान, पीएमकेएसवाई उप योजनाओं जैसे वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी के अलावा राज्यों की अपनी योजनाओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करके काम करता है।
- लक्ष्य:
  - मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है।
  - देश में करीब 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं।
    - इनमें से प्रत्येक अमृत सरोवर 10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता के साथ 1 एकड़ क्षेत्र में होगा।
  - मिशन में लोगों की भागीदारी केंद्र में है।
    - स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिवार के सदस्य, शहीद के परिवार के सदस्य, पद्म पुरस्कार विजेता और स्थानीय क्षेत्र के नागरिक जहाँ अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है, सभी चरणों में संलग्न रहेंगे।
  - प्रत्येक 15 अगस्त को प्रत्येक अमृत सरोवर स्थल पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा।
- उपलब्धियाँ:
  - अब तक राज्यों/ज़िलों द्वारा अमृत सरोवरों के निर्माण के लिये 12,241 स्थलों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जिनमें से 4,856 अमृत सरोवरों पर काम शुरू हो गया है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव:

- आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष और अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिये भारत सरकार की एक पहल है।
- यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि इसमें आत्मनिर्भर भारत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत 2.0 को सक्रिय करने के दृष्टिकोण को सक्षम करने की शक्ति और क्षमता भी है। ।
- 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा शुरू हुई, जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ के लिये 75-सप्ताह की उलटी गिनती शुरू की जो 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम को ब्लॉक और शहर के स्तर तक विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की है।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम:

- परिचय:
  - इसे जनवरी 2018 में 'आकांक्षी ज़िलों का परिवर्तन' कार्यक्रम (Transformation of Aspirational Districts' Programme- TADP) के रूप में लॉन्च किया गया था।
  - आकांक्षी ज़िले भारत के वे ज़िले हैं जो खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं।
- कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा:
  - अभिसरण (केंद्र और राज्य की योजनाओं का)
  - सहयोग (केंद्रीय, राज्य स्तरीय 'प्रभारी' अधिकारियों और ज़िला कलेक्टरों का),
  - मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से ज़िलों के बीच प्रतिस्पर्द्धा।
    - आकांक्षी ज़िलों की डेल्टा रैंकिंग, व्यावहारिक प्रशासन के साथ डेटा के अभिनव उपयोग को जोड़ती है, जिससे ज़िले को समावेशी विकास के केंद्र में रखा जाता है।
- उद्देश्य:
  - यह प्रत्येक ज़िले की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है, एवं तत्काल सुधार के लिये प्रभावी कारकों की पहचान करता है और मासिक आधार पर ज़िलों की रैंकिंग करके प्रगति को मापता है।
  - ज़िलों को अपने राज्य में सबसे अच्छे ज़िले के समान स्थिति में पहुँचने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है और बाद में प्रतिसपर्द्धी तथा सहकारी संघवाद की भावना से दूसरों से प्रतिस्पर्द्धा करके और दूसरों से सीखकर देश के सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने के लिये प्रेरित किया जाता है।i
  - "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" (Sabka Saath Sabka Vikas aur Sabka Vishwas) के अपने नारे के साथ सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सभी के लिये समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है ।
  - ADP अनिवार्य रूप से सतत् विकास लक्ष्यों को स्थानिक बनाने के उद्देश्य से है, जिससे राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

- रैंकिंग के लिये पैरामीटर:
  - रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs) में की गई वृद्धिशील प्रगति पर आधारित है -
    - स्वास्थ्य और पोषण (30%)
    - शिक्षा (30%)
    - कृषि और जल संसाधन (20%)
    - वित्तीय समावेशन और कौशल विकास (10%)
    - अवसंरचना (10%)
- विभिन्न कार्यक्रम:
  - विभिन्न कार्यक्रम जैसे - सक्षम बिटिया अभियान, एनीमिया मुक्त भारत और सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, कुछ प्रमुख पहल हैं जो इस संबंध में नीति आयोग द्वारा शुरू की गई हैं।
- ADP से जुड़ी चुनौतियाँ:
  - अपर्याप्त बजटीय संसाधन:
    - अपर्याप्त बजटीय संसाधनों से संबंधित मुद्दे से ADP प्रभावित होता है।
  - समन्वय की कमी:
    - ADP को कई मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाता है जिससे समन्वय की कमी होती है।
  - डेटा उच्च गुणवत्ता वाला प्रशासनिक डेटा:
    - स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन और डिज़ाइन में सुधार के लिये उच्च गुणवत्ता वाला प्रशासनिक डेटा महत्त्वपूर्ण है।
  - रैंकिंग विधि:
    - डेल्टा रैंकिंग स्वयं काफी हद तक गुणवत्ता के बजाय मात्रा (यानी, पहुँच का कवरेज) का आकलन करने पर केंद्रित है।
  - शिक्षा की गुणवत्ता:
    - इसके अलावा, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता एक निराशाजनक स्थिति में है, जैसा कि ASER रिपोर्ट द्वारा पता चलता है।

आगे की राह

- एक अधिक सरलीकृत सूचकांक की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न परिणाम संकेतकों को सावधानीपूर्वक चुना गया हो ताकि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके।
- स्थानीय प्रशासन को और अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिये।
- स्वतंत्र सर्वेक्षणों का उपयोग प्रशासनिक डेटा को मान्य करने के लिये किया जा सकता है, यह डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा।
- प्रशासनिक डेटा में सुधार के लिये प्रत्येक ज़िले की आंतरिक क्षमता में बढ़ोतरी की जानी चाहिये, और डेटा उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना, ADP के लिये प्राथमिकता बनाई जा सकती है।

निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल (निपुण-NIPUN)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिये 'निपुण (NIPUN)' नामक एक अभिनव परियोजना यानी निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल शुरू की गई।

- निपुण निर्माण उद्योग के लिये भविष्य की श्रम शक्ति का निर्माण कर रहा है जो देश में नवाचार और बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देगा।
- निर्माण क्षेत्र 2022 तक सबसे बड़ा नियोक्ता बनने की राह पर है, और इसके लिये अगले दस वर्षों में 45 मिलियन से अधिक योग्य श्रमिकों की आवश्यकता होगी।

निपुण परियोजना:

- परिचय:
  - परियोजना का मूल उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है।
  - परियोजना निपुण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की एक पहल है।
  - यह परियोजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के प्रमुख कार्यक्रम के तहत संचालित हो रही है।
    - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के परिवर्तनकारी प्रभाव ने शहरी निवासियों, विशेषकर युवाओं को कौशल और रोज़गार के अवसर प्रदान करके शहरी गरीब परिवारों की सुभेद्यता को कम कर दिया है।
- कार्यान्वयन एजेंसी:
  - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)
    - NSDC कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी है।
    - NSDC प्रशिक्षण, निगरानी और उम्मीदवार ट्रैकिंग के समग्र निष्पादन के लिये ज़िम्मेदार होगा।

निपुण परियोजना का कार्यान्वयन:

- परियोजना कार्यान्वयन को तीन भागों में विभाजित किया गया है:
  - निर्माण स्थलों पर पूर्व प्रशिक्षण की मान्यता (RPL) के माध्यम से प्रशिक्षण।

- MoHUA के साथ ब्रांडेड RPL प्रमाणन के तहत उद्योग संघों के माध्यम से लगभग 80,000 निर्माण श्रमिकों को ऑनसाइट कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

- प्लंबिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा नए कौशल के माध्यम से प्रशिक्षण (SSC).
  - लगभग 14,000 उम्मीदवारों को प्लंबिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) के माध्यम से उन ट्रेडों में नए कौशल प्राप्त होंगे जिनमें प्लेसमेंट की संभावनाएँ हैं।
- उद्योगों/बिल्डरों/ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट:
  - पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप हैं।
  - यह केवल मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रदान किया जाएगा।
  - यह भी परिकल्पना की गई है कि एनएसडीसी लगभग 12,000 लोगों को सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों जैसे विदेशी देशों में रखेगा।

निपुण परियोजना से जुड़े लाभ:

- नए अवसर तक पहुँच:
  - निपुण परियोजना निर्माण श्रमिकों को बेहतर नौकरी के अवसर तलाशने, उनकी मज़दूरी बढ़ाने और यहाँ तक कि विदेशी प्लेसमेंट का में सक्षम बनाएगी।
- उद्यमिता की भावना:
  - शहरी श्रमिकों को स्व-रोज़गार और कुशल मजदूरी रोज़गार के अवसरों तक पहुँच प्रदान करके इसे प्रोत्साहित और समर्थित किया गया है।
    - यह पहल निर्माण श्रमिकों को अधिक कुशल बनाने में सक्षम बनाएगी।
- कौशल उन्नति:
  - निर्माण कार्यकर्त्ता अपनी क्षमताओं को उन्नत करके और अपने कौशल में विविधता लाकर निर्माण उद्योग से जुड़े भविष्य के रुझानों को ध्यान में रखते हुए उन्नत कौशल अपना सकते हैं।
    - मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी चुनौतियों का भी सामना किया, जिसके कारण रिकॉर्ड समय में छह लाइट हाउस परियोजनाओं का कार्यान्वयन हुआ, जिसमें स्थायी हरित भवनों के निर्माण के लिये प्रौद्योगिकी और स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया था।
- अर्थव्यवस्था का विकास:
  - निर्माण उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्त्ता है इसलिये यह योजना सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को उत्प्रेरित करेगी।
- सामाजिक सुरक्षा:
  - यह प्रशिक्षुओं को 'कौशल बीमा', 2 लाख रुपए के कवरेज के साथ तीन साल का आकस्मिक बीमा, कैशलेस लेन-देन और EPF और BOCW सुविधाओं जैसे डिजिटल कौशल प्रदान करेगा।

DAY-NRLM के बारे में

- परिचय:
  - डीएवाई-एनयूएलएम (DAY-NULM) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2014-15 से लागू किया जा रहा है।
  - इसका उद्देश्य देश में शहरी गरीब परिवारों को स्वरोज़गार और कुशल मजदूरी रोज़गार के अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बनाकर गरीबी और उनकी भेद्यता को कम करना है।
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय आजीविका मिशन (DAY-NULM) को वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
- उद्देश्य:
  - मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिये कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है ताकि वे स्थायी आजीविका और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि कर सकें।
- मुख्य विशेषताएँ:
  - डीएवाई-एनआरएलएम (DAY-NRLM) विशेष विशेष रूप से सबसे गरीब तथा सबसे कमजोर समुदायों और उनके वित्तीय समावेशन को लक्षित करने पर केंद्रित है।
  - NRETP के तहत वित्तीय समावेशन के वैकल्पिक चैनलों का संचालन करने, ग्रामीण उत्पादों के आस-पास मूल्य शृंखला निर्मित करने, आजीविका सवर्द्धन और वित्त तक पहुँच हेते अभिनव मॉडल पेश करने, डिजिटल वित्त और आजीविका हस्तक्षेप पर पहल करने हेतु अभिनव परियोजनाएँ शुरू की जानी हैं।
  - DAY-NRLM पंचायती राज संस्थानों (PRIs) और समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) के बीच परामर्श के लिये पारस्परिक रूप से लाभप्रद कार्य संबंध और औपचारिक मंच प्रदान करता है।
  - NRLM ने हस्तक्षेप के विभिन्न क्षेत्रों में अभिसरण की सुविधा के लिये गतिविधि मानचित्र भी विकसित किया है जहाँ NRLM संस्थान और PRIs एक साथ कार्य कर सकते हैं जिसे सभी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों में प्रसारित किया गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड

चर्चा में क्यों?

असम वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) को लागू करने वाला 36वाँ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है।

- इसके साथ ही ONORC कार्यक्रम को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा निश्चित हुई है।
- ONORC योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिये सरकार ने 'मेरा राशन' मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया है। मोबाइल ऐप लाभार्थियों को उपयोगी रीयल-टाइम जानकारी प्रदान कर रहा है और यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है।
- कोविड-19 महामारी के पिछले दो वर्षों के दौरान, ONORC योजना ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

ONORC:

- परिचय:
    - ONORC योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लागू की जा रही है।
    - इस योजना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Migratory National Food Security Act- NFSA), 2013 के लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop- FPS) से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे की खरीद कर सकते हैं।
    - यह प्रणाली उनके परिवार के सदस्यों को घर पर यदि कोई हो तो उसे राशन कार्ड पर शेष खाद्यान्न का दावा करने की अनुमति देती है।
    - ONORC का कार्यान्वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था।
- उद्देश्य:
    - सभी NFSA लाभार्थियों को उनके मौजूदा राशन कार्डों की सुवाह्यता के माध्यम से देश में कहीं भी उनकी खाद्य सुरक्षा के लिये आत्मनिर्भर बनने हेतु सशक्त बनाना।
    - उनकी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से उनके हकदार सब्सिडी वाले खाद्यान्न (आंशिक या पूर्ण) को निर्बाध रूप से उठाना।
    - परिवार के सदस्यों को अपनी पसंद के उचित दर दुकान से अपने मूल स्थान/किसी भी स्थान पर उसी राशन कार्ड पर शेष/आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उठाने में सक्षम बनाना।

ONORC का महत्त्व:

- भोजन के अधिकार को सक्षम करना: पूर्व में राशन कार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न की अपनी पात्रता का लाभ केवल संबंधित राज्य के अंदर निर्दिष्ट उचित मूल्य की दुकान (FPS) से ही प्राप्त कर सकते थे।
    - यदि कोई लाभार्थी किसी दूसरे राज्य में प्रवास या पलायन करता है तो उसे उस दूसरे राज्य में नए राशन कार्ड के लिये आवेदन करना होता है।
    - ONORC सामाजिक न्याय के लिये इस भौगोलिक बाधा को दूर करने और भोजन के अधिकार को सक्षम करने की परिकल्पना करता है।
- आबादी के लगभग एक-तिहाई भाग का समर्थन: देश की लगभग 37% आबादी प्रवासी श्रमिकों की है। इसलिये यह योजना उन सभी लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण है जो रोज़गार आदि कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते हैं।
- रिसाव कम करना: ONORC रिसाव या लीकेज को कम कर सकता है क्योंकि इस योजना की पूर्व शर्त नकली/डुप्लिकेट राशन कार्डों की पहचान करना या डी-डुप्लीकेशन है।
    - इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक ही व्यक्ति देश के दो अलग-अलग स्थानों में लाभार्थी के रूप में चिह्नित नहीं है।
    - इसके अलावा, यह योजना आधार और बायोमेट्रिक्स से लिंक्ड है जो भ्रष्टाचार की अधिकांश संभावनाओं को दूर करती है और पारदर्शिता लाती है।
- सामाजिक भेदभाव को कम करना: ONORC महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिये विशेष रूप से लाभप्रद होगा क्योंकि PDS तक पहुँच प्रदान करने में सामाजिक पहचान (जाति, वर्ग और लिंग) और अन्य प्रासंगिक घटकों (शक्ति संबंधों सहित) को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है।

संबद्ध चुनौतियाँ:

- अपवर्जन त्रुटि: आधार से लिंक्ड राशन कार्ड और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इस PDS प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को लीकेज कम करने के प्रयास के तहत आगे बढ़ाया गया है। हालाँकि आधार-सीडिंग के बाद अपवर्जन त्रुटियों (Exclusion Error) में वृद्धि हुई है।
    - समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है और इस कारण वे खाद्य सुरक्षा से वंचित हो रहे हैं।
- अधिवास-आधारित सामाजिक क्षेत्र योजनाएँ: न केवल PDS बल्कि निर्धनता उन्मूलन, ग्रामीण रोज़गार, कल्याण और खाद्य सुरक्षा संबंधी अधिकांश योजनाएँ ऐतिहासिक रूप से अधिवास-आधारित पहुँच पर आधारित रही हैं और सरकारी सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और खाद्य अधिकारों तक लोगों की पहुँच को उनके मूल स्थान या अधिवास स्थान तक के लिये सीमित रखती हैं।

- FPS पर आपूर्ति बाधित करना: किसी FPS को प्राप्त उत्पादों का मासिक कोटा कठोरता से उससे संबद्ध लोगों की संख्या के अनुसार सीमित रखा गया है।
    - ONORC जब पूर्णरूपेण कार्यान्वित होगा तब इस अभ्यास को समाप्त कर देगा क्योंकि कुछ FPS को नए लोगों के आगमन के कारण अधिक संख्या में कार्डधारकों को सेवा देनी होगी जबकि कुछ अन्य FPS लोगों के पलायन के कारण निर्धारित कोटे से कम लोगों को सेवा देंगे।

योजना का अब तक का प्रदर्शन:

- यह देश में अपनी तरह का एक नागरिक केंद्रित पहल है, जिसे अगस्त 2019 में शुरू किये जाने के बाद, लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए कम समय में तेजी से लागू किया गया है।
- वर्ष 2019 के बाद से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्य सब्सिडी में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की खाद्यान्न पहुँचाने के लिये लगभग 71 करोड़ रुपए का पोर्टेबल लेन-देन हुआ है।
- वर्तमान में लगभग 3 करोड़ पोर्टेबल मासिक औसत लेन-देन दर्ज किया जा रहा है, लाभार्थियों को किसी भी स्थान पर लचीलेपन के साथ सब्सिडी वाले NFSA और मुफ्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

आगे की राह:

- यदि आपात स्थिति में राशन की दुकानों पर आपूर्ति बाधित होती है, तो कमज़ोर समूहों को खाद्यान्न पहुँचाने के लिये वैकल्पिक वितरण चैनलों पर विचार किया जा सकता है।
- खाद्य सुरक्षा को पोषण सुरक्षा के व्यापक ढाँचे से देखा जाना चाहिये। इसलिये ONOPC को समेकित बाल विकास योजनाओं, मध्याह्न भोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाओं की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देनी चाहिये।
- लंबे समय में PDS प्रणाली को फुल-प्रूफ फूड कूपन सिस्टम या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
    - वहीं गरीबी रेखा से नीचे का परिवार किसी भी किराना स्टोर से बाज़ार मूल्य पर चावल, दाल, चीनी और तेल कूपन के माध्यम से या नकद द्वारा पूरी तरह से भुगतान करके खरीद सकता है।

यूनेस्को ने भारतीय स्कूलों में आईसीटी के उपयोग को दी मान्यता

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CIET) ने वर्ष 2021 के लिये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के 'किंग हमाद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार' जीता।

- CIET स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की एक घटक इकाई है।
- CIET को यूनेस्को द्वारा शिक्षा में ICT के उपयोग के लिये पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल के तहत सम्मानित किया गया है।

पीएम ई-विद्या

- 17 मई, 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या की शुरुआत की गई।
- यह सीखने के नुकसान को कम करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने हेतु मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है।

किंग हमाद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार

- परिचय:
    - यह बहरीन के सहयोग से वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था।
    - यह पुरस्कार "सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा; और शिक्षा पर इसके लक्ष्य 4 के अनुरूप सभी के लिये शैक्षिक और आजीवन सीखने के अवसरों का विस्तार करने हेतु नई तकनीकों का लाभ उठाने में नवीन दृष्टिकोणों को मान्यता देता है।
    - पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करता है जो उत्कृष्ट परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं और डिजिटल युग में सीखने, शिक्षण तथा समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकियों के रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।
- पुरस्कार:
    - एक अंतरराष्ट्रीय ज्यूरी सालाना दो सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का चयन करती है।
    - प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में समारोह के दौरान 25,000 डॉलर एक पदक और एक डिप्लोमा प्राप्त होता है।

CIET, NCERT के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा किये गए प्रयास:

- नई शिक्षा नीति(NEP), 2020 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, CIET, NCERT के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय डिज़ाइन, विकास और प्रसार में अथक तथा सावधानीपूर्वक कार्य कर रहा है।
    - बड़ी संख्या में ई-बुक्स, ई-कंटेंट- ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव, ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट, इंडियन साइन लैंग्वेज (ISL) वीडियो, ऑडियोबुक, टॉकिंग बुक्स आदि पर कार्य करना I
    - स्कूल और शिक्षक शिक्षा के लिये विभिन्न प्रकार के ई-पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना I

- ऑनलाइन/ऑफलाइन, ऑन-एयर टेक्नोलॉजी वन क्लास-वन चैनल, दीक्षा, ई-पाठशाला, निष्ठा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स आदि का लाभ उठाकर मुख्य रूप से छात्रों और शिक्षकों के लिये ऑनलाइन क्विज़ जैसे डिजिटल कार्यक्रम आयोजित करन I
- पीएम ई-विद्या का शुभारंभ:
  - NEP और समग्र शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और उपरोक्त स्तंभों को संबोधित करने के लिये, पीएम ई-विद्या को मई 2020 में लॉन्च किया गया था।
  - दरवाजे तक सीखना।
  - CIET, पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों सहित 12 PM पीएम ई-विद्या DTH टीवी चैनलों और लगभग 397 रेडियो स्टेशनों के व्यापक, लचीला, नैतिक और सुसंगत उपयोग के माध्यम से बच्चों के दरवाजे तक सीखने में सक्रिय था।
  - ये प्रयास विशेष रूप से महामारी की स्थितियों में जब स्कूल बंद थे, छात्रों तक पहुँचने में मददगार थे।
  - इन प्रयासों ने काफी हद तक सीखने के अंतराल को रोकने में मदद की है।

शिक्षा से संबंधित अन्य पहलें:

- प्रौद्योगिकी वर्द्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
- प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप (PMRF)
- शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के संवर्द्धन के लिये योजना (SPARC)
- सर्व शिक्षा अभियान
- नीट (NEET)
- प्रज्ञाता
- मध्याह्न भोजन योजना
- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

मनोरंजन उद्योग में बाल भागीदारी का विनियमन

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मनोरंजन उद्योग में बाल संरक्षण को विनियमित करने के लिये दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया है।

- आयोग द्वारा वर्ष 2011 में "मनोरंजन उद्योग में बाल भागीदारी को विनियमित करने के लिये दिशा-निर्देश" जारी किये गए थे। नया मसौदा पहली बार सोशल मीडिया और ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफार्मों को कवर करने वाले दिशा-निर्देशों के दायरे को बढ़ाता है।

नए दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ:

ज़िला मजिस्ट्रेट की अनुमति :

- किसी भी ऑडियो-वीडियो मीडिया प्रोडक्शन या किसी बच्चे की भागीदारी वाले किसी भी व्यावसायिक कार्यक्रम के किसी भी निर्माता को अब उस ज़िला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जहाँ गतिविधि का प्रदर्शन किया जाना है।
- निर्माताओं को डिस्क्लेमर भी चलाना होगा जिसमें यह बताया जाएगा कि शूटिंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु उपाय किये गए थे।

कठोर दंड प्रावधान:

- आयोग ने कारावास सहित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिये कड़े दंड प्रावधानों को भी शामिल किया है, और यह अनिवार्य किया है कि मनोरंजन में इस्तेमाल होने वाले बाल कलाकारों और बच्चों को ज़िला मजिस्ट्रेटों के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है।
- विभिन्न अधिनियमों के प्रावधान:
  - पैसे कमाने के लिये बच्चों का इस्तेमाल करने वाले माता-पिता को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये। बच्चों की सुरक्षा के लिये अलग-अलग अधिनियम हैं, इन अधिनियमों के प्रावधानों को अब दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है।
  - किशोर न्याय अधिनियम, 2015, बाल श्रम संशोधन अधिनियम, 2016, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, आदि के प्रावधानों को दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है। .
  - बाल और किशोर श्रम अधिनियम, 1986, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराधों के लिये विभिन्न दंड निर्धारित किये गए हैं।
- विस्तार:
  - नए दिशा-निर्देशों के दायरे में टीवी कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा, जिसमें रियलिटी शो, धारावाहिक, समाचार और सूचनात्मक मीडिया, फिल्में, OTT प्लेटफार्मों पर सामग्री, सोशल मीडिया पर सामग्री, प्रदर्शन कला, विज्ञापन और वाणिज्यिक मनोरंजन गतिविधियों में बच्चों की किसी भी अन्य प्रकार की भागीदारी शामिल है।

- निषिद्ध भूमिकाएँ:
  - दिशा-निर्देश बच्चों को अनुपयुक्त भूमिकाओं या स्थितियों में डाले जाने पर रोक लगाते हैं ।
  - बच्चे की उम्र, परिपक्वता, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक विकास और संवेदनशीलता को ध्यान में रखना होगा। एक बच्चे को उपहास, अपमान या हतोत्साह, कठोर टिप्पणियों या किसी भी ऐसे व्यवहार में शामिल नहीं किया जा सकता है जो उसके भावनात्मक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है।
  - बच्चों को शराब पीते, धूम्रपान या किसी अन्य पदार्थ का उपयोग करते हुए या किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि और अपराधी व्यवहार में लिप्त होते हुए नहीं दिखाया जा सकता है।
  - किसी भी बच्चे को नग्नता से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- अभिभावक की उपस्थिति:
  - शूट के दौरान कम-से-कम एक माता या पिता या कानूनी अभिभावक या किसी ज्ञात व्यक्ति को उपस्थित होना होगा और शिशुओं के लिये माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ एक पंजीकृत नर्स की उपस्थिति आवश्यक है।.
- हानिकारक प्रकाश, दूषित प्रसाधन सामग्री का निषेध:
  - नाबालिग, विशेष रूप से छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक प्रकाश व्यवस्था, या दूषित सौंदर्य प्रसाधनों के संपर्क में नहीं लाया जाएगा।
- चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र:
  - प्रोडक्शन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो बच्चों के संपर्क में हो सकता है, को यह सुनिश्चित करने के लिये एक चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि उन्हें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं है और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी किया जाना होगा।
- बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित करना:
  - निर्माता को शिक्षा का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2009 के तहत बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है ताकि उत्पादन और चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ स्कूल या सीखने की अवधि के दौरान पर्याप्त पौष्टिक भोजन तथा बच्चों के लिये पीने के पानी की उपलब्धता में कोई रुकावट न हो।
- प्रति दिन एक शिफ्ट:
  - एक बच्चा प्रति दिन केवल एक शिफ्ट में तीन घंटे के ब्रेक के साथ कार्य करेगा।
- सावधि जमा/फिक्स डिपोज़िट में बच्चे की आय को जमा करना:
  - बच्चे द्वारा उत्पादन या आयोजन से अर्जित आय का कम-से-कम 20% बच्चे के नाम पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में सीधे जमा किया जाएगा जो कि वयस्क होने पर बच्चे द्वारा क्रेडिट किया जा सकता है।
- बच्चे या उसके परिवार/अभिभावक द्वारा बनाई गई सामग्री:
  - बाल श्रम और किशोर श्रम अधिनियम, 1986 की धारा 3 (2) (a) के तहत बच्चे या उसके परिवार/अभिभावक द्वारा निर्मित विषय वस्तु/कंटेंट को पारिवारिक उद्यम में कार्य करने वाले बच्चों के रूप में माना जाएगा।

बच्चों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान प्रत्येक बच्चे को सम्मान के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और/या भेदभाव के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 15) शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24)।
  - 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 A)।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, विशेष रूप से अनुच्छेद 39(f) यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य पर एक दायित्व डालता है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता तथा सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर एवं सुविधाएँ दी जाएँ तथा बचपन और युवाओं को शोषण, नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) ने अपने सफल कार्यान्वयन के सात वर्ष पूरे कर लिये हैं।

- कुल 8.31 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ PMAY-U ने अब तक 122.69 लाख घरों को मंज़ूरी दी है, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक घरों की नींव रखी जा चुकी है और 61 लाख से अधिक घरों को पूरा किया गया है तथा लाभार्थियों को वितरित किया गया है।

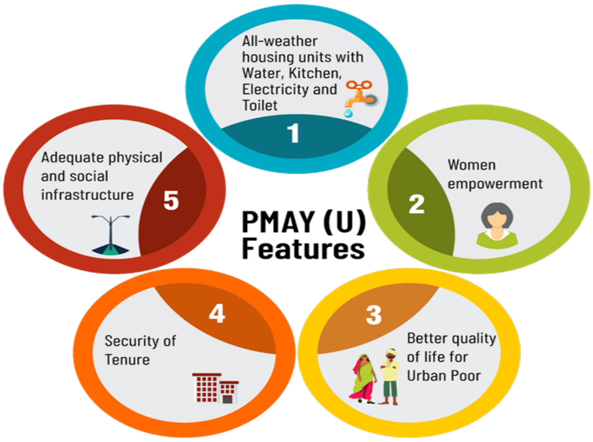

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी:

- परिचय:
  - प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) द्वारा कार्यान्वित शहरीआवास के लिये सरकार के मिशन - 2022 तक सभी के लिये आवास के अंतर्गत आती है।
  - यह शहरी गरीबों के लिये समान मासिक किस्तों (EMI) के पुनर्भुगतान के दौरान गृह ऋण की ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान करके गृह ऋण को किफायती बनाता है।
- लाभार्थी:
  - मिशन स्लमवासियों सहित EWS/LIG और MIG श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संदर्भित करता है।
    - आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) - 3,00,00 रुपए की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय के साथ।
    - निम्न आय समूह - 6,00,000 रुपए की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय के साथ) और
    - मध्यम आय समूह (MIG-I और II) जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 18,00,000 रुपए है)।
    - लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियाँ शामिल होंगी।
- PMAY-U के चार कार्यक्षेत्र:
  - स्व-स्थान मलिन बस्ती पुनर्विकास (ISSR):
    - पात्र मलिनवासियों को घर उपलब्ध कराने के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ इसको "संसाधन के रूप में भूमि" की अवधारणा के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से लागू किया जाएगा।
    - मलिन बस्ती: यह कम से कम 300 लोगों या लगभग 60-70 घरों का एक सघन क्षेत्र होता है जहाँ आमतौर पर खराब रूप से निर्मित भीड़भाड़ वाले मकान, अस्वच्छ वातावरण, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, उचित स्वच्छता और पेयजल की सुविधाओं की कमी होती है।
  - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (CLSS) के माध्यम से किफायती आवास:
    - EWS, LIG, MIG (I & II) के लाभार्थी जो बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और ऐसे अन्य संस्थानों से आवास ऋण प्राप्त करने एवं नए घरों के निर्माण या इन्हें बढ़ाने के लिये आवास ऋण की मांग कर रहे हैं, वे ब्याज़ सब्सिडी के पात्र हैं:
    - 6 लाख रुपए तक की ऋण राशि 6.5% ब्याज़ सब्सिडी पर
    - 9 लाख रुपए तक की ऋण राशि 4% ब्याज़ सब्सिडी पर
    - 12 लाख रुपए तक की ऋण राशि 3% ब्याज़ सब्सिडी पर
  - साझेदारी के माध्यम से किफायती आवास (AHP):
    - किफायती आवास परियोजना विभिन्न श्रेणियों के घरों का मिश्रण हो सकती है, यदि परियोजना में कम-से-कम 35% घर EWS श्रेणी में हैं तो यह केंद्रीय सहायता के लिये पात्र होगी।
  - लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण (BLC):
    - EWS श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को व्यक्तिगत आवास निर्माण/वृद्धि के लिये प्रति EWS घर 1.5 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मांग-संचालित दृष्टिकोण:
  - PMAY-U सहकारी संघवाद के लोकाचार को मज़बूत करने के लिये एक मांग-संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है, आवास की कमी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) द्वारा मांग मूल्यांकन के आधार पर तय की जाती है।
  - PMAY-U के CLSS वर्टिकल को छोड़कर मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में लागू किया गया है, जिसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।
    - केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित हैं और केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
    - केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के वित्तपोषण का एक निश्चित प्रतिशत राज्यों द्वारा वहन किया जाता है और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- जियोटैगिंग:
  - जियोटैगिंग फोटोग्राफी जैसे विभिन्न माध्यमों में भौगोलिक पहचान को जोड़ने की एक प्रक्रिया है।
    - PMAY-U दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार के लिये यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि योजना के तहत बनाए गए सभी घरों को भुवन HFA (सभी के लिये आवास) आवेदन पर जियोटैग किया गया है।
    - भुवन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित एक भारतीय भू- प्लेटफ़ॉर्म है।
    - यह एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न मानचित्र संबंधी सेवाओं तक पहुँचने की अनुमति देता है।
- महिला सशक्तीकरण:
  - मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नामों में घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।

- महिलाओं (विधवाओं, एकल महिलाओं को अधिभावी वरीयता के साथ), अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर से संबंधित व्यक्तियों को भी वरीयता दी जाती है।

- PMAY-U के तहत पहलें:
  - 'एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़ (ARHCs) :
    - यह PMAY-U के तहत एक उप-योजना है।
    - यह औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्थाओं में शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के करीब सम्मानजनक किफायती किराये के आवास तक आसान पहुँच प्रदान करेगा।
  - वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती:
    - इसका उद्देश्य आवास निर्माण क्षेत्र के लिये वैश्विक स्तर से नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उसे मुख्यधारा में लाना है जो सतत्, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा-अनुकूल हो।
  - CLSS आवास पोर्टल (CLAP):
    - यह एक साझा मंच है जहाँ सभी हितधारक अर्थात् MoHUA, केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ, प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थान, लाभार्थी और नागरिक एक निर्धारित समय पर एकीकृत होते हैं।
    - पोर्टल लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी की स्थिति पर नज़र रखने के साथ-साथ आवेदनों को प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है।

शिक्षा सहायता की आवश्यकता वाले बच्चे और किशोर

चर्चा में क्यों ?

आपात स्थिति और लंबे समय तक चलने वाले संकटों में शिक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कोष, एजुकेशन कैन नॉट वेट (Education Cannot Wait- ECW) द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जो बताती है कि संकट से प्रभावित स्कूली बच्चों की संख्या जिन्हें शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है, वर्ष 2016 में अनुमानित 75 मिलियन से बढ़कर 222 मिलियन हो गई है।

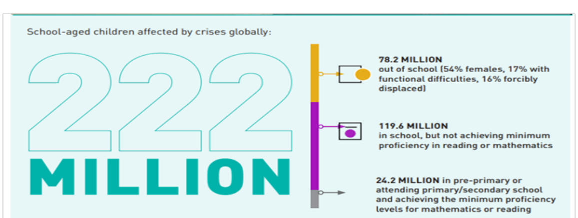

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ:

- अध्ययन इंगित करता है कि कम-से-कम 78.2 मिलियन बच्चें स्कूल से दूर हैं और करीब 120 मिलियन बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन वे गणित पढ़ने में न्यूनतम दक्षता हासिल करने में सक्षम नहीं हैं। वास्तव में, प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले दस बच्चों में से केवल एक ही वास्तव में इन दक्षता मानकों को प्राप्त कर रहा है।
- विश्लेषण इंगित करता है कि स्कूल से बाहर संकट से प्रभावित बच्चों में से 84% व्यापक संकट वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश उन देशों में हैं, जिन्हें विशेष रूप से ECW के ग्राउंड-ब्रेकिंग बहु-वर्षीय निवेश के माध्यम से लक्षित किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान और यमन शामिल हैं।
- यूक्रेन में युद्ध अधिक बच्चों को स्कूल की पहुँच से बाहर कर रहा है, हाल के अनुमानों से संकेत मिलता है कि संघर्ष ने 5.7 मिलियन स्कूली आयु वर्ग के बच्चों को प्रभावित किया है।
- संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 119.6 मिलियन बच्चे स्कूल गए लेकिन गणित पढ़ने में न्यूनतम दक्षता हासिल नहीं की।
- #222 मिलियन ड्रीम्स: इस दबाव वाले वैश्विक शिक्षा संकट का जवाब देने के लिये, ECW और रणनीतिक साझेदारों ने जिनेवा में #222MillionDreams संसाधन जुटाने का अभियान शुरू किया।
- अभियान दानदाताओं, निजी क्षेत्र, परोपकारी फाउंडेशनों और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों से ECW के निवेश को बढ़ाने के लिये तत्काल अधिक संसाधन जुटाने का आह्वान करता है, जो पहले से ही 40 से अधिक संकट-प्रभावित देशों में 5 मिलियन से अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

एजुकेशन कैन नॉट वेट (ECW):

- परिचय:
  - यह आपात स्थिति और दीर्घकालिक संकट की स्थिति में शिक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक और कई बिलियन डॉलर की राशि वाला कोष है।
  - यह यूनिसेफ के वित्तीय, मानव संसाधन और प्रशासनिक नियमों और विनियमों के तहत प्रशासित है लेकिन इसके ऑपरेशनों का संचालन अपनी स्वतंत्र शासन संरचना द्वारा किया जाता है।
- मिशन:
  - ECW संकट से प्रभावित लाखों बच्चों और युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक-से-अधिक साझा राजनीतिक, परिचालन एवं वित्तीय प्रतिबद्धता के

सृजन हेतु काम करता है, तथा अधिक तेज़, कनेक्टेड व त्वरित प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है जो संवहनीय शिक्षा प्रणाली हेतु मानवीय-विकास की निरंतरता को आधार बनाता है।

नए वीपीएन नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने मानदंड जारी किये जिसके तहत VPN (Virtual Private Network) प्रदाताओं को अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होती है, जिसमें सेवा का उपयोग करने का उद्देश्य भी शामिल है, जो पाँच साल के लिये होगा।

- CERT-In भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संगठन है।

VPN:

- परिचय:
  - VPN "वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क" है जो सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करते समय एक संरक्षित नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने के अवसर का वर्णन करता है।
  - VPN इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करते हैं और उपयोगकर्त्ता की ऑनलाइन पहचान को छिपाते हैं। इससे तृतीय पक्ष के लिये ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करना एवं डेटा चोरी करना अधिक कठिन हो जाता है। एन्क्रिप्शन वास्तविक समय में होता है।

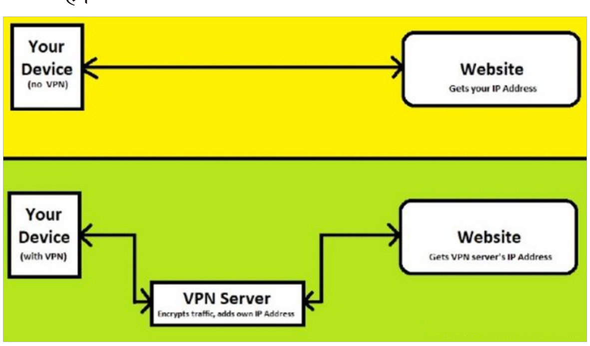

- कार्य:
  - VPN उपयोगकर्त्ता के IP एड्रेस को छिपाते है, यह VPN होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फिगर किये गए रिमोट सर्वर के माध्यम से नेटवर्क को पुनर्निर्देशित करने देता है।
    - इसका मतलब यह है कि यदि कोई उपयोगकर्त्ता VPN के साथ ऑनलाइन सर्फिंग कर रहा है, तो VPN सर्वर डेटा का स्रोत बन जाता है।
  - इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) और अन्य तृतीय पक्ष यह नहीं देख सकते हैं कि उपयोगकर्त्ता किन वेबसाइटों पर जाता है या डेटा ऑनलाइन भेजा और प्राप्त किया है।
- लाभ:
  - एन्क्रिप्शन सुरक्षा:
    - एक VPN कनेक्शन डेटा ट्रैफिक को ऑनलाइन छुपाता है और इसे बाहरी पहुँच से बचाता है।
    - अनएन्क्रिप्टेड डेटा को कोई भी व्यक्ति देख सकता है जिसे नेटवर्क एक्सेस करने की अनुमति है। VPN के उपयोग से सरकार, हैकर्स और साइबर अपराधी इस डेटा को नहीं समझ सकते हैं।
  - क्षेत्रीय सामग्री तक पहुँच:
    - क्षेत्रीय वेब सामग्री हमेशा हर जगह सुलभ नहीं होती है। सेवाओं और वेबसाइटों में अक्सर ऐसी सामग्री होती है जिसे केवल दुनिया के कुछ हिस्सों से ही एक्सेस किया जा सकता है। मानक कनेक्शन आपके स्थान का निर्धारण करने के लिये देश में स्थानीय सर्वर का उपयोग करते हैं।
    - VPN लोकेशन स्पूफिंग के साथ कोई एक सर्वर को दूसरे देश में स्विच कर सकता है और प्रभावी रूप से स्थान बदल सकता है।
  - सुरक्षित डेटा स्थानांतरण:
    - VPN सेवाएँ निजी सर्वर से जुडी होती हैं और डेटा के लिये सुरक्षित मार्ग प्रदान करने वाले डेटा लीकेज के जोखिम को कम करने के लिये एन्क्रिप्शन विधियों का उपयोग करती हैं।
- सीमाएँ:
  - कम इंटरनेट स्पीड: चूँकि VPN को आपके ट्रैफिक को VPN सर्वर के माध्यम से संचालित करने की आवश्यकता होती है, इसलिये इसे आपके गंतव्य वेबसाइट तक पहुँचने में अधिक समय लगेगा।
  - एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर नहीं: VPN व्यापक एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर की तरह कार्य नहीं करते हैं। जबकि वे किसी के आईपी की रक्षा करते हैं तथा किसी के इंटरनेट इतिहास को एन्क्रिप्ट करते हैं, एक VPN कनेक्शन किसी कंप्यूटर को बाहरी घुसपैठ से नहीं बचाता है।
    - एक बार जब मैलवेयर किसी डिवाइस तक पहुँच जाता है, तो यह डेटा चुरा सकता है या नुकसान पहुँचा सकता है, चाहे वीपीएन सेवा में हो या नहीं।
- विनियमन:
  - वर्तमान में कुछ ही सरकारें VPN को विनियमित या पूर्ण प्रतिबंधित करती हैं।

- इनमें चीन, बेलारूस, इराक, उत्तर कोरिया, ओमान, रूस और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। कई अन्य देशों में इंटरनेट सेंसरशिप कानून हैं, जो VPN का उपयोग करना जोखिमपूर्ण बनाते हैं।

VPN से संबंधित नए नियम:

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने VPN कंपनियों के लिये नए मानदंड जारी किये हैं कि वे पांच साल की अवधि हेतु नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और आईपी एड्रेस सहित अपने उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी रिकॉर्ड करें।
  - उन्हें उपयोग पैटर्न, सेवाओं को प्राप्त करने का उद्देश्य और कई अन्य जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
- VPN कंपनियों के अलावा डेटा सेंटर, वर्चुअल सर्विस नेटवर्क प्रोवाइडर्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसी तरह के डेटा को रिकॉर्ड करने और मेंटेन करने के लिये कहा गया है।
- संस्थाओं को साइबर सुरक्षा की घटनाओं के बारे में जागरूक होने के छह घंटे के भीतर CERT-in को रिपोर्ट करना भी आवश्यक है।

सरकार द्वारा नियम जारी करने के कारण:

- ये नियम समग्र साइबर सुरक्षा को बढ़ाएंगे एवं देश में सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट सुनिश्चित करेंगे।
- यह नोट किया गया कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In), जो साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, ने ऑनलाइन खतरों का विश्लेषण करने के तरीके में "अंतराल" की पहचान की है जिसके कारण उसने साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिये नए मानदंड जारी किये हैं।
- वर्ष 2021 में एक संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा को एक रिपोर्ट में मंत्रालय से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सहायता से वीपीएन को ब्लॉक करने को कहा था।

संबंधित मुद्दे:

- वीपीएन का उपयोग करने के लिये साइन-अप करते समय ग्राहकों को एक सख्त केवाईसी प्रक्रिया से गुज़रना होगा और सेवाओं का उपयोग करने का उद्देश्य बताना होगा।
  - नए नियमों के साथ सरकार की पहुँच मूल रूप से ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी तक होगी जो वीपीएन के उपयोग को गलत बनाता है।
- कई वीपीएन प्रदाता नए नियमों के निहितार्थ पर विचार कर रहे हैं और कुछ ने देश से अपनी सेवा वापस लेने की धमकी भी दी है।
  - CERT-In नियमों के जवाब में दुनिया के सबसे बड़े वीपीएन प्रदाताओं में से एक, नॉर्ड वीपीएन ने कहा है कि वह अपने सर्वरों को देश से बाहर ले जा रहा है। दो अन्य फर्म, एक्सप्रेस वीपीएन और सुरफशार्क ने कहा कि वे भारत में अपने भौतिक सर्वर बंद कर देंगे तथा सिंगापुर एवं यूके में स्थित वर्चुअल सर्वर के माध्यम से भारत में उपयोगकर्त्ताओं को सेवा प्रदान करेंगे।

वर्चुअल सर्वर:

- परिचय:
  - वर्चुअल सर्वर, वास्तविक भौतिक सर्वर पर निर्मित एक नकली सर्वर वातावरण है। यह एक समर्पित भौतिक सर्वर की कार्यक्षमता को पुनर्निर्मित करता है।
  - यह भौतिक सर्वर के संसाधनों का उपयोग करता है। एक से अधिक वर्चुअल सर्वर एक भौतिक सर्वर पर चल सकते हैं।
- प्रमुख बिंदु:
  - क्षमता:
    - एक भौतिक सर्वर को कई वर्चुअल सर्वर में परिवर्तित करने से संगठन एक विभाजित सर्वर पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन चलाकर प्रोसेसिंग पॉवर एवं संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं।
  - लागत में कमी:
    - वर्चुअलाइज़ेशन (Virtualization) लागत को भी कम करता है क्योंकि वर्चुअल सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना भौतिक सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर की तुलना में कम खर्चीला है।
  - सुरक्षा:
    - वर्चुअल सर्वर भी भौतिक सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर की तुलना में उच्च सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन में संलग्न होते हैं।
    - यह वर्चुअल मशीन के अंदर सिक्योरिटी अटैक्स और दुर्भावनापूर्ण व्यवहारों को रोकने में मदद करता है।
  - परिक्षण:
    - कई भौतिक मशीनों पर मैन्युअल रूप से स्थापित और चलाए बिना वर्चुअल सर्वर विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसिंग (Debugging) में अनुप्रयोगों के परीक्षण एवं डिबगिंग में भी उपयोगी होते हैं।

भारत NCAP

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत एनसीएपी (न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) शुरू करने के लिये सामान्य वैधानिक नियम (GSR) अधिसूचना के मसौदे को मंज़ूरी दी है।

- एनसीएपी को 1 अप्रैल, 2023 से शुरू किया जाएगा और इसका मतलब होगा कि भारत में ऑटो निर्माताओं के साथ-साथ आयातकों के पास देश के भीतर कारों को स्टार रेटेड प्राप्त करने का विकल्प होगा।
- संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश था जिसने क्रैश परीक्षणों के माध्यम से कार के सुरक्षा मानकों के परीक्षण के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया था।

भारत NCAP:

- परिचय:
  - यह एक नया कार सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम है जो दुर्घटना परीक्षणों में उनके प्रदर्शन के आधार पर ऑटोमोबाइल को 'स्टार रेटिंग' देने का एक तंत्र प्रस्तावित करता है।
  - भारत एनसीएपी मानक वैश्विक बेंचमार्क के साथ संरेखित है और ये न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं से परे हैं।
- भारत NCAP रेटिंग:
  - प्रस्तावित भारत NCAP मूल्यांकन 1 से 5 स्टार तक स्टार रेटिंग आवंटित करेगा।
  - इस कार्यक्रम के लिये वाहनों का परीक्षण आवश्यक बुनियादी ढाँचे के साथ परीक्षण एजेंसियों के आधार पर किया जाएगा।
- प्रयोज्यता:
  - यह देश में निर्मित या आयातित 3.5 टन से कम सकल वन वाले एम1 श्रेणी के अनुमोदित मोटर वाहनों पर लागू होगा।
    - एम1 श्रेणी के मोटर वाहनों का उपयोग यात्रियों के आवागमन के लिये किया जाता है, जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ सीटें होती हैं।

NCAP का भारत के लिये महत्त्व:

- उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिये सशक्त बनाना:
  - नए नियम यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिये सशक्त बनाते हैं।
- निर्यात-योग्यता बढ़ाता है:
  - क्रैश टेस्ट के आधार पर भारतीय कारों की स्टार रेटिंग न केवल कारों में संरचनात्मक और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल की निर्यात-योग्यता को भी बढ़ाएगी।
- ऑटोमोबाइल उद्योग आत्मनिर्भर होंगे:
  - यह भारत को दुनिया में नंबर 1 ऑटोमोबाइल हब बनाने के मिशन के साथ हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में भी एक महत्त्वपूर्ण साधन साबित होगा।

चुनौतियाँ:

- बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिये मज़बूत बुनियादी संरचना की तथा इसे सफलतापूर्वक और त्वरित तरीके से लागू करने के लिये भारी बजटीय समर्थन की आवश्यकता होगी।
- भारत के प्रमुख शहरों ने परिवहन बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये अपनी कुल भूमि आवंटन का मुश्किल से 6-10% (दिल्ली को छोड़कर, जिसने परिवहन बुनियादी ढाँचे के लिये लगभग 20% आवंटित किया है) को समर्पित किया है, जिसके कारण शहरों में जनसंख्या और इसकी आवश्यकताओं के संदर्भ में अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना विकसित हुई है।

आगे की राह

- परीक्षण प्रोटोकॉल को मौजूदा भारतीय नियमों में फैक्टरिंग ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के साथ संरेखित किया जाना चाहिये, जिससे OEM (मूल उपकरण निर्माता) को अपने वाहनों का परीक्षण भारत की अपनी इन-हाउस परीक्षण सुविधाओं में करने की अनुमति मिल सके।

ज़िलों के लिये परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI-D)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSE&L), शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 हेतु ज़िलों के लिये केंद्र का पहला परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (Performance Grading Index for Districts-PGI-D) जारी किया।

- जून, 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 जारी करने की मंज़ूरी दी है।

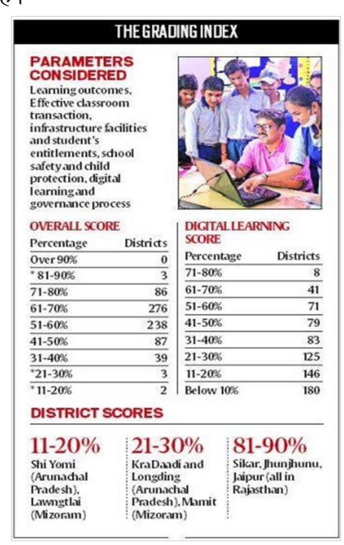
THE GRADING INDEX

PARAMETERS CONSIDERED

Learning outcomes, Effective classroom transaction, infrastructure facilities and student's entitlements, school safety and child protection, digital learning and governance process

OVERALL SCORE

Percentage	Districts
Over 90%	0
* 81-90%	3
71-80%	86
61-70%	276
51-60%	238
41-50%	87
31-40%	39
*21-30%	3
* 11-20%	2

DIGITAL LEARNING SCORE

Percentage	Districts
71-80%	8
61-70%	41
51-60%	71
41-50%	79
31-40%	83
21-30%	125
11-20%	146
Below 10%	180

DISTRICT SCORES

11-20%
Shi Yomi (Arunachal Pradesh), Lawngtlai (Mizoram)

21-30%
KraDaadi and Longding (Arunachal Pradesh), Mamit (Mizoram)

81-90%
Sikar, Jhunjhunu, Jaipur (all in Rajasthan)

इंडेक्स के बारे में:

- परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI-D):
  - PGI-D व्यापक विश्लेषण के लिये एक इंडेक्स बनाकर ज़िला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है।
  - PGI-D ने शिक्षा पर एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE +), राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS), 2017 और संबंधित ज़िलों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों सहित विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आँकड़ों के आधार पर स्कूली शिक्षा में ज़िला स्तर के प्रदर्शन का आकलन किया।
- कार्यप्रणाली:
  - संरचना: PGI-D संरचना में 83 संकेतकों में कुल 600 अंक शामिल हैं, जिन्हें छह श्रेणियों के तहत समूहीकृत किया गया है:
    - परिणाम, प्रभावी कक्षा, बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ और छात्र के अधिकार, स्कूल सुरक्षा एवं बाल संरक्षण, डिजिटल शिक्षण तथा शासन प्रक्रिया।
    - कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में दो श्रेणियाँ डिजिटल शिक्षण और प्रभावी कक्षा को जोड़ा गया है। हालाँकि ये श्रेणियाँ राज्य स्तरीय PGI का हिस्सा नहीं थीं।
    - इन श्रेणियों को आगे 12 डोमेन में विभाजित किया गया है।
  - आकलन ग्रेड: PGI-D ज़िलों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत करता है। उच्चतम ग्रेड 'दक्ष (Daksh)' है, जो उस श्रेणी या कुल मिलाकर कुल अंकों के 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ज़िलों के लिये है।
    - इसके बाद 'उत्कर्ष' (81% से 90%), 'अति उत्तम' (71% से 80%), 'उत्तम' (61% से 70%), 'प्रचेष्टा -1' (51% से 60%) और 'प्रचेष्टा-2' (41% से 50%) का स्थान है।
    - PGI-D में निम्नतम ग्रेड 'आकांक्षी-3' है जो कुल अंकों के 10% तक के स्कोर के लिये है।
    - इन दोनों वर्षों में कोई भी ज़िला उच्चतम 'दक्ष' ग्रेड में नहीं आया है।
- महत्त्व:
  - संकेतक के आधार पर PGI स्कोर उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहाँ एक ज़िले को सुधार की ज़रूरत है। PGI-D सभी ज़िलों के सापेक्ष प्रदर्शन को एक समान पैमाने पर प्रदर्शित करेगा जो उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - साथ ही यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के लिये सूचना के एक अच्छे स्रोत के रूप में भी काम करेगा जिसे साझा किया जा सकता है।
  - यह छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्रशासकों सहित स्कूली शिक्षा प्रणाली के सभी हितधारकों को अपने ज़िले के तथा अन्य ज़िलों के प्रदर्शन को जानने में मदद करता है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक:
  - राजस्थान के तीन ज़िलों ने मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
    - रिपोर्ट के अनुसार, तीन ज़िलों- सीकर, झुंझुनू और जयपुर को वर्ष 2019-20 में 'उत्कर्ष' ग्रेड में रखा गया था, जबकि एक साल पहले कोई भी ज़िला उस श्रेणी में नहीं आता था।
  - राजस्थान में इस ग्रेड में सबसे अधिक 24 ज़िले हैं, इसके बाद पंजाब (14), गुजरात (13), और केरल (13) का स्थान है।
- निम्न प्रदर्शक:
  - इस श्रेणी में सबसे कम अंक (50 में से 1) वाले ज़िले थे:
    - वर्ष 2020 में साउथ सलमारा-मांकचर (असम), अलीराजपुर (मध्य प्रदेश), नार्थ गारो हिल्स एंड साउथ गारो हिल्स इन मेघालय, एंड खोवै (त्रिपुरा)।
  - जिन 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अति-उत्तम और उत्तम में एक भी ज़िला नहीं है, वे हैं:
    - बिहार, गोवा, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड।
- प्रगति:
  - रिपोर्ट के अनुसार, सभी श्रेणियों में ज़िलों की संख्या में वृद्धि हुई है।
    - अति उत्तम ग्रेड में 2018-19 से 2019-20 के दौरान ज़िलों की संख्या 49 से बढ़कर 86 हो गई, जो "उल्लेखनीय सुधार" दर्शाती है।
    - 33 ज़िलों ने परिणामों में अपने स्कोर में सुधार किया, लेकिन ग्रेड-स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ।
    - परिणाम श्रेणी में छात्रों के सीखने के परिणाम, शिक्षकों की उपलब्धता और पेशेवर परिणाम शामिल हैं।
    - डिजिटल लर्निंग श्रेणी: 2018-19 की तुलना में 20 ज़िलों ने 20% से अधिक सुधार दिखाया है, जबकि 43 ज़िलों ने 2019-20 के दौरान अपने स्कोर में 10% से अधिक सुधार किया है।
    - अवसंरचनात्मक सुविधाएँ: 478 ज़िलों ने वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में अपने स्कोर में सुधार किया।
    - इन 478 ज़िलों में से 37 ज़िलों ने स्कोर में 20% से अधिक और 115 ज़िलों ने 10% से अधिक का सुधार किया, जिसका अर्थ है ग्रेड-स्तरीय सुधार।

इस दिशा में अन्य सरकारी पहल:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020: इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक कई बदलाव लाकर "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" बनाना है।
- समग्र शिक्षा: यह स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना है।
- मध्याह्न भोजन योजना: यह प्रावधान करती है कि कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चा जो स्कूल में दाखिला लेता है और स्कूल जाता है, उसे स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर हर दिन मुफ्त में गर्म पका हुआ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- एकलव्य मॉडल स्कूल और राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप योजना (RGNF): इनका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

सड़क सुरक्षा के लिये भारत राज्य सहायता कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक ने सात राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिये 250 मिलियन अमेरीकी डॉलर के ऋण को मज़ूरी दी है, जिसके तहत दुर्घटना के बाद की घटनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिये एक सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्ट नंबर (Single Accident Reporting Number) स्थापित किया जाएगा।

विश्व बैंक:

- परिचय:
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी।
  - विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये काम कर रहे पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है।
- सदस्य:
  - 189 देश इसके सदस्य हैं।
  - भारत भी इसका सदस्य है।
- प्रमुख रिपोर्ट:
  - मानव पूंजी सूचकांक।
  - विश्व विकास रिपोर्ट।
- इसके पाँच विकास संस्थान:
  - पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD)
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
  - बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA)
  - निवेश विवादों के निपटान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)
    - भारत इसका सदस्य नहीं है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ:

- परिचय:
  - दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने और बेहतर तथा सुरक्षित सड़कों के निर्माण के लिये इसका उपयोग करने हेतु परियोजना एक राष्ट्रीय सामंजस्यपूर्ण क्रैश डेटाबेस सिस्टम स्थापित करेगी।
  - पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के परिवर्तनीय स्प्रेड ऋण की परिपक्वता अवधि 18 वर्ष है जिसमें 5.5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है।
  - इसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा।
- लक्ष्य:
  - इसका उद्देश्य बुनियादी और उन्नत लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के नेटवर्क विस्तार और मौके पर ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिये फर्स्ट रेस्पॉन्डर केयरगिवर्स के प्रशिक्षण हेतु फंड देना है।
  - यह परियोजना राज्यों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) रियायतों और पायलट पहलों के माध्यम से निजी वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी।
  - सड़क हादसों का खामियाजा महिलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से भुगतना पड़ता है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए परियोजना में लिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है और सड़क सुरक्षा क्षेत्र में प्रबंधन भूमिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देगा।
    - यह परियोजना विशेष रूप से पोस्ट-क्रैश केयर कमांड और नियंत्रण केंद्रों में महिलाओं के लिये रोज़गार के अवसर भी प्रदान करेगी।

भारत में सड़क दुर्घटना परिदृश्य:

- आधिकारिक सरकारी आँकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,50,000 लोग मारे जाते हैं और अन्य 4,50,000 लोग घायल होते हैं।
- पीड़ितों में से आधे से अधिक पैदल चलने वाले, साइकिल चालक या मोटर साइकिल चालक होते हैं और सभी मौतों में से लगभग 84% 18-60 वर्ष की कामकाजी उम्र के बीच वाले व्यक्तियों की है।

- गरीब परिवार जो दुर्घटना के शिकार लोगों का 70% से अधिक हिस्सा है, आय की कमी, उच्च चिकित्सा व्यय और सामाजिक सुरक्षा जाल तक सीमित पहुँच के कारण सड़क दुर्घटनाओं के सामाजिक-आर्थिक बोझ का एक उच्च अनुपात वहन करते हैं।

सड़क सुरक्षा हेतु पहल:

- वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन 2030':
  - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वर्ष 2020 में स्वीडन में एक सम्मेलन (वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन 2030) में भाग लिया, जहाँ वर्ष 2030 तक भारत में शून्य सड़क दुर्घटना का लक्ष्य रखा है।
- ब्रासीलिया घोषणा पत्र (Brasilia Declaration):
  - भारत ने ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किये और मृत्यु दर में कमी लाने के लिये प्रतिबद्ध है।
  - ब्राज़ील में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए।
- मोटर वाहन (MV) (संशोधन) अधिनियम, 2019:
  - इसने यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, किशोर ड्राइविंग आदि के लिये दंड में वृद्धि की है।
  - यह मोटर वाहन दुर्घटना कोष प्रदान करता है, जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को कुछ प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।

नरेगा की मांग में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

मई 2022 में 2.61 करोड़ परिवारों ने नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना) के तहत काम किया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 17.39% अधिक है।

प्रमुख बिंदु:

- अप्रैल में गिरावट के बाद नरेगा की मांग में तेज़ी आई थी। अप्रैल 2022 में 1.86 करोड़ परिवारों ने नरेगा का लाभ उठाया, जो पिछले वर्ष अप्रैल में दर्ज की गई संख्या से 12.27% कम है।
- नरेगा का लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या मई 2020 की तुलना में कम है, जब कोविड-19 की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन के मद्देनज़र प्रवासी श्रमिकों के अपने गाँवों में लौटने के कारण मांग तेज़ी से बढ़कर 3.30 करोड़ हो गई।
  - लेकिन यह मई 2019 (महामारी पूर्व समय) में दर्ज 2.10 करोड़ के आँकड़े से अधिक है।
- राज्यों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में नरेगा का लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है।
- जबकि सबसे ज़्यादा गिरावट छत्तीसगढ़ में और उसके बाद झारखंड में दर्ज की गई।

NUMBER OF HOUSEHOLDS UNDER NREGS

State/UTs	May 2021	May 2022	Absolute Increase	% Increase
STATES WITH MAXIMUM INCREASE				
Uttar Pradesh	8,89,849	2,628,416	1,738,567	195.38
Tamil Nadu	1,717,622	3,310,400	1592778	92.73
Rajasthan	1,141,332	2,500,200	1,358,868	119.06
Bihar	1,615,010	2,305,982	690,972	42.78
Kerala	87,077	659,872	572,795	657.80
STATES WITH MOST DECLINE				
Chhattisgarh	1,589,642	678,644	-910,998	-57.31
Jharkhand	957,992	295,608	-662,384	-69.14
West Bengal	1,103,183	705,009	-398,174	-36.09
Madhya Pradesh	2,209,462	1,854,538	-354,924	-16.06
Tripura	375,239	133,347	-241,892	-64.46
ALL INDIA	22238482	26139395	3900913	17.54

नरेगा (NREGS):

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के रूप में भी जाना जाता है, 25 अगस्त, 2005 को अधिनियमित कानून है।
- यह वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार के लिये कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD) राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है।
- यह अधिनियम ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये मुख्य रूप से अर्द्ध या अकुशल कामगारों के लिये तथा ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया था। यह देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है।
- कानून के अनुसार निर्धारित कार्यबल का लगभग एक-तिहाई महिलाएँ होनी चाहिये।
- पंजीकृत व्यक्ति कार्य के लिये लिखित रूप में (कम-से-कम चौदह दिनों तक लगातार काम करने के लिये) आवेदन पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।
- रोज़गार 5 किमी. के दायरे में दिया जाएगा और यदि यह 5 किमी. से अधिक है, तो अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- नरेगा के तहत अधिसूचित किये गए अधिकांश कार्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं, इसके अलावा ये ग्रामीण स्वच्छता परियोजनाओं को सुविधा प्रदान करते हैं।

- नरेगा एक मांग आधारित मज़दूरी रोज़गार कार्यक्रम है और केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण प्रत्येक राज्य में रोज़गार की मांग पर आधारित है।
- यह मांग पर काम प्रदान करने में विफलता और किये गए काम के लिये मज़दूरी के भुगतान में देरी के मामलों में भत्ते व मुआवज़े दोनों प्रदान करके मज़दूरी रोज़गार के लिये कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- मई 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (NMMS) एप लॉन्च किया, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (NREGA) के कार्यों में "नागरिक निरीक्षण में सुधार तथा पारदर्शिता बढ़ाने" के लिये एक नया एप्लीकेशन है।

NREGS के परिणाम:

- पिछले 15 वर्षों में इसने 31 अरब से अधिक व्यक्ति-दिवस रोज़गार का सृजन किया है।
- पिछले 15 वर्षों में सरकार ने इस मांग-संचालित कार्यक्रम में 6.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।
- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2006 से अब तक 30 मिलियन से अधिक जल संरक्षण से संबंधित संपत्ति विकसित की गई है।

चुनौतियाँ:

- कम मज़दूरी दर: नरेगा मज़दूरी वर्तमान में लगभग 180 रुपए प्रतिदिन है जो बाज़ार दर से काफी नीचे है। लगभग एक दशक से एक ही तरह के काम के लिये औसत मज़दूरी दर की अनदेखी करते हुए मज़दूरी को केवल मुद्रास्फीति के लिये समायोजित किया गया है और अभी यह 23 राज्यों में न्यूनतम मज़दूरी दर से नीचे गिर गई है, जिससे भागीदारी में गिरावट आई है।
- मज़दूरी के भुगतान में देरी: एक मुद्दा यह है कि इस योजना के तहत श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना अनिवार्य है; इन लोगों को अक्सर भुगतान नहीं मिलता है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के बकाया वेतन की एक बड़ी शेष राशि का खुलासा हुआ है।
- भ्रष्टाचार: इस योजना के साथ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर फंडिंग आवंटन बढ़ भी जाता है, तो भी सिस्टम से भ्रष्ट बिचौलियों को जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल है।
- महत्त्वहीन कार्य: अधिकांश अधिकारी केवल अर्थहीन कार्य की पेशकश करते हैं जिसका देश में कृषि के बुनियादी ढाँचे में कोई योगदान नहीं है।

आगे की राह

- विचार यह है कि इसे सालाना संशोधित किया जा सकता है तथा वेतनभोगी श्रमिकों को उनकी खपत की जरूरतों के आधार पर पर्याप्त रूप से मुआवज़ा दिया जा सकता है और यह एक बेहतर तरीका हो सकता है।
- संसाधनों के कुशल प्रबंधन के माध्यम से भ्रष्टाचार से निपटने और देर से भुगतान के मुद्दे को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) द्वारा इंटरनेट शटडाउन नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई: जिसमें इसके रुझान, कारण, कानूनी निहितार्थ और मानवाधिकारों पर प्रभाव, वर्णित हैं तथा कहा गया है कि इंटरनेट बंद करने से लोगों की सुरक्षा और कल्याण प्रभावित होता है, सूचना प्रवाह में बाधा आती है और अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँचती है।

इंटरनेट शटडाउन:

- परिचय:
  - इंटरनेट शटडाउन के उपाय का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब नागरिक अशांति की स्थिति होती है, ताकि सरकारी कार्रवाइयों के संबंध में सूचनाओं के प्रवाह को अवरुद्ध किया जा सके।
  - शटडाउन में अक्सर इंटरनेट कनेक्टिविटी या प्रभावित सेवाओं की पहुँच को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। हालाँकि सरकारें तेज़ी से बैंडविड्थ को कम करने या मोबाइल सेवा को 2G तक सीमित करने का सहारा लेती हैं, जो नाममात्र की पहुँच बनाए रखते हुए इंटरनेट का सार्थक उपयोग करना बेहद मुश्किल बना देती है।
  - दुनिया भर की सरकारों ने कई कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट को बंद करने का सहारा लिया है
  - इसके अलावा वीडियो, लाइव प्रसारण और अन्य पत्रकारिता कार्यों को साझा करना तथा देखना मुश्किल हो जाता है, जिन्हें अक्सर नागरिक समाज आंदोलनों, सुरक्षा उपायों के साथ-साथ चुनावी कार्यवाही के दौरान आदेश दिया जाता है और मानवाधिकारों की निगरानी व रिपोर्टिंग को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है।
- संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे:
  - इंटरनेट शटडाउन कई मानवाधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, साथ ही यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा तथा लोकतांत्रिक समाजों की नींव में से एक व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिये अनिवार्य शर्त की जानकारी तक पहुँच को त्वरित रूप से प्रभावित करता है।

- यह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और अन्य मानवाधिकार उपकरणों (अर्थात् मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में गारंटीकृत अन्य सभी अधिकारों के लिये एक मानदंड है।
- सतत् विकास लक्ष्य अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों से मुक्त, सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध और सुलभ इंटरनेट द्वारा कार्य करने के लिये राज्यों के मानवाधिकार दायित्वों को सुदृढ़ करते हैं।
- संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिये स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) मानकों को अपनाने पर कार्य करता है जो सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क और प्रौद्योगिकियाँ आपस में जुड़ती हैं तथा इंटरनेट तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास करती हैं।

प्रमुख निष्कर्ष:

- वैश्विक परिदृश्य:
  - दुनिया का ध्यान खींचने वाला पहला बड़ा इंटरनेट शटडाउन वर्ष 2011 में मिस्र में हुआ था और इसके साथ ही सैकड़ों गिरफ्तारियाँ और हत्याएँ भी हुई थीं।
  - #कीपइटऑन गठबंधन (#KeepItOn coalition), जो दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन एपिसोड की निगरानी करता है, द्वारा वर्ष 2016-2021 तक 74 देशों में 931 शटडाउन का दस्तावेजीकरण किया गया।
  - उस अवधि के दौरान 12 देशों द्वारा 10 से अधिक शटडाउन लागू किये गए। वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में कई शटडाउन का सामना किया गया है, लेकिन अधिकांश रिपोर्ट एशिया और अफ्रीका में हुई है।
  - नागरिक समाज समूहों द्वारा दर्ज किये गए शटडाउन में से 132 को आधिकारिक तौर पर अभद्र भाषा, दुष्प्रचार या अवैध या हानिकारक समझी जाने वाली सामग्री के अन्य रूपों के प्रसार को नियंत्रित करने की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया गया था।
- भारतीय परिदृश्य:
  - भारत ने इंटरनेट कनेक्शन को 106 बार अवरुद्ध या बाधित किया तथा भारत के कम-से-कम 85 इंटरनेट शटडाउन एपिसोड जम्मू और कश्मीर में हुए।
  - नागरिक समाज समूहों द्वारा वर्ष 2016-2021 तक दर्ज किये गए सभी शटडाउन में से लगभग आधे को विरोध और राजनीतिक संकटों के संदर्भ में किया गया था, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक शिकायतों की एक विशाल शृंखला से संबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान 225 शटडाउन दर्ज किये गए थे।
- चुनाव के दौरान शटडाउन:
  - यह डिजिटल उपकरणों तक पहुँच को समाप्त करता है जो चुनाव प्रचार, सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने, मतदान करने और चुनावी प्रक्रियाओं की देख-रेख के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - अकेले वर्ष 2019 में 14 अफ्रीकी देशों ने चुनावी अवधि के दौरान इंटरनेट तक पहुँच को बाधित कर दिया।
  - ये व्यवधान निष्पक्ष पत्रकारों और मीडिया के काम को सामान्य रूप से बाधित करते हैं। युगांडा में शटडाउन ने हिंसक दमनकारी उपायों की रिपोर्टों के बीच वर्ष 2021 में चुनावों के मीडिया कवरेज को कमज़ोर कर दिया।
  - चुनावी अवधि के दौरान विरोध के बाद शटडाउन बेलारूस और नाइजर जैसे देशों में भी रिपोर्ट किये गए थे।
- इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव:
  - आर्थिक गतिविधियों पर: यह सभी क्षेत्रों के लिये बड़ी आर्थिक लागत का कारण बनता है, वित्तीय लेनदेन, वाणिज्य और उद्योग को बाधित करता है।
    - विश्व बैंक ने हाल ही में गणना की है कि अकेले म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन की लागत फरवरी-दिसंबर 2021 से लगभग 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो पिछले दशक में हुई आर्थिक प्रगति को उलट देती है।
  - शिक्षा पर: यह सीखने के परिणामों को कमज़ोर करता है और शिक्षकों, स्कूल प्रशासकों, परिवारों के बीच शिक्षा योजना एवं संचार में हस्तक्षेप करता है।
  - स्वास्थ्य और मानवीय सहायता तक पहुँच पर:
    - अध्ययनों ने स्वास्थ्य प्रणालियों पर शटडाउन के महत्त्वपूर्ण प्रभावों को दिखाया है, जिसमें तत्काल चिकित्सा देखभाल जुटाना, आवश्यक दवाओं की डिलीवरी और उपकरणों के रखरखाव में बाधा डालना, चिकित्सा कर्मियों के बीच स्वास्थ्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सीमित करना और आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बाधित करना शामिल है।
    - सहायता प्रदान करने के लिये मानवीय अभिकर्त्ताओं की क्षमता पर इंटरनेट शटडाउन का गहरा प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति व वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के लिये महत्त्वपूर्ण सूचना के प्रवाह को बाधित किया जा सकता है।
    - म्याँमार में इंटरनेट शटडाउन ने कथित तौर पर स्थानीय सहायता संगठनों को संकट में डाल दिया, क्योंकि इसने उन्हें धन मांगने और प्राप्त करने से रोका था।

इंटरनेट शटडाउन हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश:

- जैसा कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करता है। यह एक उचित प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है और इसे केवल तभी अधिनियमित किया जाना चाहिये जब सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कोई वास्तविक खतरा हो। कुछ संतुलन परीक्षण किये जाने चाहिये तथा केवल अत्यधिक आवश्यक होने पर ही सरकार को इस अत्यंत प्रतिबंधात्मक कदम का प्रयोग करना चाहिये।

आगे की राह

- रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट शटडाउन की अधिक आवृत्ति की प्रवृत्ति को रोकने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उपायों और उनके प्रभावों की सीमित दृश्यता है।
- रिपोर्ट में राज्यों से शटडाउन से परहेज करने, इंटरनेट पहुँच को अधिकतम करने और संचार के रास्ते में कई बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया गया है।
- इसने कंपनियों से व्यवधानों पर सूचनाओं को तेज़ी से साझा करने और यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि वे शटडाउन को रोकने के लिये सभी संभव कानूनी उपाय करें जिन्हें उन्हें लागू करने के लिये कहा गया है।
- शटडाउन डिजिटल डिवाइड को कम करने के प्रयासों, त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास के वादे को कमज़ोर करते हैं, जिससे सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि को खतरा होगा।

सड़क सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

नवीनतम लैंसेटअध्ययन के अनुसार, वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम भारत में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं।

- चार प्रमुख जोखिम कारणों जैसे- तेज़ गति, नशे में गाड़ी चलाना, क्रैश हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग न करना, पर पर ध्यान केंद्रित करने हर साल दुनिया भर में 13.5 लाख सडक दुर्घटनाओं में से 25% से 40% तक को रोक सकता है।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कुल 1,31,714 मौतें हुईं।
    - 69.3% मौतों के लिये स्पीडिंग ज़िम्मेदारहै।
    - हेलमेट न पहनने के कारण 30.1% मौतें हुईं।
    - सीटबेल्ट का प्रयोग न करने से 11.5% मौतें होती हैं।
- 5-29 वर्ष आयु वर्ग में रोड ट्रैफिक इंजुरी (RTIs) सभी उम्र के लिये विश्व स्तर पर मौत का आठवाँ प्रमुख कारण है।
    - भारत में दुर्घटना से होने वाली सभी मौतों की लगभग 10% मौतें होती हैं, जबकि दुनिया के केवल 1% मौतों के लिये वाहन ज़िम्मेदार हैं।

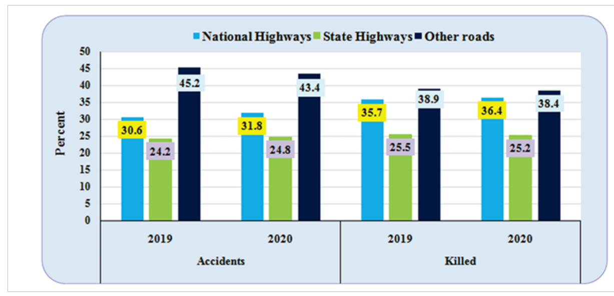

भारत में सड़क सुरक्षा का महत्त्व:

- परिचय:
    - यातायात हिस्सेदारी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के मामले में सड़क परिवहन भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है।
    - सड़क परिवहन की मांग को पूरा करने के लिये पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की संख्या और सड़क नेटवर्क की लंबाई में वृद्धि हुई है।
    - देश में सड़क नेटवर्क, मोटरीकरण और शहरीकरण के विस्तार का एक नकारात्मक बहिर्भाव/प्रभाव सड़क दुर्घटनाओं और खराब सड़कों की संख्या में वृद्धि है।
- सड़क दुर्घटनाओं का कारण:
    - बुनियादी ढाँचे की कमी: सड़कों और वाहनों की दयनीय स्थिति, खराब दृश्यता, खराब सड़क डिज़ाइन और इंजीनियरिंग-सामग्री तथा निर्माण की गुणवत्ता में कमी, विशेष रूप से तीव्र मोड़ के के साथ सिंगल-लेन।
    - लापरवाही और जोखिम: ओवर स्पीडिंग, शराब या ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग, थकान या बिना हेलमेट के सवारी, सीटबेल्ट के बिना ड्राइविंग आदि।
    - व्याकुलता: ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बन गया है।
    - ओवरलोडिंग: परिवहन की लागत की बचत करने के लिये।
    - भारत में कमजोर वाहन सुरक्षा मानक: वर्ष 2014 में ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (NCAP) द्वारा किये गए क्रैश टेस्ट से पता चला है कि भारत के कुछ सबसे अधिक बिकने वाले कार मॉडल संयुक्त राष्ट्र (UN) के फ्रंटल इम्पैक्ट क्रैश टेस्ट में विफल रहे हैं।

- ज़ागरूकता की कमी: एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि जैसे सुरक्षा सुविधाओं के महत्त्व के बारे में जागरूकता की कमी है।

- प्रभाव:
  - आर्थिक:
    - भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपने सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3% का नुकसान होता है, जिनमें से अधिकांश को रोका जा सकता है
  - सामाजिक:
    - परिवारों पर बोझ:
    - सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की वजह से गरीब परिवारों की लगभग सात माह की घरेलू आय कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित परिवार गरीबी और कर्ज़ के चक्र में फँस जाता है।
    - संवेदनशील सड़क उपयोगकर्त्ता (VRUs):
    - संवेदनशील सड़क उपयोगकर्त्ता (Vulnerable Road Users- VRUs) वर्ग द्वारा दुर्घटनाओं के बड़े बोझ को सहन किया जाता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और गंभीर चोटों के कुल मामलों में से आधे से अधिक हिस्सेदारी VRUs वर्ग की है।
    - VRUs वर्ग में सामान्यत: गरीब विशेष रूप से कामकाज़ी उम्र के पुरुष जिनके द्वारा सड़क का उपयोग किया जाता है, को शामिल किया जाता है।
    - लिंग विशिष्ट प्रभाव:
    - पीड़ितों के परिवारों में महिलाएँ गरीब और अमीर दोनों घरों में समस्याओं का सामना करती हैं, अक्सर अतिरिक्त काम करती हैं, अधिक जिम्मेदारियां लेती हैं, और देखभाल करने वाली गतिविधियां करती हैं।
    - विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार "ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसएबिलिटीज: द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी, 2021।
    - लगभग 50% महिलाएँ दुर्घटना के बाद अपनी घरेलू आय में गिरावट से गंभीर रूप से प्रभावित हुईं।
    - लगभग 40% महिलाओं ने दुर्घटना के बाद अपने काम करने के तरीके में बदलाव की सूचना दी, जबकि लगभग 11% ने वित्तीय संकट से निपटने के लिये अतिरिक्त काम करने की सूचना दी।
    - कम आय वाले ग्रामीण परिवारों (56%) की आय में गिरावट निम्न-आय वाले शहरी (29.5%) और उच्च आय वाले ग्रामीण परिवारों (39.5%) की तुलना में सबसे गंभीर थी।

सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण:

- पारदर्शी मशीनरी:
  - ई-चालान लागू होने से ट्रैफिक उल्लंघन के जुर्माने के मुआवज़े के लिये भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।
- स्पीड-डिटेक्शन डिवाइस:
  - रडार और स्पीड डिटेक्शन कैमरा सिस्टम जैसे गति का पता लगाने वाले उपकरणों की स्थापना की जा सकती है।
    - चंडीगढ़ और नई दिल्ली ने ट्रैफिक कंट्रोल में डिजिटल स्टिल कैमरा (चंडीगढ़), स्पीड कैमरा (नई दिल्ली) और रडार गन (नई दिल्ली) जैसे स्पीड डिटेक्शन डिवाइस की सेवा पहले ही लागू कर दी है।
    - राडार गन एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसका उपयोग ट्रैफिक पुलिस द्वारा गुज़रने वाले वाहन की गति का अनुमान लगाने के लिये किया जाता है।
- बेहतर सुरक्षा उपाय:
  - स्पीड हम्प, उठे हुए प्लेटफॉर्म, गोल चक्कर और ऑप्टिकल मार्किंग सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
- सख्त नियम और भारी जुर्माना:
  - यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने के लिये विशेष रूप से शराब, भाँग या अन्य नशीली दवाओं के प्रभाव में वाहन चलाने पर उल्लंघन करने वालों पर भारी मोटर वाहन जुर्माना लगाया जा सकता है।
- वाहन सुरक्षा मानक:
  - इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, प्रभावी कार क्रैश मानक और उन्नत ब्रेकिंग जैसी वाहन सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
    - हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत NCAP (नई कार आकलन कार्यक्रम) की शुरुआत की।
- दर्शकों की भूमिका:
  - दुर्घटना के बाद की देखभाल में दर्शक (बाईस्टैंडर्स) एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे आपातकालीन देखभाल प्रणाली को सक्रिय करके और पेशेवर मदद उपलब्ध होने तक सरल, संभावित जीवन रक्षक कार्रवाई में योगदान करते हैं।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:
  - सड़क सुरक्षा ऑडिट और सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग में क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिये।

सड़क सुरक्षा से संबंधित पहलें:

- विश्व:
  - सड़क सुरक्षा पर ब्राज़ीलिया घोषणा (2015):
    - ब्राज़ील में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए। भारत घोषणापत्र का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
    - देशों ने सतत् विकास लक्ष्य 3.6 यानी वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और दुर्घटनाओं की आधी संख्या करने की योजना बनाई है।
  - सड़क सुरक्षा के लिये कार्रवाई का दशक 2021-2030:
    - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक कम-से-कम 50% सड़क यातायात मौतों और चोटों को रोकने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ "वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार" संकल्प अपनाया।
    - वैश्विक योजना सड़क सुरक्षा के लिये समग्र दृष्टिकोण के महत्त्व पर बल देते हुए स्टॉकहोम घोषणा के अनुरूप है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम (iRAP):
    - यह एक पंजीकृत चैरिटी है जो सुरक्षित सड़कों के माध्यम से लोगों की जान बचाने के लिये समर्पित है।
- भारत:
  - मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:
    - यह अधिनियम यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, नाबलिकों द्वारा वाहन चलाने आदि के लिये दंड की मात्रा में वृद्धि करता है।
    - यह अधिनियम मोटर वाहन दुर्घटना हेतु निधि प्रदान करता है जो भारत में कुछ विशेष प्रकार की दुर्घटनाओं पर सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को अनिवार्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।
    - अधिनियम एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को मंज़ूरी प्रदान करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया जाना है।
    - यह मदद करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण का भी प्रावधान करता है।
  - सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम, 2007:
    - यह अधिनियम सामान्य माल वाहकों के विनियमन से संबंधित प्रावधान करता है, उनकी देयता को सीमित करता है और उन्हें वितरित किये गए माल के मूल्य की घोषणा करता है ताकि ऐसे सामानों के नुकसान या क्षति के लिये उनकी देयता का निर्धारण किया जा सके, जो लापरवाही या आपराधिक कृत्यों के कारण स्वयं, उनके नौकरों या एजेंटों के कारण हुआ हो।
  - राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2000:
    - यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के भीतर भूमि का नियंत्रण, रास्ते का अधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का नियंत्रण करने संबंधी प्रावधान प्रदान करता है और साथ ही उन पर अनधिकृत कब्ज़े को हटाने का भी प्रावधान करता है।
  - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1998:
    - यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिये एक प्राधिकरण के गठन तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों से संबंधित प्रावधान प्रस्तुत करता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

भारत गौरव योजना

भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को कोयंबटूर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।

- यात्रियों को देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी देते हुए ट्रेन मार्ग पर कई ऐतिहासिक स्थलों को कवर करेगी।

भारत गौरव योजना:

- परिचय:
  - नवंबर 2021 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब ट्रेनों में पर्यटन के लिये तीसरा अनुभाग स्थापित किया जाएगा। अब तक रेलवे के पास यात्री अनुभाग और माल अनुभाग थे।
    - ये नियमित ट्रेनें नहीं हैं जो एक समय सारिणी के अनुसार चलेंगी बल्कि आईआरसीटीसी (IRCTC) द्वारा चलाई जा रही रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पर संचालित की जाएंगी।
  - थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के तहत इसकी घोषणा की गई। इन ट्रेनों को थीम आधारित सर्किट में निजी भागीदारों और IRCTC दोनों द्वारा चलाया जाएगा।
    - थीम आधारित पर्यटन (सर्किट) से रेलवे का आशय गुरु कृपा जैसी उन ट्रेनों से है जिनका संचालन गुरु नानक से संबंधित सभी स्थानों पर किया जाता है या रामायण थीम वाली ट्रेनें भगवान राम से संबंधित स्थानों के लिये संचालित हैं।
  - सोसाइटी, ट्रस्ट, कंसोर्टियम और यहाँ तक कि राज्य सरकारों से इन ट्रेनों के अधिग्रहण के लिये कोई भी आवेदन कर सकता है और उन्हें थीम आधारित विशेष पर्यटन सर्किट पर संचालित किया जा सकता है।
    - सेवा प्रदाता पर्यटकों को रेल यात्रा, होटल/विश्राम स्थल, दर्शनीय स्थलों की व्यवस्था, ऐतिहासिक/विरासत स्थलों का भ्रमण, टूर गाइड आदि सहित सभी समावेशी पैकेज प्रदान करेगा।
- योजना के लाभ:
  - ये ट्रेनें भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व भव्य ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराने के विज़न को साकार करने में सहायता करेंगी।
  - इससे भारत की व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन में भी मदद मिलेगी।

अन्य संबंधित योजनाएँ:

- स्वदेश दर्शन योजना
  - स्वदेश दर्शन, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो देश में थीम-आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिये वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी।
- प्रसाद योजना:
  - पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिह्नित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन' (प्रसाद) शुरू किया गया था।
- बौद्ध सम्मेलन:
  - यह भारत को बौद्ध गंतव्य और दुनिया भर के प्रमुख बाज़ारों के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में आयोजित किया जाता है।
- देखो अपना देश' पहल:
  - यह नागरिकों को देश के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करने और भारत की अद्वितीय चीजों का पता लगाने के लिये प्रोत्साहित करने से संबंधित एक पहल है जिससे देश में पर्यटन स्थलों में घरेलू पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे के विकास को सक्षम बनाया जा सके।

भारत में पर्यटन की स्थिति:

- भारत में पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है और तेज़ी से बढ़ रहा है।
- विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में यात्रा और पर्यटन उद्योग का योगदान 2020 में 121.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसके वर्ष 2028 तक 512 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- भारत में, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का प्रत्यक्ष योगदान 2019 और 2028 के बीच 10.35% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है।

- साथ ही, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019 ने भारत को समग्र रूप से 140 देशों में से 34वाँ स्थान दिया, जो इस क्षेत्र में सुधार के लिये भारत के प्रयासों को दर्शाता है।

अल्ट्राथिन हेटेरोप्रोटीन फिल्म

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा उत्कृष्ट थर्मल, मैकेनिकल और पीएच स्थिरता के साथ अल्ट्रा-थिन हेट्रो हेटो प्रोटीन फिल्में (Ultra-Thin Hetero Protein films) विकसित की गई हैं जो बायोमेडिकल और खाद्य पैकेज़िंग उद्योगों में पतली फिल्मों के अनुप्रयोगों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

- इसमें दो गोलाकार प्रोटीन (Globular proteins) बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन (Bovine Serum Albumin-BSA) और लाइसोजाइम (Lysozyme- Lys) होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा लैंगमुइर-ब्लॉडगेट (LB) तकनीक का उपयोग करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो नैनोमीटर के क्रम में फिल्मों को मोटाई प्रदान करती है।
- ग्लोलोबुलर या स्फेरोप्रोटीन गोलाकार प्रोटीन होते हैं और सामान्य प्रोटीन प्रकारों में से एक होते हैं। रेशेदार या झिल्लीदार प्रोटीन के विपरीत गोलाकार प्रोटीन कुछ हद तक पानी में घुलनशील होते हैं।

अल्ट्राथिन हेट्रो प्रोटीन फिल्म के लाभ:

- अन्य प्रोटीन या प्लास्टिक फिल्मों की तुलना में यह अधिक पतली है।
- ये मुलायम और पतले होते हैं और अन्य फिल्मों की तुलना में अधिक लचीले होने का फायदा है।
- हाल के दिनों में विभिन्न शोध समूहों द्वारा उपयुक्त हेट्रो प्रोटीन की मदद से इन प्रोटीन फिल्मों के कई संशोधनों की सूचना दी गई थी। इन परिसरों को आमतौर पर थोक समाधानों से विकसित किया गया था।
- बीएसए और एलआईएस की फिल्में पतली फिल्म प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने अनुप्रयोगों के विस्तार के लिये विभिन्न प्रोटीन परिसरों की अत्यधिक स्थिर जैव विघटनीय पतली फिल्मों के निर्माण के लिये उपयोगी हो सकती हैं।
- इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में पैरामीटर परिवर्तन या विभिन्न फैटी एसिड या पॉलीओल मोएट (ग्लिसरॉल, स्टार्च, जिलेटिन आदि) का समावेश जैसे विविध भौतिक-रासायनिक तरीके फिल्म को विविध अनुप्रयोगों के लिये मुक्त बना सकते हैं।

प्रोटीन

- परिचय:
  - प्रोटीन विभिन्न समूहों में व्यवस्थित अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये मौलिक अमीनो एसिड अनुक्रम विशिष्ट हैं और इसकी व्यवस्था डीएनए द्वारा नियंत्रित होती है।
  - प्रोटीन अणु दो प्रकार के होते हैं, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन।
    - रेशेदार प्रोटीन अघुलनशील और लंबी होती हैं।
    - गोलाकार प्रोटीन घुलनशील और कॉम्पैक्ट होते हैं।
- कार्य:
  - एंजाइम: एंजाइम ज़्यादातर सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को पूरा करते हैं जो एक कोशिका के भीतर होती हैं। वे DNA अणुओं को पुन: उत्पन्न करने और बनाने एवं जटिल प्रक्रियाओं को पूरा करने में भी मदद करते हैं।
  - हार्मोन: प्रोटीन विभिन्न प्रकार के हार्मोन के निर्माण करते हैं जो शरीर के घटकों को संतुलित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिये इंसुलिन जैसे हार्मोन, जो रक्त शर्करा और स्रावी को विनियमित करने में मदद करते हैं। यह पाचन प्रक्रिया और पाचक रसों के निर्माण में भी शामिल है।
  - एंटीबॉडी: एंटीबॉडी को इम्युनोग्लोबुलिन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बाहरी बैक्टीरिया से शरीर की मरम्मत और उपचार के लिये उपयोग किया जाता है। वे अक्सर अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं के साथ मिलकर एंटीजन की पहचान करने और उन्हें तब तक बढ़ने से रोकते हैं जब तक कि श्वेत रक्त कोशिकाएँ उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देतीं।
  - ऊर्जा: प्रोटीन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो हमारे शरीर की गतिविधियों में मदद करता है। प्रोटीन को ऊर्जा में बदलने के लिये उसका सही मात्रा में होना जरूरी है। प्रोटीन, जब अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, तो वसा बनाने की आदत हो जाती है और वसा कोशिकाओं का हिस्सा बन जाता है।

आईबीबीआई विनियम, 2017 में संशोधन

हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत व शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण व जाँच) विनियमन, 2017 में संशोधन किया गया है।

आईबीबीआई विनियम, 2017

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत व शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया) विनियमन, 2017:
  - यह दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और उपयोगी सूचना के खिलाफ दायर शिकायतों एवं शिकायतों के निवारण के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण व जाँच) विनियमन, 2017:
  - यह दिवाला पेशेवर एजेंसियों, दिवाला पेशेवरों और उपयोगी सूचनाओं पर निरीक्षण और जाँच करने और अनुशासन समिति द्वारा आदेश पारित करने हेतु एक तंत्र प्रदान करता है।

संशोधन की मुख्य विशेषताएँ:

- संशोधन की मुख्य विशेषताओं के बारे में:
  - वर्तमान तंत्र में देरी के मुद्दे को संबोधित करने के लिये (शिकायत व शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 और (निरीक्षण एवं जाँच) विनियमन, 2017 में प्रदान की गई प्रवर्तन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न समयसीमा में संशोधन।
  - दिवाला पेशेवरों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जाँच के माध्यम से IP को विनियमित करने में IPAs (Insolvency Professional Agency) की प्रभावी भागीदारी।
  - अनुशासन समिति (DC) के आदेश के परिणाम के बारे में लेनदारों की समिति (CoC)/ निर्णायक प्राधिकरण (AA) को सूचना प्रदान करना।
- संशोधन का कारण:
  - शीघ्र निवारण किया जा सके और सेवा प्रदाताओं पर अनुचित बोझ डालने से बचा जा सके।

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड:

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत 1 अक्तूबर, 2016 को हुई थी।
- यह संहिता के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है जो कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित एवं संशोधित करता है ताकि ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जा सके। उद्यमशीलता, ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने के साथ ही सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करता है।
- यह एक अद्वितीय नियामक है क्योंकि यह पेशे के साथ-साथ प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है।
- यह दिवाला पेशेवरों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं की नियामक निगरानी करता है।
- इसे देश में मूल्यांकनकर्त्ताओं के पेशे के विनियमन और विकास के लिये कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्त्ता एवं मूल्यांकन नियम), 2017 के तहत 'प्राधिकरण' के रूप में भी नामित किया गया है।

भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष

मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा समारोह के अवसर पर भगवान बुद्ध के चार पवित्र अवशेषों को 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिये भारत से मंगोलिया ले जाया जा रहा है।

- इन अवशेषों को उलानबटार में गंडन मठ परिसर के बटसागान मंदिर में प्रदर्शित किया जाना है।
- चारो अवशेष बुद्ध के 22 अवशेषों में से हैं, जो वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं।
  - साथ ही उन्हें 'कपिलवस्तु अवशेष' के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे बिहार के एक स्थान जिसे कपिलवस्तु का प्राचीन शहर माना जाता है, से प्राप्त किये गए हैं। इस स्थान की खोज 1898 में हुई थी।
- वे अवशेष पवित्र व्यक्तियों से जुड़ी पवित्र वस्तुएँ हैं।
  - वे शरीर के अंग (दाँत, बाल, हड्डियाँ) या अन्य वस्तुएँ हो सकती हैं जिन्हें पवित्र व्यक्ति ने इस्तेमाल किया या छुआ है।
  - कई परंपराओं में यह माना जाता है कि लोगों को स्वस्थ करने, अनुग्रह प्रदान करने या राक्षसों को भगाने के लिये अवशेषों में विशेष शक्तियाँ होती हैं।

बुद्ध के पवित्र अवशेष:

- बौद्ध मान्यताओं के अनुसार, 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में मोक्ष प्राप्त किया।
- कुशीनगर के मल्लों ने एक सार्वभौमिक राजा के रूप में समारोहों के साथ उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया।
- अंतिम संस्कार की चिता से उनके अवशेषों को एकत्र कर उन्हें आठ भागों में विभाजित किया गया, जिन्हें मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, अल्लकप्पा के बुलीज, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलिया और वेथादिपा के एक ब्राह्मण के बीच वितरित किया गया।
- इसका उद्देश्य पवित्र अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करना था।
  - इसके बाद दो और स्तूपों का पता चलता है जिनमें से एक का निर्माण एकत्र किये गए अस्ति कलश के ऊपर तथा दूसरे का निर्माण अंगारे (लकड़ी का बिन जला कोयला) के ऊपर हुआ है।
  - बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बने स्तूप (सरिरिका स्तूप) सबसे पहले जीवित बौद्ध मंदिर हैं। इन आठ स्तूपों में से सात को अशोक (272-232 ईसा पूर्व) ने बनवाया, तथा बौद्ध धर्म के साथ-साथ स्तूपों के पंथ को लोकप्रिय बनाने के प्रयास में उनके द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों के भीतर अवशेषों के बड़े हिस्से को एकत्र किया।

कपिलवस्तु अवशेष की खोज:

- वर्ष1898 में पिपरहवा (UP के सिद्धार्थनगर के पास) में स्तूप स्थल पर एक उत्खनित ताबूत की खोज ने प्राचीन कपिलवस्तु की पहचान करने में मदद की।
- ताबूत के ढक्कन पर मौजूद शिलालेख बुद्ध और उनके समुदाय, शाक्य के अवशेषों को संदर्भित करता है।

- वर्ष 1971-77 के दौरान भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा एक और स्तूप की खुदाई में दो शैलखडी ताबूत सामने आए, जिनमें कुल 22 पवित्र अस्थि अवशेष थे, जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय की देख-रेख में हैं।
- इसके बाद पिपरहवा के पूर्वी मठ में विभिन्न स्तरों और स्थानों से 40 से अधिक टेराकोटा मुद्रण की खोज की गई, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि पिपरहवा ही प्राचीन कपिलवस्तु था।

मंगोलिया यात्रा के लिये सुरक्षा:

- 11 दिवसीय यात्रा के दौरान अवशेषों को मंगोलिया में 'राज्य अतिथि' का दर्जा दिया जाएगा और फिर से भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में ले जाया जाएगा।
- यात्रा के लिये भारतीय वायु सेना ने एक विशेष हवाई जहाज़, सी-17 ग्लोबमास्टर उपलब्ध कराया है, जो भारत में उपलब्ध सबसे बड़े विमानों में से एक है।
- वर्ष 2015 में पवित्र अवशेषों को प्राचीन वस्तुओं और कला खजाने की 'एए' श्रेणी के तहत रखा गया था, जिन्हें उनकी नाजुक प्रकृति को देखते हुए प्रदर्शनी के लिये देश से बाहर नहीं ले जाया जाना चाहिये।

गौतम बुद्ध:

- उनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व में लुंबिनी में एक शाही परिवार में हुआ था, जो भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित है।
- उनका परिवार शाक्य वंश से संबंधित था, जो कपिलवस्तु, लुंबिनी में शासन करता था।
- 29 वर्ष की आयु में गौतम ने गृह त्याग दिया और सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या या अत्यधिक आत्म-अनुशासन की जीवनशैली को अपनाया।
- लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि (ज्ञान) प्राप्त किया।
- बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ गाँव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है।
- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है।
- उन्हें भगवान विष्णु (दशवतार) के दस अवतारों में से आठवाँ अवतार माना जाता है।

विश्व मगरमच्छ दिवस

विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में लुप्तप्राय मगरमच्छों और मगरमच्छों की दुर्दशा को उजागर करने के लिये एक वैश्विक जागरूकता अभियान है।

भारत में मगरमच्छ की प्रजातियाँ:

- मगर या मार्श मगरमच्छ:
  - विवरण:
    - यह अंडा देने वाली और होल-नेस्टिंग स्पेसीज़ (Hole-Nesting Species) है जिसे खतरनाक भी माना जाता है।
  - आवास:
    - यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित है जहाँ यह मीठे पानी के स्रोतों और तटीय खारे जल के लैगून एवं मुहानों में भी पाई जाता है।
    - भूटान और म्याँमार में यह पहले ही विलुप्त हो चुका है।
  - खतरा:
    - आवासों का विनाश और विखंडन एवं परिवर्तन, मछली पकड़ने की गतिविधियाँ तथा औषधीय प्रयोजनों हेतु मगरमच्छ के अंगों का उपयोग।
  - संरक्षण स्थिति:
    - IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट: सुभेद्य
    - CITES: परिशिष्ट- I
    - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- I
- एस्टुअरीन या खारे पानी का मगरमच्छ:
  - परिचय:
    - यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित मगरमच्छ प्रजाति है, जिसे विश्व स्तर पर एक ज्ञात आदमखोर (Maneater) के रूप में जाना जाता है।
  - निवास:
    - यह मगरमच्छ ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है।
    - यह दक्षिण-पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है।
  - संकट:
    - अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि और प्रजातियों के प्रति शत्रुता।
  - संरक्षण की स्थिति:
    - IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची: कम चिंतनीय
    - CITES: परिशिष्ट- I (ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की आबादी को छोड़कर, जो परिशिष्ट-II में शामिल हैं)।
    - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- I

- घड़ियाल:
- विवरण:
  - इन्हें गेवियल भी कहते हैं, यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है और अपने लंबे, पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होते हैं जो कि एक बर्तन (घड़ा) जैसा दिखता है।
  - घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी जल का एक अच्छा संकेतक है।
  - इसे अपेक्षाकृत हानिरहित, मछली खाने वाली प्रजाति के रूप में जाना जाता है।
- आवास:
  - यह प्रजाति ज़्यादातर हिमालयी नदियों के ताज़े पानी में पाई जाती है।
  - विंध्य पर्वत (मध्य प्रदेश) के उत्तरी ढलानों में चंबल नदी को घड़ियाल के प्राथमिक आवास के रूप में जाना जाता है।
  - अन्य हिमालयी नदियाँ जैसे- घाघरा, गंडक नदी, गिरवा नदी, रामगंगा नदी और सोन नदी इसके द्वितीयक आवास हैं।
- खतरा:
  - अवैध रेत खनन, अवैध शिकार, नदी प्रदूषण में वृद्धि, बाँध निर्माण, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य और बाढ़।
- संरक्षण स्थिति:
  - IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  - CITES: परिशिष्ट- I
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- I

मानव-मगरमच्छ संघर्ष के कारण और समाधान:

- कारण:
  - बढ़ते शहरीकरण के साथ नदी के किनारे और दलदली क्षेत्रों पर मनुष्यों का अतिक्रमण इन क्षेत्रों में मानव-मगरमच्छ संघर्ष को बढ़ाने के प्रमुख कारणों मंप से एक है।
- हॉटस्पॉट:
  - गुजरात में वडोदरा, राजस्थान में कोटा, ओडिशा में भितरकनिका और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को भारत में मानव-मगरमच्छ संघर्ष का हॉटस्पॉट माना जाता है।
- संभावित समाधान:
  - पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मगरमच्छों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों में मगरमच्छों के संभावित स्थानांतरण के साथ जागरूकता को बढ़ावा देना प्रजातियों के संरक्षण के लिये कुछ व्यवहार्य विकल्प हैं।

मगरमच्छ संरक्षण के प्रयास :

- ओडिशा सरकार द्वारा महानदी नदी बेसिन में घड़ियाल के संरक्षण के लिये 1,000 रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।
- वर्ष 1975 से मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को विभिन्न राज्यों में शुरू किया गया था।

आगे की राह

- दक्षिण एशिया में सीमा पार सहयोग की अधिक संभावना है और इसकी आवश्यकता भी है।
- जहाँ भी जानवरों की सीमा पार आवाजाही हो वहाँ सूचनाओं का आदान-प्रदान होना चाहिये।
- उन जल निकायों में मगरमच्छ बहिष्करण बाड़े स्थापित किये जाने चाहिये जिनमें वे निवास करते हैं।
- उपद्रव करने वाले मगरमच्छों की पहचान की जानी चाहिये और 'मगरमच्छ दस्ते' को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें पकड़ा जाना चाहिये। बड़े और समस्याग्रस्त (उपद्रव) मगरमच्छों को पकड़ने तथा स्थानांतरित करने के लिये एक उचित गाइडलाइन तैयार कि जानी चाहिये।
- देश में मगरमच्छों की आबादी की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिये एक उचित सर्वेक्षण करने हेतु जनशक्ति, आधुनिक तकनीक और धन का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- यह जानवरों की जियो-टैगिंग के माध्यम से किया जा सकता है ताकि मानव-मगरमच्छ संघर्ष को रोकने के लिये उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके।

उन्मेष

संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी, हिमाचल प्रदेश सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में शिमला में एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन कर रहे हैं।

- भारत सहित 15 देशों के 425 से अधिक लेखकों, कवियों, अनुवादकों, आलोचकों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ 60 से अधिक भाषाओं तथा 64 कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हुए UNMESHA देश का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है।

साहित्य अकादमी:

- 12 मार्च, 1954 को भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया गया।
- हालाँकि यह सरकार द्वारा स्थापित किया गया था परंतु यह अकादमी एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत जनवरी 1956 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

- साहित्य अकादमी, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी, देश में साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और प्रचार के लिये केंद्रीय संस्था है तथा अंग्रेज़ी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों का संचालन करने वाली एकमात्र संस्था है।
- अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के लिये सालाना 24 पुरस्कार और भारत की भाषाओं में तथा भारत की भाषाओं में साहित्यिक अनुवादों के लिये समान संख्या में पुरस्कार, जाँच चर्चा एवं चयन की एक साल की लंबी प्रक्रिया के बाद दिये जाते हैं।
- यह भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिये दुनिया भर के विभिन्न देशों के साथ साहित्यिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी चलाता है।
- ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।

बैम्बू ड्वेलिंग बैट

हाल ही में वैज्ञानिकों ने नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य के पास बैम्बू ड्वेलिंग बैट (Bamboo Dwelling Bat) की एक नई प्रजाति की खोज की है।

नई खोजी गई प्रजाति के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- बैम्बू ड्वेलिंग बैट की नई प्रजाति का नाम ग्लिस्क्रोपस मेघलायनस (Glischropus meghalayanus) रखा गया है।
  - बैम्बू ड्वेलिंग बैट एक विशेष प्रकार के बैटस/चमगादड़ होते हैं जो बाँस के इंटर्नोड्स में रहते हैं तथा जिसमें विशेष रूपात्मक लक्षण विद्यमान होते हैं जो उन्हें बाँस के पौधे के अंदर रहने हेतु अनुकूल होने में मदद करते हैं।
- यह आकार में छोटा होता है और गहरे भूरे रंग के साथ सल्फर के रंग के समान पीले रंग का पेट होता है।
- वर्तमान खोज न केवल भारत से बल्कि दक्षिण एशिया से भी थिक थम्ब्ड बैट (Thick-Thumbed Bat) पर पहली रिपोर्ट है।

थिक थम बैट के बारे में:

- थिक थम बैट के अंगूठे और पैरों के तलवों पर विशिष्ट माँसल पैड होते हैं जो उन्हें बाँस के इंटर्नोड्स की चिकनी सतहों पर चलने में सहायता करते हैं।
- जीनस ग्लिस्क्रोपस केथिक थम बैट/चमगादड़ वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया से चार मान्यता प्राप्त प्रजातियों में शामिल हैं।
  - जी. एक्विलस सुमात्रा के लिये स्थानिक है, जी जावनस पश्चिमी जावा तक सीमित है, जबकि जी. बुसेफालस व्यापक रूप से क्रा इस्थमस के उत्तर में पाए जाते है और जी. टायलोपस इस प्राणी-भौगोलिक सीमा के दक्षिण में व्यापक रूप से फैला हुआ है।
- इससे पहले, उत्तर-पूर्वी भारत के मेघालय से मोटे-अँगूठे वाले चमगादड़ (चिरोप्टेरा: वेस्परटिलियोनिडे: ग्लिस्क्रोपस) की एक नई प्रजाति की खोज की गई थी।

मेघालय में चमगादड़ों की खोज:

- नोंगखिलेम वन्यजीव अभ्यारण्य के बाहर उसी वनाच्छादित क्षेत्र से, डिस्क-फुटेड बैट यूडिस्कोपस डेंटिकुलस की एक और प्रजाति मिली जो भारत में एक नया रिकॉर्ड है।
- पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र से तीन बाँस-निवासी चमगादड़ों की जानकारी दी गई है जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्त्व को उजागर करते हैं।
  - चूंकि वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर बाँस के जंगल में एक समृद्ध जैव-विविधता है, इसलिये इसे संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

भारत में चमगादड़ की प्रजातियों की संख्या:

- कुल संख्या:
  - इस नई खोज के साथ भारत से ज्ञात चमगादड़ प्रजातियों की कुल संख्या 131 हो गई है।
- उच्चतम चमगादड़ विविधता:
  - मेघालय में 67 प्रजातियों के साथ देश में सबसे अधिक चमगादड़ विविधता है, जो देश में कुल चमगादड़ प्रजातियों का लगभग 51% है।
  - मेघालय अपने अद्वितीय भूभाग, वनस्पति और जलवायु की स्थिति के कारण, वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिये एक आश्रय स्थल था।
  - पूर्वोत्तर राज्य की अनूठी गुफाओं ने बड़ी संख्या में चमगादड़ों के लिये आवास के अवसर प्रदान किये।
  - मेघालय में कई गुफाओं में रहने वाली चमगादड़ प्रजातियाँ थीं, जिनमें सबसे आम घोड़े की नाल के आकार का चमगादड़ और पत्ती के आकार वाली नाक वाले चमगादड़ हैं।

नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य

- लैलाड गाँव के पास री-भोई ज़िले में स्थित और 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला नोंगखिलेम वन्यजीव अभयारण्य मेघालय के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है।
- अभयारण्य पूर्वी हिमालयी वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है।
- अभयारण्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों को आवास प्रदान करता है, जैसे कि-रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन बाइसन और हिमालयन ब्लैक बियर आदि।

- पक्षियों में मणिपुर बुश क्वेल, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल और ब्राउन हॉर्नबिल दुर्लभ प्रजातियाँ हैं।
- मेघालय में अन्य वन्यजीव अभयारण्य:
  - सिजू वन्यजीव अभयारण्य
  - नरपुह वन्यजीव अभयारण्य
  - बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य
  - नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान

थेरी मरुस्थल

थेरी मरुस्थल के निर्माण के संबंध में कुछ सिद्धांतों पर बहस हो रही है, जिनमें से सबसे विश्वसनीय दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की भूमिका है।

थेरी मरुस्थल:

- यह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक छोटा सा रेगिस्तान है। इसमें लाल रेत के टीले हैं और यह थूथुकुडी ज़िले तक ही सीमित है।
- लाल टीलों को तमिल में 'थेरी' कहा जाता है। इनमें क्वार्टनरी युग (2.6 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई) की तलछट शामिल हैं और यह समुद्री निक्षेप से बने हैं।
- इसमें बहुत कम पानी और पोषक तत्व धारण क्षमता है। टिब्बा वायुगतिकीय उभार के लिये अतिसंवेदनशील होते हैं। यह वह दवाब है जो किसी चीज को ऊपर जाने देता है। यह वह बल है जो भार के विपरीत होता है।

थेरी की खनिज संरचना:

- पेट्रोग्राफिकल अध्ययन (पेट्रोग्राफी चट्टानों की संरचना और गुणों का अध्ययन है) और लाल रेत के टीलों के एक्स-रे विवर्तन विश्लेषण (एक सामग्री की क्रिस्टलोग्राफिक संरचना को निर्धारित करने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली विधि) से भारी और हल्के खनिजों की उपस्थिति का पता चलता है।
- इनमें शामिल हैं: इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, रूटाइल, गार्नेट, ज़िरकोन, डायोपसाइड, टूमलाइन, हेमेटाइट, गोएथाइट, कानाइट, क्वाट्र्ज़, फेल्डस्पार और बायोटाइट।
- मृदा में मौजूद आयरन से भरपूर भारी खनिज जैसे इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, गार्नेट, हाइपरस्थीन और रूटाइल सतह के जल से निक्षालित हो गए थे और फिर अनुकूल अर्ध-शुष्क जलवायु परिस्थितियों के कारण ऑक्सीकृत हो गए।
- यह इन प्रक्रियाओं के कारण था कि थूथुकुडी ज़िले के एक तटीय शहर तिरुचेंदूर के पास के टीले लाल रंग के होते हैं।

थेरी टिब्बा निर्माण:

- थेरी मुलायम, लहरदार क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। लिथोलॉजी (चट्टानों की सामान्य भौतिक विशेषताओं का अध्ययन) कि यह क्षेत्र अतीत में एक पैलियो (प्राचीन) तट रहा होगा। कई स्थानों पर चूना पत्थर की उपस्थिति समुद्री अतिक्रमण का संकेत देती है।
- समुद्र के प्रतिगमन के बाद, स्थानीय रूप से समुद्र तट की रेत के परिसीमन द्वारा वर्तमान समय के थेरियों का गठन हुआ होगा। जब पश्चिमी घाट से उच्च वेग वाली हवाएँ पूर्व की ओर चलीं, तो उन्होंने रेत के दानों और टीलों के संचय को प्रेरित किया।
- एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि ये भूवैज्ञानिक संरचनाएँ हैं जो कुछ सौ वर्षों की अवधि में प्रकट हुईं।
- इन थेरियों के ऊपर काफी मात्रा में लाल रेत फैली हुई है। लाल रेत मई-सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं द्वारा नांगुनेरी क्षेत्र (तिरुनेलवेली जिले के इस क्षेत्र से लगभग 57 किलोमीटर) के मैदानी इलाकों में लाल दोमट की एक विस्तृत बेल्ट की सतह से लाई जाती है।
- वनों की कटाई और वानस्पतिक आवरण की अनुपस्थिति को वायु अपरदन का प्रमुख कारण माना जाता है।
- जब शुष्क मानसूनी हवा तेज वेग से चलती है, तो लाल दोमट को लाल रेत के विशाल स्तंभों के साथ पूर्व की ओर तब तक ले जाती है, जब तक कि वे तिरुचेंदूर के तटीय पथ के पास समुद्री हवा से मिल कर वहाँ जमा नहीं हो जाते।
- पृथ्वी की सतह पर या उसके पास हवा के कारण होने वाले तलछट के क्षरण, परिवहन और जमा की ये प्रक्रिया 'एओलियन' प्रक्रिया कहलाती है।

बर्मागोम्फस चौकुलेंसिस

हाल ही में केरल राज्य में एक दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई, बर्मागोम्फस चौकुलेंसिस (Burmagomphus chaukulensis) को देखा गया।

- इससे पूर्व असम में ड्रैगनफ्लाई की एक नई प्रजाति 'प्लेटीगोम्फस बेनरिटारम' (Platygomphus benritarum) की खोज की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- यह जीनस बर्मागोम्फस ड्रैगनफ्लाई का है, जिसकी तीन प्रजातियाँ बी. कावेरिकस (B. Cauvericus), बी. पिरामिडैलिस (B. Pyramidalis) और बी. लैडलवी (B. Laidlawi) हैं।
  - बी. लैडलवी संपूर्ण पश्चिमी घाट में पाई जाती है,
  - बी. कावेरीकस कम मात्रा में पाई जाती है।

- बी. पिरामिडैलिस पश्चिमी घाटों के साथ-साथ प्रायद्वीपीय भारत में भी पाए जाते हैं।
- इस जीनस की अन्य सभी प्रजातियाँ पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में पाई जाती हैं।

- पार्श्व वक्ष पर चिह्नों और गुदा उपांगों के अजीबोगरीब आकार इस नई प्रजाति को इसकी पूर्व प्रजातियों से अलग करते हैं।
- यह प्रजाति पश्चिमी घाट के लिये स्थानिक मानी जाती है।

ड्रैगनफ्लाई:

- परिचय:
  - यह एक हवाई शिकारी कीट है जो दुनिया भर में मीठे पानी वाले क्षेत्रों के पास सबसे अधिक पाया जाता है।
  - इनके खास रंग इन्हें खूबसूरत बनाते हैं। जो उन्हें पारिस्थितिकी और कला दोनों के लिये कीटों के व्यवहार पर शोध हेतु महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं।
- प्राकृतिक वास:
  - ड्रैगनफ्लाई की अधिकांश प्रजातियाँ उष्णकटिबंध में और विशेष रूप से वर्षावनों में रहती हैं।
- महत्त्व:
  - ड्रैगनफ्लाईज़ क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के महत्त्वपूर्ण जैव-संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। वे मच्छरों और अन्य कीड़ों को खाते हैं जो मलेरिया तथा डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों के वाहक हैं।
- खतरा:
  - उनके आवास का तेज़ी से विनाश उनके अस्तित्व के लिये सीधा खतरा बन गया है जिससे उनका संरक्षण ज़रूरी हो गया है।

44वाँ शतरंज ओलंपियाड

44वाँ शतरंज ओलंपियाड 2022 में चेन्नई में होगा।

- वर्ष 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेज़बानी भारत में पहली बार और 30 साल के बाद एशिया में हो रही है।
- 189 देशों के भाग लेने के साथ यह किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी।

FIDE:

- अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) शतरंज के खेल का शासी निकाय है, और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है।
  - यह एक गैर-सरकारी संस्थान के रूप में गठित है।
- इसे वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी।
- FIDE का वर्तमान में लॉज़ेन (स्विट्ज़रलैंड) में मुख्यालय है, लेकिन इसकी शुरुआत वर्ष 1924 में पेरिस में "जेन्स ऊना समस" ("वी आर वन फैमिली" लैटिन में) के आदर्श वाक्य के तहत की गई थी।
- यह फुटबॉल, क्रिकेट, तैराकी और ऑटो रेसिंग के खेल के शासी निकायों के साथ-साथ सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों में से एक था। यह अब राष्ट्रीय शतरंज संघों के रूप में संबद्ध सदस्यों के रूप में 199 देशों को शामिल करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है।

ऑपरेशन संकल्प

भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस तलवार वर्तमान में भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष में ऑपरेशन-संकल्प के लिये तैनात है।

ऑपरेशन संकल्प

- परिचय:
  - भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में 'ऑपरेशन संकल्प' शुरू किया है।
- पृष्ठभूमि:
  - जून 2019 को ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाज़ों पर हुए हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में खराब होती सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नौसेना ने होर्मुज जलसंधि से गुजरने वाले भारतीय ध्वज धारक पोतों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिये 19 जून, 2019 को खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प नामक समुद्री सुरक्षा कार्य शुरू किये।
- परिनियोजन:
  - इस ऑपरेशन के लिये अब तक तेईस युद्धपोतों को तैनात किया गया है और खाड़ी क्षेत्र में हर दिन औसतन 16 भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज़ो को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा रहा है।
  - भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट, INS तलवार वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में तैनात है।
- महत्त्व:
  - भारत अपनी तेल माँग के लगभग 85% आयात पर निर्भर है। वर्ष 2019-2020 में, लगभग 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के भारत के तेल आयात का लगभग 62% खाड़ी क्षेत्र से आयात किया गया था।
  - फारस की खाड़ी में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण, इस क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

आईएनएस तलवार:

- INS तलवार (F40) भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के युद्धपोतों का प्रमुख जहाज़ है।
- रूस में निर्मित इस जहाज़ को जून 2003 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
- विशेषताएँ:
  - एंटी-एयर ऑपरेशन
  - जहाज रोधी/भूमि पर हमला करने वाली मिसाइलें
  - पनडुब्बी रोधी युद्ध

फारस की खाड़ी:

- इसे अरब की खाड़ी भी कहा जाता है, यह हिंद महासागर का एक उथला सीमांत समुद्र है जो अरब प्रायद्वीप और दक्षिण-पश्चिमी ईरान के बीच स्थित है।
- इसकी लंबाई लगभग 990 किमी. है और होर्मुज जलसंधि्य में इसकी चौड़ाई अधिकतम लगभग 340 किमी. से लेकर न्यूनतम 55 किमी. तक होती है।
- इस क्षेत्र में दुनिया के अनुमानित सिद्ध तेल भंडार का लगभग दो-तिहाई और दुनिया के अनुमानित सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार का एक-तिहाई हिस्सा है।
- काफी मात्रा में समुद्री व्यापार खाड़ी से होकर गुजरता है, जिसके कारण ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य स्थानों पर स्थित बड़े समुद्री टर्मिनलों से दुनिया के सभी हिस्सों में तेल ले जाने वाले बड़े टैंकरों का यातायात होता है।

ओमान की खाड़ी

- ओमान की खाड़ी, अरब सागर की उत्तर-पश्चिमी भाग अरब प्रायद्वीप (ओमान) के पूर्वी भाग और ईरान के बीच स्थित है।
- यह 560 किमी लंबी है और होर्मुज जलसंधि के माध्यम से फारस की खाड़ी से जुड़ती है।
- यह फारस की खाड़ी के आसपास के तेल उत्पादक क्षेत्र के लिये एक शिपिंग मार्ग है।
- यह अरब सागर और हिंद महासागर से फारस की खाड़ी में एकमात्र प्रवेश द्वार प्रदान करता है। इस प्रकार, दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातकों और आयातकों का इसकी सुरक्षा में संयुक्त हित है।

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल और उसकी सहायक पार्वती नदी से सबद्ध पाँच हिस्सों के 292 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रस्ताव दिया है।

- राज्य वन विभाग को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने में लगने वाले समय, संसाधन और प्रयासों को समर्पित करने से मुक्त करने हेतु यह कदम उठाया गया है।
- वर्ष 2006 से अभयारण्य में रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य

- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बारे में:
  - राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1979 में चंबल नदी की 425 किलोमीटर की लंबाई के साथ की गई थी।
  - इसकी घाटी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि-बिंदु के पास चंबल नदी के साथ 2-6 किमी. के विस्तारित क्षेत्र में फैली हुई हैं।
  - राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (Important Bird Areas- IBA) के रूप में सूचीबद्ध है और एक प्रस्तावित रामसर स्थल है।

महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBAs):

- पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के उत्कृष्ट संकेतक (Indicators) हैं।
- बर्डलाइफ इंटरनेशनल के IBA कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया के पक्षियों और संबंधित जैव विविधता के संरक्षण हेतु IBAs के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है।
- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा भारत में 554 IBAs की पहचान की गई है।
- इनमें से 40% IBAs संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क से बाहर आते हैं और इस प्रकार परिदृश्य-स्तरीय संरक्षण योजना के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण निर्मित करते हैं।
- बर्डलाइफ इंटरनेशनल के अनुसार, IBAs के निर्धारण के कुछ मानकीकृत मानदंड है, जो इस प्रकार हैं:
  - A: वैश्विक
    - A1. स्पीशीज ऑफ ग्लोबल कान्सर्वेशन कंसर्न:
    - यह क्षेत्र/साइट में नियमित रूप से विश्व स्तर पर खतरे वाली प्रजातियों, या स्पीशीज ऑफ ग्लोबल कान्सर्वेशन कंसर की महत्त्वपूर्ण संख्या है।
    - A3. बायोम रिस्ट्रिक्टिड स्पीशीज :
    - यह साइट उन प्रजातियों का एक महत्वपूर्ण संयोजन रखने के लिये जानी जाती है जिनके प्रजनन वितरण बड़े पैमाने पर या पूरी तरह से एक बायोम तक ही सीमित हैं।
    - A4. कांग्रग्रेशन:
      - i. साइट को नियमित आधार पर एक सामूहिक जलपक्षी प्रजातियों की जैव-भौगोलिक आबादी का ≥1% रखने के लिये जाना जाता है।

ii. साइट को ऐसे नियमित स्थल के रूप में जाना जाता है या माना जाता है, जहाँ एक सामूहिक समुद्री पक्षी या स्थलीय प्रजातियों की वैश्विक आबादी का 1% या उससे कम हो।

iii. साइट को ऐसे नियमित स्थल के रूप में जाना जाता है, जहाँ 20,000 जलपक्षी या 10,000 जोड़े एक या अधिक प्रजातियों के समुद्री पक्षी हों।

- पारिस्थितिकी:
  - राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल (छोटे मगरमच्छ), रेड क्राउन टोर्टयज़ और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फ़िन का आवास है।
    - चंबल जंगली में घड़ियाल की सबसे बड़ी आबादी का समर्थन करता है।
  - एकमात्र ज्ञात स्थान जहाँ भारतीय स्किमर्स के घोंसले बड़ी संख्या में दर्ज किये जाते हैं।
  - चंबल देश में पाए जाने वाले 26 में से 8 दुर्लभ कछुओं की प्रजातियों का समर्थन करता है।
  - चंबल देश की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है।
  - चंबल 320 से अधिक निवासी और प्रवासी पक्षियों का समर्थन करता है।
- आर्थिक सहायता:
  - स्थानीय लोग सीधे अभयारण्य के विभिन्न संसाधनों पर निर्भर हैं। वे नदी के किनारे खेती करते हैं, सिंचाई के लिये नदी का पानी निकालते हैं, जीविका और व्यावसायिक मछली पकड़ने का अभ्यास करते हैं, और बालू का खनन करते हैं।

मध्य प्रदेश के अन्य अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान:

- मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभयारण्य हैं, जो 10,862 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कुल वन क्षेत्र का 11.40% और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.52% है।
- वर्तमान में, राज्य में राज्य में 5 प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र हैं-
  - कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
  - पन्ना राष्ट्रीय उद्यान
  - बाँधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
  - पेंच राष्ट्रीय उद्यान
  - सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
- इसे 'टाइगर स्टेट' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह भारत की बाघ आबादी का लगभग 19% और दुनिया की 10% बाघ आबादी पाई जाती है।

चंबल नदी

- यह भारत की सबसे प्रदूषण मुक्त नदियों में से एक है।
- यह 960 किमी. लंबी नदी है जो विंध्य पर्वत (इंदौर, मध्य प्रदेश) के उत्तरी ढलानों में सिंगर चौरी चोटी से निकलती है। वहाँ से यह मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में लगभग 346 किमी. तक बहती है और फिर राजस्थान में प्रवेश कर 225 किमी. उत्तर-पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है।
- यह यू.पी. के इटावा ज़िले में यमुना नदी में मिलने से पहले लगभग 32 किमी. तक बहती है।
- यह एक वर्षा सिंचित नदी है और इसका बेसिन विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और अरावली से घिरा हुआ है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहती हैं।
- सहायक नदियाँ: बनास, काली सिंध, पार्वती।
- मुख्य विद्युत परियोजनाएँ/बाँध: गांधी सागर बाँध, राणा प्रताप सागर बाँध, जवाहर सागर बाँध और कोटा बैराज।
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई-जंक्शन पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिये जाना जाता है।

8वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

आठवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2022) को दुनिया भर में मनाया गया।

- थीम 2022: 'मानवता के लिये योग'।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्त्व:

- पृष्ठभूमि:
  - वर्ष 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) का विचार प्रस्तावित किया गया था।
  - संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर, 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) के रूप में घोषित किया।
  - वर्ष 2015 में नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित पहले योग दिवस समारोह के दौरान दो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे।
    - यह 35,985 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा योग सत्र था।
    - इसमें 84 राष्ट्रों के लोगों द्वारा हिस्सा लिया गया था।
- योग और इसका महत्त्व:
  - योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी।

- 'योग' शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है जुड़ना अर्थात् शरीर और चेतना के मिलन।
- आज यह दुनिया भर में विभिन्न रूपों में प्रचलित है और लोकप्रियता लगातार बढ़ रही रहा है।
- क्वारंटाइन और आइसोलेशन में कोविड-19 रोगियों के मनो-सामाजिक देखभाल और पुनर्वास में योग ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने भी अपने सदस्य देशों को योग का अभ्यास करने के लिये कहा है और इसे वर्ष 2018-30 की शारीरिक गतिविधि के लिये अपनी वैश्विक कार्य योजना में शामिल किया है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्त्व:

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग अभ्यास द्वारा शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिये इसके समग्र दृष्टिकोण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये मनाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य मन की शांति और आत्म-जागरूकता हेतु ध्यान की आदत विकसित करना है जो तनाव मुक्त वातावरण में जीवित रहने के लिये आवश्यक है।

संबंधित पहलें:

- एम-योग ऐप:
  - प्रधानमंत्री ने एम-योग ऐप की घोषणा की जो 'एक विश्व एक स्वास्थ्य' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
  - ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन (WTO) और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष मंत्रालय), भारत सरकार के बीच सहयोग का परिणाम है।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) के लिये नई वेबसाइट:
  - यह वेब पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित सभी अद्यतन और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है।
  - यह एक सामाजिक आधार है जहाँ आगंतुकों के लिये चर्चाओं पर नज़र रखने और उनमें भाग लेने के लिये सभी सोशल मीडिया इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं।
  - पोर्टल महत्त्वपूर्ण वेब पेजों जैसे स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया आदि से भी जुड़ा हुआ है।
- खेल अनुशासन के रूप में मान्यता प्राप्त योग:
  - और खेल मंत्रालय ने विभिन्न खेल विषयों के वर्गीकरण की समीक्षा के बाद योग को एक खेल अनुशासन के रूप में मान्यता दी और इसे सितंबर 2015 में 'प्राथमिकता' श्रेणी में रखा।
- सामान्य योग प्रोटोकॉल:
  - आयुष मंत्रालय ने अपने 'सामान्य योग प्रोटोकॉल' में प्राणायाम , नियम, आसन आदि को लोकप्रिय योग 'साधनाओं के तहत सूचीबद्ध किया है।
- योग में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम:
  - ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल (B&WSSC) में CBSE स्कूलों के लिये योग में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम हैं।
  - B&WSSC को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।
- विभिन्न कौशल पहल:
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी विभिन्न कौशल पहलों के माध्यम से हज़ारों उम्मीदवारों को योग प्रशिक्षकों और अनुदेशकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।
  - PMKVY कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है।
- फिट इंडिया मूवमेंट:
  - योग भी फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है।
  - फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

दोहरे घाटे की समस्या

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अपनी 'मासिक आर्थिक समीक्षा' में अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या के फिर से उभरने की चेतावनी दी है, जिसमें कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोत्तरी और सब्सिडी के बढ़ते बोझ के कारण राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) और चालू खाता का घाटा (Current Account Deficit- CAD) दोनों में वृद्धि हुई है।

- यह पहली बार है जब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय क्षति की संभावना के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ:

- दुनिया मुद्रास्फीतिजनित मंदी/स्टैगफ्लेशन की एक अलग संभावना देख रही है।.
- हालाँकि, भारत अपनी विवेकपूर्ण स्थिरीकरण नीतियों के कारण, स्टैगफ्लेशन के जोखिम में कुछ हद तक सुरक्षित है।

- इस बीच, भारतीय वित्तीय बाज़ारों ने पिछले आठ महीनों में भारी विदेशी निवेश का बहिर्वाह देखा गया है। कमज़ोर जीडीपी विकास परिदृश्य ने इस स्थिति को और बढ़ा दिया है।
- एक ब्लैक स्वान घटना में जिसमें कई उतार-चढ़ाव शामिल हैं, में सकल घरेलू उत्पाद के 7.7% के पोर्टफोलियो निवेश तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.9% की अल्पकालिक व्यापार ऋण छँटनी के तहत बहिर्वाह की 5% संभावना है ।

दोहरे घाटे की समस्या का प्रभाव:

- दोहरे घाटे की समस्या, विशेष रूप से चालू खाता घाटा, महँगे आयात के प्रभाव को बढ़ा सकती है तथा रुपए के मूल्य को कमज़ोर कर सकती है जिससे बाहरी असंतुलन और बढ़ सकता है।

आगे की राह

- राजस्व व्यय में कटौती करें (वह धन जो सरकार अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये खर्च करती है)।
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और अनावश्यक वस्तुओं के आयात में कमी करना।
- विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति: सरकार को पूंजीगत और राजस्व व्यय दोनों को युक्तिसंगत बनाना चाहिये और राजकोषीय फिसलन से बचने के लिये एक संतुलित बजट के लिये जाना चाहिये।

मुख्य बिंदु:

- राजकोषीय घाटा: यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं और उसकी प्राप्तियों के बीच का अंतर है। यह उस धन के बराबर है जिसे सरकार को वर्ष के दौरान उधार लेने की आवश्यकता होती है।
- चालू खाता घाटा (CAD): चालू खाता देश में और बाहर माल, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को मापता है। यह एक देश के विदेशी लेनदेन का प्रतिनिधित्व करता है और, पूंजी खाते की तरह, देश के भुगतान संतुलन (BoP) का एक घटक है।
- दोहरे घाटे की समस्या: चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा (जिसे "बजट घाटा" के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जब किसी देश का व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है) को एक साथ दोहरे घाटे के रूप में जाना जाता है और दोनों अक्सर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।
- स्टैगफ्लेशन: इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहाँ विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोज़गारी का स्तर लगातार ऊँचा रहता है और फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर एक ही समय में उच्च रहता है।
- ब्लैक स्वान घटना: यह इतिहास में अनुभव किये गए सभी प्रतिकूल समस्याओं के एक साथ आने आने से संबंधित हो सकती है, जिससे एक विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

जूजेंथेले कोरल की चार प्रजातियाँ

वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से जीनस ट्रुनकाटोफ्लैबेलम (स्क्लेरैक्टिनियन: फ्लैबेलिडे) के तहत जूजेंथलाई कोरल की चार प्रजातियों को रिकॉर्ड किया है।

क्या पाया गया है?

- ट्रुनकाटोफ्लैबेलम क्रैसम , टी. इन्क्रुस्टाटम ,टी. एक्युलेटम, और टी.इर्रेगुलर कोरल की चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - प्रवाल के ये समूह पहले जापान से फिलीपींस और ऑस्ट्रेलियाई जलक्षेत्र में पाए गए थे, जबकि अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी सहित इंडो-वेस्ट पैसिफिक की सीमा के अंदर केवल टी. क्रैसम की पहचान की गई थी।
- ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वीप समूह के जल में पाए जाते हैं।
  - वे जूजेंथलाई कोरल, कोरल का एक समूह है जिसमें ज़ोक्सांथेला नहीं होता है तथा यह सूर्य से नहीं बल्कि प्लवक के विभिन्न रूपों को से पोषण प्राप्त करते हैं।
  - जूजेंथलाई एककोशिकीय, सुनहरे-भूरे रंग के शैवाल (डाइनोफ्लैगलेट्स) हैं जो या तो समुद्री जल स्तंभ में प्लवक के रूप में रहते हैं या अन्य जीवों के ऊतक के अंदर सहजीवी रूप से रहते हैं।
- जूजेंथलाई प्रवाल उथले जल तक ही सीमित हैं।
- वे कठोर प्रवाल होते हैं और अत्यधिक संकुचित कंकाल संरचना होती है।
  - भारत में कठोर प्रवाल की लगभग 570 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और उनमें से लगभग 90% अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के जल में पाई जाती हैं। प्रवाल का प्राचीन और सबसे पुराना पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह का 1% से भी कम हिस्सा साझा करता है लेकिन वे लगभग 25% समुद्री जीवन के लिये आवास प्रदान करते हैं।
- वे गहरे समुद्र के प्रजातियाँ हैं, जिनमें अधिकांश प्रजातियाँ 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच पाई जाती हैं।
- वे उथले तटीय जल में भी होते हैं।

अध्ययन का महत्त्व:

- यह भारतीय जल क्षेत्र से फ्लेबेलिड्स की उपरोक्त चार नई दर्ज की गई प्रजातियों के भौगोलिक वितरण श्रेणियों के वैश्विक मानचित्रण के साथ रूपात्मक विशेषताओं को दर्शाता है।
- भारत में हार्ड कोरल (Hard Corals) का अधिकांश अध्ययन रीफ-बिल्डिंग कोरल पर केंद्रित है, जबकि नॉन-रीफ-बिल्डिंग कोरल के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ये नए रिकॉर्ड नॉन-रीफ-बिल्डिंग, सोलिटरी कोरल के बारे में जानकारी उपलब्ध करते हैं।

- वर्तमान में रिपोर्ट की गई सोलिटरी स्टोनी कोरल की चार प्रजातियाँ भारत के जैविक संसाधनों के राष्ट्रीय डेटाबेस को और अधिक संपन्न कर सकती हैं और इन अज्ञात और नॉन-रीफ़्स बिल्डिंग कोरल का पता लगाने के दायरे के विस्तार को परिभाषित कर सकती हैं।

प्रवाल:

- प्रवाल आनुवंशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें 'पॉलीप्स' कहा जाता है। इन पॉलीप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें जूजेंथलाई (Zooxanthellae) कहा जाता है जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं।
    - प्रवाल और शैवाल में परस्पर संबंध होता है।
    - प्रवाल जूजेंथलाई को प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक यौगिक प्रदान करता है। बदले में जूजेंथलाई कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रकाश संश्लेषण के जैविक उत्पादों की प्रवाल को आपूर्ति करता है, जो उनके कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल के संश्लेषण हेतु प्रवाल पॉलीप्स द्वारा उपयोग किया जाता है।
    - यह प्रवाल को आवश्यक पोषक तत्त्वों को प्रदान करने के अलावा इसे अद्वितीय और सुंदर रंग प्रदान करता है।
- उन्हें "समुद्र का वर्षावन" भी कहा जाता है।
- प्रवाल दो प्रकार के होते हैं:
    - कठोर, उथले पानी के प्रवाल।
    - 'सॉफ्ट' प्रवाल और गहरे पानी के प्रवाल जो गहरे ठंडे पानी में रहते हैं।

कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान

मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान (Keibul Lamjao National Park- KLNP) के निवासी स्थल के स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं।

- लोगों का तर्क है कि प्रस्तावित स्थल का लुप्तप्राय हिरणों को बचाने के प्रयासों से कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी ओर आस-पास के गाँवों के लोग हिरण को बचाने हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण 'सांगई' (Rucervus eldii eldii) का अंतिम प्राकृतिक आवास है
    - 1950 के दशक में, यह माना जाता था कि 'सांगई' हिरण देश में विलुप्त हो गए थे। हालाँकि बाद में इसे मणिपुर में फिर से खोजा गया।
- हॉग डियर, ओटर, वाटर फॉउल और प्रवासी पक्षियों का एक समूह यहाँ पाया जाता है।

लोकटक झील:

- लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है और जो जल की सतह के ऊपर तैरती फुमडी के लिये प्रसिद्ध है।
    - फुमडी अपघटन के विभिन्न चरणों में वनस्पति, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों का विषम द्रव्यमान है।
- यह प्राचीन झील मणिपुर की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन के लिये जल के स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- पारिस्थितिक स्थिति और इसके जैव विविधता मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, लोकटक झील को शुरू में 1990 में रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था
    - बाद में इसे वर्ष 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत भी सूचीबद्ध किया गया था।
- मानव गतिविधियों ने झील के पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर दबाव डाला है।

एंटलर्ड हिरण:

- सामान्य नाम: संगाई, भौंह सींग वाले हिरण, डांसिंग डियर
- वैज्ञानिक नाम: रुसेर्वास एल्डी (Rucervus eldii)
- परिचय:
- भौंह सींग वाला हिरण, या संगाई, मणिपुर का राज्य पशु है।
- सर्दियों के महीनों में जानवर का आवरण गहरे लाल भूरे रंग का होता है और गर्मियों में यह बहुत हल्का हो जाता है।
- कंबोडिया, चीन, भारत, लाओस और म्याँमार के मूल निवासी, ये जानवर पहले दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के आवासों में व्यापक रूप से फैले हुए थे।
- आवास:
- हिरण का निवास स्थान झाड़ी और घास के मैदान से लेकर सूखे जंगलों और दलदली भूमि तक भिन्न होता है, यह उस देश पर निर्भर करता है जिसमें वे पाए जाते हैं।
- भारत में ये जानवर केवल मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील में ही पाए जाते हैं।
- भौंह-एंटलरेड हिरण आमतौर पर घास का उपभोग करता है।
- खतरा:
- जबकि विश्व स्तर पर निवास स्थान का नुकसान इस हिरण के संरक्षण में एक गंभीर चिंता का विषय रहा है, मणिपुर में शिकार एक अतिरिक्त खतरा है। जबकि चरागाह, खेती और मछली पालन के लिये आवासों पर अतिक्रमण किया गया है, जानवरों को झील में एक जल-विद्युत परियोजना से अत्यधिक खतरा है।

- सुरक्षा स्थिति:
- IUCN लाल सूची: लुप्तप्राय
- CITES: परिशिष्ट I
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

स्नेक आइलैंड

यूक्रेन ने काला सागर में ज़मीनी द्वीप, जिसे 'स्नेक आइलैंड' भी कहा जाता है, पर हवाई हमलों में रूसी सेना को गंभीर क्षति पहुँचाई है।

- माना जाता है कि द्वीप पर ये हमले पश्चिम द्वारा यूक्रेन को दी गई मिसाइलों का उपयोग करके दूसरी बड़ी सैन्य सफलता है।

स्नेक आइलैंड:

- विशेषताएँ:
  - ज़मीनी द्वीप, जिसे स्नेक या सर्पेंट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यह 700 मीटर से कम आकार की चट्टान का एक छोटा टुकड़ा है, जिसे एक्स-आकार का बताया गया है।
- अवस्थिति:
  - यह काला सागर में तट से 35 किमी. दूर डेन्यूब के मुहाने के पूर्व में और ओडेसा के बंदरगाह शहर के लगभग दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।
    - वोल्गा के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से निकलती है और लगभग 2,850 किमी. तक काला सागर पर अपने मुहाने तक बहती है।
  - द्वीप को मानचित्र पर 'विलेज ऑफ बाइल' द्वारा चिह्नित किया गया है, यह यूक्रेन के अंतर्गत आता है।

काला सागर:

- आस-पास के क्षेत्र:
  - काला सागर उत्तर और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन, पूर्व में रूस और जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्कीये और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से घिरा है।
- जलडमरूमध्य:
  - काला सागर बोस्फोरस के द्वारा मरमरा सागर से और डार्डनेल्स के द्वारा एजियन सागर से जुड़ता है, यह पारंपरिक रूप से यूरोप के लिये रूस का गर्म जल का प्रवेश द्वार रहा है।
  - काला सागर भी केर्च जलडमरूमध्य द्वारा आज़ोव सागर से जुड़ा हुआ है।
- रूस के लिये महत्त्व:
  - सामरिक मध्यवर्ती क्षेत्र/बफर:
    - काला सागर भूमध्य सागर के लिये मील का पत्थर है और साथ ही नाटो देशों और रूस के बीच एक रणनीतिक बफर भी है।
  - भूस्थैतिक महत्त्व:
    - काला सागर क्षेत्र का प्रभुत्व मास्को के लिये भू-रणनीतिक अनिवार्यता है, (दोनों भूमध्य सागर में रूसी शक्ति का प्रभाव और दक्षिणी यूरोप के प्रमुख बाज़ारों हेतु आर्थिक प्रवेश द्वार को सुरक्षित करने के लिये)।
    - रूस वर्ष 2014 के क्रीमिया संकट के बाद से काला सागर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर रहा है।
    - वर्तमान संघर्ष में काला सागर पर नियंत्रण के साथ ही रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले भूमि पुल पर नियंत्रण रूस का प्रमुख लक्ष्य रहा है।
    - काला सागर तक यूक्रेन की पहुँच को कम करने से यह एक स्थलरुद्ध देश में तब्दील हो जाएगा और इसके रसद व्यापार के लिये एक गंभीर झटका होगा।

पार्टिसिपेटरी नोट्स

पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के माध्यम से मई के अंत, 2022 तक भारतीय पूंजी बाज़ार में निवेश घटकर 86,706 करोड़ रुपए रह गया है।

- हालाँकि अनुमानतः आने वाली 1-2 तिमाहियों में विदेशी निवेशक अपना बिकवाली का रुख बदलेंगे और देश के शेयरों में वापसी करेंगे।
- पी-नोट निवेश में गिरावट के अनुरूप विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के अंतर्गत परिसंपत्तियाँ मई, 2022 के अंत में 50.74 ट्रिलियन रुपए (जो अप्रैल, 2022 के अंत में थी) से 5% घटकर 48.23 ट्रिलियन रुपए हो गईं।
  - FPI द्वारा इक्विटी से शुद्ध निकासी का यह लगातार आठवाँ महीना था।

पार्टिसिपेटरी नोट्स:

- पी-नोट्स विदेशी निवेशकों को पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा जारी किये गए ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ODI) हैं जो सीधे खुद को पंजीकृत किये बिना भारतीय शेयर बाज़ारों का हिस्सा बनना चाहते हैं।
  - पी-नोट्स में भारतीय स्टॉक उनकी अंतर्निहित संपत्ति के रूप में होते हैं।
  - FPI अनिवासी हैं जो भारतीय प्रतिभूतियों जैसे शेयर, सरकारी बॉण्ड, कॉरपोरेट बॉण्ड आदि में निवेश करते हैं।
- हालाँकि पी-नोट धारकों के लिये सरल पंजीकरण आवश्यकताएँ हैं, उन्हें भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (SEBI) की उचित त्वरित प्रक्रिया से गुजरना होगा।

पी-नोट्स में कमी के कारण:

- मुद्रास्फीति के स्तर में अनिश्चितता:
  - मुद्रास्फीति के स्तर और अमेरिकी फेडरल रिज़र्व (Fed's) की कार्रवाइयों को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

- पी-नोट्स में गिरावट का श्रेय यूएस फेड द्वारा मौद्रिक नीति को कड़ा करने के कारण को दिया जा रहा है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये दरों में बढ़ोतरी कर रहा है।
  - ब्रिटेन और यूरोज़ोन सहित अन्य केंद्रीय बैंक भी इसका अनुसरण कर रहे हैं।
- मुद्रा/करेंसी में सुधार:
  - करेंसी की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है।
    - एक सुधार एक मूल्य प्रतिक्षेप है जिसे प्रत्येक प्रवृत्ति आवेग के बाद देखा जा सकता है। सुधार होने के बाद, मूल्य अपनी प्रवृत्ति पर वापस आ जाता है। वर्तमान समय में उपकरणों की अधिक बिक्री या अधिक खरीद के कारण मुद्रा बाज़ार में सुधार होता है।
    - इस कमी का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी और डेबिट पोर्टफोलियो में बाज़ार सुधार को लेकर है।

भविष्य में पी-नोट्स के संबंधित उम्मीदें:

- इक्विटी बाज़ार इन स्तरों पर कुछ आकर्षक कीमत प्रदान कर रहे हैं।
- आपूर्ति-शृंखला और मुद्रास्फीति के मुद्दों के आने वाले महीनों में कम होने की उम्मीद है।
- बाज़ार आमतौर पर आर्थिक चक्र से आगे बढ़ते हैं।
  - यह माना जाता है कि अगली एक/दो तिमाहियों में FPI को भारतीय इक्विटी हेतु पूंजी आवंटित करने के लिये वापस लाना चाहिये।

ब्लैक डेथ

साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने दावा किया है कि ब्लैक डेथ की पहचान आधुनिक उत्तरी किर्गिस्तान में 1338-1339 के आसपास हुई थी। लगभग 7-8 वर्ष पहले इसने दुनिया के बड़े हिस्से को नुकसान पहुँचाया था।

ब्लैक डेथ

- ब्लैक डेथ शब्द बुबोनिक प्लेग को संदर्भित करता है जो वर्ष 1346-53 में पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में फैला।
- अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि ब्लैक डेथ, जिसने लाखों लोगों की जान ली थी, यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण हुई थी और पिस्सू द्वारा फैल गई थी जिसके मेज़बान कृंतक (चूहा गिलहरी आदि कतरने वाले जानवर) थे।
- सूक्ष्मजीव येर्सिनिया पेस्टिस मानव आबादी में फैल गया, जिन्होंने इसे मानव पिस्सू के वेक्टर के माध्यम से या सीधे श्वसन प्रणाली के माध्यम से दूसरों को प्रेषित किया।
- महामारी के बारे में लिखने वाले समकालीनों ने अक्सर बुबो (कठोर, सूजन वाले लिम्फ नोड्स) को विशिष्ट नैदानिक विशेषता के रूप में वर्णित किया।
- 14वीं शताब्दी में जनसांख्यिकीय विनाश के कारण महामारी को 'ग्रेट डेथ' के रूप में संदर्भित किया गया था।
- उस समय व्यापक ऐतिहासिक डेटा की कमी के कारण मरने वालों की सही संख्या जानना मुश्किल है।

वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल

हाल ही में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAM) का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना द्वारा ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर में एक भारतीय नौसेना जहाज़ से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- VL-SRSAM के बारे में:
  - VL-SRSAM को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनाती के लिये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तीन इकाईयों द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
  - मिसाइल में सी-स्किमिंग टारगेट्स (sea-skimming targets) सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने की क्षमता है।
    - सी स्किमिंग एक ऐसी तकनीक हैं जिसका उपयोग कई एंटी-शिप मिसाइलें और कुछ लड़ाकू या स्ट्राइक एयरक्राफ्ट रडार और इन्फ्रारेड डिटेक्शन से बचने के लिये करते हैं।
- डिज़ाइन:
  - मिसाइल को 40 से 50 किमी. की दूरी पर और लगभग 15 किमी की ऊँचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - इसका डिज़ाइन अस्त्र मिसाइल पर आधारित है जो दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
    - अस्त्र ("हथियार") भारत की पहली हवा-से-हवा में सभी मौसम में दृश्य सीमा से परे सक्रिय रडार होमिंग एयर-टू-एयर मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है।
    - बियॉन्ड-विज़ुअल-रेंज मिसाइल (BVR) एक हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो 20 नॉटिकल मील या उससे अधिक की रेंज में मारने में सक्षम है।
- विशेषताएँ:
  - क्रूसीफॉर्म पंख: वे चार छोटे पंख होते हैं जो चार तरफ एक क्रॉस की तरह व्यवस्थित होते हैं और प्रक्षेप्य को एक स्थिर वायुगतिकीय स्थिति प्रदान करते हैं।

- थ्रस्ट वेक्टरिंग: यह अपने इंज़न से थ्रस्ट की दिशा बदलने, कोणीय वेग और मिसाइल के स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता है।
  - थ्रस्ट वह बल है जो विमान को हवा के माध्यम से ले जाता है।
- कनस्तरीकृत प्रणाली: इसके द्वारा अंदर के वातावरण को नियंत्रित किया जाता है, इस प्रकार इसका परिवहन और भंडारण आसान हो जाता है और हथियार टिकाऊ हो जाते हैं।

नौसेना युद्ध

- यह समुद्र, महासागर या किसी अन्य युद्धक्षेत्र में और पानी के एक बड़े निकाय जैसे कि एक बड़ी झील या चौड़ी नदी से संबंधित एक युद्ध है।
- रक्षात्मक प्रतिक्रिया:
  - चैफ:
  - यह दुश्मन के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) मिसाइल से नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिये विश्व भर में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रतिवाद तकनीक है।
    - जहाज़ रोधी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिये मिसाइलें:
  - इन प्रणालियों में एक त्वरित पहचान तंत्र और युद्धपोतों के लिये त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिये।

वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल

हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया और साथ ही निर्यात (NIRYAT) पोर्टल का शुभारंभ किया।

वाणिज्य भवन

- वाणिज्य भवन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) का नया परिसर है।
- इंडिया गेट के पास निर्मित, वाणिज्य भवन का उपयोग मंत्रालय के अधीन दो विभागों यानी वाणिज्य विभाग और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department of Commerce and the Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा किया जाएगा।

निर्यात पोर्टल

- निर्यात (NIRYAT) का पूरा नाम राष्ट्रीय आयात-निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड (National Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade) है।
- इसे भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु हितधारकों के लिये वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है।
- भारत ने वर्ष 2021 में कुल 670 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग 50 लाख करोड़ रुपए) का निर्यात किया। निर्यात किसी भी देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जलकुंभी

हाल ही में पश्चिम बंगाल ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिये जलकुंभी (विषाक्त जलीय खरपतवार पौधा) का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है जो आर्थिक रूप से फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - जलकुंभी को वैज्ञानिक तौर पर इचोर्निया क्रैसिप्स मार्ट के रूप में जाना जाता है। पोंटेडरियासी (Pontederiaceae) भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में जल निकायों में पाया जाने वाला एक जलीय खरपतवार है।
  - यह स्वदेशी प्रजाति नहीं है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इसे दक्षिण अमेरिका से सजावटी जलीय पौधे के रूप में भारत लाया गया था।
  - इस पौधे पर आकर्षक बैंगनी रंग के पुष्प खिलते हैं जिनका उच्च सौंदर्य मूल्य होता है।
- मुद्दे:
  - यह साधारण तैरता जलीय पौधा, दुर्भाग्य से एक अप्रिय खरपतवार भी है जो नदियों, नालों, धाराओं, तालाबों, बाँधों, झीलों और दलदल जैसे सतही मीठे पानी के स्रोतों में आक्सीजन की कमी का कारण बन रहा है, जिससे जल निकाय व्यावसायिक मत्स्य पालन, परिवहन एवं मनोरंजन के लिये अनुपयुक्त होते जा रहे हैं।
  - यह एक 'प्रोलिफोलिक' वनस्पति पदार्थ-उत्पादक पौधा है और किसी भी बंद जलाशय को आश्चर्यजनक दर से समाप्त करने की क्षमता रखता है।
    - एक पौधा जो 'प्रोलिफोलिक' होता है, वह बड़ी संख्या में युवा पौधे या फलों की उत्पत्ति करता है।
    - यह सूर्य के प्रकाश को कम करने के साथ ही पानी में ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है, जिससे यह व्यावसायिक उपयोग के लिये अनुपयुक्त हो जाता है।
    - इस खरपतवार को समय-समय पर हटाना एक महँगी और श्रमसाध्य प्रक्रिया है।
  - यह जलकुंभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिये एक गंभीर समस्या वाला पौधा बन गया है।
- महत्त्व:
  - कुछ जैविक कृषि पद्धतियों में इस पौधे का उपयोग जैव-उर्वरक के रूप में किया जाता है।

- यह पौधा फाइटोरेमेडिएशन गुण वाली प्रजाति का पौधा है, जिसमें ज़हरीले मेटाबोलाइट्स और हानिकारक भारी धातुओं को पानी से निकालने की क्षमता है।

2030 तक यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करना

यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा, यूरोपीय आयोग (EC) ने 2030 तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिये एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है।

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) ने अपने छठे आकलन में जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिये अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र की तत्काल बहाली का आह्वान किया है।
- ग्लासगो जलवायु समझौते ने भी जलवायु शमन और अनुकूलन के लिये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्त्व को रेखांकित किया था।
- यूरोपीय संघ, 2011 और 2020 के बीच यूरोपीय संघ की जैवविविधता रणनीति के अनुसार, जैवविविधता के क्षति को रोकने में सफल नहीं रहा है, जिसका स्वैच्छिक लक्ष्य 2020 तक कम-से-कम 15% निम्नीकृत पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना था।

मसौदा कानून:

- मसौदा पारिस्थितिक तंत्र एक विस्तृत शृंखला में कई बाध्यकारी बहाली लक्ष्य और दायित्वों को निर्धारित करता है। इसमें 2030 तक यूरोपीय संघ की 20% भूमि और समुद्री क्षेत्र पर क्षेत्र-आधारित बहाली उपायों के लिये व्यापक उद्देश्य शामिल हैं।
- प्राकृतिक और अर्द्ध-प्राकृतिक जैवविविधता पारिस्थितिक तंत्र आर्द्रभूमि, जंगल, घास के मैदान, नदी, झीलें एवं यहाँ तक कि टीले का बड़े पैमाने पर सुधार और पुन: स्थापित किया जाएगा।
- यह अन्य मुद्दों के अलावा नदियों के मुक्त प्रवाह हेतु बड़े बाँधों को नष्ट करने का प्रयास करता है।
- 2030 तक मधुमक्खियों, तितलियों, भौंरों, होवरफ्लाइज़ और अन्य परागणकों की आबादी में गिरावट को रोकने हेतु रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग एवं जोखिम को 2030 तक 50% कम कर दिया जाएगा।
- प्रस्ताव का उद्देश्य हरित शहरी स्थानों के नुकसान को कम करना है ताकि वर्ष 2030 तक हरित शहरी स्थानों का कोई नुकसान न हो। वास्तविक लक्ष्य वर्ष 2050 तक इन स्थानों मंव 5% की वृद्धि सुनिश्चित करना है।
- प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी शहरों और कस्बों में कम-से-कम 10% वितान (canopy) कवर में वृद्धि होनी चाहिये।
- प्रस्ताव में वर्ष 2030 तक 25,000 किलोमीटर नदियों को एक मुक्त-प्रवाह वाली स्थिति में बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये सतही जल की कनेक्टिविटी को रोकने या बाधित करने वाले अवरोधों की पहचान करके उन्हें दूर किया जाएगा।

कीटनाशक : उपयोग और मुद्दे

- परिचय:
  - रासायनिक यौगिक जो कीटाणुओं को खत्म करने के लिये तैयार किये जाते हैं उन्हें कीटनाशक कहा जाता है।
    - इनका उपयोग कृंतकों (कृंतकनाशक), कीटाणुओं (कीटनाशक), खरपतवार (शाकनाशी) और कवक (कवकनाशी) जैसे कीटों को मारने या भगाने के लिये किया जाता है।
  - इनका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में मच्छर जैसे रोग वाहकों को खत्म करने के लिये किया जाता है।
  - फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों को खत्म करने के लिये इनका उपयोग कृषि में किया जाता है।
- मुद्दे:
  - किसानों पर हानिकारक प्रभाव: विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने निम्न-स्तर के कीटनाशक के संपर्क में आने से सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, तनाव, क्रोध, अवसाद और ख़राब स्मृति, पार्किंसंस रोग एवं अल्जाइमर रोग जैसे तंत्रिका तंत्र के लक्षणों की एक विस्तृत शृंखला है।
  - उपभोक्ताओं पर हानिकारक प्रभाव: कीटनाशक पर्यावरण के माध्यम से और मिट्टी या जल प्रणालियों द्वारा खाद्य शृंखला तक पहुँचते हैं जिसके बाद उन्हें जलीय जानवरों या पौधों व अंतत: मनुष्यों द्वारा खाया जाता है। इस प्रक्रिया को जैव-आवर्द्धन/ बायोमैग्निफिकेशन (Biomagnification) कहा जाता है।
  - कृषि पर हानिकारक प्रभाव: दशकों से कीटनाशकों के निरंतर उपयोग ने भारतीय कृषि क्षेत्र के वर्तमान पारिस्थितिक, आर्थिक और अस्तित्व के संकट को निरंतर बढ़ावा दिया है।
  - नियामकता से संबंधित मुद्दे: हालाँकि कृषि उत्पादन राज्य का विषय है, यह शिक्षा और अनुसंधान कीटनाशक अधिनियम, 1968 जो कि एक केंद्रीय अधिनियम है, के तहत शासित होता है, अत: इसलिये राज्य सरकारों की इसमें संशोधन करने में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
    - इसका कारण यह है कि अनुमानित 104 कीटनाशक अभी भी भारत में उत्पादित/ उपयोग किये जाते हैं, जिन्हें विश्व के दो या दो से अधिक देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- भारत में कीटनाशकों का विनियमन:
  - 1968 का कीटनाशक अधिनियम भारत में कीटनाशकों के पंजीकरण, निर्माण और बिक्री से संबंधित है।
  - पिछले पाँच दशकों में इस अधिनियम को लागू करने के अनुभव ने कुछ कमियों को उजागर किया है। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 को मंज़ूरी दी है।

- विधेयक कीटनाशकों के व्यापार को नियंत्रित करता है और कृषि रसायनों के उपयोग से होने वाले नुकसान के मामले में किसानों को मुआवज़ा देता है।

डाक कर्मयोगी

हाल ही में संचार मंत्रालय ने डाक विभाग का ई-लर्निंग पोर्टल 'डाक कर्मयोगी' लॉन्च किया है।

- डाक विभाग के कर्मचारियों के अच्छे प्रदर्शन को मान्यता देने के लिये आठ अलग-अलग श्रेणियों में मेघदूत पुरस्कार भी प्रदान किये गए। मेघदूत पुरस्कार वर्ष 1984 में शुरू किया गया था। यह समग्र प्रदर्शन और उत्कृष्टता के लिये राष्ट्रीय स्तर पर डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है।

डाक कर्मयोगी:

- परिचय:
  - इस पोर्टल को 'मिशन कर्मयोगी' के तहत 'इन-हाउस' विकसित किया गया है, जिसे 'न्यूनतम सरकार' और 'अधिकतम शासन' के साथ नौकरशाही में दक्षता लाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित किया गया था।
  - यह पोर्टल प्रशिक्षुओं की समान मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री एवं ऑनलाइन या मिश्रित परिसर मोड तक पहुँच स्थापित करने में सक्षम करेगा ताकि वे ग्राहकों की संतुष्टि के लिये कई G2C (सरकार से नागरिक) सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित कर सकें।
- उद्देश्य:
  - कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों का उन्नयन कर बेहतर सेवाएँ प्रदान करना।

रिम ऑफ द पैसिफिक (RIMPAC) एक्सरसाइज़ 2022

RIMPAC-22 एक्सरसाइज़ 29 जून से 4 अगस्त तक हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया में तथा उसके पास के क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।

- बहुआयामी अभ्यास के वर्तमान संस्करण में 27 देश भाग ले रहे हैं।

RIMPAC-22:

- परिचय:
  - बहुआयामी अभ्यास के वर्तमान संस्करण में 27 देश भाग ले रहे हैं।
  - इसका उद्देश्य मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर्संचालनीयता और विश्वास को कायम करना है।
- वर्ष 2022 के लिये थीम:
  - RIMPAC 2022 की थीम- 'सक्षम, अनुकूलन, भागीदार' (Capable, Adaptive, Partners) है।
- भारत की भागीदारी:
  - वर्ष 2014 में भारत ने पहली बार RIMPAC में भाग लिया जब स्वदेश निर्मित शिवालिक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री ने अभ्यास में भाग लिया था।
  - आईएनएस सह्याद्री ने पुन: वर्ष 2018 के संस्करण में देश का प्रतिनिधित्व किया।
  - आईएनएस सह्याद्री ने फिर से आयोजन के 2018 संस्करण में देश का प्रतिनिधित्व किया।
  - इसी बीच 2016 में INS सतपुड़ा समुद्री अभ्यास में शामिल हुआ। 2014 से पहले वारगेम्स में भारतीय नौसेना की उपस्थिति केवल 2006, 2010 और 2012 के संस्करणों के लिये एक पर्यवेक्षक के रूप में थी।
  - वर्तमान संस्करण में भारतीय नौसेना का INS सतपुड़ा और एक P8I समुद्री गश्ती विमान अभ्यास में भाग ले रहे हैं।

P8I समुद्री गश्ती पोत:

- P-8I भारतीय नौसेना के लिये बोइंग द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी की बहु-मिशन समुद्री गश्ती पोत है।
- इसे भारत के समुद्र तट और क्षेत्रीय जल की रक्षा हेतु डिज़ाइन किया गया था। यह पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW), सतह-रोधी युद्ध (AsuW), खुफिया, समुद्री गश्ती और निगरानी व सैनिक परीक्षण का संचालन कर सकता है।

आईएनएस सतपुड़ा:

- आईएनएस सतपुड़ा एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित 6000 टन निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है जो हवा, सतह और पानी के नीचे विरोधी को तलाशने और नष्ट करने में सक्षम है।
- विशाखापत्तनम में स्थित पूर्वी बेड़े की एक फ्रंटलाइन इकाई, आईएनएस सतपुड़ा वर्तमान में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में विस्तारित परिचालन तैनाती पर है।

रैपिड फायर

डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट (Display Fabrication Unit) स्थापित करने हेतु बेंगलुरु बेस्ड Elest के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है। यह डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम (India Semiconductor Mission Programme) के तहत स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना में डिस्प्ले फैब स्थापित करने से भारत अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों के साथ वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा। सरकार को विश्वास है कि तेलंगाना में एक डिस्प्ले फैब होने से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी सहायक कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। जब से भारत सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की गई है, तब से तेलंगाना सरकार राज्य में फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिये मिशन मोड पर कार्य कर रही है।

मंकीपॉक्स

मंकीपॉक्स वायरस अब तक 29 देशों में फैल चुका है। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए चेतावनी जारी की है। यह एक वायरल ज़ूनोटिक रोग (Zoonotic Disease- जानवरों से मनुष्यों में संचरण होने वाला रोग) है और बंदरों में चेचक के समान बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिये इसे मंकीपॉक्स नाम दिया गया है। यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। मंकीपॉक्स वायरस के स्रोत के रूप में पहचाने जाने वाले जानवरों में बंदर और वानर, विभिन्न प्रकार के कृतंक (चूहों, गिलहरियों तथा प्रैरी कुत्तों सहित) एवं खरगोश शामिल हैं। यह रोग मंकीपॉक्स वायरस के कारण होता है, जो पॉक्सविरिडे फैमिली (Poxviridae Family) में ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस (Orthopoxvirus Genus) का सदस्य है। मंकीपॉक्स का संक्रमण पहली बार वर्ष 1958 में अनुसंधान के लिये रखे गए बंदरों के समूहों में चेचक जैसी बीमारी के दो प्रकोपों के बाद खोजा गया जिसे 'मंकीपॉक्स' नाम दिया गया। पहला मानव संचरण का मामला वर्ष 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में चेचक को खत्म करने के तीव्र प्रयास के दौरान दर्ज किया गया था। मंकीपॉक्स के लिये रोगोद्भवन अवधि (संक्रमण से लक्षणों तक का समय) आमतौर पर 7-14 दिनों की होती है लेकिन यह अवधि 5-21 दिनों तक भी हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस (IDFR) का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन की घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी। 'अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस' उन दो सौ मिलियन प्रवासी श्रमिकों को मान्यता प्रदान करता है, जो अपने प्रियजनों को धन हस्तांतरित करते हैं। प्रेषित धन वह धन है जो किसी अन्य पार्टी (सामान्यत: एक देश से दूसरे देश में) को भेजा जाता है। प्रेषक आमतौर पर एक अप्रवासी होता है और प्राप्तकर्त्ता एक समुदाय/परिवार से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में रेमिटेंस या प्रेषण से आशय प्रवासी कामगारों द्वारा धन अथवा वस्तु के रूप में अपने मूल समुदाय/परिवार को भेजी जाने वाली आय से है। ज्ञात हो कि विश्व में प्रेषित धन या रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता भारत है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, 'प्रेषण' प्रवासी श्रमिकों को उनके परिवारों से आर्थिक रूप से जोड़ता है। यह दिवस इस तथ्य को रेखांकित करता है कि 'प्रेषण' दुनिया भर में परिवारों की कई बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

एनोकोवैक्स

हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानवरों के लिये देश में कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च की। इसे हरियाणा स्थित आइसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर आन इक्विंस द्वारा विकसित किया गया है। एनोकोवैक्स जानवरों के लिये एक निष्क्रिय सार्स-कोव-2 डेल्टा (कोरोना) वैक्सीन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार यह वैक्सीन कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रोन वेरिएंट से बचाती है। यह श्वानों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिये सुरक्षित है। इसके साथ ही कुत्ते में सार्स-कोव-2 के खिलाफ एंटीबाडी का पता लगाने के लिये कैन-कोव-2 एलिसा किट भी लॉन्च की। यह विशिष्ट न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन आधारित अप्रत्यक्ष एलिसा किट है। यह किट भारत में बनाई गई है।

विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस (World Day to Combat Desertification and Drought) का आयोजन किया जाता है। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिये यह दिवस भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मसौदा तैयार किये जाने के बाद इस दिवास

की घोषणा की गई थी। एसडीजी के लिये 2030 एजेंडा में पृथ्वी को क्षरण से बचाना शामिल है। सतत् विकास लक्ष्य 15 का उद्देश्य भूमि क्षरण को रोकना है। जैसे-जैसे वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वैश्विक समृद्धि में बढ़ोत्तरी होती जा रही है, भोजन, वस्त्र और पशुओं के चारे की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भूमि की अधिक आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 10 बिलियन तक पहुँच जाएगी। इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये वर्ष 2010 के स्तर की तुलना में वर्ष 2050 तक अतिरिक्त 593 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि की आवश्यकता होगी। यह भारत के क्षेत्रफल का दोगुना है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की उर्वरता और उत्पादकता घट रही है, इस प्रकार मरुस्थलीकरण एवं सूखे का मुकाबला करने के लिये विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस लोगों को भूमि क्षरण के प्रभावों को कम करने के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है।

भारत की जीवन प्रत्याशा

हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System– SRS) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015-2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 69.7 तक पहुँच गई है। आँकड़ों से पता चलता है कि पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर एक कारण हो सकता है, जिसके चलते भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। हालाँकि भारत की जीवन प्रत्याशा अभी भी वैश्विक औसत 72.6 से नीचे बनी हुई है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और एक वर्ष या पाँच वर्ष में जीवन प्रत्याशा के बीच का अंतर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे अधिक है, जहाँ शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 20 साल की वृद्धि हुई है, जो 1970-75 के 49.7 से बढ़कर 2015-2019 में 69.7 हो गई है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ राज्यों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में काफी अंतर है। हिमाचल प्रदेश की शहरी महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 82.3 वर्ष सबसे अधिक थी। बिहार और झारखंड एकमात्र ऐसे राज्य हैं जहाँ शहरी व और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं की तुलना में अधिक है।

चीन अंतरिक्ष में स्थापित करेगा सौर उर्जा सयंत्र

हाल ही में चीन द्वारा वर्ष 2028 में निरंतर विद्युत प्राप्त करने के लिये अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की गई है। पहले चीन की यह योजना वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की थी, हालाँकि अपडेटेड प्लान के मुताबिक, चीन वर्ष 2028 में एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह उपग्रह 400 किमी. की ऊँचाई से अंतरिक्ष से ज़मीन तक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन तकनीक का परीक्षण करेगा। यह सौर ऊर्जा को माइक्रोवेव या लेज़र में बदल देगा। लेज़र का उपयोग करते हुए ऊर्जा पुंजों को विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया जाएगा, जिसमें गतिमान उपग्रह और पृथ्वी पर निश्चित स्थान शामिल हैं। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 10 किलोवाट होगी, अंतरिक्ष-आधारित सौर ऊर्जा स्टेशन की सैद्धांतिक व्यवहार्यता के लिये चीन चोंगकिंग के बिशन ज़िले में 33 एकड़ में परीक्षण सुविधा का निर्माण कर रहा है। यह सुविधा अंतरिक्ष संचरण प्रौद्योगिकियों (Space Transmission Technologies) को विकसित करने के साथ-साथ पृथ्वी पर जीवित जीवों पर माइक्रोवेव बीम के प्रभाव का अध्ययन करने में मदद करेगी।

ऑटिस्टिक प्राइड डे

प्रतिवर्ष 18 जून को विश्व स्तर पर 'ऑटिस्टिक प्राइड डे' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य 'ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर' नामक विकार से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ऑटिज़्म से पीड़ित लोगों को प्राय: मानवाधिकारों के उल्लंघन, भेदभाव और तमाम तरह की गलत धारणाओं का सामना करना पड़ता है। 'ऑटिस्टिक प्राइड डे' का लक्ष्य इसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर ऑटिज़्म से पीड़ित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। 'ऑटिस्टिक प्राइड डे' पहली बार वर्ष 2005 में 'एस्पीज़ फॉर फ्रीडम' नामक नागरिक संगठन द्वारा मनाया गया था। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (ASD) सामाजिक विकृतियों, संवाद में परेशानी या प्रतिबंध, व्यवहार का दोहराव और व्यवहार का स्टिरियोटाइप पैटर्न द्वारा पहचाना जाने वाला तंत्रिका विकास संबंधी जटिल विकार है। नीले रंग को ऑटिज़्म का प्रतीक माना गया है। इस विकार के लक्षण जन्म या बाल्यावस्था (पहले तीन वर्षों) में ही नज़र आने लगते हैं। यह विकार व्यक्ति की सामाजिक कुशलता एवं संप्रेषण क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है। यह जीवनपर्यंत बना रहने वाला विकार है। इस विकार से पीड़ित बच्चों का विकास अन्य बच्चों से अलग होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, विश्व स्तर पर प्रत्येक 160 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण पर ज़ोर देता है, जो ऑटिज़्म से पीड़ित लोगों का समर्थन करता हो।

श्तेफानिया मॉरेचिनानू

हाल ही में गूगल ने रोमानियाई भौतिक विज्ञानी श्तेफानिया मॉरेचिनानू (Ștefania Mărăcineanu) का 140वाँ जन्मदिन डूडल के साथ मनाया। श्तेफानिया मॉरेचिनानू रेडियोधर्मिता की खोज और अनुसंधान में अग्रणी महिलाओं में से एक थीं। श्तेफानिया मॉरेचिनानू (Ștefania Mărăcineanu) का जन्म 18 जून, 1882 को रोमानिया में हुआ था। उन्होंने 1910 में भौतिक और रासायनिक विज्ञान की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, बाद में उन्होंने बुखारेस्ट में सेंट्रल स्कूल फॉर गर्ल्स में एक शिक्षक के रूप में अपना कॅरियर शुरू किया। वहाँ रहते हुए मॉरेचिनानू ने रोमानियाई विज्ञान मंत्रालय से छात्रवृत्ति अर्जित की। उन्होंने पेरिस में रेडियम संस्थान में स्नातक शोध करने का फैसला किया। भौतिक विज्ञानी मैरी क्यूरी के निर्देशन में रेडियम संस्थान तेज़ी से रेडियोधर्मिता के

अध्ययन के लिये एक विश्वव्यापी केंद्र बन गया। मॉरिचिनानू ने पोलोनियम पर अपनी पीएचडी थीसिस पर काम करना शुरू किया, एक ऐसा तत्त्व जिसे क्यूरी ने खोजा था। मॉरिचिनानू ने भौतिकी में अपनी पीएचडी पूरी करने के लिये पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। मेडॉन में खगोलीय वेधशाला में चार साल तक काम करने के बाद वह रोमानिया लौट आई और रेडियोधर्मिता के अध्ययन के लिये अपनी मातृभूमि की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। मॉरिचिनानू ने अपना समय कृत्रिम बारिश पर शोध करने के लिये समर्पित किया, जिसमें उसके परिणामों का परीक्षण करने के लिये अल्जीरिया की यात्रा भी शामिल थी। उन्होंने भूकंप और वर्षा के बीच की कड़ी का भी अध्ययन किया, यह रिपोर्ट करने वाली पहली महिला बनीं कि भूकंप के कारण उपरिकेंद्र में रेडियोधर्मिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनका निधन 15 अगस्त, 1944 को हुआ था।

फीफा U-17 महिला विश्व कप

फीफा ने हाल ही में अंडर-17 महिला विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की, इसका आयोजन भारत में किया जाना है। आधिकारिक ड्रा 24 जून, 2022 को होने वाला है। इसका सेमीफाइनल गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जबकि फाइनल मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 30 अक्टूबर, 2022 को खेला जाएगा। यह 17 साल से कम उम्र की महिला खिलाड़ियों के लिये आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका आयोजन फीफा द्वारा किया जाता है। यह सम-संख्या वाले वर्षों में आयोजित किया जाता है और पहली बार वर्ष 2008 में खेला गया था। इसका वर्तमान चैंपियन स्पेन है, जिसने उरुग्वे में आयोजित वर्ष 2018 टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता था। वर्ष 2020 में विश्व कप को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, इसका आयोजन भारत में पाँच स्थानों पर होना था लेकिन नवंबर 2020 में फीफा ने टूर्नामेंट के 2020 संस्करण को रद्द कर दिया था।

बालिका पंचायत पहल

भारत की पहली बालिका पंचायत, जिसे "बालिका पंचायत" कहा जाता है, गुजरात के कच्छ ज़िले के कई गाँवों में शुरू की गई है। बालिका पंचायत पहल लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ राजनीति में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वर्तमान में यह पहल गुजरात के कच्छ ज़िले के कुनारिया, मोटागुआ, मस्का और वडसर गाँवों में शुरू की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे भारत में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना बना रहा है। 20 वर्षीय उर्मी अहीर को बालिका पंचायत का सरपंच बनाया गया है। बालिका पंचायत का सदस्य ग्राम पंचायत की तरह ही मनोनीत होता है। बालिका पंचायत का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है। यह समाज से बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास करती है। इसका उद्देश्य पंचायत में निर्णय लेने की प्रक्रिया में लड़कियों का नामांकन कराना है। यह पहल बचपन से ही लड़कियों को राजनीति में सक्रिय बनाने का प्रयास करती है।

"महिला शांति और सुरक्षा सेमीनार"

भारतीय महिला सैनिकों ने मंगोलिया के उलनबटोर में चार दिवसीय "महिला शांति और सुरक्षा सेमीनार" में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरूआत 16 जून, 2022 को हुई थी और इसे मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। उखना खुरेलसुख ने उद्घाटन भाषण में कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने 17 जून, 2022 को भारतीय समुदाय से बातचीत की। वे भारत से भगवान बुद्ध से संबंधित चार पवित्र अवशेषों को लेकर 13 जून, 2022 को उलनबटोर पहुँचे थे। इन अवशेषों को 11 दिन के लिये आयोजित प्रदर्शनी में रखा गया है।

विश्व शरणार्थी दिवस

दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिये 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, 2001 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार, आतंक, युद्ध और संघर्ष से बचने के लिये हर 1 मिनट में 20 लोग अपने घर से भागने को मज़बूर हैं। साल 2021 के अंत तक कुल 8.9 करोड़ लोग अपने गृह देश के भीतर या बाहर बलपूर्वक निर्वासन झेलना पड़ा है। इनमें से 5.3 करोड़ आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं और वहीं 2.7 करोड़ लोग घोषित रुप से शरणार्थी (Refugee) का दर्जा पा चुके हैं। इसके अलावा करीब 46 लाख लोग (Asylum Seeker) शरण चाहते हैं। आज दुनिया में कई शरणार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि के कारण अपना घर छोड़ने के लिये मज़बूर होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित वर्ष 1951 के अभिसमय के अनुच्छेद 1 में इस शब्द को परिभाषित किया है। एक शरणार्थी वह है जो नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता, या राजनीतिक राय के कारण उसे प्रताड़ित किये जाने के डर के कारण अपने मूल देश में लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक हो।

किंग हमद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम ई-विद्या नामक पहल को आईसीटी का उपयोग करने के लिये यूनेस्को की मान्यता प्रदान की गई है। 17 मई, 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या की शुरुआत की गई थी, जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है ताकि बच्चों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने और सीखने के नुकसान को कम करने के लिये मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम किया जा सके। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CIET), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DOSEL), शिक्षा मंत्रालय (MOE), भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

(NCERT) की एक घटक इकाई को यूनेस्को के वर्ष 2021 के लिये शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिये 'किंग हमद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार "सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा और शिक्षा पर इसके लक्ष्य-4 के अनुरूप, सभी के लिये शैक्षिक और आजीवन सीखने के अवसरों का विस्तार करने के लिये नई तकनीकों का लाभ उठाने में नवीन दृष्टिकोणों को मान्यता प्रदान करता है"। बहरीन साम्राज्य के समर्थन से वर्ष 2005 में स्थापित यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करता है जो उत्कृष्ट परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं और डिजिटल युग में सीखने, शिक्षण और समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकियों के रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल प्रति वर्ष दो सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का चयन करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में एक समारोह के दौरान 25,000 अमेरिकी डॉलर, एक पदक और एक डिप्लोमा प्रदान किया जाता है, यह समारोह इस वर्ष 24 जून, 2022 को आयोजित किया जाएगा।।

एन्नम एझुथुम योजना

हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य में "एन्नम एझुथम योजना" को लॉन्च किया गया है। यह योजना COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों के बीच अधिगम के अंतर को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक मूलभूत संख्यात्मकता (foundational numeracy) और साक्षरता (literacy) सुनिश्चित करना है। एन्नम एझुथम योजना के तहत, शिक्षा विभाग सीखने के बीच के अंतर का आकलन करने और उसे समाप्त के लिये कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को कार्यपुस्तिका वितरित करेगा। इस परियोजना को लॉन्च से पहले शिक्षकों के लिये एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उनके मध्य हैंडबुक वितरित की गई थी। उन्हें सलाह दी गई थी कि वे इंटरएक्टिव लर्निंग मेथड का चुनाव करे और छात्रों को स्कूल लाइब्रेरी में किताबें एवं अखबार पढ़ने के लिये प्रोत्साहित करें। इस पहल के तहत बच्चों को तीन विषयों तमिल, अंग्रेजी और गणित में प्रशिक्षित किया जाएगा।

विश्व संगीत दिवस

प्रत्येक वर्ष 21 जून को 'विश्व संगीत दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। इस दिवस के आयोजन की कल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1981 में फ्राँस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री द्वारा की गई थी। 'विश्व संगीत दिवस' की शुरुआत में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले फ्राँस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री मौरिस फ्लेरेट स्वयं एक प्रसिद्ध संगीतकार, पत्रकार और रेडियो निर्माता थे। इस दिवस के अवसर पर भारत समेत विश्व के तमाम देशों में जगह-जगह संगीत प्रतियोगिताओं और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्तमान समय में संगीत एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया है, जिसका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति को मानसिक रोगों व व्याधियों से मुक्ति प्रदान करने के लिये भी किया जा रहा है। कई अध्ययनों और विशेषज्ञों के मुताबिक, संगीत तनाव को कम करने और बेहतर नींद प्रदान करने में भी मददगार साबित हो सकता है। ध्यातव्य है कि एक कॅरियर के रूप में भी संगीत का क्षेत्र असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और मौजूदा समय में युवा वर्ग संगीत को अपना रहे हैं।

'जूनटींथ' फेस्टिवल

19 जून को अमेरिका में 'जूनटींथ' फेस्टिवल मनाया गया, यह अमेरिकी नागरिक युद्ध (1861-65) के बाद दासता के अंत की याद में संघीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अवकाश है। 'जूनटींथ' अमेरिका में दासता के अंत के अंत को चिह्नित करने संबंधी सबसे पुराना राष्ट्रीय स्मरणोत्सव है, जिसे प्रतिवर्ष 19 जून को आयोजित किया जाता है। वर्तमान में इसे 47 अमेरिकी राज्यों द्वारा अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे मुक्ति दिवस या जूनटींथ स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञात हो कि 1 जनवरी, 1863 को तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की थी, जिसमें घोषणा की गई कि विद्रोह के दौरान राज्यों के भीतर 'गुलाम के रूप में रखे गए सभी व्यक्ति अब स्वतंत्र होंगे। हालाँकि इस घोषणा के बाद भी कई लोगों ने दासों को रखना जारी रखा। इसके पश्चात् 19 जून, 1865 को मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेंजर गैल्वेस्टन ने गृहयुद्ध और दासता दोनों के अंत की घोषणा कर दी। तब से यह अफ्रीकी-अमेरिकियों के लिये स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतीकात्मक तिथि बन गई है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

प्रत्येक वर्ष 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका उद्देश्य योग के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाना है और लोगों को अपने स्वास्थ्य के परत सचेत करना है। विश्व स्तर पर सर्वप्रथम वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। 11 दिसंबर 2014 को 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' के 69वें सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस/विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिये मान्यता दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व में योग को पहचान दिलाने एवं योग की महत्ता से विश्व को अवगत कराते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में विश्व योग दिवस घोषित किये जाने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 8वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 "मानवता के लिये योग" (Yoga For Humanity) थीम पर आधारित है।

कोंकण रेलवे नेटवर्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय रेलवे के कोंकण रेलवे मार्ग के 100% विद्युतीकरण को समर्पित करेंगे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रत्नागिरी, मडगाँव और उडुपी से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली ट्रेनों को हरी

झंडी दिखाएँगे। कोंकण रेलवे का संचालन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) द्वारा किया जाता है इसका मुख्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। 23 मार्च, 1993 को उडुपी और मैंगलोर के बीच कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली यात्री ट्रेन का संचालन किया गया था। संचालन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, पहाड़ी कोंकण क्षेत्र में कई दुर्घटनाएँ हुईं जिस कारण कोंकण रेलवे को टक्कर रोधी उपकरणों, रोल-ऑन/रोल-ऑफ और स्काई बस जैसी नई तकनीक को लागू करने हेतु प्रेरित किया गया। KRCL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। यह कोंकण रेलवे का संचालन करता है। यह रेलवे से संबंधित अन्य परियोजनाओं को भी चलाता है।

द्रोपदी मुर्मू

हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिये नामित किया है। अगर वे चुनाव जीतती हैं तो वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। उनका जन्म 20 जून, 1958 को ओडिशा के मयूरभंज ज़िले में हुआ था। वे आदिवासी समाज से संबंधित हैं। उन्हें वर्ष 1997 में रायरंगपुर नगरपंचायत का कौंसिलर चुना गया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान, वह 6 मार्च, 2000 से 6 अगस्त, 2002 तक वाणिज्य और परिवहन (स्वतंत्र प्रभार) और 6 अगस्त, 2002 से 16 मई, 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थीं। उन्हें 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिये नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं। वह किसी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली ओडिशा की पहली महिला आदिवासी नेता थीं। वे वर्ष 2015 से 2019 तक झारखण्ड की राज्यपाल रहीं। वह भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिये भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार हैं।

खुव्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान

हाल ही में मंगोलिया के खुव्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान (Khuvsgul Lake National Park) को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिज़र्व के विश्व नेटवर्क (World Network of Biosphere Reserves) में शामिल किया गया है। यह निर्णय इंटरनेशनल को-ओर्डिनिंग काउंसिल ऑफ मेन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम (International Co-Ordinating Council Of Man And Biosphere Programme) के 34वें सत्र के दौरान लिया गया। यह कार्यक्रम फ्राँस के पेरिस में हो रहा है। खुव्सगुल झील उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुव्सगुल में रूस की सीमा के पास स्थित है। यह मंगोलिया के मीठे पानी का 70% स्रोत है तथा समुद्र तल से लगभग 1645 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है जो 135 किमी लंबी और 262 मीटर गहरी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है तथा रूस में स्थित बैकाल झील से लगभग 200 किमी. पश्चिम में स्थित है।

सैनिक गतिविधियों में खेल एवं स्वास्थ्य के महत्त्व को बढ़ावा देने के लिये प्रतिवर्ष 23 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस' का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना को चिह्नित करता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों के बीच खेलों को प्रोत्साहित करना और खेल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश प्रसारित करना है। ज्ञात हो कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ओलंपिया (ग्रीस) में आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेलों से प्रेरित है। यह ग्रीस के ओलंपिया में ज़ीउस (Zeus) (ग्रीक धर्म के सर्वोच्च देवता) के सम्मान में आयोजित किया जाता था। बेरोन पियरे दी कोबर्टिन ने वर्ष 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना की और ओलंपिक खेलों की नींव रखी। यह एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध है। यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के आयोजन का विचार वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया और वर्ष 1948 में इस प्रस्ताव को आधिकारिक स्वीकृति दी गई।

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर के लोक सेवाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में 'संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस' का आयोजन किया जाता है। यह दिवस लोक सेवकों के कार्य को मान्यता देते हुए समाज के विकास में उनके योगदान पर ज़ोर देता है और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में कॅरियर बनाने के लिये प्रेरित करता है। 20 दिसंबर, 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस के संबंध में जागरूकता और लोक सेवा के महत्त्व को बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में 'संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार' (UNPSA) कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे वर्ष 2016 में सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा के अनुसार अपडेट किया गया था। 'संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार' कार्यक्रम सार्वजनिक संस्थाओं की नवीन उपलब्धियों और सेवाओं को मान्यता देकर लोक सेवाओं में नवाचार एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देता है तथा उन्हें पुरस्कृत करता है, जो सतत् विकास के पक्ष में दुनिया भर के देशों में अधिक कुशल एवं अनुकूल लोक प्रशासन में योगदान दे रहे हैं।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी

23 जून, 2022 को डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मनाई जा रही है। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का जन्म 06 जुलाई, 1901 को तत्कालीन कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। श्यामाप्रसाद मुखर्जी के पिता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके थे। वर्ष 1921 में

कलकत्ता से अंग्रेज़ी में स्नातक करने के पश्चात् उन्होंने वर्ष 1923 में कलकत्ता से ही बांग्ला भाषा और साहित्य में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1934 में मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय का सबसे कम उम्र का कुलपति नियुक्त किया गया। कुलपति के तौर पर डॉ. मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान ही रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार बांग्ला भाषा में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और उन्ही के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षा में जनभाषा को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा डॉ. मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी थे। मई 1953 में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश करने के मामले में डॉ. मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया, जिसके पश्चात् 23 जून, 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।

जल प्रबंधन हेतु हरियाणा और इज़रायल के मध्य हस्ताक्षर

हाल ही में इज़रायल और हरियाणा सरकार ने क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन हेतु एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये है। यह संयुक्त घोषणा हरियाणा और इज़रायल के मध्य महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इस समझौते के तहत इज़रायल अपनी सबसे उन्नत और अत्याधुनिक जल प्रौद्योगिकियों, विशेषज्ञता और जानकारी को हरियाणा सरकार के साथ साझा करेगा। इस संयुक्त घोषणा के माध्यम से इज़रायल और हरियाणा सरकार जल प्रबंधन क्षेत्र में मौजूदा संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और हरियाणा में सार्वजनिक जल क्षेत्रों में जल संसाधनों को संरक्षित करने का प्रयास करेगी। जल सुरक्षा हमेशा से द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ रहा है।

भारत-नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन

हाल ही में पहली भारत-नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। इस ट्रेन में 500 भारतीय पर्यटक सवार हैं। यह पर्यटक ट्रेन पहली बार भारत और नेपाल को जोड़ेगी। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन देश भर के लोगों को देश के स्थापत्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन कराने का अवसर प्रदान करेगी। इस ट्रेन की पहली यात्रा (रामायण सर्किट) में अयोध्या, नंदीग्राम, वाराणसी, सीतामढ़ी, चित्रकूट, प्रयागराज, हम्पी, पंचवटी (नासिक), रामेश्वरम् और भद्राचलम् जैसे अन्य लोकप्रिय स्थलों के अलावा जनकपुर (नेपाल में) के धार्मिक गंतव्य को भी कवर किया जायेगा। भारत गौरव ट्रेनें भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने लोगों को दिखाने का एक प्रयास है। इस अनोखे विचार की परिकल्पना रेल मंत्रालय ने की थी। यह अवधारणा देश भर मं बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह लोगों को भारतीय संस्कृति का पता लगाने का अवसर भी प्रदान करेगा। यह ट्रेन 18 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वापस दिल्ली लौटेगी। यह पूरे रामायण दौरे में करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

रुचिरा कंबोज

हाल ही में रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भूटान में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत हो।रुचिरा कंबोज टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी तथा शीघ्र ही उनके द्वारा कार्यभार संभालने की संभावना है। रुचिरा कंबोज वर्ष 1987 के सिविल सेवा बैच की अखिल भारतीय महिला टॉपर और साथ ही वर्ष 1987 विदेश सेवा बैच की टॉपर रही है। उन्होंने पेरिस, फ्राँस से अपनी राजनयिक यात्रा शुरू की और वह वर्ष1989-91 के दौरान फ्राँस में भारतीय दूतावास में तीसरी सचिव के रूप में तैनात थीं। वह दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त, पेरिस में यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और नई दिल्ली में प्रोटोकॉल की प्रमुख भी रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में भारत का सबसे प्रमुख राजनयिक प्रतिनिधि होता है। यह न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन का प्रमुख है। वर्तमान में, टी.एस. तिरुमूर्ति भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। उन्हें मई 2020 में नियुक्त किया गया था।

सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च (Centre for Brain Research – CBR) का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बागची पार्थसारथी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला भी रखी जो 832 बेड वाला अस्पताल है। CBR अपनी तरह की एक शोध सुविधा है, जो उम्र से संबंधित मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन हेतु साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करने के लिये महत्त्वपूर्ण शोध कार्य करने पर केंद्रित है। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को एक गैर-लाभकारी, स्वायत्त अनुसंधान संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह गोपालकृष्णन और उनकी पत्नी सुधा गोपालकृष्णन की ओर से एक उदार उपहार था जो उनके द्वारा दी गई दान राशि द्वारा वित्त पोषित है और कई अनुदान एजेंसियों से विशिष्ट परियोजनाओं को संचालित करने हेतु अनुसंधान अनुदान प्राप्त करता है। गोपालकृष्णन ने अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिये धन उपलब्ध कराया है। बागची पार्थसारथी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल को IISc बेंगलुरु परिसर में विकसित किया जाएगा। यह अस्पताल प्रतिष्ठित संस्थान में विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग को एकीकृत करने में मदद करेगा।

पासपोर्ट सेवा दिवस

हर साल 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस (Passport Seva Divas) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को 24 जून, 1967 में पासपोर्ट अधिनियम के अधिनियमन (enactment) के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि चिप युक्त ई-पासपोर्ट के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। इससे भारतीय यात्रा की सुरक्षा को काफी हद तक मज़बूत करने में मदद मिलेगी। चिप्स

में आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण को स्टोर कर उन्हें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। उनमे 64 केबी का मेमोरी स्पेस होगा। इस चिप में करीब 30 अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को स्टोर किया जाएगा। पासपोर्ट अधिनियम भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय पासपोर्ट और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 का स्थान लिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, यह अधिनियम दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। इस अधिनियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है, तो उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस

दुनिया भर में वाणिज्य एवं आर्थिक प्रणाली में नाविकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस' का आयोजन किया जाता है। दुनिया भर का लगभग 90 प्रतिशत व्यापार जहाज़ों के माध्यम से किया जाता है और इन जहाज़ों का संचालन नाविकों द्वारा किया जाता है, जो पानी के माध्यम से व्यापार के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये अथक प्रयास करते हैं। 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन', जो कि नौवहन को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ने वर्ष 2010 में प्रतिवर्ष 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके पश्चात् वर्ष 2011 में पहला 'अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस' आयोजित किया गया। इस दिवस की शुरुआत का प्राथमिक लक्ष्य आम लोगों को वैश्विक व्यापार और परिवहन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नाविकों के कार्य के संदर्भ में जागरूक करना है। साथ ही यह दिवस निजी जहाज़ कंपनियों से समुद्र में सुरक्षित यात्रा के लिये अपने नाविकों को पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का भी आग्रह करता है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के माध्यम से की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने हेतु उत्तरदायी है।

सुचेता कृपलानी

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून, 1908 को हरियाणा के अंबाला में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् सुचेता कृपलानी ने 'बनारस हिंदू विश्वविद्यालय' में व्याख्याता के रूप में काम करना शुरू किया। अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसी समकालीन महिलाओं की तरह सुचेता कृपलानी भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुईं। सुचेता कृपलानी ने भारत के विभाजन के दौरान हुए दंगों में महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया। सुचेता कृपलानी उन महिलाओं में से एक थीं, जिन्हें भारतीय संविधान समिति में शामिल किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सुचेता कृपलानी उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गईं। वर्ष 1952 में उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया और वर्ष 1962 में वह कानपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गईं। 1963 में वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं और इसी के साथ उन्होंने देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। वर्ष 1971 में वह सेवानिवृत्त हुईं और वर्ष 1974 में उनकी मृत्यु हो गई।

दिनकर गुप्ता

23 जून, 2022 को पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency – NIA) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह को वाई.सी. मोदी की सेवानिवृत्ति के बाद मई 2021 में NIA का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। दिनकर गुप्ता 31 मार्च, 2024 या अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगे। दिनकर गुप्ता के पास पुलिस प्रशासन में मास्टर डिग्री है। उन्होंने 2019 में पंजाब पुलिस के महानिदेशक का पद संभाला था। उन्होंने इस पद पर 2 साल 7 महीने सेवा की। बाद में उन्हें पंजाब पुलिस हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अनुमति मांगी थी। उन्होंने पुलिस महानिदेशक, खुफिया, पंजाब के रूप में भी कार्य किया। इसमें पंजाब की इंटेलिजेंस विंग, ऑर्गनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट (OCCU) और स्टेट एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) शामिल थी। जून 2004 से जुलाई 2012 के दौरान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उनका आठ साल का कार्यकाल था। उन्होंने इस अवधि के दौरान संवेदनशील कार्यभार संभाला, जिसमें वीवीआईपी सुरक्षा की देखभाल करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो यूनिट के प्रमुख भी शामिल थे। दिनकर गुप्ता को 1992 और 1994 में दो पुलिस वीरता पदकों से अलंकृत किया गया है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक के साथ-साथ 2010 में विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति का पुलिस पदक भी दिया गया था। उन्हें 1999 में ब्रिटिश शेवनिंग गुरुकुल छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस

हर वर्ष 27 जून को सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) के कार्यान्वयन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के योगदान को मान्यता देने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम (Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) दिवस का आयोजन जाता है। अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया। मई 2017 में 'एनहेनसिंग नेशनल केपेसिटीज़ फॉर अनलेशिंग फुल

पोटेंशियल्स ऑफ एमएसएमई इन अचीविंग द एसडीजीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़' (Enhancing National Capacities for Unleashing Full Potentials of MSMEs in Achieving the SDGs in Developing Countries') नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास कोष (United Nations Peace and Development Fund) के सतत् विकास उप-निधि के लिये 2030 एजेंडा द्वारा वित्तपोषित किया गया है। MSME दिवस 2022 की थीम "आत्मनिर्भर MSMEs को शक्ति प्रदान करने के लिये भारत की आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना"है। नीति, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व, कौशल और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नई क्षमताओं को विकसित करने, मौजूदा को बढ़ाने और एक नई दुनिया के लिये तैयार रहने की आवश्यकता है।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

27 जुलाई, 2022 को देश भर में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की सातवीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्तूबर, 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे न केवल एक सुविख्यात एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे, बल्कि महान शिक्षक भी थे, जिन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ काम किया था। डॉ. कलाम वर्ष 1962 में 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' से जुड़े और वहाँ उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह (SLV- lll) प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, वे 'आम जनमानस के राष्ट्रपति' के तौर पर प्रसिद्ध हैं। डॉ. कलाम ने अपने 'सादा जीवन, उच्च विचार' के दर्शन से भारत समेत दुनिया भर के लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने डॉ. कलाम के जन्म दिवस को चिह्नित करते हुए वर्ष 2010 में 15 अक्तूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में नामित किया था। डॉ. कलाम की उपलब्धियों को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्हें भारत एवं विदेशों के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 1992 से वर्ष 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। डॉ. कलाम को वर्ष 1981 में पद्मभूषण, वर्ष 1990 में पद्मविभूषण और वर्ष 1997 में 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

हर वर्ष 26 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को वर्ष 1989 से मनाया जा रहा है। 26 जून की तारीख को ग्वांगडोंग में लिन ज़ेक्सू द्वारा अफीम व्यापार को समाप्त करने के उपलक्ष्य में चुनी गई है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अवैध ड्रग का मूल्य प्रतिवर्ष 322 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2018 में लगभग 269 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया जो वर्ष 2009 की तुलना में 30% अधिक है। UNODC संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जो विश्व को ड्रग्स, भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद से सुरक्षित रखने में मदद करता है।

वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल

23 जून, 2022 को प्रधानमंत्री ने नए "वाणिज्य भवन" का उद्घाटन किया। वाणिज्य भवन उद्योग और निर्यातकों को अपने लिये दीर्घकालिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार को सुझाव देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भारत के विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में परिवर्तित होने में निर्यात द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। प्रधानमंत्री ने निर्यात पोर्टल (NIRYAT – National Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade) का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल को हितधारकों के लिये वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ उन्हें भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी। यह सभी हितधारकों को रीयल टाइम डेटा प्रदान करेगा।

BRO कैफे

रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन (Border Road Organisation- BRO) के साथ सीमा सड़कों के विभिन्न मार्गों पर जल्द ही बीआरओ कैफे खोलने की अनुमति दी है। अरुणाचल प्रदेश में 19, हिमाचल प्रदेश में 7, असम में 2, लद्दाख में 14, जम्मू-कश्मीर में 12, उत्तराखंड में 11 और राजस्थान में 5 बीआरओ कैफे स्थापित किये जाएंगे। इसके अलावा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नगालैंड, पंजाब और मणिपुर में सड़क के किनारे विभिन्न सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी। इन कैफे का उद्देश्य पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएँ और आराम प्रदान करना है। वे सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार पैदा करेंगे। बीआरओ कैफे के तहत सुविधाओं में दो और चार पहिया वाहनों के लिये पार्किंग, पुरुषों, महिलाओं और विकलांगों के लिये टॉयलेट, फूड प्लाज़ा/रेस्तराँ, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष आदि शामिल हैं। लाइसेंसधारियों का चयन प्रतिस्पर्द्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

भारत-NCAP

24 जून, 2022 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत के लिये सुरक्षित कारों को लाने हेतु भारत NCAP (New Car Assessment Program) शुरू

करने हेतु GSR अधिसूचना के मसौदे को मंज़ूरी दी। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (NCAP) एक तंत्र प्रदान करता है, जिसमें भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर 'स्टार रेटिंग' दी जाएगी। यह प्रोग्राम एक उपभोक्ता-केंद्रित प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा और ग्राहकों को स्टार-रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों का उपयोग करने की अनुमति देगा। यह सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिये देश भर में मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के अनुसार, भारत में कारों की स्टार रेटिंग, क्रैश परीक्षणों के आधार पर कारों में संरचनात्मक तथा यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है। यह भारतीय ऑटोमोबाइल की निर्यात क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा। यह कार्यक्रम भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही भारत को दुनिया भर में शीर्ष ऑटोमोबाइल हब बना देगा।

वैश्विक बुनियादी ढाँचा कार्यक्रमों की घोषणा

हाल ही में G7 समूह द्वारा निर्धन देशों के लिये 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढाँचा कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। इस कदम का उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना है। वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तक अमेरिकी सरकार एवं उसके सहयोगी देश 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आँकड़े को छूने का प्रयास करेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative- BRI) को औपचारिक रूप से वन बेल्ट वन रोड पहल के रूप में जाना जाता है। यह एक वैश्विक बुनियादी ढाँचा विकास रणनीति है, जिसे चीन द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। इसके तहत चीन ने लगभग 70 देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निवेश करने की योजना बनाई। यह परियोजना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेश नीति का केंद्रबिंदु है। मार्च 2022 तक 146 देशों द्वारा BRI पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (National Statistical System) की स्थापना में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिये उनकी जयंती (29 जून) को हर साल सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यह बताना है कि दैनिक जीवन में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना और जनता को इस बात के लिये जागरूक करना कि नीतियों को आकार देने तथा तैयार करने में सांख्यिकी किस तरह सहायक है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute- ISI) की स्थापना की, योजना आयोग को आकार दिया (जिसे 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया) और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण के लिये कार्यप्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने रैंडम सैंपलिंग की विधि का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने तथा परिकलित रकबे/पहले से अनुमानित क्षेत्रफल और फसल पैदावार का आकलन करने हेतु नवीन तकनीकों की शुरुआत की। उन्होंने 'फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस' नामक एक सांख्यिकीय पद्धति भी तैयार की, जिसका उपयोग विभिन्न समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बीच तुलना करने के लिये किया जाता है।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय बैक योजना

केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2022 से सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये पूरी तरह तैयार है। केंद्र के फैसले के अनुरूप हिमाचल प्रदेश ने "सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बाय बैक योजना" शुरू की है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय बैक स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम खरीदेगी। यह कदम युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की भावना पैदा करेगा। इसके तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूलों में जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिये सरकार छात्रों को 75 रुपए प्रति किलो का भुगतान करेगी।युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। इन नियमों को विशिष्ट एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के लिये अधिसूचित किया गया था। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। उनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है। प्लास्टिक इतना सुविधाजनक और सस्ता है कि इसने पैकेजिंग उद्योग की अन्य सामग्रियों की जगह ले ली है। हालाँकि इसे विघटित होने में सैकड़ों साल लगते हैं। भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 43 फीसदी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है।

इस्कंदर-एम मिसाइल प्रणाली

हाल ही में रूस द्वारा बेलारूस को "इस्कंदर-एम मिसाइल सिस्टम" (Iskander-M Missile System) स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है। इस मिसाइल प्रणाली के परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज़ मिसाइलों का उपयोग किया जा सकता है। इस्कंदर-एम मिसाइल प्रणाली को नाटो द्वारा "SS -26 स्टोन" के रूप में कोड नेम (Code name) दिया गया है। रूस इस्कंदर-एम शब्द का प्रयोग ट्रांसपोर्टर-इरेक्टर लॉन्च सिस्टम के साथ-साथ उसके द्वारा दागी गई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) को परिभाषित करने हेतु करता है। इस प्रणाली का उपयोग ज़मीन से प्रक्षेपित क्रूज़ मिसाइलों (GLCMs) जैसे SSC-7 और SSC-8 को फायर करने के लिये किया जा सकता है। इस प्रणाली को विशेष रूप से रूसी सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। वर्ष 1996 इसे पहली बारें सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।

जुलजाना

हाल ही में ईरान द्वारा "जुलजाना" नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है। जुलजाना 25.5 मीटर लंबा ईरानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह 220 किलोग्राम के पेलोड या उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में ले जाने में सक्षम है। यह सैटेलाइट लो-अर्थ ऑर्बिट में डेटा एकत्र करने के साथ-साथ ईरान के अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देगा। यह पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और स्वदेशी रूप से निर्मित हाइब्रिड ईंधन उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह सफीर और सिमोर्ग के बाद ईरान में विकसित तीसरा नागरिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। जुलजाना रॉकेट का 1 फरवरी, 2021 को अनावरण किया गया था। इसे 1 फरवरी, 2021 को ही पहले टेलीमेट्री और परीक्षण उद्देश्यों हेतु उप-कक्षीय उड़ान में लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का नाम इमाम हुसैन (पैगंबर मुहम्मद के पोते) के घोड़े के नाम पर रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस

क्षुद्रग्रहों, उनके कारण उत्पन्न संभावित खतरों और उनके अध्ययन से ज्ञात वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 30 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अभियान के रूप में 'अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस' का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह दिवस आम जनमानस को क्षुद्रग्रहों के बारे में जानने के लिये प्रेरित करता है। इस वर्ष का 'अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस' साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास हुई सबसे बड़ी 'क्षुद्रग्रह घटना' की 113वीं वर्षगाँठ का प्रतीक है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रतिवर्ष 30 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस' के रूप में आयोजित करने के लिये एक प्रस्ताव को अपनाया था, जिसका उद्देश्य साइबेरिया में हुई 'तुंगुस्का घटना' को प्रतिवर्ष याद करना था। विदित हो कि क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं। क्षुद्रग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। नासा के अनुसार, ज्ञात क्षुद्रग्रहों की संख्या तकरीबन 10,97,106 है, जिनका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल के निर्माण के समय हुआ था।

राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और यूके के उनके समकक्ष लिज़ ट्रस ने संयुक्त "भारत-यूके राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम" शुरू करने की योजना की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा रवांडा में उनकी बैठक के बाद की गई थी। भारत-यूके राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम दोनों देशों के युवा और महत्त्वाकांक्षी राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिये शुरू किया जाएगा। नए राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा इसलिये की गई क्योंकि भू-राजनीतिक दुनिया में देशों को लोकतंत्र और संप्रभुता के राष्ट्रमंडल मूल्यों को तेज़ी से सशक्त बनाने की ज़रूरत है। नया राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम युवा राजनयिकों को विशेषज्ञता और प्रशिक्षण से लैस करेगा जिसकी उन्हें वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यकता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किगाली में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (Commonwealth Heads of Government Meeting– CHOGM) में हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान उन्होंने "मज़बूत और पुनर्जीवित राष्ट्रमंडल परिवार" के महत्त्व को उजागर करने तथा सभी सदस्यों को लाभ पहुँचाने के लिये एक संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने नई दिल्ली में भारत-यूके राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की मेज़बानी करने की घोषणा की।

नितिन गुप्ता

हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नए अध्यक्ष के रूप में IRS अधिकारी नितिन गुप्ता की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है। वह वर्ष 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी हैं। वह इनकम टैक्स कैडर से संबंधित है तथा अगले वर्ष सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वर्तमान में बोर्ड में पाँच सदस्य हैं। 1985-बैच की आईआरएस अधिकारी अनुजा सारंगी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। अन्य सदस्यों में सुबाश्री अनंतकृष्णन और प्रज्ञा सहाय सक्सेना शामिल हैं। दोनों ही वर्ष 1987 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (Central Board of Revenue Act, 1963) के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन दो संस्थाओं- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxation) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Customs) का गठन किया गया था। इनमें से CBDT प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों तथा योजनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ-साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करता है।

'वन हेल्थ' पायलट प्रोजेक्ट

हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय द्वारा बंगलूरू में 'वन हेल्थ' पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। "वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट" को भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यान्वयन भागीदारों के रूप में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा शुरू किया गया। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट भविष्य में कोविड-19 महामारी जैसी जूनोटिक बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिये समाधान प्रस्तुत करने हेतु मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से केंद्र को राष्ट्रीय 'वन हेल्थ' रोडमैप विकसित करने में मदद मिलेगी। रोडमैप बेहतर प्रतिक्रिया तंत्र और प्रबंधन से लैस होगा जिसमें दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी शामिल किया जाएगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक अमेरिकी निजी फाउंडेशन है, जिसे वर्ष 2000 में बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सिएटल, वाशिंगटन में स्थित है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार व नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है।